खण्ड-359, अंक-5
बुधवार, 20 माघ, शक संवत् 1904
(9 फरवरी, 1983 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 359 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | .... | 419–424 |
| प्रश्नोत्तर | .... | 425–509 |
| शहर कोतवाली गोंडा की पुलिस द्वारा हजीजुल्लाह उर्फ कल्लू का अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना | .... | 509 |
| प्रदेश में शीत लहरो से क्षति तथा सरकारी देयों की वसूली में उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना | .... | 509–510 |
| गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में नरभक्षी शेरों का आतंक तथा मृतकों के परिवार वालों को क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .... | 510 |
| शासन की दोहरी परीक्षा नीति के विरोध में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों द्वारा धरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .... | 510–511 |
| जनपद बलिया स्थित गंगा नदी के कतिपय घाटों की बिहार सरकार द्वारा नीलामी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .... | 511 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न | .... | 511–512 |
| भूतपूर्व शिक्षामंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय | .... | 512–513 |
| अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम की सूचना | .... | 513 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) | .... | 514 |
| दिनांक 3-2-1982 को श्री भीखालाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य | .... | 515 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1982 (वापस लिया गया)। | .... | 515 |

विषय ( II ) पृष्ठ संख्या

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 ( पुनर्स्थापित किया गया ) .... 516–517

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें .... 517–531

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) .... 532–572

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें .... 572–573

शासन तथा विद्युत कर्मचारियों के बीच हुए समझौते का शासन द्वारा पालन न किये जाने सम्बन्धी वक्तव्य पर तिथि निर्धारण .... 573–574

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) .... 574–583

नत्थियां .... 584–600

अविकल प्रति

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 9 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह को अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—370

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रूखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिलसिंह) फतेहपुर
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)

उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खोरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)

कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूँ)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूँ)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरूल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल,
'विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)

धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरूषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूँ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)

बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रूखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसूफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)

माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खाँ, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री प्रतापगढ़)
रामनारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)

रामेश्वर प्रसाद, श्री (बाँदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह,
(उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लट्टूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह, ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बाँदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाय सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूँ)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येद्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूँ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खाँ नवाब, श्री (शाहजहाँपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुहरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)

सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरो किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

---

सत्यमेव जयते

## प्रश्नोत्तर

## बुधवार, 9 फरवरी, 1983

### तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न ]

### प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में छात्रों, रसोइया तथा कर्मचारियों के बीच झगड़े की दर्ज रिपोर्ट

*1—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में कक्षा–10 के छात्र डोमन व गूजर को आश्रम के रसोइया कर्मचारियों द्वारा खाना न दिए जाने पर दि० 21-4-82 तथा 24 4-82 के मध्य छात्रों, रसोइया तथा स्कूल कर्मचारियों के बीच कोई झगड़ा हुआ था और संस्था के अध्यक्ष कार्यवाहक अधीक्षक ने रसोइया कर्मचारियों को आदेश दिए थे कि किसी भी छात्र को खाना न दिया जाय और छात्रों को निर्ममता से पिटवाया गया ? क्या इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है ? जाँच के दौरान क्या तथ्य प्रकाश में आए और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

### परिवहन निगम बोर्ड के सृजित सेल में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां

*2—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम बोर्ड के संकल्प संख्या 568/77 द्वारा सृजित सेल में 5 वर्षों के बाद नियुक्तियां किए जाने का क्या औचित्य है ? परिवहन निगम में कार्यरत लेखाकारों को आडिटर एवं सीनियर आडिटर के पद पर नियुक्त न करने के क्या प्रमुख कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

परिवहन निगम बोर्ड के संकल्प संख्या 568/77 द्वारा सृजित सेल में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां विभिन्न वर्षों में की गयीं, जिसका विवरण निम्नवत् हैं :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | 1977 | आडिट आफिसर | 1 |
| 2– | 1978 | डिप्टी सी ए ओ [आडिट] | 1 |
| | | आडिट आफिसर | 3 |
| 3– | 1979 | आडिट आफिसर | 1 |
| | | सीनियर आडिटर | 1 |
| 4– | 1981 | आडिट आफिसर | 7 |

सीनियर आडिटर 10

आडिटर 25

निगम में कार्यरत लेखाकारों को आडिटर व सीनियर आडिटर न बनाने का प्रमुख कारण यह है कि निगम के उक्त संकल्प में इस बात का भी निर्णय लिया गया था कि अधिकाधिक प्रशिक्षित अधिकारियों को परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, तथा मुख्य सम्परीक्षक, सहकारी समितियां तथा पंचायत, के कार्यालयों से लिया जाय।

नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नकर्त्ता के अनुपस्थित होने पर तथा प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नकर्त्ता को श्री अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने और उनके खड़े न होने पर श्री अध्यक्ष ने तारांकित प्रश्न संख्या 1 (ख) को लिया।

श्री पंचायन राय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उपस्थित हूँ और आप आगे बढ़ गये।

श्री अध्यक्ष---

आप खड़े नहीं हुए।

श्री पंचानन राय--

मैं खड़ा हुआ था। मुझे आज सवाल नहीं मिला मेरे कमरे पर। मैं इसकी शिकायत ही कर रहा था, तब तक आपने पुकार लिया। मेरा सवाल ले लिया जाये।

श्री पंचानन राय--

माननीय मन्त्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि यह पद सन् 1977 में सृजित हुए थे और 1980 तक केवल 6 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और 1982 में 42 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। 5 साल के बाद इनकी नियुक्ति करने का क्या औचित्य है ? तथा जब विभाग में ही लेखाकार उपलब्ध थे तो उनको इन पदों पर प्रोन्नति न देने का क्या औचित्य है ? बाहर से नियुक्तियां करने पर शासन को व्यय भी करना पड़ा तो ऐसा न करने का क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, लेखाकार स्वयं अपने हिसाब-किताब का आडिट करें, यह बात उचित नहीं मालूम देती है। इनकी प्रोन्नति के रास्ते दूसरे हैं। आडिट जो है वह एक विशेष कार्य है। इसके लिए बोर्ड ने तय किया कि बाहर से व्यक्तियों को चयनित करके लिया जाये, तो उत्तर में यही कहा गया है।

श्री पंचानन राय--

संकल्प 1977 में किया गया और नियुक्तियां 1981 में की गयी। 4 साल तक नियुक्तियां न करने का क्या औचित्य है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जैसे-जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती गयी उनकी नियुक्तियां उसी के अनुसार की गयीं।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें यह एहसास नहीं है कि उनके विभाग में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और जैसे-जैसे उन्हें आवश्यकता

होती गई, वैसे-वैसे वे अन्धाधुन्ध तरीके से उन्हें भरती करते गये। मैं जानना चाहता हूँ कि जब-जब आपको इन नियुक्तियों की आवश्यकता हुई तो उन-उन वर्षों के विज्ञापन आपने किन-किन अखबारों में निकाला ? क्या ये नियुक्ति एडहाक रूप से मनमाने तरीके से करा ली गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, ये एडहाक नियुक्तियां नहीं हैं, नियमित हैं जो कि समय-समय पर की गई हैं।

श्री सूबेदार सिंह—

मैंने प्रश्न किया था कि किन-किन अखबारों में निकाला ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मन्त्री जी कृपया बतायें कि निगम के प्रधान प्रबन्धक के आदेश संख्या 100-9-एच-सी दिनांक 23-2-82 के अनुसार एडहाक नियुक्तियां बन्द की गई हैं। उसके बावजूद भी विभाग ने प्रदेश में सैकड़ों तदर्थ नियुक्तियां की हैं और वर्क चार्ज पर की हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह से वर्क चार्ज में रखे गये हैं और तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं उन्हें नियमित करने अथवा सेवा मुक्त करने की योजना बनायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उसमें जो आदेश हुआ है वह नई नियुक्तियों को न करने का है और जो करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायँ। अगर आप उत्तर से सन्तुष्ट न हों तो नियमों के अन्तर्गत चर्चा की मांग कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

आप नियमानुसार लिखकर दे दें।

[ बुधवार, 9 फरवरी, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न ]

## जनपद आजमगढ़ के दोहरी घाट डिपो में संचालित बसें

*1—श्री राजकुमार राय—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जनपद के दोहरी घाट डिपो की तीन बसें साढ़े चार लाख कि० मी० से अधिक, 17 बसें चार लाख कि० मी० से अधिक, 22 बसें तीन लाख कि० मी० से अधिक, 5 बसें 2 लाख कि० मी० से अधिक, 6 बसें एक लाख कि० मी० से अधिक चल चुकी हैं और केवल चार ही बसें एक लाख कि० मी० से कम चली हैं ? यदि हां, तो इतनी कम नई बसों पर डिपो चलाने का औचित्य क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

संचालन के आधार पर दोहरी घाट डिपो में बसों के वर्गीकरण की स्थिति निम्नवत् है :--

1. 4-80 लाख किलोमीटर से ऊपर चली हुई बसें 4 हैं।
2. 4-00 लाख और 4-80 लाख किलो मीटर के बीच चली हुई 16 बसें हैं।
3. 3 लाख और 4 लाख के बीच चली हुई 22 बसें हैं।
4. 2 लाख और 3 लाख के बीच चली हुई 5 बसें हैं।
5. 1 लाख और 2 लाख के बीच चली हुई 7 बसें हैं।
6. 1 लाख से कम चली हुई 4 बसें हैं।

किसी भी डिपो में प्रत्येक स्तर की विभिन्न किलोमीटरेज की बसें संचालित की जाती हैं और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुये विभिन्न डिपो को नयी बसें देने का यथासंभव प्रयास किया जाता है।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ कि आप कितने किलो मीटर चलने के बाद बसों को नीलामी कराते हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, चार लाख से ऊपर जो बस चल देती है उसके बाद उसकी मरम्मत की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही उसकी नीलामी होती है। जब उस पर खर्चा ज्यादा और आमदनी कम होती है।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, दोहरी घाट डिपो में 58 बसें हैं। यदि मन्त्री जी के उत्तर को सही माना जाय तो 18 बसें वहाँ पर आफ-रोड हैं। बाकी 40 बसेज बची। इनके उत्तर के अनुसार ही 11 बसेज ऐसी हैं जो दो लाख से कम चली हुई हैं, उसमें 4 ऐसी हैं जो एक लाख से ऊपर चल चुकी हैं। इस तरह से एक भी नयी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ इस मरे हुए विभाग को आपने लिया तो इस तरह के डिपो की क्या आवश्यकता है जिसको 10, 20 बसेज भी नहीं दी जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप सूचना न दें, प्रश्न करें।

श्री राज कुमार राय--

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश में ऐसा भी कोई डिपो है जिसमें एक या दो लाख चली हुई बसेज केवल 6 हों या दोहरी घाट ही ऐसा डिपो है जहां कोई नयी बस नहीं है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, हर डिपो की गाड़ियों का एलोकेशन होता है। जो दोहरी घाट डिपो है इसका एलोकेशन 38 बसेज का है, उसमें कुछ बसेज खराब हैं जैसे हमारे संसाधन हो जायेंगे हम नयी बसेज देते जायेंगे।

श्री पंचानन राय--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर में दो बातें कही गयीं, एक तो यह कि 4 लाख से ऊपर

चलने के बाद अगर बस में लाभ है तो उसमें मरम्मत कराकर चलाया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो 20 बसेज 4 लाख कि० मी० से ज्यादा चली हैं उनमें कितनी ऐसी हैं जो लाभ में चल रही हैं और कितनी ऐसी हैं जो घाटे में चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष—

में इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, यह व्यापक प्रश्न है। (व्यवधान) आप कृपया बैठें।

श्री भीखालाल :—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा राय साहब ने प्रश्न किया हांडो का एक ही चावल पूरी हांडो की हालत बताता है। क्या शासन ने कोई मानक बना रखा है कि इतने कि० मी० चलने के बाद नयी बस से रिप्लेस करना चाहिये ? यदि हां, तो वह मानक क्या है ? परिवहन निगम की बसों की स्थिति प्रदेश भर में यही है कि वह मानक से ऊपर चल चुकी हैं। निगम जिस कारण से घाटे में चल रहा है कोई बैंक कर्जा देने को तैयार नहीं है जिससे नयी बसेज लेकर पुरानी बसों को रिप्लेस किया जा सके। ऐसी स्थिति में निगम ने नयी बसेज लेने की क्या व्यवस्था की है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

माननीय भीखालाल जी ने जो प्रश्न किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ, उन्होंने स्थिति का अवलोकन किया है। चार लाख कि० मी० जब गाड़ी चल जाती है तो उसके बाद उसकी हालत को देखा जाता है। अगर मरम्मत नहीं हो सकती है तो नीलाम किया जाता है। इस समय माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, इसलिए हमने प्राइवेट बस आपरेटर्स से कहा है कि वे अनुबंध में गाड़ियां दें ताकि हम जनता की सेवा अच्छी तरह से कर सकें। जैसे-जैसे साधन जुटेंगे जिसके लिए निगम और सरकार प्रयास कर रही है, हम नयी गाड़ियों से पुरानी गाड़ियों को रिप्लेस करेंगे।

श्री ए० सी० ग्राइस —

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि प्राइवेट बसेज को चलाने की इजाजत देंगे। क्या मन्त्री जी को यह भी पता है कि प्राइवेट बसेज भरी हुई चलती हैं और सरकारी बसेज खाली चलती हैं। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट में चोरी हो रही है। प्राइवेट बस वाला एक साल के अंदर तीन गाड़ियां कर लेता है और हमारी बसेज तीन साल के अंदर खतम हो जाती हैं और उसे राइट आफ कर दिया जाता है। इसके अलावा क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि हर डिपो में जहाँ मेन्टीनेन्स डिपो हैं लेकिन वहां मेन्टीनेन्स का काम नहीं हो रहा है तो क्या मन्त्री जी इसको देखने की उचित व्यवस्था कुछ कर रहे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैंने अनुबंधित बसों की बात कही है। जहां प्राइवेट बसें बहुत अधिक सवारियों को बैठाते हैं। उनके चेकिंग के लिये सब जगह चेकिंग स्क्वैड तैयार हैं और वह बराबर चेकिंग कर रहे हैं। इसके संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आजमगढ़ डिपो में जहां 40 हजार रुपये की आय थी अब वह बढ़कर 1 लाख से ऊपर इनकम उस डिपो में हो गयी है॥

## ग्राम भरहेचौरा, देवरिया में छोटी गण्डक नदी द्वारा भूमि का कटान

*2—हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद ग्राम भरहेचौरा छोटी

गण्डक नदी के कटान से खतरा उत्पन्न हो गया है ? क्या इसको रोकने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिह)--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ?

नदी द्वारा केवल भूमि का कटान हो रहा है जिसको गति बहुत धीमी है और आबादी अभी सुरक्षित दूरी पर है ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि नदी के कटान से एक पक्का कुंआ और 10 पेड़ कटकर नदी में बह गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिह—

मान्यवर, जो गाँव बताया गया है उससे नदी की दूरी 30 मीटर है । यदि गाँव को बचाते हैं तो 2-3 लाख रुपया खर्च होगा । मा० सदस्य का कहना है कि एक कुंआ बह गया है तो कुंआ 2-3 हजार रुपये में बनता है और कटान को रोकने में 2-3 लाख रुपये का खर्च होगा । इसके अलावा गाँव से नदी 30 मीटर दूरी पर बतायी गयी है तो अभी गाँव के कटने की संभावना नहीं है, इसलिये कोई बाँध बनाना संभव अभी नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

मन्त्री जी ने बताया कि 30 मीटर गाँव अभी दूर है और कटने की संभावना नहीं है तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उस नदी के कटाव की गति पिछले 2-3 सालों में क्या रही है ?

श्री वीर बहादुर सिह—

कटान की गति कभी एक मीटर कभी आधा मीटर रही है ।

श्री हरिवंश सहाय—

मन्त्री जी ने 30 मीटर की दूरी बतायी है जबकि हमारा कहना है कि 10 गाँव नदी से दूर रह गया है और एक पक्का कुंआ नदी में बह गया है और 10 पेड़ बह गये हैं। तो इस दूरी को नापने के लिये क्या मन्त्री जी किसी अधिकारी को हमारे साथ भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिह—

जो दूरी बताया है वह नाप कर आयी है और 30 मीटर बताया है । 30 मीटर के बाद 10 मीटर पर एक कच्चा मकान है और पक्का मकान 40 मीटर दूरी पर है । इसलिये गाँव कटने की संभावना नहीं है ।

श्री हुक्म सिह—

मान्यवर, पहले कच्चा मकान पड़ता है जिसकी चिन्ता नहीं है, उसके बाद पक्का मकान है जिसकी चिन्ता है । तो क्या कच्चे मकान में जो गरीब रहते हैं उनको बचाने पर एक लाख का खर्चा आयेगा जिससे नदी कटान को आप नहीं रोकना चाहते हैं । इसलिये मैं जान-

कारी चाहता हूँ कि विभाग ने क्या कोई माप-दंड बना रखा है कि गाँव से कितनी दूरी पर नदी होगी तो बचाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जैसा मा० सदस्य कह रहे हैं तो आज लाखों गाँव नदियों के किनारे हैं जैसे गंगा, जमुना, घाघरा आदि जिनके किनारे लाखों गांव बसे हैं जहाँ कटान की परेशानी है। तो इसके लिए इस तरह हमको सैकड़ों-करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है। जो हमारे पास साधन हैं और प्रायरिटी को देखते हुए जहाँ पर बचाना है, उसके लिए हम काम करते हैं। यह ठीक है कि कटान रोका जाए, लेकिन इसे हम साधनों को देखते हुए करते हैं।

## कानपुर में ट्रेड सेन्टर की बन्दी

*3—श्री राम लाल वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में 22 लाख रुपये की लागत से निर्मित ट्रेड सेंटर को किन कारणों से बन्द कर दिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत ट्रेड सेन्टर यू० पी० हैण्डलूम कारपोरेशन के भवन के एक भाग को किराये पर प्राप्त करके वर्ष 1976-77 में स्थापित किया गया था। इस पर कुल 12.62 लाख रु० का व्यय हुआ। स्वावलम्बी न होने, एवं निरन्तर हानि के कारण ट्रेड सेन्टर को दिनांक 19-10-81 से बन्द कर दिया गया।

श्री रामलाल वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ट्रेड सेन्टर को क्या अन्यत्र कहीं लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने पहले कहा, इसमें लिखा है कि स्वावलम्बी न होने और निरन्तर हानि होने के कारण ट्रेड सेन्टर को बन्द कर दिया गया है, तो जाहिर है कि हटाया नहीं गया है, बन्द कर दिया गया है। आज जब मैंने इस सवाल को देखा तो यह विचार हुआ कि यह सेन्टर स्माल स्केल उद्योगों के लिए और उनकी मार्केटिंग व डिस्प्ले के लिए था, तो मैं चाहता हूँ कि इसको फिर से बनाया जाए और इसमें दो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए। अर्थात् मैं इसको फिर से पुनर्जीवित करने जा रहा हूँ और अच्छा बनाने जा रहा हूँ।

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

किसी भी ट्रेड सेन्टर को चलाने और बन्द होने का ताल्लुक इस बात से होता है कि उसका खर्चा कितना है और आमदनी कितनी है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह ट्रेड सेन्टर पैसे के अभाव में बन्द हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसको कर्जा देकर चलाने की कोशिश करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने बताया तो है कि इसको नये सिरे से शुरू करने जा रहे हैं।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने तथा श्री पंचानन राय के प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

20 प्रश्नों को हमें समाप्त करना है और सदस्य नाराज होते हैं कि उनके प्रश्न नहीं

आ पाते हैं। अतः अब इस पर और प्रश्न करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि वह इसमें मेरा सहयोग करें।

## श्री राम किशुन, ठेकेदार द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

*4—श्री राम आसरे पासवान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिव, सतर्कता विभाग एवं सिंचाई मन्त्री जी को सम्बोधित श्री पन्ने लाल विधायक के पत्र श्री राम किशुन ठेकेदार शारदा सहायक खण्ड-18 का शिकायती पत्र के साथ माह अगस्त, 81 में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री रामकिशुन, ठेकेदार का शिकायती पत्र दिनांक 20-8-81 प्राप्त हुआ है।

उक्त शिकायती पत्र के आरोपों की जाँच कराई गई। जाँच में दोषी पाये गये अवर अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के आदेश प्रमुख अभियन्ता को दे दिये गये हैं।

## श्री नसीर अली, सेवा निवृत्त जूनियर फोरमैन की प्रतिकूल प्रविष्टियों को सूचित करने में हुए विलम्ब हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*5—श्री राम आसरे वर्मा—

द्वितीय सत्र 82 के 1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि श्री नसीर अली को 1966-67, 1967-68, 1968-69 तथा 1970-71 तथा 1971-72 की प्रतिकूल प्रविष्टियां नियमित वर्षों में नहीं दी गयीं ? यदि हां, तो क्यों ? इन प्रविष्टियों की सूचना उनको कब-कब दी गयी ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

विलम्ब का मुख्य कारण स्वीकर्त्ता अधिकारी श्री एम० एम० गुप्ता, उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज) द्वारा प्रविष्टि अंकित न किया जाना है। प्रश्नगत पांच वर्षों की प्रतिकूल प्रविष्टियां श्री नसीर अली को दिनांक 17-6-74 को सूचित की गई। इन प्रतिकूल प्रविष्टियों को सूचित करने में हुये विलम्ब के लिये भी श्री गुप्त, उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज) (अब सेवा निवृत्त) तथा श्री एस० एन० भटनागर, तत्कालीन उपलेखक—प्रालेखक (जो अब परिवहन-आयुक्त कार्यालय में कार्यरत हैं) उत्तरदायी हैं। श्री भटनागर के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय को निगम द्वारा अनुरोध कर दिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, प्रतिकूल प्रविष्टि श्री एम० एम० गुप्ता को करनी थी, उन्होंने की नहीं, दूसरे अधिकारी भटनागर साहब ने प्रतिकूल प्रविष्टि की और अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के खिलाफ पिछले कई सालों की प्रतिकूल प्रविष्टि भेज दी गयी थी, उसे उस प्रतिकूल प्रविष्टि के खिलाफ आपत्ति दाखिल करने का भी मौका नहीं दिया था। माननीय मन्त्री जी ने इस बात को माना है कि कोई दोषी इसके लिए है। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देंगे कि जो प्रतिकूल प्रविष्टि के सिलसिले में विलम्ब हुआ या आपत्ति दाखिल करने का मौका

कर्मचारी को नहीं दिया गया, उसको पिछली तारीख से स्थायी करके पेंशन दिये जाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैं इन सारे मामले को देखूंगा और जो न्यायोचित होगा, वह कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा।

मरदह राजबाहा के निर्माण कार्य में रोक

*6--श्री राम करन--

(अनुपस्थित)

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिलान्तर्गत देवकली पम्प नहर के रजबहा मर्दहा का निर्माण कार्य ग्राम सरार उर्फ हैदरगंज में रोक दिया गया है, तथा उसके बनाने का मार्ग बार-बार बदला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मरदह राजबहा का निर्माण-कार्य ग्राम सरार उर्फ हैदरगंज में भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण रोक दिया गया है। पूर्व स्वीकृत समरेखन का प्रस्ताव एक बार बदल गया है। पूर्व प्रस्तावित समरेखन निचली भूमि से जा रहा था जिससे पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती थी।

आगरा शहर के आधुनिकीकरण हेतु मध्य गंगा परियोजनाओं द्वारा सिंचाई सुविधा देने का प्रस्ताव

*7- श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के खारी पानी की समस्या के समाधान हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय आयेगा और कब तक क्रियान्वित हो सकेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आगरा नहर के आधुनिकीकरण व मध्यगंगा परियोजनाओं द्वारा मथुरा जनपद के अतिरिक्त खरीफ की सिंचाई सुविधा देने का प्रस्ताव है। इससे खारे पानी की समस्या में कुछ सुधार होने की आशा है। इन परियोजनाओं की लागत क्रमशः रुपये 1438 एवं रुपये 16,500 लाख है। आगरा नहर के आधुनिकीकरण तथा मध्यगंगा परियोजनाओं पर धान की उपलब्धता के अनुसार कार्य पूर्ण होगा।

अन्य कोई योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, खारी पानी की समस्या से मेरा पूरा जिला बहुत पीड़ित है। पानी के अभाव में हजारों एकड़ जमीन बिना बोआई के रह जाती हैं या फसलें सूख जाती हैं। जो हमारे यहां पर माट ब्रांच गंगा नहर आती है, उसमें माट ब्रांच का टेल हमारे यहां पर पड़ता है, उस टेल को दृष्टिगत रखते हुए क्या अधिक पानी देने की व्यवस्था माट ब्रांच गंगा नहर से देने की कृपा करेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जब मथुरा गंगा नहर बन जायगी, तो वहां की पानी की काफी समस्या पूरी हो जायगी। मान्यवर, मथुरा को जून 85 तक पानी मिलने की सम्भावना है। मान्यवर, खरीफ में आगरा कैनाल में पानी बढ़ेगा, तो उधर हम मथुरा को पानी दे सकेंगे। जो पानी है, वह खरीफ के लिये हम कर सकेंगे, लेकिन रबी के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाय।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मथुरा जिले की भांति आगरा जिले में भी पानी की समस्या व्याप्त है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि आगरा और मथुरा जिले की इस खारी पानी की समस्या को मीठे पानी में परिवर्तित करने के लिए लघु सिंचाई विभाग ने 7–8 महीने पहले एक प्रोजेक्ट बना कर भेजा था, उसको गवर्नमेंट ने अस्वीकार कर दिया था। मान्यवर, हमारे जिले के 303 गांवों में से 268 गांवों का पानी खारा है। क्या माननीय मंत्री जी हमारे आगरा जिले की पानी की समस्या को देखते हुए उस प्रोजेक्ट को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

मान्यवर, यह समस्या काफी गम्भीर है। इसके लिये हम विचार कर रहे हैं कि उसमें क्या कार्यवाही की जाय।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, खारी पानी की समस्या बड़ी विकराल है। क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाने की कृपा करेंगे, जो कि अपना सुझाव दे सकें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसकी रूपरेखा अभी नहीं बन पायी है लेकिन सरकार सोच रही है कि इसके लिये क्या व्यवस्था की जाय।

(प्रश्न संख्या 8 पुकारे जाने पर)

श्री चन्दन सिंह—

मान्यवर, एक प्रश्न की अनुमति दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठने की कृपा करें। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

## जनपद बांदा एवं हमीरपुर में बाढ़ से बचाव हेतु योजनाएं

*8—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के बांदा एवं हमीरपुर में अगस्त एवं सितम्बर, 1982 में भयंकर बाढ़ आई थी ? यदि हाँ, तो भविष्य में बाढ़ से बचाने के लिये इन जनपदों के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, जनपद बाँदा तथा हमीरपुर में माह अगस्त, 1982 में बाढ़ आयी थी।

यमुना तथा बेतवा नदी की बाढ़ से हमीरपुर शहर की सुरक्षा हेतु नई योजनाओं का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

हमीरपुर नगर को बचाने के लिये रु० 49.00 लाख की लागत के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत रु० 44.00 लाख की लागत से यमुना नदी के दाहिने किनारे पर 500 मीटर की लम्बाई में तथा बेतवा नदी के बायें किनारे पर 500 मीटर की लम्बाई में स्टोन पिचिंग का कार्य पहले भी कराया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त रु० 13.80 लाख के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बेतवा नदी पर ही 260 मीटर की लम्बाई में स्टोन पिचिंग का कार्य कराया जा रहा है जो कि लगभग 80% पूर्ण हो चुका है।

बांदा नगर को बाढ़ से बचाने हेतु एक योजना निमनो नाला बांध को परियोजना 17–750 लाख रु० की लागत की बनाई गयो तथा जिसका अध्ययन किया जा रहा है ।

प्रो० चंद्र प्रकाश शर्मा—

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि 49 लाख रुपये की योजना बनायी गयी है तो हमीरपुर को इस 49 लाख रुपये की योजना से बचाया नहीं जा सका । मैं यह जानना चाहूँगा कि आप इसके लिये जो नयी योजना का सर्वेक्षण करा रहे हैं उसमें इस का प्राविधान रखा जाय कि इस नगर में भविष्य में किसी प्रकार की बाढ़ न आ सके । इसके लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिह--

मान्यवर, जो 49 लाख रुपये की योजना बनायी गयी है उस पर काफी काम हुआ है । यह देखा जा रहा है कि इससे बचाया जा सकता है या नहीं । आशा है कि हमीरपुर टाउन को बाढ़ से बचा सकेंगे ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, क्या सिचाई मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने दो जिलों का अभी बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में विवरण दिया । हमारे प्रदेश के तमाम जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से डूब जाते हैं । क्या सरकार ने कोई ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि जहाँ हर वर्ष बाढ़ आ जाती हैं उसको रोका जाय और प्लान को प्लानिंग कमीशन और केन्द्र सरकार के पास भेजकर धन लिया जाय । क्या कोई ऐसा प्लान बनाया है और भेजा है ? अगर नहीं बनाया है तो क्या बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिह—

मान्यवर, मास्टर प्लान तो पूरा बनाया गया है । हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ नदियों में ज्यादा बाढ़ आती है और हर साल परेशानी होती है वहाँ योजना बनाकर प्रायरिटी के बेसिस पर काम करें । मास्टर प्लान तो बनाया गया है लेकिन धन की इतनी कमी है कि पूरा काम नहीं कर पाते हैं । जो काम तुरन्त करने की जरूरत होती है, जैसे कहीं कटान हो रहा हो तो वह काम पहले कर रहे हैं । प्लान बनाया है, लखनऊ, आजमगढ़, बुलंदशहर, सीतापुर आदि तमाम नगरों का हम बना रहे हैं । जो हमारे पास साधन हैं उनसे बना रहे हैं । हम भारत सरकार से भी माँग रहे हैं । 16 जिलों का हमने ड्रेनेज प्लान भी बनाया है, कुछ नदियों जैसे गोमती, राप्ती का मास्टर प्लान भी बनाया है । अन्य नदियों का भी बना रहे हैं ।

प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

मान्यवर, बांदा नगर बाढ़ से कई वर्षों से क्षतिग्रस्त होता जा रहा है । इसके लिए मैंने सुझाव दिया था वहाँ पर एक कि० मी० लम्बा निमनो बाँध बना दिया गया है । मैंने अधिकारियों से यहाँ पर पम्प लगाने हेतु कहा था तो वह लोग कहते हैं कि इसका कास्ट आफ रेवेन्यू बढ़ जायेगा । मान्यवर, जहाँ बाढ़ से सुरक्षा की बात है वहाँ पर बेनिफिट आफ रेशियो देखेंगे तो काम नहीं चलेगा । मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूँगा कि जो प्रदेश की फ्लड्स की स्कीम हैं उसमें कास्ट बेनिफिट का रेशयू न रखें । कास्ट बेनिफिट रेशयू को अगर रखा जाता है, तो इन नगरों को फ्लड्स से नहीं बचाया जा सकता है । अत: में माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहूँगा कि बाँदा नगर की निमनी बाँध पर पम्प्स की व्यवस्था की जाय ।

श्री वीर बहादुर सिह—

यह योजना बनायी जा रही है कि फ्लड से सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाय ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो हमीरपुर और बांदा में बाढ़ आती है उसका तमाम पानी बहकर झाँसी में आ जाता है जिसके कारण यहाँ सिंचाई और पीने के पानी की कमी हो जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि सिंचाई के पानी की कमी हो जाती है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि झाँसी जनपद में जो दो बांध है पारीक्षा और जुकँवा सुकवाँ तो इनको बढ़ाकर जो पानी हमीरपुर और बांदा में बहकर चला जाता है उसको रोकने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य को मालूम होगा कि दो बड़े प्रोजेक्ट राजघाट, गेट गंगटर स्वीकृत हुए हैं जिसमें राजघाट बन भी रहा है । इन दोनों योजनाओं को पूरा करके मध्य प्रदेश का जो पानी आता है उसको इकट्ठा करके सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी । बुन्देलखण्ड काफी सूखा एरिया है, वहाँ ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं लेकिन नहीं लग पा रहे हैं । इन योजनाओं के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूँ इनके कार्यान्वयन हो जाने पर माननीय सदस्य की समस्या काफी हद तक दूर हो जायेगी ।

जनपद प्रतापगढ़, ग्राम हथगवां के निवासियों का कब्रिस्तान से नहर न निकलवाने के संबंध में पत्र

*9--श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री को विदित है कि दि॰ 22-1-82 को मुख्य मन्त्री को एक तार ग्राम हथगवां कुंडा जनपद प्रतापगढ़ के अल्पसंख्यकों का प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपने कब्रिस्तान में से नहर न निकाले जाने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित उल्लिखित तार उपलब्ध नहीं हो रहा है । ग्राम हथगवां तहसील कुंडा जनपद प्रतापगढ़ के निवासियों का एक पत्र माननीय सदस्य के माध्यम से ग्राम हथगवां के कब्रिस्तान बाग नम्बर 1078, 1084, 1044, 1024, 1027 से नहर न निकलवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था । जाँच उपरान्त पाया गया कि कब्रिस्तान का नम्बर 1080 है । उक्त नम्बर से नहर नहीं निकाली जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जिन नम्बरों का उल्लेख माननीय मन्त्री जी ने किया है यह पांचों नम्बर मौके पर कब्रिस्तान हैं लेकिन चूंकि लेखपाल के कागज में कब्रिस्तान इन्द्राज नहीं है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है । इसमें से एक ही नम्बर कागज में कब्रिस्तान दर्ज है जबकि मौके पर पांचों नम्बर कब्रिस्तान हैं । क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर ध्यान देते हुए इसको पुन जांच करायेंगे और वहाँ से नहर से निकलवायेंगे ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह जो सारे नम्बर हैं इनमें से केवल 1044 में से नहर निकाली जा रही है जो बाग दर्ज हैं । जिन नम्बरों का इसमें उल्लेख किया जा रहा है इनमें से किसी में से नहर नहीं निकाली जा रही है, माननीय सदस्य कहते हैं, तो मैं दुबारा इसको दिखवा लूँगा ।

भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मक्कू, जनपद चमोली का निर्माण

*10--श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में विदेशी भेड़

फार्म मक्कू का निर्माण कार्य कब से किया जा रहा है ? इस पर 15 अगस्त, 82 तक कितनी धनराशि व्यय हुई है और योजना कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मक्कू जनपद चमोली का निर्माण वर्ष 1976–77 से किया जा रहा है ।

इसके निर्माण पर अगस्त, 1982 तक रु० 15,98,374.07 की धनराशि व्यय हुई । इस योजना का वर्ष 1984–85 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस परियोजना पर कितना धन व्यय होना था और कब तक पूर्ण होने का लक्ष्य था ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इस योजना के लिये अनावासीय के लिये 14 लाख 55 हजार और आवासीय के लिये 7 लाख 7 हजार स्वीकृत है । अब तक अगस्त, 82 तक कितना कार्य हुआ उसका ब्योरा मैंने दे दिया, इसमें विलम्ब हुआ । क्योंकि इतने समय के भीतर इस कार्य को पूरा हो जाना चाहिये था । मैं इसको देखूंगा ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

कब तक पूरा हो जाना चाहिये और विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मैंने पहले बता दिया कि 84-85 में पूरा करने का लक्ष्य है । इस वर्ष 82-83 में 300 भेड़ें खरीद कर रखी जायेंगी और 300 अगले वर्ष ।

## आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़, में जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर तथा इंजीनियर की समाप्त सेवायें

*11. श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ नवम्बर, 1981 से सितम्बर, 1982 के बीच अनुभवी जनरल मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर तथा कई अनुभवी इंजीनियरों तथा जूनियर इंजीनियरों की सेवाएँ समाप्त कर नये लोगों की नियुक्तियाँ की गयी हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस अवधि में एक जनरल मैनेजर (प्रोडक्शन) व एक ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने के कारण समाप्त की गई, इसमें से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पद की रिक्ति यथासमय नियमानुसार भर ली गई है । इस अवधि में किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर की सेवायें समाप्त नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ में नवम्बर, 1981 से सितम्बर, 1982 के बीच अनुभवी जनरल मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर तथा कई अनुभवी इन्जीनियरों तथा जूनियर इन्जीनियरों की सेवायें समाप्त कर नये लोगों की नियुक्तियां की गयी

हैं और मंत्री जो ने उत्तर दिया है कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने के कारण उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं। मान्यवर, मंत्री जी ने प्रोडक्शन मैनेजर के विषय में नहीं कहा। मैं जानना चाहूँगी कि प्रोडक्शन मैनेजर की नियुक्ति हुई या नहीं। प्रोडक्शन मैनेजर के दो बार साक्षात्कार होने के बाद यह पद अब तक खाली रहने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो सेलेक्शन कमेटी बनी है उसने सेलेक्शन किया, कुछ शिकायतें थीं इसीलिये नियुक्ति नहीं हो पायी।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

सेलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिये तो हमने प्रश्न किया। मान्यवर, फरवरी, 82 में जो साक्षात्कार हुआ उसमें एक ओवरऐज व्यक्ति को चुना गया जो आया नहीं। क्या इनको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

मैंने कहा कि सेलेक्शन कमेटी ने जो सेलेक्शन किया था उसमें कुछ एतराज था। इसलिये आर्डर नहीं हुआ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या माननीय मन्त्री जी सेलेक्शन कमेटी के सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे तथा सेलेक्शन में जो अनियमितताएँ हुई हैं उससे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी होते हैं। इण्डस्ट्रीज सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन–कम–एम० डी० हैं, और भी लोग हैं जो टेक्नीकल हैण्ड होते हैं। सारी बातों को देखकर ही उन्होंने किया है और चूँकि उस पर लोगों ने एतराज किया इसलिये उस पर निर्णय नहीं हो सका।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

इससे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्पादन हो रहा है।

प्रदेश में भूमिहीन श्रमिक एवं हरिजन औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों का गठन

*12—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कितने जिलों में भूमिहीन हरिजन औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों का गठन हुआ है और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो कितने भूमिहीन हरिजन, औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियां ऐसी हैं जिन्होंने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ? यदि उत्पन्न नहीं हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश में कुल 15 भूमिहीन श्रमिक एवं हरिजन औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों का गठन हुआ है। सभी गठित समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। दो भूमिहीन श्रमिक एवं हरिजन औद्योगिक सहकारी समितियों में उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है। 11 समितियों में शीघ्र उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही हो रही है और शेष दो समितियों द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सामान्य प्रबन्धकों द्वारा भी

उत्पादन कार्य प्रारम्भ कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। अतः किसी सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 15 समितियाँ गठित हैं जिसमें 2 ही कार्य कर रही हैं। तो इन 15 समितियों को कितनी वित्तीय सहायता दी जा चुकी है और जो समितियां कार्य नहीं कर रही हैं उनके कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो समितियां बनायी जाती हैं चूँकि वे भूमिहीनों की होती हैं इसलिये उनके शेयर कैपिटल की व्यवस्था की जाती है और शासन भी कुछ शेयर खरीदती है ताकि उनकी समितियां चल सकें तथा उसके जो मैनेजर हों उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाती है। बाकी सारा काम वे स्वयं करती हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, कुल कितनी वित्तीय सहायता अब तक इन समितियों को दी जा चुकी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

15 समितियों का जो रिकार्ड हमारे पास है उसमें मराड़ी, अल्मोड़ा को 21,390 रुपये हिस्सा पूंजी ऋण तथा कुमायूं विकास निगम से रु० 10 हजार दिये गये हैं, इसी प्रकार एक को 13,500 दिये गये हैं। इसी तरह से इन सब का अलग-अलग एमाउण्ट है, जो दिया गया है।

## प्रदेश के कोल्ड स्टोरेजों को खरीदे जाने वाले जनरेटरों पर अनुदान देने की घोषणा

*13—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने प्रदेश के कोल्ड स्टोरेजों को 1 मई, 1980 से खरीदे जाने वाले जनरेटरों पर अनुदान देने की घोषणा की है ? यदि हां, तो सरकार को उक्त घोषणा को 1 अप्रैल, 1980 से लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को, जो उद्योग निदेशक, लौह एवं इस्पात नियंत्रक, उ० प्र०, डाइरेक्टर जनरल आफ टेक्निकल डेवलपमेंट अथवा इंडियन फैक्ट्रीज ऐक्ट में से किसी एक में पंजीकृत हों, डीजल जेनरेटिंग सेट खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना दिनांक 1 मई, 1980 से घोषित की गई थी। यह सामान्य वित्तीय नियम है कि कोई भी वित्तीय लाभ पूर्वगामी प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जाता है। ऐसी दशा में सब्सिडी योजना को 1 अप्रैल, 1980 से लागू नहीं किया जा सकता।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि किन कारणों से शीत गृहों को जेनरेटर की खरीद करने के लिये, उन्हें लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जब बिजली की कमी बढ़ गयी, कटौती काफी होने लगी तो यह हुआ कि कोल्ड स्टोरेज बिजली की कमी के कारण जेनरेटर लगा लें। सारे आलू सड़ने का भय रहता है, इसलिये कहा गया कि जेनरेटर की सहायता दे दी जाये ताकि शीत गृहों में बिजली की कमी न हो।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। जब शीत गृहों के लिये 79-80 के सूखे की वजह से बिजली की कमी के कारण जेनरेटर लगाने को प्रोत्साहन दिया गया। वर्ष पहली अप्रैल से शुरू होता है। उस समय से न देकर एक मई से देने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विचार-विमर्श चलता रहा, उसमें समय तो लगेगा ही। जब से निर्णय होता है तभी से चल रहा है।

## बसहा नाले की सफाई का कार्य

*14— श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि रायबरेली जिले में तृतीय उपखण्ड सिंचाई निर्माण खंड, उन्नाव के अन्तर्गत बसहा नाले की सफाई का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया है जबकि भुगतान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत मस्टर रोल बनाकर मजदूरों को करना दिखाया गया है तथा इस प्रकार लगभग एक लाख का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस गबन की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा करवायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बसहा नाले की सफाई का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी से कराया गया है जिसका भुगतान सीधे श्रमिकों को मस्टर रोल द्वारा किया गया है।

इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है तथा कथित गबन का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ जिस जांच के आधार पर आपने उत्तर माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया वह जाँच अधिकारी कौन था ? मेरी निश्चित जानकारी है कि जाँच अधिकारी के विरुद्ध ही यह शिकायत की गयी थी। वह तथा उच्च अधिकारी मिल-जुल कर इस पर पर्दा डालना चाहते हैं। इस जाँच को प्राविधिक संप्रीक्षा कोष्ठ से कराना चाहिये।

श्री वीर सिंह बहादुर सिंह—

कुल दो लाख 49 हजार रुपये का काम हुआ। ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत यह हुआ, दूसरा पैसा इस पर खर्च नहीं किया गया। यह कैसे कह दें कि दूसरे मद का रुपया खर्च कर दिया गया। इसी योजना का पैसा लगा। इसमें जाँच की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसी संदर्भित योजना के तहत जो काम हुआ है, केन्द्रीय सरकार के द्वारा निदेश आये थे कि किसी ठेकेदार के माध्यम से न कराये जाँये लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठेकेदार से कार्य किस वजह से कराया गया था ? किस स्तर पर हुआ, यह जाँच किसने की ? संदेह यह है कि जिसने घपला किया, जाँच उसी से हुई है। अपने सोर्स से न कराने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सभी लोगों के मस्टर रोल बनाये गये हैं। जितने मजदूर आते हैं उनका मस्टर रोल बनाया जाता है। जो ग्रामीण रोजगार की योजना है उसी के आधार पर नियमों में इसे किया गया है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, जाँच अधिकारी का नाम माननीय मन्त्री जी के माध्यम से आ जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो दैनिक सामग्री मिलनी चाहिये वह न दी गयी, न संपर्क किया गया। गबन की धनराशि में जाँच अधिकारी अवश्य हैं।। इसकी जाँच टी० ए० सी० से कराना चाहिये था।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने कहा इसमें बहुत से लोगों की चिट्ठी भी लगी है। कृष्ण कुमार शुक्ला, रायबरेली के विधायक हैं, इनकी कान्सटीटुएन्सी भी है, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, बता तो दिया कि काम ठीक हुआ है। माननीय विधायक की कान्स्टीटुएन्सी है, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि काम ठीक हुआ है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, जाँच अधिकारी तो बता दीजिये।

श्री वीर बहादुर सिंह—

वहां जो इन्जीनियर हैं उन्होंने बताया है ? आप समझते हैं कि इसमें भी कोई गड़बड़ी है तो मैं फिर से जांच करवा लूँगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने जो सवाल किया था, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं माननीय मन्त्री जी को अपना सवाल समझा नहीं पाया। मैंने यह साफ सवाल किया था कि यह काम किस व्यक्ति ने किया तथा किस अधिकारी द्वारा कराया गया। मान्यवर, शिकायत का समाधान एक बात से हो सकता है यदि पेमेण्ट मस्टर रोल पर हुआ है तो मस्टर रोल पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। इस बात को देखना है। या फिर ठेकेदार के माध्यम से कराकर पेमेण्ट किया गया है, सिर्फ इतना देखना है। मान्यवर, जिस व्यक्ति ने अपराध किया हो उसी से आख्या मंगा कर मा० मन्त्री जी यदि आप उत्तर दे रहे हैं तो इसका समाधान होना स्वाभाविक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सिंचाई मन्त्री जी....

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि मस्टर रोल पर इसमें लिखा गया है। माननीय सदस्य कहते हैं कि मस्टर रोल पर नहीं कराया गया तो मैं इसकी फिर से जांच करा लूँगा।

<u>मुख्य अभियन्ता (गण्डक) का कार्यालय गोरखपुर में रखे जाने की स्वीकृति</u>

*15—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता ( गण्डक ) कार्यालय, गोरखपुर में 4-2-81 से स्थापित है परन्तु अभी तक गोरखपुर मुख्यालय रखने की स्वीकृति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो स्वीकृति कब तक दे दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य अभियन्ता (गण्डक) का कार्यालय गोरखपुर में रखे जाने की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 21–10–1982 द्वारा दे दी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री मुहम्मद कमाल युसूफ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ—

दिनांक 4–2–81 से स्थापित है, परन्तु एक साल से ज्यादा समय हो गया है उसे अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 4–2–1981 को स्वीकृति दे दी गई है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ—

जो इस बीच में नहीं दी गई उसके क्या कारण हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

विष्णु प्रयाग विद्युत परियोजना हेतु पानी पहुँचाने की पुनरीक्षित योजना

*16—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में विष्णु प्रयाग विद्युत परियोजना के लिये अलकनन्दा नदी के पानी के अतिरिक्त पुष्पावती नदी व विष्णुगाड़ नदी से सुरंगों द्वारा भी पानी पहुँचाने की पुनरीक्षित योजना बनी है ? यदि हां, तो इस पुनरीक्षित योजना से देश की सबसे बड़ी फूलों की घाटी के अस्तित्व पर बुरा असर पड़ेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

विष्णु प्रयाग परियोजना के कार्यान्वियन से देश की सबसे बड़ी फूलों की घाटी के अस्तित्व पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या–16, मा० श्री शिवानन्द नौटियाल।

डॉ० शिवानन्द नौटियाल—

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आप प्रश्न को देखें तो माननीय मंत्री जी ने, जो पहला भाग है, इसमें 'जी नहीं' उत्तर दिया है, इससे स्पष्ट नहीं होता है कि जो पुनरीक्षित योजना बनाई गई है—उसके लिये 'जी नहीं' कहा है या फूलों की घाटी पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ रहा है उसके लिये जी नहीं कहा गया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि विष्णु प्रयाग योजना के लिये पुनरीक्षित योजना बनाई गई है ? यदि बनाई गई है, तो किन-किन नदियों का जल इसमें सम्मिलित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह पहले योजना बनी थी, इसमें अलकानन्द नदी का पानी था। जिसमें केवल पानी 36.8 क्यू० से० था, जिससे 262 मेगावाट विद्युत पैदा करने की योजना थी। लेकिन बाद में यह भी देखा गया कि अगर इसको बढ़ाया जाय तो इसमें पुष्पावती नदी के जल को भी शामिल कर इसे 480 मेगावाट की दी जाय। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि फूलों

नोट—(तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।)

को घाटी पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा, तो फूलों की घाटी पर इसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

*17—श्री केदार नाथ सिंह—

[ 8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित। ]

डाल सिंचाई खण्ड, बांदा के अधिशासी अभियन्ता श्री हमीर सिंह निरंजन के विरुद्ध शिकायती पत्र

*18—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अधिशासी अभियन्ता, डाल सिंचाई खण्ड, बांदा (श्री हमीर सिंह निरंजन) द्वारा प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती पत्र माह सितम्बर, 82 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

शिकायती पत्र में वर्णित आरोपों की जांच करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता को आदेश दिया गया है।

हरिजन समाज कल्याण विभाग, आगरा में फर्जी बिल बना कर भुगतान किये जाने की जांच

*19—श्री विजय सिंह राना—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन समाज कल्याण विभाग, आगरा में माह अक्तूबर, नवम्बर, 81 में कुल रु० 64848.40 (चौसठ हजार आठ सौ अड़तालिस रुपए चालिस पैसे मात्र) रुपए का फर्जी बिल बना कर आहरण किया गया है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या विभागीय कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ।

सम्परीक्षा में मुख्यतः जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, आगरा को दोषी पाया गया है। जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना शासन के विचाराधीन है। अन्य दोषी कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्यवाही निदेशालय स्तर से की जा रही है।

जनपद हरदोई में सीमेन्ट का आबंटन

*20—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में उद्योग के लिये दिसम्बर, 81 व मार्च, 82 में 25-25 एम० टी० सीमेंट एलाट की गयी थी जिसको जिलाधिकारी, हरदोई ने किसी डीलर को दे दिया और उस डीलर ने पूरी सीमेंट ब्लैक में बेंच दी ? यदि हाँ, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि जनपद हरदोई में उद्योगों के लिये दिसम्बर, 81 व मार्च 82 में 25-25 मैट्रिक टन सीमेन्ट का आबंटन किया गया था। इस आबंटित सीमेंट को अधिकृत विक्रेता

मे० गुप्ता ब्रदर्स, सिविल लाइन्स, हरदोई द्वारा उठाया गया और जिला उद्योग केन्द्र के 59 औद्योगिक इकाईयों को वितरित किया गया। अतः सीमेन्ट के ब्लैक में बेचे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराये में वृद्धि पर विचार

**1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार से यह सहमति चाही गयी है कि बसों के किराये में 40 प्रतिशत वृद्धि कर दी जाये ? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिह आर्य—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों के किराये में 30% वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मा० मन्त्री जो इस बात को देखते हुए राज्य परिवहन निगम में जो आज व्यापक भ्रष्टाचार है, जिसके कारण ही वहां खर्चा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है तो मैं जानना चाहूँगा कि इस बात को जानते हुए जब आपके पास यह प्रस्ताव आया था, तो उसे उसी समय अस्वीकार न कर देने के क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिह आर्य—

शासन उस प्रस्ताव से सहमत नहीं है।

श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव आया है 30 या 40 प्रतिशत की वृद्धि का, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि हर एक प्रस्ताव के कोई न कोई आधारभूत कारण होते हैं, तो क्या विभाग ने कोई कारण भी इसके दर्शाए हैं ?

श्री बल्देव सिह आर्य—

मैं कह चुका हूँ कि मैं उस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ।

श्री मोहन सिह--

मा० मंत्री जी से मान्यवर, मैं यह जानना चाहूँगा कि सरकार 40 प्रतिशत किराये की वृद्धि पर सहमत नहीं है, तो क्या सरकार इससे कम पर अर्थात् 20 या 25 प्रतिशत पर या कितने पर सहमत है ?

श्री बल्देव सिह आर्य—

मान्यवर, मैंने इस पूरे प्रस्ताव पर अपनी असहमति की सूचना दी है।

श्री रेवती रमण सिह--

मान्यवर, इसके मायने यह हुए कि मा० मंत्री जी इस समय किसी प्रकार की वृद्धि न किये जाने पर सहमत हैं ?

श्री बल्देव सिह आर्य--

मान्यवर, हमारा यही उत्तर है।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुये कि परिवहन निगम हर तीसरे महीने सरकार के पास किराये की वृद्धि

का सुझाव भेज देता है, जिसे कभी आप स्वीकार करते हैं और कभी नहीं। तो इस प्रैक्टिस को समाप्त करने के लिये क्या आप कोई अवधि निश्चित करेंगे कि इस-इस अवधि तक किराया नहीं बढ़ाया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह बात विचारणीय है।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, किराये में वृद्धि के कारण दो ही हो सकते हैं, एक तो यह कि यात्रियों की अधिक से अधिक सुख-सुविधा का कारण और दूसरा कारण है, सड़कों का अच्छा बनाया जाना, लेकिन यहां पर दोनों कारण बेकार हैं, न तो बसें समय से चलती हैं न उनका मेन्टेनेन्स सही है। इस प्रकार यात्री को कोई सुख-सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है और दूसरा न ही आपकी सड़कें अच्छी हैं, तो जब तक यह दोनों चीजें अच्छी न हो जाएं, तब तक किराये के बढ़ाये जाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है, इसलिये आप इस बात का आश्वासन दें कि जब तक यह दोनों चीजें अच्छी नहीं हो जायेंगी आप किराये में वृद्धि नहीं करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री बल्देव सिंह आर्य--

परिवहन निगम का खर्चा अधिक होने के कारण ही उनके द्वारा प्रस्ताव दिया है, इसलिये यह वृद्धि की अनुमति मांगी है, जिससे सरकार पूर्णतया सहमत नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों पर 13 आदमियों का खर्च आता है और प्राइवेट बसों पर केवल 3 आदमियों का, जिसके कारण खर्च अधिक हो रहा, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस खर्च को कम करने के लिये बसों की संख्या को बढ़ाएंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि निगम द्वारा जो यह प्रस्ताव किया गया है, तो उसके कारण भी अवश्य दर्शाए होंगे आंकड़ों के साथ, जिससे आप सहमत नहीं हैं और केन्द्रीय योजना आयोग ने परिवहन निगम की भर्त्सना की है। क्या सरकार द्वारा इस प्रकार के सुझाव नहीं आते रहे हैं कि अपनी व्यवस्था ठीक करें। क्या मा० मन्त्री जी ने इसकी जांच कराने या अन्य कार्यवाही कराने का फैसला किया है ? यदि हाँ, तो क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

शासन ने अपनी तरफ से इस व्यवस्था को, जिसके बारे में मा० सदस्य को शिकायत है, सख्त से सख्त कार्यवाही करने का फैसला किया है और इस प्रयास में हैं कि जो अव्यवस्था चली आ रही है या घाटा चला आ रहा है, उसको किस प्रकार से पूरा किया जाय।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, परिवहन निगम में दो प्रकार की बसें चलती हैं--एक तो आप स्वयं चलाते हैं और दूसरी अण्डरटेकिंग की बसें हैं। इसके अलावा प्राइवेट बसों के मालिकान भारी पैसा देकर आपसे परमिट लेते हैं। उनको कहीं ज्यादा फायदा होता है, इसलिये रिश्वत देते हैं। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्राइवेट बस होल्डर्स को परमिट दिये जायं और किराया भी घटा दिया जाय ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह बात सही है कि प्राइवेट बस वाले सही-गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश

करते हैं। परिवहन निगम की बसें नियम और कायदे के हिसाब से चलती हैं, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाते हैं। हम इस व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको जल्दी से जल्द ठीक कर देंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

क्या मा० मन्त्री जी के ज्ञान में यह है कि जिस रूट पर प्राइवेट और रोडवेज दोनों की बसें चलती हैं, वहां प्राइवेट बसों का किराया सरकारी बसों से 40-50 प्रतिशत कम है। चलाने का खर्चा एक हो आता है, लेकिन फिर भी प्राइवेट बसें किराया कम रखते हुए भी लाभ कमाती हैं, जब कि निगम की बसें घाटा देती हैं। निगम की बसों का किराया पर्याप्त होते हुए भी.....

श्री अध्यक्ष—

मै इसको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

परिवहन निगम ने जो टिप्पणी दी है कि खर्चा ज्यादा आता है, इसलिये किराया बढ़ाया जाय। क्या मा० मन्त्री जी इस बात की जानकारी करेंगे कि निगम का खर्चा इसलिये ज्यादा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेण्डीचर प्रतिवर्ष बहुत तेजी से बढ़ रहा है? क्या मा० मन्त्री जी की, प्रशासनिक खर्च में कमी करने के लिये निगम के कुछ कर्मचारियों को हटाने की योजना है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

अभी तक तो कोई योजना नहीं है, लेकिन मा० सदस्य का सुझाव है, इसको भी देख लेंगे।

श्री सत्यपाल सिंह—

आपने यह कहा है कि जो निगम की तरफ से संस्तुति आयी है, उससे आपने असहमति प्रगट की है। वह असहमति वक्त और मौके के मुताबिक प्रगट की है या नीतिगत रूप से उससे असहमत हैं, इसलिए प्रगट की है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जो संस्तुति आयी है, उसके बारे में मैं कह चुका हूँ कि उससे शासन सहमत नहीं है। अब आगे क्या होगा, भविष्य की बात तो मैं नहीं कह सकता।

श्री प्रमोद कुमार--

इसको स्वीकार किया गया है कि कई प्रयासों के बावजूद भी निगम में घाटा बढ़ता जा रहा है। तो क्या वे सदन को आश्वस्त करेंगे कि उसके लिये एक सदन की समिति बना दें सम्मानित सदस्यों की जो कि उनको एक निश्चित समय में अपनी राय दे दे कि उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, क्या मन्त्री जी इस प्रकार का आश्वासन देंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य का सुझाव है, उसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उस पर विचार करूँगा, किया जा सकता है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, सिंचाई मन्त्री जी बड़े होशियार थे जो उन्होंने इस विभाग को छोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष--

कोई आक्षेप मत करिये।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने माननीय आर्य जी को यह विभाग सौंप दिया। यदि माननीय मंत्री जो घाटे के कारणों की जांच करायेंगे तो क्या वे इन बिन्दुओं पर भी विचार करेंगे कि आपकी बसें की वर्कशाप में पड़ी-पड़ी सड़ रही हैं, आपकी वर्कशाप में चोरी होती है, आपकी वर्कशाप में बिना काम किये हुए ही हाजिरी लगती है, आप के विभाग में अफसरों की संख्या बढ़ती जा रही है और बसों की संख्या कम होती जा रही है। क्या आप इन बिन्दुओं पर भी विचार करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि इनके सारे बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

श्री बिहारी लाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कृपा करके वे इस ओर ध्यान दें कि पर्वतीय क्षेत्र में उड़लखाल, धारी, पथरौला तथा संगरमऊ के मार्ग के लिए क्या वे परमिट देने के लिए विचार करेंगे ? क्या मंत्री जी के पास इसके लिये कोई गुँजाइश है ?

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

## निजी बसों को परमिट देने का निर्णय

**2—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी मार्गों पर उदारतापूर्वक निजी बसों को परमिट देने का निर्णय अभी हाल ही में लिया है ? यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

शासन द्वारा यात्री गाड़ी परमिट (ऐसे मार्गों या क्षेत्रों के सिवाय जिनके लिए मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट 1939 की धारा 68 सी के अधीन योजनायें प्रकाशित की गई हों) उक्त अधिनियम के संविधानों के अनुसार सभी पात्र प्रार्थियों को प्रदान किए जाने का निर्णय वर्ष, 1981 में लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के परिणाम स्वरूप इसका कार्यान्वयन रुका हुआ है।

श्री शंकर सिंह—

मै माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्थगन आदेश दिये है वे क्या हैं और जो बस होल्डर्स हैं उन लोगों ने क्या यह आदेश प्राप्त कर लिये हैं। इस स्थगन आदेश के साथ ही साथ क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन बस होल्डर्स के पास छोटे-छोटे रूट के लिये परमिट थे जिसके अनुसार वे 25 या 30 किलो मीटर तक चल सकते थे तो अब उनको लम्बाई बढ़ा कर के 300–400 कि० मी० तक बसें चल रही हैं सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद। तो मन्त्री जी मुझे स्थगन आदेश के बारे में बतला दें तथा दूसरे सुप्रीम कोर्ट की नीति के बाद भी सभी बस होल्डर्स ने लम्बे रूट के लिये परमिट प्राप्त कर लिये हैं ?

यदि हां, तो क्या आपके उच्चाधिकारियों ने इस केस की ठीक तरह से पैरवी नहीं की जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश पारित किये ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सन् 1981 में शासन ने अधिसूचना जारी करके यह निर्णय लिया था कि अराष्ट्रीय मार्गों पर, पात्र प्रार्थियों को उदारतापूर्वक परमिट दिये जायेंगे। उसके विरुद्ध प्राइवेट आपरेटर्स ने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर किया और उच्च न्यायालय ने उस अधिसूचना को वैध करार दिया। इसके बाद प्राइवेट आपरेटर्स ने उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने उस अधिसूचना का कार्यान्वयन रोक देने के आदेश दिये हैं। सम्भव यह है कि इस महीने में सर्वोच्च न्यायालय का उस पर निर्णय हो जायेगा।

श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल—

जिन रूट्स पर सरकारी बसें चल रही हैं उनके लिये स्टे नहीं दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो क्या सरकार ऐसे रूट्स पर जिन पर सरकारी बसें चल रही हैं, प्राइवेट बसों के लिये परमिट देंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं। जब तक सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं हो जाता, कोई परमिट देना सम्भव नहीं है।

श्री भोखालाल—

गैर सरकारी रूट्स पर उदारतापूर्वक परमिट दिये जाने का एक कड़ुवा नतीजा सामने आया है। इस सरकार के पहले भी श्री मानसिंह ने अपने समय में ऐसे ही आदेश दिये थे। देखने में यह आया है कि इससे हमारे प्रदेश के जो इजारेदार प्राइवेट बस आपरेटर्स हैं वही अधिक फायदा उठा लेते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि जब आप उदारता पूर्वक परमिट देने की घोषणा करें तो इस बात का भी निर्णय लें कि जो इजारेदार लोग हैं उनको यह परमिट न देकर छोटे-छोटे आपरेटर्स को परमिट दें। कृपया यह भी बतायें कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी क्या कुछ परमिट दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और किन किन को ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इस बीच कोई परमिट दिये गये हैं क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है तो परमिट देने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जहाँ तक राष्ट्रीय मार्गों का सम्बन्ध है उन पर प्राइवेट बसों का परमिट नहीं दिये जा सकते हैं।

## अतारांकित प्रश्न

### राम किशन इस्पात नामक औद्योगिक संस्थान को जनता शासन में लोहा, कोयला, डीजल का आबंटन

1—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जिले में धुम दादरी में स्थित राम किशन इस्पात नामक औद्योगिक संस्थान को जनता शासन काल में कितना कोयला, लोहा, डीजल मिला ? क्या यह सही है कि वह नियमानुसार था ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ?

नोट:—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री वीर बहादुर सिंह--

गाजियाबाद जिले में धुम दादरी में स्थित राम किशन इस्पात नामक औद्योगिक इकाई को जनता शासन काल के वर्ष 1977-78 एवं 79 में निम्नलिखित मात्रा में कोयला एवं लोहा प्राप्त हुआ। उक्त अवधि में इकाई को विभाग की संस्तुति पर कोई डीजल नहीं प्राप्त हुआ।

| वर्ष | कोयला | लोहा |
|---|---|---|
| 1977 | 113 वैगन | 4430 मै० टन |
| 1978 | 131 वैगन | 4098 मै० टन |
| 1979 | 101 वैगन | 1908 मै० टन |

इकाई को कोयले का आबंटन विभाग द्वारा नियमानुसार किया गया किन्तु लोहे का आबंटन स्टील अथारिटो आफ इण्डिया लि० द्वारा किया गया था जिसमें उद्योग विभाग द्वारा संस्तुति किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्णित परिस्थिति में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों को सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र में लेने का प्रस्ताव

2—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के कुछ और स्थानों को औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र के रूप में लेने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो 15 दिसम्बर, 1981 तक प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पाँचों जिले झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन तथा हमीरपुर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित हैं। अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव का शासन के विचाराधीन होने का प्रश्न नहीं उठता।

3--श्री मन्जूर अहमद—

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सड़क परिवहन निगम, आगरा परिक्षेत्र में परिचालक पद हेतु साक्षात्कार

4—श्री सूबेदार सिंह तथा

श्री राम हर्ष राय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ० प्र० सड़क परिवहन निगम, आगरा परिक्षेत्र में वर्ष 1981 में परिचालकों का कोई साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो अभी तक उसके परिणाम घोषित न होने के क्या कारण हैं और कब तक घोषित कर दिए जायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हाँ।

आगरा क्षेत्र में वर्ष 1981 परिचालक पद हेतु हुये साक्षात्कार का परिणाम घोषित कर दिया गया है।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड प्रतापपुर, धनुपुर एवं सैदाबाद में राजकोय नलकूपों की नालियों की भरम्मत में खर्च हुई धनराशि

5- श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड प्रतापपुर, धनुपुर

एवं सैदाबाद के किन-किन राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत (मेंटीनेन्स एण्ड रिपेयरिंग द्वारा) कितनी-कितनी धनराशि की लागत से सन् 1980–81 एवं 1981–82 में की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 584 व 585 पर ।)

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं सम्बन्धी विधायकों के ज्ञापन पर जाँच रिपोर्ट

6—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दूसरे बुधवार (दिनांक 27–1–1982) के लिए तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधायकों के ज्ञापन दिनांक 5–11–80, 20–11–80, 28–11–80 तथा 15–9–81 में उल्लिखित आरोपों की जाँच किस दिनांक से प्रारम्भ हुई, जाँच किस स्टेज पर है और जाँच के परिणाम से कब तक अवगत करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

जाँच दिनांक 28–12–81 से 29–12–81 तथा 20–1–82 को की गयी थी । जांच रिपोर्ट अपूर्ण होने के कारण निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को ऐसे अपूर्ण विन्दुओं पर पुनः संख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है ।

जनपद गोरखपुर में फर्जी हरिजन प्रमाण पत्र प्रेषित कर छात्रवृत्ति व पुस्तकीय सहायता लेने संबंधी शिकायती पत्र

7—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

जनपद गोरखपुर में छात्रवत्तियों के पुस्तकीय सहायता व अन्य विभागीय सुविधा, जो हरिजनों को मिलती है उसका खुला लाभ फर्जी हरिजन प्रमाण-पत्र प्रेषित कर अन्य व्यक्तियों द्वारा लेने सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता के निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ० प्र०, लखनऊ को दिए गये शिकायती-पत्र दिनांक 4–2–82, जिसकी प्राप्ति निदेशालय के अतिरिक्त कृते निदेशक करके पत्रांक 761/वे० स०/विविध 82, लखनऊ, दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा की है, पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1980-81 एवं 1981–82 में छात्रवृत्ति व पुस्तकीय सहायता एवं अन्य सुविधाओं को फर्जी हरिजन जाति का प्रमाण-पत्र प्रेषित कर अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा सुविधा प्राप्त किये जाने सम्बन्धी माननीय विधायक द्वारा दिये गये शिकायती पत्र दिनांक 4–2–82 जिसकी प्राप्ति निदेशालय पत्रांक 761/वै०स०/विविध/82, दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा की गयी है, पर जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर द्वारा छान-बीन की गयी, गोण्ड (Gond) जाति, अनुसूचित जाति की सूची में है, इसी जाति का प्रमाणपत्र तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त होने पर ही समस्त छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधा जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दी गयी है । किसी भी ऐसे छात्र को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं दी गयी है जो गोण्ड, कहार व भड़भूजा जाति के हैं ।

ग्राम जौगढ़, मिर्जापुर में पम्प कैनाल लगाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

8--श्री रामचरण सिंह—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 24-12-1981 को ग्राम जौगढ़ (मरचहिया), जनपद मिर्जापुर के सिचाई हेतु एक पम्प कैनाल लगाए जाने के सम्बन्ध में भेजा था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय विधायक जी का प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह भी इंगित करना है कि जौगढ़ पम्प नहर बहुत पहले से ही कार्यरत है।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में कार्यरत अध्यापिका श्रीमती माधुरी माण्डेय के वेतन वृद्धि के अतिरिक्त अन्य देयों का भुगतान

9— श्री गोपी नाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 6ठे गुरुवार ( 24-2-82 ) के अतारांकित प्रश्न संख्या-4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कथित अध्यापिका का नाम क्या है ? उसके असन्तोष जनक कार्य होने की आख्या कब-कब किसने दी तथा वार्षिक वेतन वृद्धि के अतिरिक्त अन्य देयों के विवरण क्या हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

कथित अध्यापिका का नाम श्रीमती माधुरी पाण्डेय है।

इनके असंतोषजनक कार्य के कारण वह संस्था के अध्यक्ष द्वारा एक बार सेवा से हटाई गयीं थीं। लिखित आश्वासन देने पर उन्हें पुनः काम करने का अवसर दिया गया था। वार्षिक वेतन वृद्धि के अतिरिक्त श्रीमती माधुरी पाण्डेय के देयों के बारे में जो वस्तुस्थिति जाँच रिपोर्ट में दी गयी उस पर सही-सही निर्णय परीक्षणोपरान्त ही संस्था द्वारा संभव हो सकेगा।

देवरिया डिपो में परिवहन निगम की बसें

10—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया डिपो (जनपद देवरिया) में परिवहन निगम की कुल कितनी बसें हैं ? कितनी सड़क पर चल रही हैं, कितनी खराब हैं ? इन खराब बसों के नहीं चलने से नित्य कितने हजार रुपए की हानि निगम को हो रही है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत डिपो में परिवहन निगम की कुल 111 बसें हैं, इनमें से औसतन 75 बसें सड़क पर चल रही हैं तथा 36 बसें 24-7-82 को खराब थी। आफ रोड किसी एक मार्ग पर बराबर नहीं रहती हैं। अतः दैनिक निर्धारित संचालन के अनुसार पूर्ण संचालन न होने से राजस्व की हानि का आंकलन करना मुश्किल है, क्योंकि निगम की अन्य सेवाओं से यात्री बहुधा यात्रा कर लेते हैं। आफ रोड बसों को आन रोड करने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में श्रीमती शिवपती सक्सेना, गृहमाता की नियुक्ति के समय आवश्यक प्रमाण पत्र

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बाला-

गंज, लखनऊ में गृहमाता के पद पर श्रीमती शिवपती सक्सेना की नियुक्ति किस दिनांक को की गयी थी और उन्होंने नियुक्ति के समय अपनी आयु एवं शैक्षिक योग्यता के समर्थन में कौन-कौन से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे ? यदि श्रीमती सक्सेना ने सेवा में प्रवेश के समय आयु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था तो वर्ष 1980–81 में उनसे आयु का प्रमाण-पत्र प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्राप्त करने का क्या कारण एवं औचित्य था ?

श्री गुलाब सेहरा––

श्रीमती शिवपती सक्सेना, गृहमाता की नियुक्ति दिनांक 16-8–60 को की गयी थी। नियुक्ति के समय उन्होंने सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे।

प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के प्रधानाचार्य व प्रबन्धक द्वारा गबन किये जाने की शिकायत

12—श्री गोपीनाथ वर्मा––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव इण्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के प्रधानाचार्य व प्रबन्धक द्वारा हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं भवन अनुदान व अध्यापकों के भविष्य निधि की धनराशि गबन किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा 20–3–82 को कोई शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती-पत्र के आधार पर जांच के दौरान सम्बन्धित छात्रों एवं अध्यापकों से पूछ-तांछ की गयी तथा जांच में कितने आरोप सिद्ध पाये गये ? सत्य पाये गये आरोपों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा––

जी हां। नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के प्रधानाचार्य व प्रबन्धक द्वारा हरिजन एवं पिछड़ी-जाति की छात्रवृत्ति एवं भवन अनुदान व अध्यापकों के भविष्यनिधि की धनराशि गबन किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा 20–3–82 को शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। शिकायतीपत्र पर उपनिदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, फैजाबाद द्वारा जांच की गयी। जाँच के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में दो प्रधानाचार्यों का ताला बन्द होने के कारण तथा विद्यालय में एकाउन्ट्स एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धी रिकार्ड्स पुलिस विभाग के एस० आई० एस० सेक्शन के इन्सपेक्टर द्वारा जांच हेतु ले जाने के कारण रिकार्ड्स उपलब्ध नहीं हो सके। अत: मामले की जांच रिकार्ड्स के अभाव में संभव नहीं है लेकिन उपस्थित दोनों प्रधानाचार्यों, अध्यापकों एवं छात्रों से पूछ-तांछ की गयी जिससे यह स्पष्ट होता है कि अध्यापकों के पी० एफ०, जी० पी० एफ० में गड़बड़ी का आभास है। छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण में भी गड़बड़ी का आभास है और भवन निर्माण भी अपूर्ण है। आरोपों की जांच पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। सही-सही वस्तु-स्थिति आख्या देखने के बाद ही बताया जाना सम्भव हो सकेगा।

गाँव देवराई, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में मुसहरों हेतु स्वीकृत आवास

13.—श्री ऊदल––

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 64 के उत्तर के संदर्भ, में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव देवराई ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में जिन 5 मुसहरों के लिए आवास स्वीकृत थे, वे गांव छोड़कर नहीं गये और अब भी मौजूद हैं ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट शासन को किस अधिकारी ने भेजी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

ग्राम देवराई, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के जिन 5 मुसहरों को आवास स्वीकृत किये गये थे गाँव देवराई छोड़कर कहां चले गये, से सम्बन्धित कोई अधिकारिक सूचना नहीं है। दिनांक 1-4-1982 के निरीक्षण में यह बात स्पष्ट हुई कि कथित 5 मुसहरों में से मात्र श्री महाबीर पुत्र श्री रघुनाथ गाँव से लगभग 7-8 माह तक बाहर रहने के बाद लगभग 1-1/2 (डेढ़) माह पूर्व देवराई वापस आ गये हैं जबकि अन्य 4 मुसहर सर्वश्री छेदो, विश्वनाथ, रघुनाथ तथा बाला अभी तक देवराई वापस नहीं आये हैं।

संदर्भित प्रश्न संख्या-64 का उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, पिंडरा की रिपोर्ट के आधार पर था और यथास्थिति के अनुसार उत्तर सही था एवं इस सम्बन्ध में किसी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजेन्द्र सिंह, भू० पू० बुकिंग क्लर्क द्वारा प्रधान प्रबन्धक के समक्ष दिये गये प्रत्यावेदन पर कृत कार्यवाही

14—श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 5वें बुधवार के अता० प्र० सं० के उत्तर के सम्बन्ध में क्या परिवहन मन्त्री बतलाने को कृपा करेंगे कि किन कारणों से प्रार्थनापत्र को विधि संगत न होना पाया गया है ? क्या यह सत्य है कि श्री राजेन्द्र सिंह, भू० पू० बुकिंग क्लर्क ने वर्ष 76 में उक्त सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ के समक्ष तथा बाद में उक्त प्रधान प्रबन्धक (संचालन) के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था ? यदि हाँ, तो उस प्रत्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ( पूर्वी जोन ) में अस्थायी लेखाकार

15 -श्री पंचानन राय--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम (पूर्वी जोन) में वर्ष 1961-62 से कार्यरत कितने लेखाकार अब तक अस्थाई हैं ? इनको स्थायी न किए जाने के क्या प्रमुख कारण हैं और इन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (पूर्वी जोन) में वर्ष 1961-62 से कार्यरत केवल एक लेखाकार श्री आर० के० सिंह अस्थायी हैं।

जून 1973 में वाणिज्य लेखाकारों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में विचार हुआ था। श्री सिंह के मामले में इसलिये विचार नहीं हुआ था कि वह दिनाँक 21-2-1973 को निलम्बित कर दिये गये थे।

सन् 1975 में पुनः श्री सिंह के विरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही प्रारम्भ हो गई जो अभी अनिर्णीत है। प्रशासकीय कार्यवाही के निर्णीत होने पर श्री सिंह के स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र, आजमगढ़ में विभिन्न श्रेणी की नियुक्तियां तथा मापदण्ड का आधार

16—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित

अता० प्र० सं० 33 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि 282 कर्मचारियों की नियुक्ति का क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया था ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विभिन्न सम्बन्धों में नियुक्त 282 कर्मचारियों में प्राविधिक कर्मचारियों की नियुक्तियां उनकी प्राविधिक योग्यता एवं ट्रेड टेस्ट लेकर सक्षम अधिकारियों द्वारा की गयी थीं।

चालकों की नियुक्तियां भी टेस्ट लेकर की गई। परिचालकों की नियुक्तियां चयन समिति द्वारा बनाई गयी प्रतीक्षा सूची से की गयी तथा लिपिकों की नियुक्ति शिशिक्षु लिपिकों में से साक्षात्कार लेकर की गयी।

राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मेसर्स आटो स्प्रिंग सेल्स, श्रृंगार नगर, लखनऊ को स्प्रिंग लीव्ज की सप्लाई का आर्डर

17—श्री रामआसरे वर्मा तथा,

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन ने मैसर्स आटो स्प्रिग सेल्स, 24-बी, सिंगार नगर, लखनऊ को वर्ष 1978 की अन्तिम छमाही में लगभग 17 लाख रुपए के स्प्रिग लीव्ज की सप्लाई का आर्डर दिया था ? क्या यह भी सही है कि उक्त आर्डर का कुछ अंश उक्त फर्म द्वारा सप्लाई किए जाने के उपरान्त उक्त सप्लाई आर्डर को निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो बिना कारण बताए कितना माल लेना बन्द कर दिया गया और क्या इन्सपेक्शन रिपोर्ट भी नहीं दी गयी ? और क्या इस दिशा में नियमानुकूल कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1978 के दिसम्बर माह में मेसर्स आटो स्प्रिग सेल्स, 24-बी, श्रृंगार नगर, लखनऊ को लगभग 17 लाख रु० के स्प्रिग लीव्ज की सप्लाई का आर्डर दिया गया था। लगभग 1,52,000 रु० के माल की आपूर्त्ति के बाद सप्लाई बन्द कर दी गयी उक्त फर्म द्वारा दिये गये स्प्रिग लीव्ज का परीक्षण इण्डियन इन्स्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर में फर्म के प्रतिनिधि श्री डी० पी० गुप्ता तथा निगम के उप मुख्य यांत्रिक अभियन्ता, केन्द्रीय कार्यशाला की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में स्प्रिग लीव्ज इन्फीरियर क्वालिटी के पाये गये। चूंकि निरीक्षण रिपोर्ट पर फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर थे, अतः अलग से कारण बताने का प्रश्न नहीं उठता। इस मामले में पूरी कार्यवाही नियमानुसार की गयी।

स्प्रिग लीव्ज का क्षेत्रीय कार्यशालाओं द्वारा निरीक्षण, विभिन्न संस्थाओं द्वारा आपूर्त्ति तथा लघु उद्योगों को वरीयता देने का प्राविधान

18—श्री राम आसरे वर्मा, तथा

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि स्प्रिग लीव्ज के सही और उपयोगी प्रमाणित करने के सम्बन्ध में कौन-कौन सी परीक्षाएं की जाती हैं और किसके माध्यम से ? क्या इसके लिए कोई कार्यशाला प्रदेश में बनाई गई ? यदि हां, तो वह कहां स्थित है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

स्प्रिग लीव्स का निरीक्षण विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यशालाओं में किया जाता है जिसमें साइज और फिजिकल प्रापरटीज आदि का टेस्ट किया जाता है। हार्डनेस टेस्टिग इन्डि-

यंन इन्स्टीट्यूट आफ टेकनालाजी, कानपुर से सैम्पुल द्वारा कराई जाती है। रैन्डम सैम्पुल को विस्तृत टेस्ट हेतु सी० आई० आर० टी० पूना भी भेजा जाता है।

19—श्री राम आसरे वर्मा, तथा

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम ने वर्ष 1979 से अब तक किन-किन संस्थाओं से स्प्रिग लीव्ज की खरीददारी की और जिन संस्थाओं ने इसकी आपूर्त्ति की उनके और मेसर्स आटो स्प्रिग सेल्स, लखनऊ की दरों में कितना अन्तर है और उक्त अवधि में कितना अधिक धन शासन को इसके लिए देना पड़ा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दिसम्बर 1978 में विभिन्न संस्थाओं के स्प्रिग लीव्ज के रेट्स का विवरण संलग्न है। चूंकि मेसर्स आटो स्प्रिग सेल्स, 24 बी, श्रृंगार नगर, लखनऊ का माल खराब था, अतएवं अन्य फर्मों से बढ़े हुए दर पर भी अच्छे माल की आपूर्त्ति के कारण परिवहन निगम को किसी हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी '(ख)' आगे पृष्ठ व 586 व 587 पर)

20—श्री राम आसरे वर्मा, तथा

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उ० प्र० राजकीय सड़क परिवहन निगम द्वारा बनाए गये खरीद के नियम के अन्तर्गत स्थानीय लघु उद्योगों को कम से कम 15 प्रतिशत मूल वरीयता देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो किन-किन लघु उद्योगों को स्प्रिग लीव्ज की सप्लाई के आर्डर वर्ष 1979 से 1982 तक दिए गये ? यदि आर्डर नहीं दिए गये तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार इनकी जांच कराकर उसे दंडित करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश में स्थित लघु उद्योगों को 15 प्रतिशत मूल्य वरीयता देने का प्राविधान माह अक्तूबर, 1981 में निगम बोर्ड के निर्णयानुसार किया गया। वर्ष 1982 में 15 प्रतिशत मूल्य वरीयता के आधार पर उत्तर प्रदेश की निम्न फर्मों को स्प्रिग लीव्स का क्रय आदेश दिया गया :—

1. मे० फ्रन्टियर स्प्रिग, कानपुर
2. मे० आटो इन्डिया, कानपुर
3. मे० निर्माण आटो मोबाईल्स, उन्नाव।

अतः किसी अधिकारी के दोषी पाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के राजकीय नलकूप संख्या 37 हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही

21—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 31 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी और प्रश्नगत कूप का पुनः निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आजमगढ़ के राजकीय नलकूप संख्या 37 सगड़ी समूह के भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही 82-83 में पूर्ण होने के बाद ही उक्त नलकूप के पुनः निर्माण की कार्यवाही की जाएगी।

जनपद गोरखपुर के बर्डघाट के परिचालकों के विरुद्ध शिकायती पत्र

22—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के बर्डघाट के कितने परिचालकों के विरुद्ध जनता व विधायकों ने माह अप्रैल, 80 से माह नवम्बर, 81 तक अशिष्ट व्यवहार करने आदि सम्बन्धी शिकायत मन्त्री से की है ? क्या इसमें श्री दीनानाथ, परिचालक का भी नाम है ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त परिचालक को मन्त्री जी ने निलम्बित करने के आदेश दिए थे परन्तु उसे तुरन्त बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कार्यालय से स्पष्ट स्थिति की सूचना प्राप्त नहीं हुई । स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ द्वारा बसों को अनुबन्धित करने हेतु क्राइटेरिया

23--श्री राजकुमार राय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया प्रश्नकर्त्ता के प्रथम सत्र 1982 के 5वें बुधवार के लिए उत्तरित अता० प्र० सं० 59 के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि जो 100 बसें अनुबन्धित की जानी हैं उनका क्राइटेरिया क्या होगा ? क्या इस समय चेसिस की सुलभता के कारण अनुबन्ध निरस्त भी किए जा सकते हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ द्वारा बसों को अनुबन्धित करने हेतु निम्न क्राइटेरिया निर्धारित है :—

(क)–निविदायें माँग कर अनुबन्धन प्रक्रिया अपनाया जाना ।

(ख)–निविदाओं पर अंतिम निर्णय उप प्रधान प्रबन्धक (जोन) की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा लिया जाना है ।

(ग)–अनुबन्धित बसों का संचालन केवल अलाभकर मार्गों पर जो क्षेत्र की सीमा के अन्दर होने पर ही दिया जाता है । पड़ोसी क्षेत्रों में संचालन के लिए जोनल कमेटी सक्षम है ।

(घ)–दैनिक संचालन अधिकतम 350 किलोमीटर तक हो सकता है ।

(ङ)–अनुबन्धित बसों के किराये का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :–

| | |
|---|---|
| 1974 माडल बस का किराया | 1. 70 पै० |
| 1975–76 माडल बस का किराया | 1. 80 पै० |
| 1977 माडल बस का किराया | 1. 85 पै० |
| 1978–80 माडल बस का किराया | 1. 90 पै० |
| 1981–82 माडल बस का किराया | 2.00 |

जहां तक चेसिस की सुलभता के कारण अनुबन्ध निरस्त किये जाने का प्रश्न है, वर्तमान में ऐसा विषय निगम के विचाराधीन नहीं है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में लागू शिक्षा संहिता के नियम तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परामर्श एवं अनुमोदन लेने से अवमुक्ति

24—श्री दलगंजन सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 59

के उत्तर के सन्दर्भ में हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित शासनादेश के पूर्ण विवरण एवं तथ्य क्या हैं और उनका संवैधानिक आधार क्या है ? क्या शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गयी किसी विज्ञप्ति द्वारा प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को उन विषयों में जिला विद्यालय निरीक्षक का परामर्श एवं अनुमोदन लेने से अवमुक्त कर दिया गया है जिनमें कि ऐसा किया जाना अनिवार्य है ? यदि नहीं, तो शिक्षा संहिता बेसिक शिक्षा अधिनियम, उ० प्र० इण्टरमीडिएट एजूकेशन, ऐक्ट के प्राविधानों का पालन क्यों नहीं कराया जाता ?

श्री गुलाब सेहरा—

शासनादेश संख्या-649ख/छब्बीस-103/71, दिनांक 22 नवम्बर, 1972 को प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। इसका आधार शासकीय/कार्यपालिका का निर्णय है जो कि संस्था द्वारा वैधानिक रूप से पालन करना आवश्यक है।

जी नहीं।

संदर्भित संहिता एवं अधिनियम के प्राविधान प्रश्नगत शैक्षिक संस्था, जो कि स्वैच्छिक है, पर लागू होते हैं और अवहेलना के विशिष्ट मामलों की शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है और शिक्षा विभाग की विशिष्ट संस्तुति एवं निर्देश पर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही प्रतिपूर्ति अनुदान के सम्बन्ध में भी शासन तद्नुसार कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख प्रश्न में न होने के कारण संस्था द्वारा किसी नियम का पालन न करने के बारे में कोई सूचना देना संभव नहीं है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 588 पर)

## श्री दिनेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की जाँच

25—श्री गौरी शंकर भैया—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में "भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो आन्दोलन की संघर्ष समिति" द्वारा दिनांक 6-2-82 को अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड ( प्रथम ) फैजाबाद श्री दिनेश कुमार शर्मा को इंगित किया गया है और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाए गये हैं ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उन आरोपों की जाँच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

समाचार पत्र 'अमृत प्रभात' के 11-2-82 के अंक में प्रकाशित सूचना के अनुसार श्री दिनेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध सीमेन्ट की चोरी, कार एवं स्कूटर खरीदने, 175 बीकापुर ग्रुप नलकूप के निर्माण में लोहे की सरिया का प्रयोग नियमानुसार न करने, फर्जी ठेके देने, पंजीकृत ठेकेदारों को ठेके न देने तथा अनियमित रूप से रुपया मारने के आरोप लगाये गये हैं।

उक्त आरोपों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, फैजाबाद द्वारा कराई जा रही है।

## यातायात निरीक्षक (प्रथम) से वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के पद पर प्रोन्नति हेतु नियम

26—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम में

यातायात निरीक्षक, प्रथम से वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के पद पर प्रोन्नति किए जाने का कोई नियम है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो फैजाबाद क्षेत्र में श्री पी० एन० श्रीवास्तव, यातायात निरीक्षक, प्रथम को क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ठ क्षेत्र केन्द्र प्रभारी के पद पर प्रोन्नति किस आधार पर दी गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

यातायात निरीक्षक (प्रथम) से वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के पद पर प्रोन्नति का कोई नियम नहीं है। श्री एन० पी० श्रीवास्तव की प्रोन्नति वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के पद पर भ्रमवश कर दी गयी थी जिसे समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

## सामान्य योजना में राजकीय नलकूपों पर औसतन व्यय

27--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1981-82 में सामान्य योजना में निर्मित किए गये राजकीय नलकूपों पर बोरिंग पम्प हाउस, समस्त मशीनरी फिटिंग एवं जल वितरण नालियों समेत औसतन प्रति नलकूप कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1981-82 में सामान्य योजना में निर्मित किये गये राजकीय नलकूपों पर बोरिंग, पम्प हाउस, समस्त मशीनरी फिटिंग एवं जल वितरण नालियों समेत औसतन प्रति नलकूप रु० 305,670=00 खर्च हुआ है।

## वाहन संख्या यू० टी० आई० 5750 के परिचालक श्री महमूदी अली का निलम्बन

28--श्री चेतराम गंगवार--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने प्रश्नकर्त्ता की शिकायत पर दिनांक 19-11-80 को वाहन संख्या यू० टी० आई० 5750 के परिचालक (श्री महमूद अली) को निलम्बित करने हेतु अतिरिक्त प्रधान प्रबन्धक (श्री मलकानी) को आदेश दिए थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब श्री महमूद अली को पुनः सेवा में ले लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त परिचालक को कुल कितने दिन का वेतन काट कर बहाल किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

## गोरखपुर में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र

29--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, तथा

श्री वीरेन्द्र प्रताप साही--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता श्री शेर सिंह, बाढ़ एवं ड्रेनेज के, श्री नृसिंह एवं श्री ब्रजराज सिंह के विरुद्ध विगत एक वर्ष में कितनी शिकायतें विभाग को मिलीं ? प्रमुख शिकायतें क्या हैं एवं इनके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत अवधि में श्री शेर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध 4 शिकायती पत्र, श्री नर सिंह, अधिशासी अभियंता के विरुद्ध 5 शिकायती पत्र तथा श्री विजय राज सिंह (न कि ब्रज राजसिंह) सहायक अभियन्ता के विरुद्ध 4 शिकायती पत्र प्राप्त हुए।

इन शिकायती पत्रों में मुख्यतः बोकटा बरवार बांध बेलौली छपिया तथा लच्छीचक स्थलों पर पत्थर की आपूर्त्ति के कार्यों की जाँच की माँग की गई है। आरोपों की जांच कराई जा रही है।

## प्राइवेट बसों को अनुबन्धन पर लिये जाने का निर्णय

30—श्री राजकुमार राय—

क्या परिवहन मन्त्री प्रथम सत्र 1982 के 5वें बुधवार के प्रश्न संख्या–59 के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि जब प्राइवेट बसों को चलाने और अनुबंधित करने का विचार शासन ने छोड़ दिया था तो पुनः कुछ बसें कैसे अनुबंधित कर ली गयीं ? क्या जनता की कठिनाइयों व माँग को देखते हुए पुनः पूर्व आधारों पर ही प्राइवेट बसें पूर्ववत अनुबन्धित करने का विचार मन्त्री जी करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

निगम ने पहले अनुबन्धित बसों की संख्या कम करने का निर्णय लिया था परन्तु बाद में यात्रियों की बढ़ती हुई आवश्यकता तथा निगम की अपनी बसों में कमी के कारण पूर्व शर्तों में कुछ संशोधन करते हुए अनुबन्धन पर प्राइवेट बसों को लिए जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

## श्री राजेश्वर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री यदुनाथ सिंह की नियमित नियुक्ति के निर्देश

31—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री यदुनाथ सिंह, परिचालक, बलरामपुर का देहान्त सेवाकाल में अगस्त/सितम्बर, 1976 में हो गया था ? क्या यह भी सत्य है कि उनके पुत्र श्री राजेश्वर सिंह (इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण) वर्ष 1977 से बराबर निगम के नियमों के आधार पर सेवा में लिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दे रहा है और श्री राजेश्वर सिंह की नियुक्ति के सम्बन्ध में उनके समस्त कागजात सहित प्रश्नकर्त्ता ने भी एक पत्र प्रधान प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को दिनाँक 27–4–81 को लिखा था ? यदि हां, तो श्री राजेश्वर सिंह को स्थायी नियुक्ति अब तक प्रदान कराने का कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री राजेश्वर सिंह पुत्र स्व० श्री यदुनाथ सिंह की नियमित नियुक्ति के निर्देश शासन से निगम को दे दिये गये हैं।

## जनपद बलिया में हरिजन एवं अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र तथा धनराशि का आबंटन

32—श्री गौरीशंकर भैय्या—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में वर्ष 1980–81, 1981–82 में कितने हरिजन एवं अनुसूचित जाति के छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र दिये थे ? इसके लिये अलग-अलग वर्षों में कितनी धनराशि आबंटित की गयी थी ? क्या इस आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

वर्ष 1980-81 तथा 81–82 में पूर्व दशम कक्षाओं के 10876 तथा 11348, दशमोत्तर कक्षाओं के 5512 तथा 4265 आवेदन पत्र हरिजन एवं अनुसूचित जाति के छात्रों के प्राप्त हुये थे।

वर्ष 1980–81 व 81–82 में पूर्व दशम कक्षाओं के लिये 67,92,000/-रु० तथा 8,02.300/-रु०, दशमोत्तर के लिये 28,217,00/-रु० तथा 40,21,950/- रु० आवंटित किया गया था।

हां, पूरा उपभोग कर लिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को स्वीकृत अनुदान, छात्रों की संख्या, सम्परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अनुदान में कटौती

33—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को प्रति वर्ष (वर्ष 1980–81 व 1981–82) अनुदान की धनराशि निर्धारित करते समय किन-किन सूचनाओं को आधार बनाया गया था ? क्या स्कूल में प्रत्येक कक्षा में भर्ती किये जाने वाले छात्रों की संख्या विभाग द्वारा निर्धारित की गयी है और उक्त स्वीकृत संख्या के आधार पर छात्रों के भोजन, वस्त्र आदि पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अनुदान द्वारा की जाती है ? यदि हाँ, तो प्रत्येक कक्षा के लिये छात्रों की स्वीकृति संख्या क्या है ? क्या स्कूल के सामूहिक उपस्थिति पंजिका के आधार पर छात्रों की संख्या में उक्त दो वर्षों में अन्तर पाया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने प्रबन्धाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

वर्ष 1980–81 में संस्था की आवश्यकता के अनुसार अनुदान की संस्तुति की गयी। वर्ष 1981–82 में 28 बिन्दु जांचोपरांत अनुदान स्वीकृत किया गया।

जी हाँ।

भोजन एवं कपड़ों की व्यवस्था पर तथा लेखन सामग्री मद में वास्तविक बच्चों की संख्या के आधार पर प्रतिपूर्ति अनुदान दिया जाता है।

कक्षा 1 से 5 तक 100 बच्चों की स्वीकृत क्षमता, कक्षा 6 से 8 तक 75 बच्चों की स्वीकृत क्षमता तथा कक्षा 9 से 10 तक 70 बच्चों की संख्या स्वीकृत है।

वर्ष 1980–81 व 1981–82 में बच्चों की संख्या में भिन्नता रही है।

सम्परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1978–79 से 1980–81 में दिये गये अनुदान की धनराशि में से रुपये 98,37 की कटौती की गयी।

आदर्श हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पिपरा कछार, जनपद आजमगढ़ को आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान

34—श्री राजकुमार राय—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें राम रूप राम, प्रबन्धक, आदर्श हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पिपरा कछार, जनपद आजमगढ़ का पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ मार्च, 1982 में मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ। प्रश्नगत संस्था को तदनुसार आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया।

35—श्री राजकुमार राय—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी पाठशाला (हरिजन), पिपरा कछार, ब्लाक दोहरी घाट, जिला आजमगढ़ को जब 1977, 1978, 1979 में क्रमशः

रु०2500, 2,500 और 3125 का अनावर्ती अनुदान दिया गया तो उसे 1980 तथा 1981 घटा कर क्रमश: 12 50 तथा 500 कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

हरिजन प्राइमरी पाठशाला, पिपरा कछार, आजमगढ़ विभाग के अनावर्तक अनुदान-सूची पर रहा और इस प्रकार को संस्थाओं को विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित योजनाओं की उपलब्ध बचत से वित्तीय वर्ष के अन्त में ही सहायता करना संभव हो पाता है क्योंकि ऐसी सहायता हेतु अलग से कोई आय-व्ययक प्राविधान नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष बचत की धन-राशि एक समान नहीं मिल पाती है। अत: प्रश्नगत वर्षों में संस्था को दी गयी धनराशि में एकरूपता नहीं है और कम/अधिक धनराशि स्वीकृत की गयी है।

## जनपद सीतापुर में शारदा नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्राम

36--श्री मुख्तार अनीस--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद में शारदा नदी की बाढ़ से अब तक कितने गाँव कट चुके हैं तथा कट रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार को वर्ष 1977 से वर्ष 1981 के दौरान प्रश्नकर्त्ता के कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो बाढ़ तथा कटान की ममस्या को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सीतापुर जनपद में शारदा नदी की बाढ़ से सात ग्राम नदी की कटान से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

जी हाँ।

शारदा नदी (जिसको बौका भी कहते हैं) एवं घाघरा नदी की बाढ़ की समस्या को रोकने के लिये, कतरनिया घाट (लखीमपुर) पर रेलवे लाइन से घाघरा नदी के दायें तट व शारदा नदी के बायें तट पर ऐरा ब्रिज तक, और चौका नदी के दायें तट पर चिलहारी घाट से ऐरा ब्रिज तक, मार्जिनल बाँध की योजना प्रस्तावित है। इसका सर्वेक्षण कार्य हो रहा है। आशा है कि सर्वेक्षण कार्य जून, 1983 तक पूर्ण हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त तहसील बिसवाँ व महमूदाबाद में पुराने महमूदाबाद बाँध को 14 कि० मी० लम्बाई में बढ़ाने की योजना राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की प्राविधिक सलाहकार समिति द्वारा 14-6-82 को स्वीकार कर दी गई है, इसकी लागत 26.036 लाख रुपये हैं।

## श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

37—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 10-5-82 जो चनुकी घाट पर पुल एवं नदी पर पयासी तथा जिरासों बडका गाँव व बंधों एवं रेगुलेटरों के विषय में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 10-5-82 का कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। अत: उस पर किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

## 39 गोरखा ट्रेनिंग सेन्टर, वाराणसी के तत्कालीन कर्नल द्वारा मस्जिद को नष्ट कर देने की शिकायत

38—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वक्फ मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ नं० 27 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, वारा-

णसी स्थित मस्जिद के कुछ भाग को तत्कालीन कर्नल द्वारा दिनांक 16 व 17 सितम्बर, 76 को नष्ट करने से सम्बन्धित शाहनवाज खान, तत्कालीन राज्य मन्त्री, कृषि एवं सिंचाई, भारत सरकार, नई दिल्ली का अर्धशासकोय पत्र संख्या 13 (19)/76 वक्फ, दि० 29 दिसम्बर, 1976 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या तथ्य पाए गये ?

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर)—

जी हाँ ।

प्रश्न में वक्फ नं० 27 अंकित है । जाँच कराने पर यह ज्ञात हुआ कि सुन्नी वक्फ नं० 27 में अब्दुल मजोद, निवासी सोनपुरा, वाराणसी का मकान है और शिया वक्फ 27 में ताजन सौदागर (मस्जिद) मुतवल्ली हकीम मुहर्रम अली, साकिन कटेहर वाराणसी, अंकित है । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी ने अपनी आख्या में प्लाट नं० 270 में मस्जिद होने का उल्लेख किया है जो अब विद्यमान नहीं है । कन्टूमेंट के पुराने नक्शे में भी एक छोटी मस्जिद का संकेत है किन्तु यह मस्जिद कब गिरकर नष्ट हो गयी इसका कुछ पता नहीं है । 39, गोरखा ट्रेनिंग सेन्टर, वाराणसी के तत्कालीन कर्नल गुमान सिंह द्वारा मस्जिद को नष्ट करने की शिकायत के बारे में मस्जिटोरियल जाँच हेतु नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी को दिनांक 18 अप्रैल, 1981 को आदेश दिये गये थे । नगर मजिस्ट्रेट ने उक्त जाँच के लिये दिनांक 22 मई, 1981 को विज्ञप्ति भी जारी की थी किन्तु इसके संदर्भ में प्रतिरक्षा विभाग के वाराणसी स्थित स्टेशन कमान्डर द्वारा जिला प्रशासन को सूचित किया गया कि मस्जिद नष्ट करने का आरोप गलत एवं निराधार है । प्रतिरक्षा विभाग के अनुसार कर्नल गुमान सिंह हाई मिलिटरी आफीसर हैं और उनके विरुद्ध मुकदमे की सुनवायी कोर्ट मार्शल द्वारा ही की जा सकती है । अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मजिस्ट्रीरियल जांच नागरिक न्यायालय द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है ।

## मेटाडोर गाड़ी संख्या यू० आर० बी० 4512 को दिया गया अस्थाई परमिट एवं अवैधानिक संचालन की जाँच

39—श्री राम आसरे वर्मा, तथा

श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में मेटाडोर गाड़ी संख्या यू० आर० बी० 4512 को स्टेशन वैगन के रूप में दि० 30-6-82 तक अस्थायी परमिट आर० टी० ओ० फैजाबाद द्वारा दिया गया था किन्तु उक्त मेटाडोर अवैधानिक रूप में फैजाबाद-रायबरेली रोड पर टैक्सी के रूप में सवारी ढोने के लिए चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जाँच करा कर उक्त गाड़ी को अवैधानिक रूप से चलाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वाहन संख्या यू० आर० बी-4512 स्टेशन वैगन को संभागीय परिवहन अधिकारी, फैजाबाद द्वारा 29-7-82 तक का अस्थाई परमिट दिया गया था । अवैधानिक संचालन में इस वाहन के 4-8-82 व 10-9-82 को फैजाबाद-हलियापुर-रायबरेली मार्ग पर चालान किये गये थे । दिनांक 4-8-82 को चालक वाहन को खतरनाक ढंग से भगा ले गया था किन्तु 10-9-82 को गाड़ी को टैक्सी के रूप में किराये पर सवारी ढोने के अभियोग में चालान करके थाने में बन्द किया गया था एवं उसका स्वस्थता प्रमाण पत्र निलम्बित कर दिया गया था । वाहन स्वामी को मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निलम्बित करने के लिये कारण बताओ नोटिस भी 9-9-82 को दिया गया है ।

राजकीय नलकूप संख्या 9, ग्राम बाल्हेमऊ, जिला उन्नाव के निर्माण पर व्यय तथा प्राप्त आय

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाल्हेमऊ, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के अन्तर्गत राजकीय नलकूप नं०-9 को कितनी लागत से तैयार किया गया था तथा उस पर कार्यरत नलकूप चालक पर वेतन आदि पर कुल कितना धन दिनांक 16-9-1982 तक सरकार का व्यय किया जा चुका है ? तथा उससे सिंचाई के रूप में दिनांक 16-9-1982 तक कितनी आय हुई ? यदि वेतन आदि की अपेक्षा सिंचाई कम हुई है तो उसके निराकरण के लिए क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 17 सितम्बर, 1982 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राजकीय नलकूप संख्या 9 ग्राम बाल्हेमऊ, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के निर्माण पर रुपये 1,62,351=06 तथा कार्यरत नलकूप चालक के वेतन आदि पर रुपये 13,425=00 व्यय किया जा चुका है। इस नलकूप से दिनांक 16-9-82 तक सिंचाई के रूप में रुपये 12,272=99 पैसे को आय हुई।

इस नलकूप पर जल वितरण प्रणाली का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। इसके निर्माण के पश्चात् सामान्य सिंचाई संभव हो सकेगी।

प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 17 सितम्बर, 1982 का पत्र प्राप्त हुआ। इस पर जांच करायी गई। जांच के आधार पर नलकूप चालक पर लगाये गये आरोप निराधार पाये गये हैं।

मृतक राजनैतिक बन्दी श्री गौरी शंकर यादव की विधवा को अधिक सहायता का भुगतान

41—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के ता० प्र० संख्या 4 दिनांक 3 फरवरी, 82 के पूरक प्रश्न के उत्तर में वाराणसी के केन्द्रीय कारागार में बन्द राजनैतिक बन्दी शहीद गौरीशंकर यादव के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो मृतक के आश्रितों को अब तक क्या सहायता दी गयी ?

श्री अब्दुल रतमान खां नश्तर—

जी हां।

मृतक राजनैतिक बन्दी श्री गौरी शंकर यादव की विधवा श्रीमती लज्जारानी को 2000/—रु० की आर्थिक सहायता का भुगतान दिनांक 7-8-1982 को कर दिया गया है।

लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग पर गोसाईगंज स्थान पर बसें रुकने के आदेश

42—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर० पी० वैश्य, अतिरिक्त प्रधान प्रबन्धक, उ० प्र० रा० स० प० नि०, लखनऊ ने क्षेत्रीय प्रबन्धक रा० स० प० नि०, लखनऊ, आजमगढ़ व फैजाबाद को अपने पत्र संख्या 529 (1 डी० जी० एम० ओ०/79) दिनांक 23 मार्च, 77 द्वारा यह आदेश दिया था कि लखनऊ, सुल्तानपुर मार्ग पर गोसाईगंज नामक स्थान पर फैजाबाद, आजमगढ़ एवं सुल्तानपुर डिपो की बसें अवश्य रुका करें ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

आदेशों का पालन हो रहा है। लखनऊ–सुल्तानपुर मार्गपर गोसाईगंज नामक स्थान पर सभी बसें रुकती हैं।

किला मोहम्मदी ड्रेन, लखनऊ की सफाई के संबंध में जाँच आख्या

43—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के अता० प्र० सं० 15, दिनांक 27–1–82 के उत्तर के सन्दर्भ में किला मोहम्मदी ड्रेन की सफाई की जाँच आख्या अपेक्षित है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

किला मोहम्मदी ड्रेन, लखनऊ की सफाई के सम्बन्ध में प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ की जांच आख्या प्राप्त हो गई है। उक्त जाँच के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जाँच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना व्यावहारिक नहीं है।

फरीदपुर माइनर, जनपद फैजाबाद की बायीं पटरी का निर्माण

44—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरीदपुर माइनर, ब्लाक टांडा, जनपद फैजाबाद की बायीं पटरी पिच रोड या सर्विस रोड निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 4–3–81 का उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त माइनर की बायीं पटरी का निर्माण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती माधुरी पाण्डेय के देय बकायों के भुगतान

45—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री गुरु प्रसाद, भू० पू० एम० एल० सी० के पत्र सहित श्रीमती माधुरी पाण्डेय अध्यापिका का प्रबन्धक, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 26–5–81 की प्रतिलिपि दिनांक 8–6–81 को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ।

संस्था द्वारा श्रीमती माधुरी पाण्डेय को देय बकायों का भुगतान कर दिया गया है।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं की सी० आई० डी० द्वारा जाँच

46—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे बुधवार दिनांक 27–1–82 के लिए निर्धारित

तो० प्र० सं० 1 के उत्तर में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी की जाँच आख्या क्या है और सरकार ने संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

वरिष्ठ अधिकारी की जाँच आख्या प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण शासन स्तर पर किया गया है। कतिपय बिन्दुओं पर निदेशक से पुनः स्थिति स्पष्ट करने को लिखा गया है।

47—श्री चेतराम गंगवार—

[तीसरे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 को पुनरावृत्ति]

## बाबूखेड़ा ग्राम के पास किला मुहम्मदी ड्रेन पर पुल निर्माण का कार्य

48—श्री सन्त बक्स रावत—

दिनांक 10 9–82 को उप सचिव सिंचाई के अ० शा० पत्र सं० 4812/यक्र/82/23/सि०–6 उ० प्र० शासन सिंचाई (6) अनुभाग के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के निगोहाँ, बेबीगंज, सम्पर्क मार्ग पर बाबूखेड़ा ग्राम के पास किला मुहम्मदी ड्रेन पर पुल के निर्माण का कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस पुल निर्माण का आंकलन लगभग रु० 1,61,000 का तैयार कर लिया गया है। यह कार्य बाढ़ सेक्टर के अन्तर्गत आता है अतः इसे मुख्य अभियन्ता की समिति तथा तकनीकी सलाहकार समिति के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। उनके अनुमोदन के पश्चात् तथा धन उपलब्ध होने पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

## एस० टी० ए० द्वारा जारी किये गये नेशनल एवं सेन्ट्रल जोन परमिट

49—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, तथा

श्री रामगोविन्द—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अभी हाल में एस० टी० ए० द्वारा जो नेशनल एवं सेन्ट्रल जोन परमिट जारी किए हैं उनका आधार क्या है ? क्या यह सच है कि इसके पूर्व परमिट लाटरी प्रणाली द्वारा दिए जाते रहे हैं ? इस प्रणाली को बदलने के क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

एस० टी० ए० द्वारा जो नेशनल एवं सेन्ट्रल जोन परमिट अभी हाल में जारी किए गए हैं उनका आधार निम्नवत् है :—

1—जिन लोगों के पास चार वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ी है उन्हें परमिट न दिए जायें।

2—जिन प्रार्थियों द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जमानत की धनराशि जमा नहीं की है उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3—भूतपूर्व सैनिक, पिछड़े वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, डाकू पीड़ित, सेल्फ ड्राइवर, शिक्षित बेरोजगार एवं अल्पसंख्यकों के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार।

4—ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों को जिन्हें इस कार्य का अनुभव है और उनके अन्य प्रदेशों में गोदाम तथा टेलीफोन की व्यवस्था है ऐसे मामलों में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार।

5—जिन लोगों के पास 80–81 माडल की गाड़ियाँ हैं उनके मामलों को विशेष महत्व दिया जाना।

6—अनुपस्थित प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकृत किया जाना।

7—नेशनल परमिट दिये जाने में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के पात्र प्रार्थियों को परमिट दिया जाना।

जी हाँ। लाटरी की प्रणाली बाद में अपनाने का कारण यह है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण के मत में लाटरी डालने से व्यक्तिगत प्रार्थियों के गुणावगुण पर विवेक का प्रयोग नहीं हो पाता है एवं उपयुक्त प्रार्थियों का चयन निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता।

आजमगढ़ क्षेत्र के दोहरी घाट डिपो में आफ रोड तथा आन रोड पर बसें व उनको नीलामी

50—श्री राजकुमार राय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के दोहरी घाट डिपो में इस समय कुल 58 गाड़ियों में कितनी आफ रोड हैं तथा कितनी आन रोड हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आजमगढ़ क्षेत्र के दोहरीघाट डिपो में कुल बसों की संख्या 50 हैं जिनमें से विभिन्न मरम्मतों के लिए 18 बसें आफ रोड हैं और 40 बसें आन रोड हैं।

51—श्री राजकुमार राय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के दोहरी घाट डिपो में कितनी बसें अपनी निर्धारित अवधि व माइलेज पूरा कर चुकी हैं ? क्या उन बसों के नीलाम किए जाने की कोई योजना विभाग के विचाराधीन है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दोहरीघाट डिपो की कोई भी बस नीलाम की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती है। अतः इन्हें नीलाम करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

आर० सी० वापस करने तथा मशीनों के वापसी में विलम्ब का कारण

52—श्री राजकुमार राय—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता तथा श्री लालजी प्रसाद, ओंकार प्रसाद आदि का पत्र वर्ष 1975-76 में रेशा उद्योग में दिए गये ऋण के सम्बन्ध में फरवरी, मार्च, 1982 तथा 27-5-82 को उन्हें मिला था ? यदि हां, तो आर० सी० वापस करने तथा मशीनों के वापसी में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार यह कार्य शीघ्र करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अभी आर० सी० जारी नहीं की गयी है। चूंकि मशीनें उद्यमियों के पास रखे रहने तथा प्रयोग में न लाये जाने के कारण खराब हुयी हैं, अतः मशीनों को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ में पतरौलों का चयन

53—श्री राजकुमार राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ में पतरौलों के चयन का भार गत कई महीनों से बलिया के अधिशासी अभियन्ता श्री कमाल साहब को सौंपा गया है ? यदि हां, तो पतरौलों की इतनी कमी के बावजूद चयन में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल वाराणसी के आदेशानुसार अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड बलिया तथा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड आजमगढ़ को सींचपालों के दो रिक्त पदों को भरने हेतु एक चयन समिति बनाई गई थी । इन दो रिक्त पदों पर सिंचाई खण्ड प्रथम बलिया में बचे चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश कर दिये गये हैं । अतः अब पतरौलों के चयन की आवश्यकता नहीं है ।

## केन नदी पर ग्रेटर गंगऊ बाँध परियोजना का प्रोजेक्ट सम्बन्धी ब्यौरा

54—प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने केन नदी पर ग्रेटर गंगऊ, बाँध प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दिया है ? यदि हाँ, तो प्रोजेक्ट सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्रेटर गंगऊ बाँध परियोजना का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करना था, जो उनके द्वारा केन बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से केन्द्रीय सरकार को प्रेषित कर दिया गया है ।

मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गये प्रोजेक्ट के अनुसार योजना के मुख्य आँकड़े निम्न प्रकार हैं :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1—ऊँचाई बाँध | 58. 52 मीटर | | |
| 2—बाँध का प्रकार | पक्का | | |
| 3 –75 वर्षों में आंकी गई जल उपलब्धता | 4489. 94 | | मिलियन घनमीटर |
| 4—मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रफल सिंचित होगा | 2. 19 | | लाख हेक्टेयर छतरपुर जिले में |
| | 0. 22 | | लाख हेक्टेयर पन्ना जिले में |
| | कुल 2. 41 | | |
| 5—उत्तर प्रदेश में कोई अतिरिक्त क्षेत्रफल सिंचित होना प्रस्तावित नहीं है और न इसमें उत्तर प्रदेश का कोई खर्च प्रस्तावित है । | | | |
| 6—बिजली गृहों की क्षमता | 2 × 15 एम डब्लू<br>2 × 10 एम डब्लू<br>50 एम डब्लू | | |
| 7—कुल लागत | 202.067 करोड़ रुपया | | |
| 8—लागत पावर सेक्टर पर | 22.60 करोड़ रुपया | | |
| 9—लागत-सिंचाई सेक्टर पर | 171.46 करोड़ रुपया | | |
| 10–लाभ-लागत अनुपात सिंचाई सेक्टर में | 3. 32 | | |

सिंचाई विभाग टांडा, जनपद फैजाबाद में माइनर निर्माण में अनियमितताओं की जांच

55—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग टांडा, जनपद फैजाबाद में स्थित माइनर निर्माण में अनियमितताओं से सम्बन्धित जांच के लिए निर्गत श्री अशोक कुमार बिन्दल, प्राविधिक परीक्षक प्रथम के पत्रांक 70-76 सी० टी० पी०/23 सी० 485/ 79, दिनांक 15 दिसम्बर, 1979 जो ग्राम प्रधान घौरहरा परगना तह० टांडा, जनपद फैजाबाद से सम्बन्धित है, की जांच आख्या क्या है ? सरकार ने दोषी पाये गये कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राविधिक परीक्षक ने अपने पत्र दिनाँक 15 दिसम्बर, 1979 द्वारा अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-44 टांडा (फैजाबाद) को कार्यों के निरोक्षण के लिये सूचित किया था। प्राविधिक परीक्षक के एक अन्य पत्र दिनांक 31-12-1979 द्वारा निर्गत जाँच आख्या में रु० 1,14,817 के पक्के कार्यों के पांच अनुबन्धों में ठेकेदारों से 4621/- की वसूली निकाली गई थी, जिसकी पूर्ण वसूली कर ली गई है। इस आख्या में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत का उल्लेख नहीं था। किसी अधिकारी व कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम बैरमपुर, जनपद फैजाबाद में नवीन पुलिया के निर्माण की स्वीकृति

56—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बैरमपुर, तह० टांडा, जनपद फैजाबाद में गांव की आबादी के सामने नवीन पुलिया निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दि० 20-3-82 का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। विधायक महोदय का दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ था।

पत्र में उल्लिखित पुलिया के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है।

जनपद फैजाबाद में स्थित हरनी डीह ड्रेन पर पुल का निर्माण

57—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बसखारी टांडा, जनपद फैजाबाद स्थित हरनी डीह ड्रेन 9-5 कि० मी० पर पुल का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या 1982-83 तक पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

प्रश्नगत ड्रेन के 9.5 कि० मी० पर पुल का निर्माण माह अगस्त 1982 में पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

## उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में उपाध्यक्ष को मानदेय, आवास सुविधा व अन्य सुविधाओं पर व्यय

58—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वर्तमान उपाध्यक्ष को बोर्ड अथवा शासन से मानदेय, भत्ता व आवास एवं अन्य सुविधाएँ दिये जाने का कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उसके अनुसार बोर्ड पर उनके कार्यभार ग्रहण करने से अब तक वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, आवास अथवा अन्य पर कुल कितना खर्च हुआ था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्तमान में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में कोई उपाध्यक्ष नहीं है । शासनादेश के अन्तर्गत उपाध्यक्ष, खादी बोर्ड को मानदेय, आवास सुविधा एवं एक जीप दिये जाने का प्राविधान है ।

भूतपूर्व उपाध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 27 फरवरी, 1981 से 18 जून 1982 तक रु० 15635.70 मानदेय, रु० 475.00 की दर से रु० 5281.19 आवास भत्ता एवं रु० 4830.30 यात्रा भत्ता दिया गया । कुल मिलाकर रु० 25747.19 खर्च हुआ ।

इनके पूर्व के उपाध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में स्वेच्छा से मानदेय, यात्रा भत्ता एवं आवास भत्ता के रूप में कोई धनराशि नहीं ली ।

## क्षेत्रीय प्रबन्धक, आजमगढ़ श्री आर० पी० अवस्थी के विरुद्ध शिकायतें

59—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, आजमगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें 1 जून, 82 से 31 अगस्त, 82 के बीच शासन को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी है ? उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

क्षेत्रीय प्रबन्धक आजमगढ़, श्री आर० पी० अवस्थी के विरुद्ध 1 जून, 82 से 31 अगस्त, 82 तक भ्रष्टाचार फैलाने, प्राइवेट बस के संचालन, ड्राइवरों की भर्ती, कार का दुरुपयोग, कर्मचारियों की प्रोन्नति इत्यादि में अनियमितता, 70 बिना टिकट का मामला 3500/–रुपये लेकर छोड़ने, लोकल पर्चेज में कमीशन प्राप्त करने, पांच-पांच हजार रुपये लेकर 5 से 8 साल तक के बरखास्त कर्मचारियों को बहाल करने, दस-दस हजार रु० लेकर लिपिकों की भर्ती करने तथा अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

आरोपों की जांच उप प्रधान प्रबन्धक (पू० जोन) वाराणसी को सौंपी गयी है । जांच अधिकारी की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

## श्री किसान इन्टर कालेज, घिरामयी एटा में हरिजन छात्रवृत्ति के घोटाले की शिकायतें

60—श्री पंचानन राय—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किसान इन्टर कालेज, घिरामयी एटा में हरिजन छात्रवृत्ति के घोटाले की कोई शिकायत 1 अप्रैल, 1982 से 31 अगस्त, 82 के बीच उन्हें प्राप्त हुयी ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं एवं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिचाई विभाग के अन्तर्गत सहायक भंडार अधीक्षक की नियुक्ति

61—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सहायक भंडार अधीक्षक (डिप्लोमा होल्डर्स) की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या सेवा शर्तें हैं तथा स्थानान्तरण एवं पदोन्नति तथा कितनी लागत के भंडार रखने की क्षमता है ? क्या उक्त अधीक्षकों को भंडार रखने का विशेष भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह सत्य है कि क्या भंडार का कार्य भंडारपालों के माध्यम से किया जाता है ? फिर डिप्लोमा होल्डर्स सहायक भंडार अधीक्षकों को रखने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अवर अभियन्ताओं द्वारा रु० 50,000/- से अधिक मूल्य के भंडारों के रख-रखाव करने में आपत्ति किये जाने के फलस्वरूप सिचाई विभाग में अवर अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों के विरुद्ध 150 डिप्लोमा होल्डर्स को सहायक भण्डार अधीक्षक नियुक्त किया गया है । इनकी कोई अलग सेवा शर्तें नहीं हैं । इन्हें भण्डार रखने का कोई विशेष भत्ता अनुमन्य नहीं है । भंडारों में विविध प्रकार के कल-पुर्जे एवं संयंत्र रहते हैं जिसके रख-रखाव हेतु तकनीकी ज्ञान रखने वाले डिप्लोमा होल्डर्स नियुक्त किये गये थे ।

कुर्ना नाले तथा दोरावी नाले पर पुल के निर्माण की मांग

62—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के कुर्ना नाले पर हरधौली और लक्ष्मीपुर तथा रांची नाले पर चरहा तथा पड़िया के बीच आवागमन हेतु पुल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुल कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुर्ना नाले पर वांछित स्थान के नीचे की ओर लगभग 1.5 कि० मी० पर पुल बना हुआ है जिससे आवागमन हो रहा है ।

दोरावी नाले पर जिस स्थान पर पुल के निर्माण की मांग की गई है, उससे 4.15 कि० मी० ऊपर की ओर तथा 3.55 कि० मी० नीचे की ओर पुल बने हुये हैं, परन्तु वर्तमान में धन की कमी के कारण इस समय यहां पर पुल बनाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण लखनऊ में महिला कर्मचारी को स्वीकृत प्रसूति अवकाश तथा अविवाहित महिला को उक्त अवकाश दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

63—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1982 से जून, 1982 तक निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण, लखनऊ द्वारा कितनी महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस बीच दिनांक 29–10–81 से 26–1–82 तक केवल श्रीमती सावित्री कुकरेती नामक एक अधीक्षिका को 90 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया।

64—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या यह सत्य है कि इस बीच एक अविवाहिता महिला को भी सवेतन प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो अनियमित रूप से अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण विभागों को पृथक् किये जाने पर विचार

65—श्री बनवारी राम—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग और वित्त विकास निगम का पुनर्गठन करने जा रही है ? यदि हां, तो कब और कैसे ?

श्री गुलाब सेहरा—

हरिजन कल्याण तथा समाज कल्याण विभागों को पृथक किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। वित्त विकास निगम के पुनर्गटन का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

विकलांग कर्मचारियों को प्रदान की गई सुविधाए

66—श्री बनवारी राम—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1981 जो कि विकलांग वर्ष के रूप में मनाया गया था, में हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग ने अपने विकलांग कर्मचारियों को कोई सुविधा प्रदान की है ? यदि हां, तो क्या और कब से ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं, वैसे उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त विकलांग राज्य कर्मचारियों को वाहन भत्ता की सुविधा 1 दिसम्बर, 1982 से प्रदान की गई है।

भदोही जनपद वाराणसी में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने पर विचार

67—श्री बनवारी राम—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही जनपद, वाराणसी में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने के संबंध में जिला हरिजन कल्याण अधिकारी ने अर्ध शासकीय पत्रांक 3587/हका/81-82 दिनांक 18-1-82 द्वारा अपनी संस्तुति शासन के पास भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

भदोही में आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

अध्यक्ष, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ द्वारा निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को भेजी गयी आर्डर रिपोर्टों की अनुपालन आख्या

68—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम

बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्र० सं० 129 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जब आडिट रिपोर्टों की अनुपालन आख्या अध्यक्ष, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ द्वारा निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण के पत्रों के बावजूद नहीं भेजी जा रही है तो संदर्भित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का दायित्व अध्यक्ष, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को सौंपने का क्या औचित्य है तथा उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराकर जांच कराने का निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

परीक्षक स्थानीय निधि लेखा उ० प्र० की संदर्भित रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताएँ एवं संस्था के स्टोर से रु० 11.545.00 की वस्तुओं की कमी जिनके विवरण पूर्व पर दिए गये उत्तर के साथ उपलब्ध कराये गये हैं, के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही के लिए संस्था के अध्यक्ष को जो निर्देश निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा किये गये हैं, सर्वथा उचित व वैधानिक हैं क्योंकि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ एक स्वैच्छिक संस्था द्वारा संचालित है और उसके किसी दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही करने के लिए वे ही सक्षम प्राधिकारी हैं। मांगी गयी अनुपालन आख्या जब प्राप्त होगी तभी शासन उक्त विषय पर निश्चित सूचना देने की स्थिति में होगा।

प्रस्तावित फौजदारी/कानूनी कार्यवाही करने या न करने का निर्णय संस्था के स्वविवेक का प्रश्न है।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में दिया गया ज्ञापन

69—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले बुध दिनांक 27-1-82 के लिए निर्धारित अतां० प्र० सं० 32 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि ज्ञापन दिनांक 13-5-81 में उल्लिखित आरोपों की जांच किस दिनांक से आरम्भ हुई और उसके कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री गुलाब सेहरा—

शिकायती पत्रों पर (वित्तीय बिन्दुओं को छोड़कर) जांच दिनांक 28-12-81 से 29-12-81 तथा 20-2-81 को की गयी थी। जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई परन्तु अपूर्ण होने के कारण निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण को ऐसे अपूर्ण बिन्दुओं पर पुनः आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में स्वीकृत पद संबंधी आदेश

70—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के लिए समय-समय पर (प्रारम्भ से 1-4-82) पदों के सृजन तथा स्वीकृत पदों की निरन्तर वृद्धि की स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों की प्रतिलिपियाँ सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या पदों को स्वीकृत करते समय नियमानुसार शिक्षा विभाग का परामर्श लिया गया था और क्या स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के लिए सृजित किये गये पदों का विवरण

संलग्न है। इसके बाद पदों का सृजन नहीं किया गया है। इन पदों को स्वीकृत करते समय शिक्षा विभाग से परामर्श नहीं लिया गया है। शैक्षिक पदों पर शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत वेतमान दिये जा रहे हैं।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 589 व 590 पर।)

## महानगर से चौक, लखनऊ तक संचालित बस सेवा

71—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि महानगर, लखनऊ से चौक, लखनऊ तक बस सेवा चालू करने के संबंध में मा० विधायकों के दि० 12-6-81, 12-9-81, 12-10-81 तथा 14-8-82 के पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही अब तक की ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। माननीय सदस्य-गण के पत्र प्राप्त हुए थे। मार्ग संख्या-29 (चौक-राम सागर मिश्र नगर) पर दो बसें संचालित कर दी गयी हैं ? यह बसें मेडिकल कालेज, डालीगंज आई० टी० कालेज, निशातगंज, फैजाबाद रोड, बादशाह नगर कालोनी होती हुई प्रत्येक एक घंटे के अंतराल से संचालित हो रही हैं।

## जिला पौड़ी गढ़वाल, विकास खंड लैन्सडाउन के अन्तर्गत ढौंढियाल चपड़ेत बसड़ा मोटर मार्ग का निर्माण

72—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड लैन्सडाउन (जहरीखाल) के अन्तर्गत ढौंढ़ियाल चपड़ेत बसड़ा मोटर मार्ग किस वर्ष निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ था ? 30 सितम्बर, 1982 तक कितने किलोमीटर बन चुका है ? कब तक यह पूर्ण होगा और कितनी ग्राम सभाओं को इसका लाभ होगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत मार्ग के प्रथम 6.00 किलो मीटर के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 31-3-1980 को दी गयी थी और उसके आगे 4.00 किलोमीटर भाग के निर्माण को स्वी-कृति दिनांक 30-4-1982 को दी गयी थी।

30-9-1982 तक मार्ग के प्रथम भाग के 5.5 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण किया गया था और उक्त भाग के शेष 0.5 किलोमीटर का निर्माण भी दिसम्बर, 1982 में पूर्ण किया जा चुका है। अगला 4.00 किलोमीटर भाग मार्च, 1984 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

मार्ग की स्वीकृत (10 किलोमीटर) लम्बाई से दो ग्राम सभाओं को लाभ होगा।

## आजममगढ़ एवं गोरखपुर से दराबाद को चलायी गयी बस सेवा के संचालन पर विचार

73—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के प्रथम बुध के अता० प्र० सं० 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ एवं गोरखपुर से दराबाद को चलायी गयी बस लाभकर एवं जनहित में होते हुये भी बंद कर दी गयी है ? यदि हां, तो यह बस सेवा किस तिथि से की गया है और पुनः कब आरम्भ की जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अलाभकर होने तथा बरसात में प्रश्नगत मार्गों के बांध वाला भाग जो कच्चा है, के खराब हो जाने के कारण अस्थाई रूप से इन मार्गों पर चलने वाली बस सेवायें क्रमशः दिनांक 15–6–82 व 13–6–82 से बन्द कर दी गयी थी। बरसात के पश्चात् हैदराबाद–आजमगढ़ सेवा दिनांक 10–11–82 से पुनः आरम्भ कर दी गयी। हैदराबाद-गोरखपुर बस सेवा मार्ग से हैदराबाद-दोहरीघाट मार्ग पर बस सेवा दिनांक 14–10–82 से पुनः संचालित कर दी गई। परन्तु इस मार्ग के दोहरीघाट-गोरखपुर भाग से प्रति कि० मी० आय एवं लोड फैक्टर में अधिक कमी के कारण उक्त बस सेवा को संचालित नहीं किया गया।

74—श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मधुबनी शाखा निर्माण खंड, गोरखपुर में कार्यरत श्री सूरज प्रसाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

75—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत मधुबनी शाखा नहर निर्माण खंड के जिन जिलेदारों के विरुद्ध माह फरवरी 82 से जून, 82 तक शिकायतें शासन व स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माह फरवरी 1982 से जून 1982 तक मधुबनी शाखा निर्माण खंड, गोरखपुर में कार्यरत श्री सूरज प्रसाद के विरुद्ध ग्रामवासियों का एक शिकायती पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ प्राप्त हुआ था। श्री सूरज प्रसाद का स्थानान्तरण एकादशम् मंडल, सिंचाई कार्य फैजाबाद को कर दिया गया है, और इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र तैयार किया गया है।

गंडक नहर निर्माण मंडल प्रथम, गोरखपुर के आशुलिपिक श्री श्याम राज के विरुद्ध शिकायती पत्र

76—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के अधीक्षण अभियन्ता (श्री देवेन्द्र सिंह बांगा) गंडक नहर निर्माण मंडल प्रथम गोरखपुर के स्टेनो के विरुद्ध दिनांक 21–6 82 में प्रश्नकर्त्ता ने कोई शिकायत लिखित रूप में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (गंडक) सिंचाई विभाग लखनऊ को भेजी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। उस दिन श्री सुल्तान अहमद रिजवी, स्टेनो छुट्टी पर थे और उनके स्थान पर श्री श्याम राज, आशुलिपिक कार्य कर रहे थे। शिकायती पत्र के आधार पर श्री श्याम राज आशुलिपिक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया और उन्हें यह चेतावनी दी गयी कि भविष्य में आगन्तुकों का परिचय प्राप्त कर, उनके साथ नम्र व्यवहार करें। इसकी सूचना प्रश्नकर्त्ता को अधीक्षण अभियन्ता, गंडक नहर निर्माण मंडल प्रथम गोरखपुर के पत्र दिनांक 2–7–82 द्वारा भेजी गयी।

## जनपद देहरादून में अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त को सौंपा गया खनन का कार्य

77—श्री राम कुमार भार्गव—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माइनिंग का कार्य देखने हेतु प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त को प्रभारी बनाया गया है ? यदि हाँ, तो जनपद देहरादून में क्या माइनिंग का कार्य अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त द्वारा देखा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जिला देहरादून में भी खनन कार्य अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को सौंप दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## श्री घनश्याम राय द्वारा सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार हेतु दिया गया पत्र

78—श्री राज कुमार राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सूरजपुर तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ के निवासी श्री घनश्याम राय ने सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की जांच के लिये दिसम्बर, 81, जनवरी, 82, मार्च 82, अगस्त, 82 में पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उनमें मुख्य माँगें और आरोप क्या थे और उनमें कितने आरोप सही पाये गये ? किस कर्मचारी/अधिकारी पर क्या उत्तरदायित्व निश्चय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत शिकायतकर्त्ता के केवल दिसम्बर, 81, जनवरी, 82 तथा अगस्त, 82 के शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं ।

दिसम्बर, 81 के शिकायती पत्र में सिकरी कोल माइनर के सम्बन्ध में शिकायत की गई है, जनवरी, 82 के शिकायती पत्र में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायत की गई है तथा अगस्त, 82 के शिकायती पत्र में अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत है ।

उपरोक्त शिकायती पत्रों के आरोपों की जांच का आदेश दिया गया है । जांचोपरान्त ही उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सकेगा ।

## घोसी तहसील, आजमगढ़ में ड्रेनों की खुदाई में बरती गई अनियमितताओं एवं घोटाले की जांच

79—श्री राज कुमार राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि आजमगढ़ के घोसी तहसील में ड्रेनों की खुदाई में दिये गये घोटालों में बरती गयी अनियमितताओं, अवैधानिकताओं तथा भ्रष्टाचार के सिलसिले में अगस्त 82 में श्री देवराज राय आदि निवासीगण ग्राम चमरियांव, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ के पत्र दि० 24-8-82 श्री कल्पनाथ राय, उपमन्त्री भारत सरकार का पत्र दिनांक 17-8-82 तथा प्रश्नकर्त्ता के पत्र बाबत जांच कराने टी० ए० सी० सेक्सन वाइज कराने का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन ने उन पर अब तक कौन सी कार्यवाही की ? अलग-अलग कितने ड्रेन्स पर कितना पैसा खर्च हुआ और कितने का घोटाला प्रकाश में आया तथा किस कर्मचारी पर क्या दायित्व निश्चित किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ के घोसी तहसील में ड्रेनों की खुदाई में की गई शिकायत के सम्बन्ध में श्री

देवराज राय आदि का पत्र दिनांक 24–8–82 एवं प्रश्नकर्त्ता के पत्र बाबत जांच दिनांक 5–8-82 प्राप्त हुआ है, परन्तु श्री कल्पनाथ राय, उपमन्त्री, भारत सरकार के पत्र बाबत जाँच दिनांक 17–8–82 प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है।

इसके लिये अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दो अधिशासी अभियन्ताओं, जो इन कार्यों से सम्बन्धित नहीं है, की एक समिति गठित की गई है। जांच प्रगति में है।

ड्रेनवार खर्चे का विवरण संलग्न है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही घोटाला तथा दायित्व निश्चित किया जायेगा।

( देखिये नत्थो 'ङ' आगे पृष्ठ 591 पर। )

यात्री कर अधीक्षक हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

80—श्री राजकुमार राय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यात्री कर अधीक्षक की सीधी भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1975 में इलाहाबाद में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ था ? क्या उसका परिणाम निकल चुका है ? यदि हां, तो उन अभ्यर्थियों में से उक्त पदों के लिये किसी को नियुक्ति न देने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यात्रीकर अधीक्षक की सीधी भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1975 में अभ्यर्थियों का कोई साक्षात्कार नहीं किया गया था, अतः उसके आधार पर किसी नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

81—श्री राजकुमार राय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ए० आर० एम० पद हेतु 1978 में निगम के प्रधान कार्यालय लखनऊ में 44 व्यक्तियों का साक्षात्कार हुआ था ? यदि हाँ, तो उसमें कुल कितने अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये और कितने नियुक्ति पा चुके हैं ? और शेष के कब तक नियुक्त होने की आशा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1978 में, निगम मुख्यालय लखनऊ में, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर, नियुक्ति हेतु 68 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ था, जिसमें से 24 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये थे। 21 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी।

वर्ष 1978 की सूची से अब किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के हरदोई डिपो में बसें तथा मरम्मत कराये जाने की कार्यवाही

82—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के रा० सड़क परिवहन निगम, हरदोई डिपो में कुल कितनी गाड़ियाँ हैं और उसमें से कितनी प्रयोग में आ रही हैं और कितनी बेकार खड़ी हैं, इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के हरदोई डिपो में कुल 21 गाड़ियां हैं,

जिनमें 12 बसें विभिन्न मरम्मत हेतु आफ रोड हैं और 9 बसें प्रयोग में आ रही हैं। इन 12 बसों की मरम्मत तेजी से कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

शहजाद बांध में कार्यरत मैकेनिक श्री राम कुमार सिंह का वेतन निर्धारण

83—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 14-7-82 को अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई मंडल (श्री रणबीर सिंह आहूजा) झांसी को डीजल मैकेनिक (श्री रामकुमार सिंह) शहजाद बांध में कार्यरत के ग्रेड फिक्सेशन के सम्बन्ध में भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, झांसी ने अपने पत्रांक 4664/सिनिम/डब्लू 2, दिनांक 20-8-82 द्वारा माननीय विधायक महोदय को सूचित कर दिया था कि श्री राम कुमार सिंह मैकेनिक का वेतन निर्धारण नियमानुसार किया गया है।

कार्यवाहक परियोजना अधिकारी, थारू विकास परियोजना, बिशुनपुर, गोंडा के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा उक्त अधिकारी से अधिक वेतन क्रम में नियुक्त अधिकारी

84—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यवाहक परियोजना अधिकारी, थारू विकास परियोजना, बिशुनपुर विश्राम गोंडा के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्रश्नकर्त्ता ने 9 मई, 1982 को उन्हें भेजा है ? यदि हां, तो शिकायतों की क्या जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां।

जी हां, जांच करायी गयी।

85—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सच है कि कार्यवाहक परियोजनाधिकारी से अधिक वेतनक्रम में अन्य अधिकारी वहां कार्यरत हैं ? तो किन परिस्थितियों में कनिष्ठ व्यक्ति को कार्यवाहक परियोजनाधिकारी बनाया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां, कार्यवाहक परियोजनाधिकारी से अब अधिक वेतनक्रम में दो अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, प्रारम्भ में कार्यवाहक परियोजनाधिकारी ही वरिष्ठ थे। अब कार्यवाहक परियोजनाधिकारी को प्रत्यावर्तित करके उनका स्थानान्तरण कर दिया है।

86—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में वित्त विभाग द्वारा न्याय विभाग से परामर्श के उपरान्त कार्यवाही

87—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले बुध दिनांक 27-1-82 के अता० प्र० सं० 31

के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के सुझाव पर उनके विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

वित्त विभाग द्वारा न्याय विभाग से परामर्श के उपरान्त सुझाई गयी प्रक्रिया दो के अनुसार वर्ष 1978–79, 1979–80 तथा 1980–81 में संस्था को दी गयी अनुदान की धनराशि का विभागीय आडिट कराये जाने पर रु० 98,374 की धनराशि की कटौती वर्ष 1981–82 में संस्था को स्वीकृत की गयी धनराशि में से कर ली गयी है ।

## श्रीमती माधुरी पाण्डेय, सहायक अध्यापिका, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

88—श्री राम आसरे वर्मा, तथा

श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती माधुरी पाण्डेय, सहायक अध्यापिका, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ का प्रार्थना पत्र दिनांक 11–2–82 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के आदेश दिनांक 28–7–81, 31–8–81, 20–1–82 व 10–2–82 तथा सचिव, उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30–12–81 सहित निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आदेशों के पूर्ण विवरण क्या हैं एवं प्रार्थना-पत्र दिनांक 11–2–82 में क्या अनुरोध किया गया है ? सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के दिनांक 30–12–81 के आदेश में प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, के प्रबन्धाधिकरण द्वारा श्रीमती माधुरी पाण्डेय, सहायक अध्यापिका (बेसिक) की सेवा में निरंतरता बनाए रखकर उनके अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश थे ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन हेतु अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति को निदेशक, हरिजन समाज कल्याण द्वारा लिखा गया है ।

## जनपद जौनपुर में आबंटित नलकूप

89—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 80–81 में जनपद जौनपुर के लिये कितने नलकूप आबंटित हुए थे और उनमें से कितने विभिन्न स्थानों पर लगाए गए ? सभी आबंटित नलकूप न लगाए जाने के क्या कारण थे और उसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1980–81 में जनपद जौनपुर के लिये कुल 14 नलकूप आबंटित हुए थे और उनमें से 2 नलकूप विभिन्न स्थानों पर लगाये गये ।

अधिक गहराई तक छिद्रण करने वाली रिंग मशीन उपलब्ध न हो पाने के कारण शेष नलकूपों का छिद्रण नहीं कराया जा सका । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

रया ग्राम में नहर पर पुल का निर्माण

90—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि शारदा सहायक के मड़ियाहूँ ब्रांच पर पड़ने वाले गोपालपुर और गौहानी ग्रामों के बीच रया ग्राम में नहर पर पुल न होने से जनता को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में रया ग्राम में भी उक्त नहर पर पुल का निर्माण शीघ्र करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मड़ियाहूँ ब्रांच के किलोमीटर 78-0 एवं 79-0 के मध्य बांई पटरी पर ग्राम रया स्थित है। रया ग्राम की आबादी दो भागों में बँटी हुई है। एक भाग कि० मी० 78-380 पर उपलब्ध पुल से लगभग 600 मीटर तथा दूसरा भाग कि० मी० 79-630 पर उपलब्ध पुल से लगभग 300 मीटर की दूरी पर पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में इतनी कम दूरी पर अन्य पुल बनाना उचित नहीं है।

जग्गापुर नाले के निर्माण हेतु कार्यवाही

91—श्री प्रभू नारायण सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे सत्र के अता० प्र० सं० 18 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जग्गापुर नाले का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायगा ? क्या किसानों की क्षति को देखते हुए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जग्गापुर नाले के निर्माण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रोजेक्ट की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जौनपुर से लखनऊ तक एयर कूल बस चलाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

92—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 12-1-82 को एक पत्र जौनपुर से लखनऊ तक बस चलाने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर बस अब तक न चलाये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। सदस्य महोदय ने अपने पत्र में एयर कूल बस सेवा चलाये जाने की मांग की थी। एयर कूल बस उपलब्ध न होने के कारण बस सेवा संचालित नहीं की जा सकी।

जल निकासी हेतु कुड़ैलाड्रेन की खुदाई

93—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मूंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत जल निकासी हेतु कुड़ैला ड्रेन की खुदाई का कार्य वर्ष 81-82 में आरम्भ करके बीच में ही रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस ड्रेन की खुदाई करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुड़ैला ताल नाले पर वर्ष 81-82 में कि० मी० 0 से 1.5 तक राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिया गया था। कार्य रोका नहीं गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

शेष मिट्टी का कार्य वर्तमान वर्ष 82–83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम छातीडीह की भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु ड्रेन की खुदाई

94—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम छातीडीह की सैकड़ों एकड़ भूमि जल निकासी के अभाव में प्रतिवर्ष पानी में डूब जाती है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम की सैकड़ों एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु ड्रेन खोदी जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र की जलप्लावन समस्या के निराकरण हेतु प्रस्तावित छातीडीह नाला का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। तत्पश्चात् राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की संस्तुति के आधार पर तथा धन उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्रामों की ली गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान

95—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम काकोरी, धुसांव कुसिया के किसानों को वर्षों पूर्व नहर में ली गई भूमि का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया ? क्या नहर के किनारे पड़े वृक्षों को भी बिना मुआवजा दिये काटा जा रहा है ? क्या सरकार मुआवजे के भुगतान की शीघ्र व्यवस्था करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के ग्राम काकोरी धोसांव एवं कुसिया के काश्तकारों की भूमि रजबहा केराकत में ली गई है। ग्राम धोसांव में रु० 13,663.92 तथा ग्राम कुसिया में रु० 47,340.81 का प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जा चुका है। ग्राम काकोरी की भूमि अध्याप्त की कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

ग्राम काकोरी में मुआवजे के भुगतान की शीघ्र व्यवस्था करायी जा रही है।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर का असबरनपुर राजकीय नलकूप का विद्युतीकरण

96—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर का असबरनपुर नलकूप किन कारणों से सिचाई हेतु पानी अभी तक नहीं दे पा रहा है ? क्या यह सत्य है कि वर्षों पूर्व किये गये पुनः बोरिंग के पश्चात् अभी तक इस नलकूप को चालू नहीं किया जा सका ? क्या सरकार इस नलकूप से शीघ्र सिचाई हेतु पानी उपलब्ध करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर का असबरनपुर राजकीय नलकूप अपूर्ण होने के कारण सिचाई हेतु पानी अभी तक नहीं दे पा रहा है।

इस नलकूप का पुनः छिद्रण माह 12/81 में किया गया। इस नलकूप पर पम्प गृह निर्माण कराकर बो० एण्ड एल० फार्म विद्युतीकरण हेतु भेजने की कार्यवाही प्रगति में है।

इस नलकूप का विद्युतीकरण करा कर शीघ्र सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जायेगा ।

मुरादाबाद जिले के परिचालक द्वारा टिकटों के सम्बन्ध में गबन

97—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मंत्री को दिनांक 24–2–82 को प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र मुरादाबाद रीजन में यू० पी० एस० आर० टी० सी० के किसी कण्डक्टर द्वारा जनवरी, 82 में 50 हजार रुपये के किये गये गबन के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य––

कथित प्रकरण पर माननीय विधायक महोदय का पत्र दिनांक 24–3–82 प्राप्त हुआ था । परिवहन निगम द्वारा मुरादाबाद डिपो के परिचालक को दिये गये टिकटों के सम्बन्ध में जाँच कराई गयी तथा जाँच में रु० 62591–35 का गबन प्रकाश में आया । इस मामले की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गयी है तथा अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध निगम प्रशासन द्वारा विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम सामी पट्टी, तहसील देवरिया में हरिजन बस्ती हेतु सीमेन्ट तथा धन का आबंटन

98—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सामीपट्टी ब्लाक रामपुर कारखाना, तहसील देवरिया में हरिजन बस्ती बनकर तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में सीमेन्ट तथा धन आबंटित किया गया था ? यदि हाँ, तो वे कौन व्यक्ति हैं जिसे आबंटित किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ईश्वर शरण श्रीवास्तव, स० अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देवरिया के विरुद्ध पत्र

99––श्री रुद्र प्रताप सिंह––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 81 जो ईश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, स० अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देवरिया के विरुद्ध था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हाँ ।

सहायक अभियन्ता का सही नाम श्री ईश्वर शरण श्रीवास्तव है । शिकायतों की जाँच कराई गई । जाँच में सिद्ध पाई गई अनियमितताओं के लिए सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

देवरिया रजबहा नहर की दाहिनी भुजा के टूटने से क्षति तथा मरम्मत पर व्यय

100––श्री रुद्र प्रताप सिंह––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया रजबहा नहर के कि० मी० 35– 100 से 236–200 के अन्दर गत जुलाई, 1980 से 26–7–82 तक नहर की दाहिनी भुजा कितनी बार टूटी और इसके मरम्मत में कितना व्यय हुआ तथा नगर के मुहल्ला राम

गुलाम टोला में कितनी क्षति हुई ? क्या सरकार नहर के टूटे हुए स्थान को पक्का करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवरिया राजबाहा के कि० मी० 35–100 से 36–200 के बीच नहर की दाहिनी भुजा गत जुलाई 1980 से 26–7–82 तक 26 बार टूटी अथवा कृषकों द्वारा काटी गई जिसको बन्द कराने पर रु० 22,188. 53 मात्र व्यय हुआ। नहर के टूटने से क्षति होने के बारे में 3/82 के प्राप्त एक प्रार्थना पत्र पर जाँच की कार्यवाही हो रही है, जिसका अन्तिम परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त और कोई भी क्षति नहर के टूटने से नहीं हुई है। नहर इस स्थान पर इतनी भराई में नहीं है कि उसे पक्का किये बिना काम न चले। अतः पक्का करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

देवरिया जिले में धनौती माइनर का निर्माण तथा काश्तकारों को भूमि के मुआवजे का भुगतान

101—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला में धनौती माइनर पूर्व निर्धारित मानचित्र के अनुसार पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। धनौती माइनर की कुल लम्बाई 18.42 कि० मी० है। आरम्भ के 5.500 कि० मी० तक निर्माण हो चुका है। शेष लम्बाई में कास्तकारों की आपत्ति तथा भूमि अधिग्रहण न होने के कारण नहीं हो सका है।

102—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बड़हरा लाला तथा उसके आगे जिन काश्तकारों की जमीन धनौती माइनर में ली गयी है उसका मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि देना है तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। भूमि अध्याप्ति का प्रकाशन गजट में न होने के कारण मुआवजा नहीं दिया गया है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

103—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[6वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

104—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय इण्टर कालेज, गोपेश्वर में खेल के मैदान का निर्माण

105—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, गोपेश्वर में खेल मैदान के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त खेल मैदान की स्वीकृति कब तक मिल जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्तमान सीमित संसाधनों के अन्तर्गत शिक्षा सेक्टर के स्वीकृत निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की कठिनाई के परिक्षेत्र में इस वर्ष शिक्षा

सेक्टर में नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति न दिये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार ही प्रश्नगत विद्यालय के खेल मैदान के निर्माण के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है।

स्वर्गीय श्री परशुराम रतुड़ी, वरिष्ठ लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, चमोली के पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान

106—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री परशुराम रतुड़ी, लेखाकार, जिला उद्योग केन्द्र चमोली की मृत्यु दिनांक 19-4-74 को सेवा काल के दौरान हुई है ? यदि हां, तो उसके सामूहिक बीमा, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान किया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री परशुराम रतुड़ी, वरिष्ठ लिपिक की मृत्यु दिनांक 29-4-79 को सेवाकाल के दौरान हुई है। स्व० श्री रतुड़ी के सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि के भुगतान के समस्त पत्रादि रीजनल मैनेजर, सामूहिक बीमा योजना, डिविजनल शाखा, हजरतगंज, लखनऊ को भेजे गये थे जिस पर उन्होंने कुछ आपत्ति की। आपत्तियों का निवारण कर दिया गया है, किन्तु उनसे अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिये शाखा को लगातार स्मरण कराया जा रहा है।

पारिवारिक पेन्शन तथा ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में श्री रतुड़ी के ज्येष्ठ पुत्र श्री अनुसूया प्रसाद रतुड़ी को उनके हिस्से की पारिवारिक पेन्शन तथा ग्रेच्युटी की स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं उनके दो अवयस्क पुत्रों के हिस्से की ग्रेच्युटी की स्वीकृति भी उनके अभिभावक श्री अनुसूया प्रसाद रतुड़ी को प्रदान की जा चुकी है। अवयस्क पुत्रों के हिस्से की पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति श्री अनुसूया प्रसाद रतुड़ी द्वारा संरक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर प्रदान की जायगी जिसके लिये सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र चमोली द्वारा उन्हें लिखा जा चुका है।

जहाँ तक भविष्य निर्वाह निधि का प्रश्न है, स्व० श्री रतुड़ी के भविष्य निर्वाह निधि खाते से महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा रू० 2,657-00 की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और इस धनराशि का भुगतान श्री अनुसूया प्रसाद रतुड़ी को किया जा चुका है।

श्री समद मीर खाँ, कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी, झांसी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

107—श्री कुँवर सिंह नेगी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० रा० स० परि० निगम के झांसी क्षेत्र के कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी के भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यों के सम्बन्ध में दिनांक 24-12-82 को प्रधान प्रबन्धक, उ० प्र० रा० स० प० निगम को रोडवेज मजदूर सभा, उ० प्र० के मन्त्री का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हाँ, पत्र दिनांक 24-12-81 प्राप्त हुआ न कि दिनांक 24-12-82। शिकायती पत्र में श्री समद मीर खाँ, कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप जाँच करने पर सही सिद्ध नहीं पाये गये।

झांसी क्षेत्र में रात्रि सेवाओं के आरक्षण एवं पास के सम्बन्ध में रोडवेज मजदूर सभा के प्रधान मन्त्री का पत्र

108—श्री कुंवर सिंह नैगी—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी क्षेत्र में रात्रि सेवाओं एवं बस नं० यू० टी० पी० 8385 के आरक्षण एवं पास के सम्बन्ध में रोडवेज मजदूर सभा के प्रधान मन्त्री का को पत्र दिनांक 24-12-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ, शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप जाँच करने पर सही सिद्ध नहीं हुये।

उद्योग गढ़वाल मंडल के ड्राफ्ट्समैन सिविल के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

109—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक उद्योग, गढ़वाल मन्डल के अधीन ड्राफ्ट्समैन सिविल के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 29-7-81 को देहारादून में आयुक्त गढ़वाल मन्डल की अध्यक्षता में साक्षात्कार किया गया था ? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु चयनित किये गये हैं ? इनकी नियुक्ति कब तक हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। परतु उस समय तदर्थ नियुक्तियों पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण किसी चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

बस्ती डिपो में कुल बसों की संख्या तथा निष्प्रयोज्य गाड़ियों के प्रतिस्थापन में नई गाड़ियां उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही

110—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, तथा

श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती डिपो में कुल 118 बसें वहां के कागज में मौजूद है जिसमें तो कुछ जर्जर होकर वर्कशाप में खड़ी है और लगभग एक दर्जन बसें कानपुर के सेन्ट्रल वर्कशाप में मरम्मत हेतु तीन माह पूर्व भेजी गयी थी ? जो अभी तक मरम्मत होकर नहीं लौटी हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बस्ती डिपो को बसें दिलाने की आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, हो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

बस्ती डिपो में दिनांक 1-12-82 को कुल बसों की संख्या 119 है जिनमें 11 बसें निष्प्रयोज्य घोषित की जा चुकी हैं तथा 6 और बसों को निष्प्रयोज्य करने का मामला विचाराधीन है। शेष 102 बसों में से डिपो कार्यशाला में 24, क्षेत्रीय कार्यशाला में 5 तथा एलेन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर में केवल 4 बसें अर्थात् कुल, 33 बसें मरम्मत हेतु है। इन सभी आफ रोड गाड़ियों को ठीक कराने, तथा निष्प्रयोज्य गाड़ियों के प्रतिस्थापन में नई गाड़ियां भी उपलब्ध कराने की दिशा में उचित कार्यवाही की जा रही है।

उ० प्र० हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम, लखनऊ द्वारा हरिजन एवं निर्बल वर्ग के परिवारों को आवास सुविधा

111—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० हरिजन एवं

निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा लखनऊ मन्डल में वर्ष 79-80, 80-81 व 81-82 में कितने हरिजन एवं निर्बल वर्ग के परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

उ० प्र० हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा, लखनऊ मन्डल में वर्ष 1979-80 में शून्य, 1980-81 में 68 तथा 1981-82 में 144 हरिजन एवं निर्बल वर्ग के परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की गयी।

## इटावा जनपद में पुर्वा बगिया नामक नाले का निर्माण

112—श्री धनीराम वर्मा--

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जनपद में बगियापुर नाला के नाम का कोई नाला खुदवाया गया है ? यदि हां, तो गाटा संख्या 1133,1124,1110 व 1111 आदि नम्बरों का मुआवजा सम्बन्धित काश्तकारों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह--

जी हां। इटावा जनपद में पुर्वा बगिया (बगियापुर नाम नहीं है) नामक नाले का निर्माण वर्ष 1978-79 में किया गया था। नाले के निर्माण में ली गयी भूमि में गाटा संख्या 1123, 1124, 1111 के मुआवजा सम्बन्धित काश्तकारों को वितरण करने हेतु आवश्यक धन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को 28-8-81 को उपलब्ध करा दिया गया है तथा मुआवजा वितरित कराया जा रहा है। गाटा संख्या 1110 में कोई मुआवजा देय नहीं है क्योंकि इस गाटे की कोई भूमि प्रयोग में नहीं लायी गयी है।

## श्री ग्रीश कुमार अवस्थी को जनरल मर्चेन्डाइज की दुकान का दिया गया ठेका तथा दुकान न खोलने से जमानत की जब्त धनराशि

113--श्री धनीराम वर्मा---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के औरैया बस स्टेशन के जनरल मर्चेन्डाइज की दुकान का ठेका 6 जून, 79 को श्री ग्रीश कुमार के नाम उठाया गया था ? क्या यह भी सही है कि श्री ग्रीश कुमार से 500 रु० जमानत तथा तीन माह का अग्रिम 933 रु० जमा करवाकर अनुबंध कराया गया था ? यदि हां, तो ठेकेदार को दुकान के लिए जगह व टिन आदि न दिये जाने तथा जमानत एवं अग्रिम धनराशि के जब्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिह आर्य---

जी हां। यह सत्य है कि जनपद इटावा के औरैया बस स्टेशन के जनरल मर्चेन्डाइज की दुकान का ठेका श्री ग्रीश कुमार अवस्थी के नाम उठाया गया था।

श्री ग्रीश कुमार से रु० 500/-अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा कराये गये जो उन्हें वापस कर दिये दिये। जमानत के रूप में तीन माह के किराये के बराबर 933/- जमा कराये गये।

अनुबंध कराने के लिये क्षेत्रीय प्रबन्धक, इटावा द्वारा श्री ग्रीश कुमार से बार-बार कहा गया परन्तु उन्होंने न तो अनुबंध ही किया और न ही विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर जनरल मर्चेन्डाइज की दुकान ही खोली जबकि उन्हें इस दुकान के बनवाने हेतु स्टेशन इंचार्ज औरैया द्वारा टीन के तख्ते भी उपलब्ध करा दिये गये थे।

श्री ग्रीश कुमार द्वारा निर्धारित स्थान पर दुकान न खोलने, किराये की किश्त न जमा करने, अनुबंध न करने तथा एक अन्य व्यक्ति को रु० 3-70 प्रतिदिन पर चूरन बेचने के लिये सबलेट करने एवं स्वयं दिनांक 7-1-80 तक ठेके का कार्य प्रारम्भ न करने के फलस्वरूप ठेके की शर्तों के अन्तर्गत श्री ग्रीश कुमार की जमानत की धनराशि रु० 933/-जब्त कर ली गई।

## उपनिबन्धक, औद्योगिक सहकारी समितियाँ व उत्पादन अधीक्षक के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही सम्बन्धी पत्र

114—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक कलाकार सहकारी समिति लि०, अलीगढ़ के सचिव ने उप निबन्धक, औद्योगिक सहकारी समितियां व उत्पादन अधीक्षक के विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा 323, 504, 506, 34 के अन्तर्गत संस्थित वाद में न्यायालय द्वारा चार्ज फ्रेम के उपरान्त निदेशक, उद्योग विभाग को निलम्बन की कार्यवाही करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 13-5-80 को दिया है ? यदि हां, तो अब तक सम्बन्धित अधिकारियों को निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

प्रश्न में उल्लिखित वाद न्यायालय में विचाराधीन होने की दशा में जब तक कि न्यायालय से उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं होता, तब तक निलम्बन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं थी । उक्त वाद अब दिनांक 24-7-82 को खारिज हो चुका है तथा एक अन्य वाद अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा संशोधन अधिनियम की राजकीय मुद्रणालय में उपलब्धि

115—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, तथा

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या सरकार को जानकारी है कि शासकीय मुद्रणालय में मुद्रित तथा संशोधित पंचायत राज अधिनियम तथा नियम उपलब्ध नहीं है ? जबकि प्रदेश में प्रधानों के विरुद्ध दायर निर्वाचन याचिकाओं में इनकी नितान्त आवश्यकता है ? यदि हां, तो शासन इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उसका संशोधन अधिनियम, 1978 राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## जनपद शाहजहाँपुर में बड़े उद्योग की योजना

116 —श्री सिकन्दर अली खां—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर सिटी के लिए किसी बड़े उद्योग की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो यह योजना कब तक जनपद में लागू कर दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भारत सरकार ने गैस बेस्ड उर्वरक कारखाना लगाने के लिये शाहजहाँपुर जनपद को उपयुक्त पाया है । यह कहना कठिन है कि यह कारखाना शाहजहाँपुर सिटी में लगेगा या जनपद के किसी अन्य स्थान पर ।

योजना कब तक लागू कर दी जायेगी इस बारे में भी कोई निश्चित सूचना राज्य सरकार द्वारा देना संभव नहीं है क्योंकि इसका कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा किया जाना है ।

## पंजीकृत लघु उद्योगों को जनरेटिंग सेट खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा

117—श्री सिकन्दर अली खाँ, नवाब—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग से पंजीकृत उद्यमियों को जनरेटिंग सेट खरीदने पर सरकार ने खरीद की आधी धनराशि का अनुदान देने की घोषणा की थी ? क्या यह सही है कि यह अनुदान की राशि छोटे उद्यमियों को देने हेतु कम कर दी गयी है और खाँडसारी जैसे बड़े उद्योगों को आधी धनराशि का अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ में की गई घोषणा के अनुसार कतिपय संस्थाओं के अन्तर्गत पंजीकृत लघु उद्योगों को सेट के मूल्य का 50% भाग तथा बृहत/मध्यम उद्योगों को सेट के मूल्य का 25% भाग अनुदान के रूप में देने की घोषणा की गई थी। इस व्यवस्था में कुछ कठिनाइयाँ अनुभव की गई जिसके फलस्वरूप पूर्व की व्यवस्था को संशोधित करके सेट की क्षमता के आधार पर लघु उद्योगों को रु० 100 प्रति के० वी० ए० तथा वृहत/मध्यम उद्योगों को रु० 500 प्रति के० वी० ए० की दर से अनुदान देने की घोषणा की गई। इस प्रकार यह सही नहीं है कि अनुदान की राशि छोटे उद्यमियों के लिये कम कर दी गई है। वास्तविकता यह है कि छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों की अपेक्षा दो गुनी सहायता दी जा रही है। शासन के समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें शासन की नीति का उल्लंघन पाया गया हो।

## श्री अन्जारुल हक, बस स्टेशन इन्चार्ज, रोडवेज मुरादाबाद का स्थानान्तरण

118—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मन्त्री को दिनांक 10-6-82 को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र श्री अन्जारुल हक, बस स्टेशन इंचार्ज, रोडवेज मुरादाबाद द्वारा दिये जा रहे दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ, इस शिकायत पर श्री अन्जारुल हक का स्थानान्तरण जून 1982 में मुरादाबाद से बिजनौर डिपो में कर दिया गया है।

## छठी पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड में सिंचाई की परियोजनायें

119—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6ठीं पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखंड में सिंचाई की कितनी परियोजनायें ली गई हैं और उनके पूरा होने पर कितनी भूमि सिंचित होगी तथा इनके लिए कुल कितना धन आबंटित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में बुन्देलखन्ड क्षेत्र में 13 चालू तथा 1 नयी परियोजना प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 2·54 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षमता सृजित होगी, जिन पर योजना काल में 101.32 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

## विकलांग वर्ष में गाजीपुर जनपद में विकलांगों की सहायता

120—श्री राम नरायन एडवोकेट, तथा

श्री यदु नाथ सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग वर्ष में गाजीपुर जनपद

में कितने विकलांगों को सरकार द्वारा कौन सी राहत दी गई और विकलांगों के नाम एवं पता एवं जाति क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

विकलांग वर्ष 1981 में गाजीपुर जनपद के 27 विकलांग व्यक्तियों को कुल 12,965/- रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से 25 विकलांग छात्रों को 11,765/- रुपये की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में उनके शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु तथा 2 निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान के रूप में 1200/- रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। विकलांगों के नाम, पता एवं जाति की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 592 व 593 पर)

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू किये जाने का निर्णय

121--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1 ले बुध के लिये निर्धारित अता० रा० प्र० सं० 47 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू कराना विधिक दृष्टि से अनिवार्य है ? यदि हां, तो इस संस्था में इसके लागू न होने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां। हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुदान से पोषित प्रश्नगत संस्था अपराध निरोधक समिति, द्वारा संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ (हाई स्कूल स्तर) को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों तथा कक्षाओं की मान्यता लेना अनिवार्य है। ऐसे विद्यालयों में किस अंश तक माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्राविधान विधिक दृष्टि से लागू माने जायेंगे, इस प्रश्न पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त ही निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सड़क परिवहन निगम के पूर्वी जोन में घाटे की जांच

122--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1 ले बुध के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 65 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20785850 रुपये के घाटे के लिये क्या उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? बैटरी के अभाव से घाटे तथा 1,14,08,807 रुपये के अधिक डीजल खर्च होने का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये जांच कमेटी कब गठित की गयी और उसमें कौन से अधिकारी हैं तथा उसे कब तक रिपोर्ट देने को कहा गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में नलकूप निर्माण कार्यों हेतु आबंटित धनराशि

123--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले बुध के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 94 के

उत्तर के संदर्भ में क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82–83 में किन कारणों से आजमगढ़ में नलकूप न लगाये जाने का निर्णय लिया गया है ? क्या मंत्री जी वर्ष 1983–84 में इस घाटे को पूरा करायेंगे और उसमें हरैया ब्लाक के आठ नलकूपों को सम्मिलित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 में आजमगढ़ जनपद में नलकूप निर्माण कार्यों हेतु जो धनराशि जिला प्लान में उपलब्ध करायी गयी थी, वह समस्त धनराशि विश्व बैंक से पोषित राजकीय नलकूप परियोजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे नलकूपों के निर्माण कार्य को पूरा कराने हेतु दे दी गयी ।

वित्तीय वर्ष 1983–84 में इस जनपद हेतु नलकूप निर्माण कार्यक्रम के लिये जिला प्लान में धनराशि उपलब्ध होने पर तथा जिला सिचाई सलाहकार समिति तथा स्थल चयन समिति के संस्तुति के आधार पर नलकूप निर्माण का कार्य निर्धारित किया जायगा ।

## ग्रामोदय उ० मा० विद्यालय बढ़यापार, गोरखपुर में प्राप्त अनियमित भुगतान तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा

124—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले बुध के अता० प्र० सं० 96 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7143 रुपये का अनियमित भुगतान कब से प्राप्त किया गया ? उसे वापस कराने तथा इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा न चलाने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## विकास खंडवार नलकूपों के आबंटन का आधार

125—श्री मलिक मो० कमाल यूसुफ—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने यह निर्णय लिया है कि जिन विकास क्षेत्रों में ट्यूबवेल नहीं लगे हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर नलकूप लगाये जायेंगे ? यदि हाँ, तो क्या भनवापुर विकास क्षेत्र जनपद बस्ती को वरीयता के सूची में रखकर नलकूप लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विकास खंडवार नलकूपों का आबंटन विकास खंड के कुल असिंचित क्षेत्रफल तथा बोये गये क्षेत्रफल के अनुपात को आधार मान कर किया जाय । जिस विकास खंड में असिंचित क्षेत्र का बोये गये शुद्ध क्षेत्रफल का अनुपात अधिक है उनको नलकूप आबंटन में प्राथमिकता दी जाय ।

राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्यक्रम अब विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत आ गया है तथा जनपद में नलकूप कहां लगाये जायेंगे इसका निर्णय जिला स्तर पर गठित जिला सिचाई सलाहकार समिति तथा स्थल चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर जिला स्तर पर ही लिया जाता है ।

डुमरियागंज बस्ती कस्बे के पानी निकासी हेतु व्यवस्था

126—श्री मलिक मो० कमाल यूसुफ—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अपने शा० प० सं० 4652 एफ/80, दिनांक 30 सितम्बर, 80 द्वारा प्रश्नकर्त्ता के डुमरियागंज बस्ती कस्बे के पानी निकासी के बारे में पत्र लिखा था ? यदि हां, तो क्या पक्की नाली बनाकर पानी निकालने की व्यवस्था कर दी गई है और पक्की नाली कितनी लम्बी है और कब बनाई गई है ? क्या सम्पूर्ण विवरण से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जल निकासी हेतु सितम्बर 1980 के पश्चात् डुमरियागंज कस्बे के पास माली मेनहा बांध में तीन रेगुलेटर का निर्माण किया जा चुका है।

कस्बे के अन्दर नाली बनाने का दायित्व सिचाई विभाग का नहीं है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय मार्गों में बसों को चलाने के आदेश

127—श्रीमती गौरीदेवी—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के रवीन्द्र सिंह मार्ग (बांधा-गाड़ा-जरलही) गगहां-गजपुर व भैंसाबाजार हरिहरपुर मार्ग पर बसों को चलाने का आदेश परिवहन मन्त्री जी द्वारा अप्रैल, 82 में निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो अभी तक बसें न चलाने का क्या कारण है और इन सड़कों पर कब तक बसें चला दी जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत आदेश अप्रैल 82 में नहीं वरन जनवरी 82 में किये गये थे।

रवीन्द्र सिंह मार्ग ( बांधागाड़ा-जरलही ) का केवल ढाई कि० मी० भाग पक्का है। शेष कच्चा एवं निर्माणाधीन है।

गगहां-गजपुर मार्ग भी निर्माणाधीन है। भैंसाबाजार-हरिहरपुर मार्ग सिंगिल ट्रैफिक का मार्ग है और इसका बाकी हिस्सा अभी कच्चा है।

उपरोक्त स्थिति में तीनों मार्ग वर्तमान में बस संचालन के योग्य नहीं है, अतएव इन पर बसों का संचालन करना संभव नहीं है।

उ० प्र० हथकरघा निगम, गोरखपुर के आपूर्त्तिकर्त्ताओं द्वारा खराब माल लेने का प्रयास करने का आरोप

128—श्रीमती गौरीदेवी—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० हथकरघा निगम, गोरखपुर बस्ती के परियोजना अधिकारी की संस्तुति पर गोरखनाथ गोरखपुर के 6 बुनकरों को काली सूची में निर्दिष्ट किया गया है जिससे उनका कारोबार ठप्प हो गया है ? यदि हां, तो उनका दोष क्या है और काली सूची समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

परियोजना अधिकारी गोरखपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर जांचोपरांत 6 आपूर्त्तिकर्त्ताओं से माल लेना बन्द कर दिया गया है।

दिनांक 15 व 16 जुलाई, 1982 को गोरखपुर परियोजना में वस्त्रों की खरीद के

दौरान इन आपूर्त्तिकर्त्ताओं ने जबरदस्ती खराब माल देने का प्रयास किया और खराब माल न लेने की स्थिति में उन्होंने निगम के कर्मचारियों के साथ अत्यन्त अभद्र व्यवहार किया। इस प्रकार उन्होंने गैर कानूनी रास्ता अपनाते हुये निगम के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न किया।

इन आपूर्त्तिकर्त्ताओं से फिलहाल कोई माल क्रय नहीं किया जायगा। भविष्य में यदि इनके आचरण एवं व्यवहार में सुधार होता है तो यथासमय विचार किया जायगा।

सोनपुर माइनर का सर्वेक्षण तथा निर्माण कार्य

129—श्री रामचरण सिंह—

प्रथय सत्र 82 के अता० प्र० सं० 112 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनपुर माइनर का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो शेष कार्य पूर्ण कराये जाने के विषय में क्या निर्णय लिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सोनपुर माइनर का विस्तृत सर्वेक्षण माह नवम्बर, 1982 में पूर्ण कर लिया गया है। लम्बछिन्नक स्वीकृत कर दिया गया है। निर्माण कार्य के लिये धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य करा दिये जायेंगे।

सेमरी बंधी नं० 1 को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही

130—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 25-12-81 को एक पत्र उन्हें सेमरी बंधी नं० 1 के अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, सेमरी बंधी नं० 1 को पूर्ण कराने के संबंध में विधायक महोदय का पत्र दिनांक 25-12-81 को प्राप्त हुआ था।

सेमरी बंधी का अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस बंधी स्थल की नींव में चट्टानों की सघनता हेतु कुछ भाग में उपचार किया जाना आवश्यक है। इस उपचार हेतु भूगर्भीय सर्वेक्षण इंजीनियरिंग जियोलाजी डिवीजन, लखनऊ कार्यस्थल का निरीक्षण कर चुके हैं और उनसे प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं धन उपलब्ध होने पर अवशेष कार्य पूर्ण किया जावेगा।

सभौली माइनर टेल के विस्तार के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

131—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 8-12-81 को सभौली माइनर टेल के विस्तार के सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्री जी को लिखा था, उन्हें मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। भूमि पर अधिकार प्राप्त होने पर सभौली माइनर को तीन फर्लांग तक प्रस्तावित टेल की बढ़ोत्तरी सम्भव हो सकेगी।

श्री मुन्ना सिंह, ठेकेदार के साथ बंधियों के निर्माण हेतु अंतिम भुगतान

132—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र सिंचाई मंत्री को

दिनांक 23–12–81 को मुन्ना सिंह, ठेकेदार सेमरी बंधो के अनुबंध संख्या 5 व 6 एवं कुआं खुर्द बंधो 3 का तथा करगरा बंधो के अंतिम भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । श्री मुन्ना सिंह, ठेकेदारों के साथ किये गये सेमरी बंधो के निर्माण हेतु अनुबन्ध संख्या 5/76–77 एवं 6/76–77 का अंतिम भुगतान समायोजन बाउचर द्वारा माह 3/82 में किया जा चुका है ।

कुवां खुर्द बंधो के निर्माण हेतु दिये गये अनुबंध सं० 3/79–80 का अंतिम भुगतान भी समायोजन बाउचर द्वारा माह 3/82 में किया जा चुका है ।

करगरा बंधो के अनुबंध संख्या 18/78–79 का अंतिम भुगतान समायोजन बाउचर द्वारा माह 5/82 में कर दिया गया है ।

**श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिरों की कुल आय तथा आतिथ्य सत्कार में हुआ व्यय**

133—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिरों को कुल कितनी आय हुई है और इस दौरान श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति द्वारा कितनी धनराशि विशिष्ट अतिथियों के आतिथ्य सत्कार में व्यय की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यात्रा सीजन वर्ष 1981–82 में मन्दिर समिति के आय-व्यय सेवाओं के आधार पर निम्नलिखित आय हुई है ।

(अ) श्री बद्रीनाथ
मन्दिर 20,65,320 रुपये 29 पैसे मात्र ।

(ब) श्री केदारनाथ
मन्दिर 8,56,549 रुपये मात्र ।

श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के टेम्पुल कोष से आतिथ्य सत्कार में निम्नलिखित व्यय हुआ ।

(अ) श्री बद्रीनाथ मन्दिर 2,955 रुपये 90 पैसे ।

(ब) श्री केदारनाथ मन्दिर 869 रुपये ।

**जनपद मिर्जापुर में जरगो हाई लेविल चैनल परियोजना की प्रगति**

134—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 15-3–82 को एक पत्र ग्राम मुआब, विकास क्षेत्र, राजगढ़, तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में जरगो हाई लेविल चैनल के बनाये जाने के सम्बन्ध में उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जरगो हाई लेविल चैनल परियोजना का सर्वेक्षण प्रगति में है ।

**जनपद मिर्जापुर में पिछड़ी जाति, हरिजन जाति तथा मोमिन अंसार के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति**

135—श्री राम चरण सिंह—

क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष

1981-82 में पिछड़ी जाति व हरिजन जाति तथा मोमिन अंसार के कितने विद्यार्थियों को किन-किन विद्यालयों छात्रवृत्ति दी गयी ? क्या मंत्री जी उसकी सूची विद्यालयों सहित अलग-अलग उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## मूसा खंड बांध प्रखण्ड, वाराणसी के प्रथम उप-खण्ड-चुनार, जनपद मिर्जापुर में अल्पिकाओं की मरम्मत का कार्य

136—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि मूसा बांध प्रखंड, वाराणसी के प्रथम खंड चुनार जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत वर्ष 1981–82, 82–83 में किन माइनरों की मरम्मत (मैन्टोनेन्स एवं रिपेयरिंग) पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मूसा खंड बाँध प्रखंड, वाराणसी के प्रथम उपखंड-चुनार, जनपद मिर्जापुर द्वारा वर्ष 1981-82 व 1982–83 में क्रमशः 31 अल्पिकाओं और 22 अल्पिकाओं की मरम्मत का कार्य कराया गया और वर्ष 1981-82 में रु० 1,17,262.00 तथा वर्ष 1982–83 (31-12–82 तक) में रु० 87,002.00 व्यय हुआ ।

## प्रतापपुर लिफ्ट योजना (यमुना पम्प नहर) का प्रथम स्टेज तथा भौडो लिफ्ट योजना द्वितीय स्टेज के निर्माण की कार्यवाही

137—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापपुर लिफ्ट योजना का प्रथम स्टेज तथा इसी योजना की भौड़ी लिफ्ट योजना द्वितीय स्टेज को 1981 में ही पूरी हो जानी थी, किन्तु सितम्बर, 1982 में भी पूरी न होने का क्या कारण है ? यह सिंचाई योजना बारा तहसील के सभी गाँवों को कब तक पानी उपलब्ध करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रतापपुर लिफ्ट योजना ( यमुना पम्प नहर ) प्रथम स्टेज के पम्प हाउस का सिविल कार्य वर्ष 1982 में पूरा हो गया । पम्प हाउस में 10 पम्प 60 क्यूसेक्स क्षमता के लगाने हैं जिसमें 5 पम्प लगाए जा चुके हैं और क्रियाशील कर दिए गए हैं जो कि बार्जों पर लगे पम्पों के साथ आवश्यक मात्रा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं । शेष 5 पम्प जून 83 तक लगाकर क्रियाशील कर दिए जायेंगे । इसी परियोजना के अन्तर्गत द्वितीय स्टेज पम्प हाउस ग्राम मौड़ी में बनाया जा रहा है । इस स्टेज में पूर्णतः नई नहरों का निर्माण होना था जो कि स्थानीय कठिनाइयों के कारण अभी पूरा नहीं हो पाया है । इसी के अन्तर्गत पम्प हाउस में 60 क्यूसेक्स क्षमता के चार पम्प लगाए जा रहे हैं, जिन्हें जून, 83 तक लगाने एवं क्रियाशील करने के उपरान्त खरीफ 1391 फसलों में पानी उपलब्ध कराने की आशा है ।

## श्री आर० एन० गुप्ता, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक की अनिवार्य सेवा निवृत्ति तथा पुनः उक्त पद पर सेवा में लेने का आधार

138—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० एन० गुप्ता, सहायक आर०

एम० को 1976 में अनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया गया था किन्तु 1977 में जनता शासन काल में उन्हें आर० एम० इलाहाबाद नियुक्त कर दिया गया था जिन्हें शिकायत पर परिवहन मन्त्री ने पुनः ए० आर० एम० बना दिया था ? क्या सरकार श्री गुप्ता को पुनः अनिवार्य सेवा निवृत्ति करने की कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री बल्देव सिंह आर्य—**

श्री आर० एन० गुप्ता, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रशासनाधिकरण की संस्तुति के आधार पर 27–7–1979 को अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश हुये थे तथा 24–9–1979 को इस आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर उनकी 5 वेतन वृद्धियाँ रोक दी गयी थीं। 31 जुलाई, 1980 को इन्हें क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद के पद पर प्रोन्नति का निर्णय निगम स्तर पर लिया गया। शासन द्वारा गठित समीक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर इनके क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर अनुमोदित न होने की दशा में परिवहन निगम से इन्हें पुनः सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया। श्री गुप्ता के पुनः अनिवार्य सेवा निवृत्ति किये जाने का कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

## जनपद इलाहाबाद के बारा एवं करछना तहसीलों में नलकूपों का छिद्रण

139—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के बारा एवं करछना तहसीलों के किन-किन गाँवों में वर्ष 1980–81, 81–82 में नलकूपों का छिद्रण किया गया है तथा किन-किन नलकूपों में पम्प हाउस नहीं बने हैं और किन-किन को उर्जीकृत नहीं किया गया है ? यह कब तक उर्जीकृत हो जायेंगे ?

**श्री वीर बहादुर सिंह—**

इलाहाबाद जनपद के बारा एवं करछना तहसीलों में वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में क्रमशः 28 तथा 37 नलकूपों का छिद्रण हुआ है, जिसकी सूची संलग्नक "क" एवं "ख" पर है। इनमें से 5 नलकूपों पर पम्प हाउस नहीं बने हैं तथा 29 नलकूप उर्जीकृत नहीं हुए हैं। वर्ष 1983–84 में जिला योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध होने पर प्रश्नगत नलकूपों का उर्जीकरण कराया जायगा।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 594 व 595 पर)

## जनपद उन्नाव से मोहान एवं हसनगंज व मलिहाबाद रोड पर प्राइवेट बसों के परमिट को किराये पर देने की जाँच

140—श्री विजय सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 82 में जनपद उन्नाव से मोहान एवं हसनगंज तथा उन्नाव से मोहान व मलिहाबाद रोड पर कितनी प्राइवेट बसों के परमिट थे और किन-किन परमिटों पर गाड़ियां चल रही हैं एवं उनके नाम तथा पता क्या क्या हैं ? क्या यह सही है कि कुछ परमिटों के मालिकों ने अपने परमिटों को किराये पर दे रखा है और उनके पास गाड़ियां काफी अर्से से नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मामले की जाँच सी० आई० डी० से कराकर उनके परमिट निरस्त करवाने के निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री बल्देव सिंह आर्य—**

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में जोकहरा तटबन्ध में निर्माण कार्य

141—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 82 के 4 थे बुध के अता० प्र० सं० 45 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत तटबन्ध का शेष कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में बदरोहुवा नाले के किनारे जोकहरा तटबन्ध का शेष कार्य प्रगति में है। इसको बाढ़-काल 1983 के पूर्व पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

गांगेपुर मठिया की मुख्य आबादी से घाघरा नदी की धारा की दूरी, कटान रोकने हेतु कार्यवाही

142—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 4 थे बुध के अता० प्र० सं० 48 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 5-6-81 को गांगेपुर की मुख्य आबादी से नदी की धारा की दूरी कितनी थी और इस समय कितनी है। कटाव को रोकने के लिए 5-6-81 से 15-9-82 के बीच क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि कटाव न रोके जाने के कारण गाँव की मुख्य आबादी को कटाव से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 5-6-81 को गांगेपुर मठिया की मुख्य आबादी से नदी की धारा लगभग 230 मीटर दूर थी और इस समय नदी की धारा की दूरी 160 मीटर है।

दिनांक 5-6-81 से 15-9-82 तक कटान रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

गांव की मुख्य आबादी को इस समय कोई खतरा नहीं है।

143—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[6वें मंगलवार मे अतारांकित प्रश्न संख्या-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के घोषित उद्योग विकास क्षेत्रों को वितरित ऋण

144—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के घोषित उद्योग विकास क्षेत्रों डिवाई, पहान, जहाँगीराबाद, गुलावठी में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सन् 80-81, 81-82 में व्यक्तिगत कितना ऋण वितरित किया और उसका कितना सही उपयोग हुआ है ? अगर नहीं हुआ तो उसमें क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बुलन्दशहर में घोषित उद्योग विकास क्षेत्र डिवाई, पहासू, जहाँगीराबाद, गुलावठी में वर्ष 1980-81 में 33 व्यक्तियों को रु० 6,14,400/- तथा 1981-82 में 10 व्यक्तियों को रु० 1,96,000/- का व्यक्तिगत ऋण वितरित किया गया था।

वर्ष 1980-81 में वितरित किये गये ऋण में से 13 व्यक्तियों ने रु० 2,38,000/- का सदुपयोग किया। शेष 20 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने सामान्य प्रबन्धक से अपना उद्योग/उद्देश्य बदलवाने का अनुरोध किया है तथा 12 व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं।

वर्ष 1981-82 में वितरित रु० 1,96,000/-की धनराशि में से 2 उद्यमियों द्वारा रु० 41,000/-का सदुपयोग कर लिया गया है। वर्ष 1981-82 में 3 व्यक्तियों को सितम्बर, 1981 एवं 7 व्यक्तियों को दिसम्बर, 1981 में ऋण वितरित किया गया था। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार 3 मामलों में सितम्बर, 1982 तक तथा 7 मामलों में दिसम्बर, 1982 तक सदुपयोग करना था। उक्त मामलों में सदुपयोगिता की जांच सम्बन्धित सहायक प्रबंधक कर रहे हैं जिनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

ब्लाक खैराबाद एवं परसेंडी में राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु दिया गया मुआवजा

145—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड, खैराबाद तथा परसेंडी में ऐसे राजकीय नलकूप कौन-कौन हैं जहां कृषकों की भूमि पर नालियां तथा पम्प हाउस बन चुका है परन्तु भूमि के मालिकों को उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? क्या सरकार उनको मुआवजा देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ब्लाक खैराबाद में 23 एवं परसेण्डी में 24 नलकूप निम्न विवरण के अनुसार ऐसे हैं जिनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है :—

| विकास खंड का नाम | नलकूपों का विवरण | | योग |
|---|---|---|---|
| खैराबाद | 48 | सीतापुर | |
| | 67 | ” ” | |
| | 80 | ” ” | |
| | 82 | ” ” | |
| | 96 | ” ” | |
| | 97 | ” ” | |
| | 99 | ” ” | |
| | 107 | ” ” | |
| | 108 | ” ” | |
| | 109 | ” ” | |
| | 111 | ” ” | |
| | 113 | ” ” | |
| | 118 | ” ” | |
| | 124 | ” ” | |
| | 131 | ” ” | |
| | 142 | ” ” | |
| | 158 | ” ” | |
| | 159 | ” ” | |
| | 160 | ” ” | |
| | 168 | ” ” | |
| | 177 | ” ” | |
| | 176 | ” ” | |
| | 175 | ” ” | 23 |

| विकास खंड का नाम | नलकूप का विवरण | योग |
|---|---|---|
| परसेण्डी | 97 सीतापुर | |
| | 101 " " | |
| | 116 " " | |
| | 117 " " | |
| | 121 " " | |
| | 123 " " | |
| | 127 " " | |
| | 128 " " | |
| | 132 " " | |
| | 135 " " | |
| | 136 " " | |
| | 137 " " | |
| | 138 " " | |
| | 139 " " | |
| | 140 " " | |
| | 147 " " | |
| | 151 " " | |
| | 161 " " | |
| | 164 " " | |
| | 167 " " | |
| | 162 " " | |
| | 172 " " | |
| | 173 " " | |
| | 179 " " | 24 |
| | कुल योग | 47 |

जी हाँ।

उपरोक्त नलकूपों पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है। यह कार्यवाही पूर्ण होने पर मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा।

## कार्य प्रभारित कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण व समस्याओं के निराकरण हेतु दिये गये निर्देश

146—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 2237/82 दिनांक 21-4-82 प्राप्त हुआ है जिसमें कार्य प्रभारित कर्मचारियों के अन्दोलन के कारण उनकी समस्याओं का निराकरण करने का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

5/11

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां

आन्दोलनकारियों के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को 11-6-82 को ही शासन द्वारा निर्देश भेज दिये गये थे तथा प्रश्नकर्त्ता विधायक महोदय को शासन के पत्र संख्या 3362 ए० एन/82-23-सि०-7, (2) 32, दिनांक 14-7-82 द्वारा अवगत करा दिया गया था।

अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर को प्राप्त प्रार्थना पत्रों में की गई संस्तुति एवं कृत कार्यवाही

147—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 81 से 30 जून, 82 तक प्रश्नकर्त्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता (शारदा सिंचाई) को आवेदन पत्र देकर किन-किन निर्माण कार्यों को कराने की संस्तुति की गई तथा उनके निर्माण की प्रगति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 30 जून, 1982 तक विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर प्रखण्ड, शारदा नहर के यहाँ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

उनमें की गई संस्तुति एवं कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 596 पर)

लखनऊ में गोमती बांध हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि

148—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1972 में लखनऊ में गोमती बांध के लिए जो भूमि मोहन मीकिन्स, इदारत नगर डालीगंज, लखनऊ की अधिग्रहीत की गयी थी वह स्कीम बदल जाने से कुछ भूमि वापस कर दी गयी ? यदि हां, तो प्लाट नं0 607 वापस न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कोई भूमि वापस नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नैनीताल रज्जू मार्ग के निर्माण कार्य की प्रगति एवं लागत

149---श्री बिहारी लाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल नगर में जो रज्जु मार्ग स्वीकृत हुआ है उसके बनने में क्यों विलम्ब हो रहा है ? उसके निर्माण में कितनी लागत आवेगी और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा और उससे स्थानीय जनता को क्या लाभ होगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

नैनीताल रज्जु मार्ग का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 137.11 लाख रु० है। यह मार्च, 1984 तक यात्रियों के लिये खोल दिया जायेगा। यह रज्जु मार्ग पर्यटकों के लिये आकर्षण होगा और पर्यटन में वृद्धि से स्थानीय जनता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।

नैनीताल जिले को स्वीकृत जमरानी बांध पर निर्माण कार्य

150—श्री बिहारी लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले की गोला नदी पर स्वीकृत जमरानी बांध पर अब तक कितना रुपया व्यय हुआ है ? इसके निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है तथा उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जमरानी बांध का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। बांध के लिये पहुँच मार्ग का निर्माण विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण तथा अन्य पूर्व निर्माण, अनुसंधान एवं अध्ययन के कार्य आरम्भ किये गए थे जिन पर नवम्बर, 1982 तक लगभग 142.36 लाख रुपये व्यय हुआ है। जमरानी बांध परियोजना हेतु गठित विशेषज्ञों की परामर्शदात्री समिति के परामर्श के अनुसार वांछित अध्ययन, अन्वेषण, परीक्षण, सर्वेक्षण एवं अन्य संचित डाटा के आधार पर सिंचन क्षमता एवं बांध की ऊंचाई का निर्धारण एवं विभिन्न प्रकार के बांधों का तुलनात्मक अध्ययन पुनः किया जा रहा है। योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन शीघ्र ही भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जायगा। मुख्य बांध का कार्य आरम्भ होने के पश्चात् सात वर्ष में इस कार्य को पूर्ण करना सम्भव होगा।

योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत विवरण प्रणाली के कार्य समाप्त हो चुके हैं जिनके स्वतन्त्र लाभ प्राप्त होंगे। प्रथम चरण पर हुआ व्यय उपरोक्त व्यय में सम्मिलित नहीं है।

कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डलों में प्राइवेट बसों हेतु वितरित किए गये परमिट

151—श्री बिहारी लाल—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में जो प्राइवेट बसों के नए परमिट वितरित किए जायेंगे उसमें पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्तियों को कुल कितने परमिट वितरित किए जायेंगे और क्या उसमें पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति (हरिजन शिल्पकार) के व्यक्तियों के लिए कोटे की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के प्राविधानों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए परमिटों में कोई आरक्षण संभव नहीं है। अतः कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डलों में प्राइवेट बसों के परमिट देते समय ऐसे व्यक्तियों को इसी आधार पर परमिट स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता।

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा 47 (1-बी) के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए बस परमिटों में आरक्षण का प्राविधान किया गया है जिसके संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

मुख्य अभियन्ता सरयू कुंवर पी० सी० सिंह द्वारा शारदा सहायक खण्ड-18 लखनऊ में किये गये विभिन्न कार्यों का निरीक्षण एवं जाँच रिपोर्ट

152—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राधेश्याम अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता के अ० शा० प० सं० 1377/कैम्प दशम (सी० का०)/सी० 20 (सामान्य) दिनांक 23 अगस्त, 1982 के अनुसार मुख्य अभियन्ता सरयू श्री कुंवर पी० सी० सिंह ने प्रश्नकर्त्ता के साथ

दिनांक 28–7-82 को शारदा सहायक परियोजना के खण्ड 18 द्वारा कराए गये कार्यों का संयुक्त निरीक्षण दि० 27–2–82 को किया गया ? यदि हां, तो निरीक्षण में क्या-क्या बिन्दु प्रकाश में आए उस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता सरयू की जांच रिपोर्ट क्या है ? तथा प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 30-8–82 जो सिचाई सचिव को दिया गया था, उस पर अब तक क्या कार्य-वाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27-2–82 को नहीं हुआ था, वरन दिनांक 28–8–82 को किया गया था। उक्त निरीक्षण के समय मुख्यतः निम्न बिन्दु प्रकाश में आये :—

(1) शारदा सहायक खण्ड–18 लखनऊ में किये गये विभिन्न मिट्टी के कार्य, खड़न्जा लगाना, अनियमित रूप से पतावर बेचने, ड्रेनों की सफाई, स्टोर के टिन शेड तोड़ने तथा जी० सी० शीटों को बाजार में बेचे जाने सम्बन्धी शिकायतें।

(2) जल भराव की समस्या।

(3) दो नये कदम पुलों का निर्माण।

(4) हरदोईया एस्केप तथा लोनी एस्केप पर ग्रामीण पुलों का निर्माण।

(5) दुलारमाऊ अल्पिका के हेड का कार्य।

(6) ग्राम चौरिया के लिये रैम्प का निर्माण।

(7) पोषक नहर के 173.00 किलोमीटर के दांये किनारे पर स्थित क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था।

उपरोक्त शिकायत सम्बन्धी बिन्दुओं पर जांच प्रगति में है।

सचिव सिंचाई को सम्बोधित पत्र दिनांक 30–8–82 में वर्णित अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का उल्लेख संलग्नक में दिया हुआ है।

( देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 597 पर। )

यात्री कर अधीक्षक की भर्ती हेतु पत्र पर निर्णय

153–-श्री राजकुमार राय––

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यात्री-कर अधीक्षक की भर्ती के सिलसिले में लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद ने वर्ष 1976 में कोई पत्र उ० प्र० परिवहन निगम को लिखा था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ड्रेनेज खण्ड प्रथम, बस्ती में बांधों के रखरखाव, पुनर्निर्माण तथा बचाव पर व्यय की गई धनराशि

154—श्रीमती गौरी देवी––

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती में वर्ष 1981–82 में बांधों के रख-रखाव, पुनर्निर्माण तथा बचाव के नाम पर करोड़ों रु ए खर्च किये गये ? क्या यह सच है कि इतनी धनराशि खर्च करने के बाद भी इस खण्ड के तीन हिस्से बांध सन् 81 की बाढ़ तथा इतने ही बांध सन् 82 की बाढ़ में टूटे या शोरी (सीपेज) हुआ ? यदि हां, तो सरकार क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

प्रश्नगत खंड में वर्ष 1981–82 में बांधों के रख-रखाव, पुनर्निर्माण तथा बचाव पर मानदण्डों के आधार पर आबंटित धनराशि का उपयोग किया गया है।

वर्ष 1981 में बस्ती जनपद में सभी प्रमुख नदियां, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बानगंगा, कूड़ा तथा घोखो अब तक के समस्त रिकार्ड से उच्च बाढ स्तर पर थी। तेरह विभागीय एवं पांच जमींदारी बांध-कुल 18 बांधों में से तीन काश्तकारों द्वारा काटे गये तथा केवल एक बांध क्षतिग्रस्त हुआ।

वर्ष 1982 की उच्चतम बाढ़ में ड्रेनेज खण्ड-प्रथम बस्ती का कोई भी विभागीय बांध नहीं टूटा। केवल एक जमींदारी बांध नदी के कटान के कारण क्षतिग्रस्त हुआ।

बांधों की क्षति का उत्तरदायित्व किसी भी अधिकारी पर नहीं आता है इसलिये किसी को भी दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

ड्रेनेज खंड, गोरखपुर के प्रथम उपखंड के सहायक अभियन्ता के कैश बुक में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

155--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ड्रेनेज खंड, गोरखपुर के प्रथम उपखण्ड के सहायक अभियन्ता के कैशबुक से सम्बन्धित वित्तीय अनियमितता को खण्डीय लेखाकार, ड्रेनेज खंड, गोरखपुर द्वारा माह फरवरी, 82 से अगस्त, 82 तक तीन बार अपने उच्चाधिकारियों के समक्ष लिखित प्रकाश में लाया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ? वित्तीय अनियमितताओं की जांच करके क्या सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर में बांधों के कटान व रिसाव (सीपेज) को रोकने हेतु व्यय की गई धनराशि

156--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद को इस वर्ष बाढ़ से बचाने के लिये आकस्मिक रूप से बांधों के कटान व रिसाव (सिपेज) को रोकने के लिये 15 जून, 82 से 15 अक्तूबर, 82 तक कितना धन खर्च हुआ है ? क्या यह सच है कि इन बांधों के कटान व सिपेज को रोकने के लिये विगत वर्ष 81 की बाढ़ में लगभग 45 लाख रुपया खर्च किया गया था, वही बांध इस वर्ष 82 की बाढ़ में भी टूटे व (सिपेज) रिसाव हुआ है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोरखपुर जनपद में बांधों के कटान व रिसाव (सिपेज) को रोकने के लिये 15 जून से 15 अक्टूबर, 1982 तक 31.02 लाख रुपया व्यय हुआ।

वर्ष 1981 की बाढ़ में लगभग 45.09 लाख रुपया व्यय किया गया था।

गत वर्ष जनपद के जो बांध टूटे थे इस वर्ष वह सुरक्षित रहे हैं। एक बांध माधोपुर बांध में गत वर्ष 1981 की बाढ़ में जहां भी सीपेज हुआ था इस वर्ष भी सिपेज हुआ जिसका कारण बांध के अन्दर सूराख होना प्रतीत होता है, परन्तु इससे बांध के सुरक्षित क्षेत्र को कोई हानि नहीं हुई।

करमैनी-बेलौली बांध, गोरखपुर के टूटने से ग्राम बेलौली को क्षति तथा बांध के निर्माण तथा बचाव हेतु व्यय की गई धनराशि

157--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि बाढ़ कार्य खंड गोरखपुर के अन्तर्गत करमैनी--

बेलौली बांध विगत 3 वर्षों से बेलौली ग्राम के पास एक ही स्थान पर लगभग एक किलोमीटर टूट जाता है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है और विगत तीन वर्षों से उसके पुनर्निर्माण व बचाव पर कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

करमैनी बेलौली बांध विगत तीन वर्षों से बेलौली ग्राम के पास एक ही स्थान पर लगभग एक किलोमीटर लम्बाई में नहीं टूटा ।

वर्ष 1980 तथा 1981 में नदी की धारा के परिवर्तन के कारण बांध बेलौली के पास अलग-अलग स्थानों पर क्रमशः 300 मीटर तथा 800 मीटर में क्षतिग्रस्त हुआ था । वर्ष 1982 में बाढ़ के पूर्व ग्राम बेलौली के निवासियों के द्वारा स्वीकृत रिटायर्ड बांध के समरेखन पर बांध न बनने देने के कारण यह नदी के किनारे बनाया गया ।

अत्यधिक बाढ़ से ग्राम को क्षतिग्रस्त होने की आशंका से ग्रामवासियों ने 1982 की बाढ़ में इसे नाले के समीप काट दिया ।

विगत तीन वर्षों में ग्राम बेलौली पर बांध के निर्माण पर रु० 1.60 लाख तथा बचाव कार्य पर रु० 0.30 लाख व्यय हुआ है ।

जनपद गोण्डा के गोण्डा डिपो, बलरामपुर डिपो में आय की कमी का कारण

158--श्री मसरूर जाफरी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के गोण्डा डिपो, बलरामपुर, डिपो में पिछले वर्षों के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में आय कम हुई है ? इसका मुख्य कारण क्या है ? क्या इस आय की कमी का मुख्य कारण डिपो मैनेजर, बलरामपुर एवं ए० आर० एम० गोण्डा हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री बल्देव सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रोथ सेन्टर ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के मुख्य नियम

159- श्री शंकर सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रोथ सेंटर ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के क्या नियम हैं और क्या इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने प्रोजेक्ट के लिए कार्य प्रारम्भ करने के लिए अथवा ऋण का उपयोग करने के लिए ऋण देने के बाद दो वर्ष का समय दिया जाता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्रोथ सेन्टर ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के मुख्य नियम निम्न प्रकार हैं :--

1--किसी एक इकाई को ऋण स्वीकृति की अधिकतम सीमा रु० 25,000/--है जो विशेष मामलों में रु० 50,000/-तक बढ़ाई जा सकती है ।

2--ब्याज की दर 10 प्रतिशत वार्षिक है परन्तु समय से अदायगी पर $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

3--रु० 25,000/-तक ऋण जिला उद्योग केन्द्र के सामान्य प्रबंधक द्वारा स्वीकृत किया जाता है । इससे अधिक ऋण की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा दी जाती है ।

4--ऋण वसूली की अधिकतम अवधि 8 वर्ष है ।

5—ऋण की वसूली ऋण देने की तृतीय वार्षिकी पर प्रारम्भ होती है।

ऋण नियमावली के नियम 18 के अनुसार ऋण की किश्त प्राप्त करने के पश्चात् उसका उपयोग एक वर्ष के अन्दर कर लेना चाहिये। परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक द्वारा उपयुंक्त मामलों में अवधि एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है।

जनपद फतेहपुर में निर्मित राजकीय नलकूप में डाली गयी पाईप लाइन व भुगतान

160—श्री इन्द्रजीत—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत क्षेत्र बिन्दकी में राजकीय नलकूप संख्या 156 बी० जी०, 157 बी० जी०, 152 बी० जी०, 126 बी० जी०, व 127 बी० जी० में कितने मीटर पाइप लाईन डाली गयी है और इसका भुगतान कितने मीटर का किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फतेहपुर में निर्मित राजकीय नलकूप संख्या 156 बी० जी० पर 1444 मीटर, 157 बी० जी० पर 1311 मीटर, 152 बी० जी० पर 810.30 मीटर, 126 बी० जी० पर 1631 मीटर एवं 127 बी० जी० पर 1701 मीटर लम्बी पाईप लाइन डाली गयी है और इतनी मात्रा का भुगतान किया गया है।

श्री बलराम सोनी, कोंच, जनपद जालौन को, जिला उद्योग केन्द्र, उरई द्वारा खाद्य तेल स्थापना हेतु दिया गया ऋण

161—श्री शंकर सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलराम सोनी को कोंच (जालौन) में जिला उद्योग केन्द्र, उरई द्वारा वर्ष 80–81 में किस कार्य के लिए कितना ऋण किस तारीख को दिया गया और इस ऋण की सुरक्षा और वापिस प्राप्ति के लिए विभाग ने क्या-क्या वस्तु कितने-कितने मूल्य की गिरवी रखीं ? क्या इनके सम्बन्ध में जालसाजी की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी ? और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री बलराम सोनी, कोंच जनपद जालौन को जिला उद्योग केन्द्र, उरई द्वारा विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत खाद्य तेल उद्योग की स्थापना हेतु दिनांक 26 मार्च 1981 को रु० 24,500/– का ऋण दिया गया है। उक्त ऋण की सुरक्षा के लिये श्री सोनी का निजी मकान मूल्य रु० 32,000/– बंधक रखा गया है। इस सम्बन्ध में कोई जालसाजी की लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुयी थी।

जालौन जनपद के कोंच नगर में औद्योगिक आस्थान के बनाने का निर्णय

162—श्री शंकर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में कोंच नगर में उद्योग स्थल बनाये जाने के लिये कब निर्णय लिया गया था, निर्माण कार्य कब और किससे प्रारम्भ कराया गया, कब तक वह निर्माण पूरा होना था और फिर कब तक पूर्ण हुआ, कितनी-कितनी लागत आई और कोंच उद्योग केन्द्र में 59 विकसित प्लाट किस तारीख को विभाग को आबंटन हेतु प्राप्त हो चुके हैं तथा आबंटन किस तारीख से किया गया है और किराये की दरें किस तारीख को कितनी-कितनी निर्धारित की गयी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासनादेश सं०-1002/18-2-208/77 दिनांक 14/18-2-78 द्वारा जालौन जनपद के कोंच नगर में औद्योगिक आस्थान के बनाने का निर्णय लिया गया। निर्माण-कार्य वर्ष 1979-80 में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर द्वारा प्रारम्भ कराया गया। निर्माण कार्य वर्ष 1980-81 के अन्त तक पूरा होना था किन्तु दिनांक 22-9-81 को पूर्ण हुआ। निर्माण पर रु० 8,21,336-65 व्यय हुआ। निगम द्वारा 30 मार्च, 1982 को इस औद्योगिक आस्थान का अधिकार उद्योग विभाग को सौंपा गया। आबंटन की कार्यवाही की जा रही है। मूल्य निर्धारण के पश्चात् विधिवत् आबंटन किया जायेगा। किराये की दरें अभी तक निर्धारित नहीं हो सकी हैं।

जिला उद्योग केन्द्र, उरई में व्याप्त भ्रष्टाचार और कोंच नगर में डी० आई० सी० लोन एवं ग्रोथ सेन्टर लोन के दुरुपयोग की जांच

163—श्री शंकर सिंह —

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकार श्री राधेश्याम दांतरे, कोंच (जालौन) का एक शिकायती पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 82 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया प्राप्त हुआ है जिसमें जिला उद्योग केन्द्र, उरई में व्याप्त भ्रष्टाचार और कोंच नगर में डी० आई० सी० लोन एवं ग्रोथ सेन्टर लोन के दुरुपयोग की ओर औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में शिकायत की गई है ? यदि हां, तो इसकी जांच कब और किस अधिकारी ने की तथा जांच आख्या शासन को कब प्राप्त हुई ? इस सम्बन्ध में यह भी जानकारी देने की कृपा करें कि शिकायतकर्त्ता को अपनी शिकायत सिद्ध करने का पूरा-पूरा अवसर दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। श्री राधेश्याम दांतरे के शिकायती पत्र पर संयुक्त निदेशक उद्योग, झांसी द्वारा जांच की गयी है और उस पर उन्होंने श्री दांतरे से अपने पत्र दिनांक 17 जनवरी, 1983 द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में साक्ष्य एवं कथन को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने का अवसर दिया है।

164—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा

तथा

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

[ स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ]

जनपद गोरखपुर के माधोपुर व हावर्ट बांधों पर ईंटों से सोलिंग का कार्य

165—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के माधोपुर व हावर्ट बांधों पर ईंटों से सोलिंग कराई गई है ? यदि हां, तो ईंटों की सोलिंग का कार्य किस अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता की देखरेख में किसके द्वारा कराया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत कार्य सर्वश्री होरा प्रसाद गुप्ता एवं सुशील कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता व श्री उमेश चन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता की देखरेख में सर्वश्री जावेद अहमद, लल्लू, मो०

कलीम, अरुण कुमार त्रिपाठी, सुधीर कुमार, बेचन प्रसाद एवं अशोक कुमार, ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया।

जनपद गोरखपुर में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण

166—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बताएगी कि गोरखपुर जनपद में वर्ष 80, 81, 82 में किन-किन व्यक्तियों को कितना ऋण प्रदान करके किस आधार पर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज लगाने की अनुमति प्रदान की गयी और उनके द्वारा कहां-कहां लघु उद्योग स्थापित किए गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर जनपद में जिला उद्योग केन्द्र और विकास केन्द्र योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में क्रमशः 607000 तथा 357000 रुपये ऋण तथा उद्योगों की स्थापना हेतु दिया गया जिनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ 598-599 पर।)

जनपद फतेहपुर में कार्यरत नलकूप

167—श्री इन्द्रजीत—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत स्टेट नलकूप कितने हैं और कितने कार्यरत हैं तथा जो कार्यरत नहीं हैं उनके कार्यरत न होने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

फतेहपुर जनपद में 31-12-82 की स्थिति के अनुसार 322 राजकीय नलकूप छिद्रित हैं। इनमें से 234 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं। जो नलकूप कार्यरत नहीं हैं उनमें 5 नलकूप असफल हो गया है। 34 नलकूपों के बी० एण्ड एल० फार्म उर्जीकरण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को भेजे गये हैं तथा 49 नलकूप निर्माणाधीन हैं।

जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत क्षेत्र बिन्दकी में नलकूपों का ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य और भुगतान

168—श्री इन्द्रजीत—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट नलकूप जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत क्षेत्र बिन्दकी में 156 बी० जी०, 142 बी० जी० व 138 बी० जी०, 152 बी० जी०, 85 बी० जी० व 40 बी० जी० में निर्माण कार्य किसने कराया और भुगतान किस कराया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप संख्या 156 बी० जी० के पम्प हाउस का कार्य श्री राम कुमार तिवारी ठेकेदार द्वारा, कच्ची नाली का निर्माण श्री राम बाबू ठेकेदार द्वारा तथा पम्पों का निर्माण श्री शिव नरायन ठेकेदार द्वारा किया गया है, जिनका भुगतान इन्हीं व्यक्तियों को किया गया है।

142 बी० जी० के साइफन व कच्ची गूल का निर्माण कार्य श्री राम सजीवन ठेकेदार द्वारा, कच्ची गूल श्री राम बाबू द्वारा, पम्प एवं रेगुलेटर का निर्माण कार्य श्री राजेन्द्र तिवारी ठेकेदार द्वारा एवं कच्ची गूल का कार्य श्री रमा शंकर ठेकेदार द्वारा और शेष श्री राम कुमार तिवारी द्वारा एव श्री राम आसरे द्वारा कराया गया है एवं उन्हें ही भुगतान किया है।

138 बी० जी० पर पम्प हाउस का निर्माण श्री राम कुमार तिवारी ठेकेदार द्वारा,

कच्ची गूल श्री गंगाचरन द्वारा, साइफन श्री शिवनारायन ठेकेदार द्वारा, कच्ची गूल श्री राम बाबू ठेकेदार द्वारा एवं शेष श्री राम आसरे एवं श्री राम कुमार तिवारी द्वारा निर्माण कराया गया है तथा भुगतान भी उन्हें ही हुआ है।

152 बी० जी० पर कच्ची गूल का निर्माण पम्प हाउस एवं रेगुलेटर का निर्माण कार्य श्री राम कुमार तिवारी द्वारा सम्पन्न कराया गया है तथा सर्विस रोड का निर्माण श्री राम शंकर द्वारा कराया गया है एवं भुगतान भी उन्हें ही हुआ है।

85 बी० जी० पर पक्की गूल का निर्माण कार्य श्री राम कुमार तिवारी द्वारा, पम्प हाउस श्री ओम प्रकाश द्वारा, साइफन और डिलीवरी टैंक श्री चन्द्र कुमार ठेकेदार द्वारा, साइफन और रेगुलेटर श्री ओम प्रकाश ठेकेदार से कराया गया है जिसका भुगतान उन्हीं को किया गया है।

40 बी० जी० पर गूल क्रासिंग एवं पक्की गूल के निर्माण कार्य श्री राम बाबू एवं श्री राम कुमार तिवारी ठेकेदार द्वारा कराया गया है, जिसका भुगतान उन्हीं को किया गया है।

## श्री भगवत स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड—15 गोरखपुर का निलम्बन

169—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री भगवत स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड–15 गोरखपुर को दिनांक 16–3–81 को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो निलम्बित करने का आधार क्या था ? क्या यह सच है कि दिनांक 22-5-81 को निलम्बन के आधार पर 6 आरोपों वाला पत्र उक्त अधिशासी अभियन्ता को दिया गया जिसका उत्तर उसने दिनांक 30–11–81 को जांच अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया और एक प्रति सिंचाई सचिव को भेज दिया था ? यदि हां, तो उसे अब तक (9 माह बाद भी) बहाल न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। श्री भगवत स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनहीनता, स्वेच्छा से अनुपस्थित रहना और अनुचित वेतन आहरित करना तथा कार्यप्रभारित अधिष्ठान में अनियमित नियुक्तियां करने के गंभीर आरोप हैं। श्री दीक्षित ने आरोपों का उत्तर 30-11-81 को दिया जो जांच अधिकारी को दिसम्बर 8, 1981 को प्राप्त हुआ। श्री दीक्षित के विरुद्ध एक अनुपूरक आरोप पत्र शासन के आदेश दिनांक फरवरी 8, 1982 द्वारा स्वीकृत किया गया, जो उन्हें जांच अधिकारी द्वारा मई 25, 1982 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजा गया है। दोनों आरोप पत्रों पर जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर श्री दीक्षित के मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

## सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं का स्थायीकरण

170—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के कितने अवर अभियन्ता दस वर्ष या अधिक समय से कार्यरत हैं और उनकी सेवाओं को अभी तक स्थायीकरण नहीं किया गया ? क्या सरकार इनके लिए भी सेवा नियमावली बनाकर उन्हें शीघ्र स्थायी करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में इस समय 220 सिविल तथा 205 यांत्रिक अवर अभियन्ता ऐसे हैं, जो दस वर्ष या अधिक समय से कार्यरत हैं और उनकी सेवाओं को अभी तक स्थाई नहीं किया गया है। इनके लिये सेवा नियमावली पहले से ही बनी हुई है, जिसके प्राविधानों के अनुसार स्थाई पदों की उपलब्धता तथा अवर अभियन्ताओं की इस हेतु उपयुक्तता के आधार पर इनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद जौनपुर के रामनगर भड़सरा ग्राम में नलकूप के मोटर की चोरी

171—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के धर्मापुर ब्लाक के रामनगर भड़सरा ग्राम में लगे नलकूप के मोटर को माह जुलाई, 82 में चोरी हो गयी थी ? यदि हां, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत नलकूप का मोटर दिनांक 19/20-8-82 को चोरी हो गया था। यह मोटर बाद में बगल के गन्ने के खेत में प्राप्त हुआ, जिसका तार चोर द्वारा निकाल लिया गया था। इस मामले की एफ०आई०आर० पुलिस में दर्ज करा दी गई। पुलिस की अन्तिम जांच रिपोर्ट तथा विभागीय जांच के उपरांत ही उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

तकनीकी खराबियों के कारण बेकार नलकूपों की संख्या

172—प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल के प्रत्येक जिले में अब तक कितने राजकीय नलकूप लगाये गये। उनमें से कितने तकनीकी खराबियों के कारण बेकार पड़े हैं ? क्या यह भी कृपया बतलायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1982-83 में प्रत्येक जिले में कितने-कितने नलकूपों को स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

झांसी मंडल के निम्नलिखित जनपद में स्थापित व तकनीकी खराबियों के कारण बेकार नलकूपों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| क्रम सं० | जनपद | कुल स्थापित नलकूपों की संख्या | तकनीकी खराबियों से बेकार नलकूपों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1— | झांसी | 33 | — |
| 2— | जालौन | 354 | 3 |
| 3— | बांदा | 327 | 4 |
| 4— | हमीरपुर | 332 | 2 |
| | योग— | 1046 | 9 |

वर्ष 1982-83 में छिद्रण हेतु उपरोक्त जनपदों में निम्नानुसार नलकूपों की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है :—

| क्रम | जनपद | नलकूपों की संख्या |
|---|---|---|
| 1- | झांसी | 11 |
| 2- | जालौन | 6 |
| 3- | बांदा | 25 |
| 4- | हमीरपुर | 10 |
| | योग | 52 |

बांदा नगर को केन नदी को बाढ़ से बचाने के लिए योजना

173—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि बांदा नगर को केन नदी की बाढ़ से बचाने के लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और कब तक उसे कार्यान्वित करने का शासन का विचार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

बांदा नगर को केन नदी की बाढ़ से बचाने के लिये लगभग 800 मीटर लम्बा बांध तथा निगनी नाले पर एक रेगुलेटर के निर्माण की योजना बनायी गयी है।

उक्त योजना की स्वीकृति के पश्चात् एवं धन उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी श्री गुलजारी लाल के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

174—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी श्री गुलजारी लाल के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शासन को प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र वर्ष 1981-82 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र वित्तीय वर्ष 1981-82 में शासन को प्राप्त नहीं हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य परिवहन निगम द्वारा स्प्रिंग लीव्ज का दिया गया आर्डर

175—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी० पी० गुप्ता प्रोप्राइटर, मेसर्स आटो स्प्रिंग सेल्स, 24-बी, सिंगार नगर, लखनऊ के प्रार्थना पत्र सहित श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 17-9-1982 को परिवहन सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र की मुख्य-मुख्य शिकायत क्या है और अब तक सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री डी० पी० गुप्ता प्रोप्राइटर, मेसर्स आटो स्प्रिंग सेल्स, 24बी, सिंगार नगर, लखनऊ

प्रदेश में शीत लहरी से क्षति तथा सरकारी देयों की वसूली से उत्पीड़न के सम्बन्ध 509
में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

का दिनांक रहित पत्र माननीय विधायक श्री राम आसरे वर्मा के पत्र दिनांक 13-9-82 के साथ परिवहन सचिव को दिनांक 18-9-82 को प्राप्त हुआ है। पत्र में मुख्य रूप से यह शिकायत की गयी है कि सन् 1976 की अन्तिम छमाही में लगभग 17 लाख रुपये के स्प्रिंग लीव्स की सप्लाई का आर्डर उ० प्र० राज्य परिवहन निगम द्वारा फर्म को दिया गया था जिसमें कुछ अंश की सप्लाई फर्म ने की और तभी बगैर कोई कारण बताये माल लेना बन्द कर दिया गया।

उक्त शिकायत प्रश्न के रूप में माननीय विधायक सर्वश्री राम आसरे वर्मा व कुंवर सिंह नेगी द्वारा अतारांकित प्रश्न सं० 17 के द्वारा पूछा गया है जिसका उत्तर अलग से दिया जा रहा है। किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

176--श्री नन्द किशोर सिंह--

[ 5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5 सूचनायें स्वीकृत हुई हैं और शेष को अस्वीकार कर दिया गया है। श्री खैरुल बशर, श्री मसरूर जाफरी एवं श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री सत्य पाल सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा और श्री सन्त बक्श रावत की सूचनायें स्वीकृत हुई हैं।

शहर कोतवाली, गोंडा की पुलिस द्वारा हजीजुल्लाह उर्फ कल्लू का अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मसरूर जाफरी—

मेरे जनपद गोंडा के अन्तर्गत थाना शहर कोतवाली की पुलिस द्वारा हजीजुल्लाह उर्फ कल्लू सब्जी फरोश को 19 जनवरी, 83 को दिन में लगभग तीन बजे बड़गांव स्टेशन से उठा लिया गया था। उस समय से अब तक उसका कोई भी पता नहीं लग पा रहा है जिससे उसके परिवार जन अत्यन्त चिंतित हो रहे हैं। सभी राजनैतिक दलों ने भी जन सभाएँ करके रोष व्यक्त किया है। पुलिस का कथन है कि धारा 34 के अन्तर्गत उसका चालान किया गया था और आधे घंटे के बाद ही जातीय मुचलका पर रिहा कर दिया गया था किन्तु जन साधारण में उसकी पुष्टि न हो पाने के कारण आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस निर्दोष व्यक्ति को पुलिस द्वारा मार कर कहीं फेंक दिया गया है।

सदन का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुये मांग करता हूँ कि जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्यवाही की जाय।

प्रदेश में शीत लहरी से क्षति तथा सरकारी देयों की वसूली में उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से आपका व सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अप्रत्याशित शीत लहरी ने इस वर्ष सारे प्रदेश को झकझोर दिया, सैकड़ों इन्सान, हजारों पशु तथा लाखों रुपये की फसलें बरबाद हो गयी। इसी समय यह सरकार अपने देयों, लगान, आबपासी, विद्युत देय, बैंकों के ऋण की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही कर रही है। जिला शाहजहाँपुर में प्रतिदिन अनेकों हरिजनों, गरीबों को या तो भूमि नीलाम होती है या तहसील की हवालात में गरीबो से पीड़ित जनता बन्द की जाती है। इस समय किसी भी फसल से कोई आमदनी नहीं है, आमदनी है तो केवल गन्ना से शाहजहाँपुर में रोजा व तिलहर की चीनी मिलें किसानों का गन्ना बहुत ही सीमित मात्रा में ले रही हैं और करोड़ों रुपये की बकायादार हैं ये मिलें। उधर उत्पीड़ित की कार्यवाहियों से जनता इस शीत लहरी में भी अपने बच्चों के तन को ढँक भी नहीं पा रही हैं, दूध तो दूर रहा सूखी रोटी नहीं दे पा रही है, दूसरी तरफ जिला प्रशासन व सरकार गरीब बकायादारों की नीलामी व गिरफ्तारी करवा रही है, इससे जनता में भीषण असन्तोष व्याप्त है। अतएव, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि सारे प्रदेश विशेष कर जनपद शाहजहांपुर में सरकारी देयों की वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही तुरन्त रबी की फसल तक बन्द की जाये। खेत में खड़े गन्ना व गन्ना परचियों को भी सरकार देयों की वसूली में स्वीकार करें।

गोरखपुर, जिले की महराजगंज तहसील में नरभक्षी शेरों का आतंक तथा मृतकों के परिवार वालों को क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आदरणीय सदन का ध्यान गोरखपुर जिले के महराजगंज तहसील के नेपाल सीमा से सटे उत्तरांचल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

गत दो माह से इस क्षेत्र में नर भक्षी शेरों ने आतंक मचा दिया है। आये दिन किसी न किसी गांव में नरभक्षी शेरों द्वारा आदमियों और मवेशियों की हत्या की जा रही है। गत 11-12-82 को पांच बैलों की हत्या एक शेर ने किया। 1-2-83 को गिरहिया गांव में भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख श्री शांतीशरण के 19 पशुओं की हत्या, 6-2-83 को अहिरोली गांव के भूतपूर्व प्रधान के भतीजे को दिन दहाड़े शेर ने मार डाला तथा उसी दिन एक शेर ने मिश्रोलिया गांव के 5 आदमियों को जान से मार डाला। चन्द दिन पूर्व चरगहा गांव के एक युवक को शेर ने मार डाला। इस गांव की कुछ महीनों की यह तीसरी घटना है। ऐसी ही दर्जनों घटनायें घटी हैं।

उक्त सारी घटनाओं की सूचना जिलाधिकारी गोरखपुर, मुख्य जन्तुपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा निचलोल और कोठीभार थानों को दी जा चुकी है लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्षेत्र में आतंक व्याप्त है। पूरे क्षेत्र का जनजीवन उद्वेलित है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय तथ्य को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से तुरन्त आवश्यक कदम उठाने की मांग करता हूँ। साथ ही मृतकों के परिवार वालों की क्षतिपूर्ति के लिये अनुरोध करता हूँ।

शासन की दोहरी परीक्षा नीति के विरोध में अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों द्वारा धरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसका विवरण निम्नवत है—

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष आगामी शिक्षा सत्र के लिये कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाओं को अब दोहरी परीक्षा नीति के अन्तर्गत परिवर्तित कर दिया है। इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरने की सम्भावना प्रबल हो गयी है। दोहरी परीक्षा नीति, अनिवार्य बीमा योजना, आवासीय भत्ता तथा मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का शासन द्वारा वेतन वहन न करना, शिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक को एल० टी० वेतन क्रम न देना, उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल में उसी प्रधानाध्यापक को प्रोन्नति न देना आदि विषयों को लेकर प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षक दिनांक 7-2-83 को शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर पर उनका घेराव किया और मांगों पर समुचित उत्तर न मिलने के कारण वार्ता के बाद शिक्षा मन्त्री के आवास पर शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना प्रारम्भ हो गया है।

जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा निकट होने के कारण जूनियर हाई स्कूलों के अध्ययनरत छात्रों एवं उनके अभिभावकों में गहरी चिन्ता एवं रोष व्याप्त हो गया है। यदि उपर्लिखित समस्याओं का समाधान न किया गया तो प्रदेश के हजारों छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे शीघ्र अध्यापकों की संदर्भित समस्याओं का निराकरण कर प्रदेश के हजारों छात्रों एवं उनके अभिभावकों में व्याप्त असन्तोष दूर करें।

## जनपद बलिया स्थित गंगा नदी के कतिपय घाटों की बिहार सरकार द्वारा नीलामी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सरकार के संज्ञान में लाकर समस्या के समाधान हेतु अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूँ कि दिनांक 10-2-83 को दिन में 2 बजे समहर्ता (कलक्टर) भोजपुर, बिहार के कार्यालय कक्ष में उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित गंगा नदी पर उजियार घाट भरौली एवं कोटवा घाटों की नीलामी का बिहार सरकार ने घोषणा की, है और यह घाट अवैधानिक ढंग से नीलाम किये जा रहे हैं। बलिया जिले में उजियार घाट के पास कोटवा नरायनपुर के पास गंगा नदी पर पुल बन गया है। पुल बन जाने के बाद उसके निकट घाटों का नीलाम अवैधानिक है, साथ ही साथ बिहार सरकार घाटों को जो उत्तर प्रदेश में स्थित में है की नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं है। इन घाटों की नीलामी में कुछ समाज विरोधी धनी परिवार के लोग अपने व्यक्तिगत लाभ में इन घाटों को बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों को मिलाकर लाखों रुपये का लाभ कमाना चाहते हैं। इन घाटों की नीलामी के पीछे देश के तस्करों का अवैधानिक ढंग से करोड़ों रुपयों का माल इधर से उधर करने का रहस्य छुपा हुआ है।

अतः लोक महत्व की इस साजिश को सरकार के संज्ञान में लाकर अविलम्ब हस्तक्षेप की मांग करता हूँ।

## नियम 301 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर ग्राम खुखंदू देवरिया में श्री ओमप्रकाश की हत्या 31 ता० को कर दी गयी, थाने के लोग वहां गये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं । इस सम्बन्ध में मैंने सूचना दी थी उसको आपने स्वीकार नहीं किया, इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह आप सूचना दे रहे हैं । आप कृपा करके बैठ जांय ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

आपकी व्यवस्था को मैं अव्यवस्था का स्वरूप मानता हूँ और उसके विरोध में सदन का त्याग करता हूँ । (श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार आपका आरोप लगाना उचित नहीं हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मेरे क्षेत्र ताड़ीखेत में विरोजा फैक्ट्री तीन महीने से बंद पड़ी है, मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है । मजदूरों को जेल में बन्द कर रखा है । मैंने माननीय मुख्य मन्त्री एवं सचिव महोदय को लिखा.....

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ आप कृपा करके बैठ जांय । आपकी सूचना नियमानुसार नहीं थी ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

हम आपका संरक्षण चाहते हैं, फैक्ट्री को चालू किया जाय....

श्री अध्यक्ष—

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं । आप बैठ जांय । (व्यवधान) आप जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा । बिना आज्ञा के बोल रहे हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

**[वहां से तमाम लोग आये हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है ।]

श्री अध्यक्ष—

आपने नियमानुसार नहीं दिया । दो सौ से अधिक शब्द उसमें थे जो चार सफे में लिखा है । मैंने शुरू में कह दिया कि वह स्वीकार नहीं हो सकता उस पर भी आप नहीं मानते हैं तो किस प्रकार चलेगा ।

## भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना थी जिस पर निर्णय दे रहा हूँ ।

श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा, ने दिनांक 8 नवम्बर, 82 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी । इस सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के द्वितीय मंगलवार को उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 71 का जो उत्तर माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा दिया गया था, वह जानबूझकर गलत दिया गया है । अपनी शिकायत के समर्थन में श्री

नोट :—[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रामस्वरूप वर्मा ने उक्त प्रश्न के विषय से सम्बन्धित एक अध्यापक के दिनांक 21–10–1982 के एक पत्र, जो कि माननीय सदस्य को सम्बोधित है, की फोटोस्टेट प्रति संलग्न की है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 64 में उपबन्धित है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना यदि किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो वह द्वि-प्रतीक होगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित सदस्य को प्रेषित की जायेगी। श्री वर्मा की उक्त सूचना की केवल एक ही प्रति प्राप्त हुई है, और उसमें कहीं यह उल्लेख भी नहीं किया गया है कि उसकी द्वितीय प्रति माननीय शिक्षा मन्त्री, जिनके विरुद्ध सूचना दी गयी है और जो इस सदन के सदस्य हैं, को भेज दी गयी है। इस प्रकार माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा की सूचना उक्त नियम 64 के अनुसरण में नहीं है। इसी आदरणीय सदन में विशेषाधिकार अवहेलना की एक सूचना उक्त नियम 64 के अनुसार न होने के आधार पर दिनांक 22 सितम्बर, 1981 को अग्राह्य की गयी थी। इसके अतिरिक्त प्रथम सत्र, 1982 के एक प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में 8 नवम्बर, 1982 को सूचना विलम्ब से दी गयी। अतः श्री वर्मा द्वारा अभिसूचित उक्त मामले को मैं सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ।

## अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 7 फरवरी, 1983 को सदन द्वारा पारित प्रस्तावानुसार अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :—

| | |
|---|---|
| (1) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय | 14 फरवरी, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक |
| (2) नाम-निर्देश पत्रों की समीक्षा की तिथि तथा समय | 15 फरवरी, 1983 को अपराह्न 3 बजे (सचिव विधान सभा के कक्ष में) |
| (3) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय | 18 फरवरी, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक |
| (4) मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो | 2 मार्च, 1983 को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा। |

2—उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

3—इन निर्वाचनों से सम्बन्धित नाम-निर्देशन पत्र आपको विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।

## कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय-निर्धारण का प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष—**

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 8 फरवरी, 1983 की बैठक में सदन के 14 फरवरी से 18 फरवरी 1983 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिशें की है :—

**फरवरी, 1983**

| | |
|---|---|
| **14 सोमवार** | वित्तीय वर्ष 1983–84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। |
| **15 मंगलवार** | (1) वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। |
| | (2) अपराह्न 5 बजे से— |
| | वित्तीय वर्ष 1983-84 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। |
| **16 बुधवार** | (1) वित्तीय वर्ष 1983–84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। |
| | (2) अपराह्न 5 बजे से इटावा और मुरादाबाद में कई व्यक्तियों की सामूहिक हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय पर डेढ़ घंटे की चर्चा। |
| **17 गुरुवार** | (1) वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। |
| | (2) अपराह्न 5 बजे से आजमगढ़ के वकीलों के ऊपर पुलिस ज्यादतियों के विरुद्ध वकीलों द्वारा हड़ताल किये जाने के विषय पर एक घंटे की चर्चा। |
| **18 शुक्रवार** | (1) असरकारी कार्य (अपराह्न 5 बजे तक) |
| | (2) वाराणसी स्थित प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई चोरी से नागरिकों में व्याप्त क्षोभ एवं असंतोष के विषय पर एक घंटे की चर्चा। |

**संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—**

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

**श्री अध्यक्ष —**

प्रश्न है कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना अभी अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दिनांक 3. 2. 1982 को श्री भीखालाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

अध्यक्ष महोदय, दिनाँक 3-2-1982 को श्री भीखालाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में श्री भीखालाल, सदस्य विधानसभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था, कि 13 अगस्त, 1981 को विषैले भोजन करने के उपरान्त इन लड़कियों की हालत खराब हुई जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 की मृत्यु 13 तारीख को, एक की 14 तारीख को और 1 की 15 तारीख को हो गयी।

इस प्रकार 4 लड़कियों की मृत्यु हो गयी। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन बालिकाओं का पोस्टमार्टम कराया गया और क्या इसके विसरा का मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ ? यदि हां, तो क्या उसमें विषाक्त भोजन खाने की रिपोर्ट आयी ?"

2--उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि केमिकल इक्जामिनर की रिपोर्ट है उसमें अभी तक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि वे विषैले भोजन से बीमार हुई थीं। हमने उस खाद्यान्न को जो स्टाक में था, जाँच के लिए भेजा है। वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और विसरा की रिपोर्ट होने पर ही यह तय हो जायगा कि वे बालिकाएँ विषैले भोजन से मरी हैं या अन्य किसी कारण से।

3--उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है--

"केमिकल एक्जामिनर की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। हमने उस खाद्यान्न को जो स्टाक में था, जाँच के लिए भेजा है। वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और विसरा की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही यह तय हो पायेगा कि वे बालिकाएँ विषैले भोजन से मरी हैं या अन्य किसी कारण से।"

4—मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 600 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1982

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1982, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में 2 फरवरी, 1982 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1982, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में 2 फरवरी, 1982 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1983*

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं नियम 123 (2) में इसका विरोध करना चाहता हूँ। 123 (2) में सदस्यों को पुर:स्थापन के समय उसका विरोध करने का अधिकार है। उसी के तहद में इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज एक ऐसा विधेयक यहां पर पुर:स्थापित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत बात तो की जा रही है सहकारिता की, लेकिन इसमें सहकारिता के मूल सिद्धान्त को ही दफनाया जा रहा है। सहकारिता का मूल सिद्धान्त यह है कि राज्य के नियन्त्रण से अलग एक स्वैच्छिक संगठन होना चाहिए। इसमें 30 जून तक चुनाव न होंगे तो प्रशासक नियुक्त होने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इसके लिए सरकार की ओर से 9 सदस्य इसमें नियुक्त किये जायेंगे और जिनको नामित करने का अधिकार सरकार को होगा।

इस तरह से सम्पूर्ण सहकारिता आन्दोलन को सरकार सरकारी शिकंजें में जकड़ने के लिए उद्यत है और उसके लिए ही यह एक काला विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सहकारिता में इसका जो पूर्व नियम है कि कौन सदस्य क्वालीफाइड होगा, उसकी अर्हताएँ दी हुई हैं जैसे कि कोई ब्लैक लिस्टेड सदस्य है तो वह नहीं चुना जाएगा। लेकिन आपने इसमें उस बन्धन को भी समाप्त कर दिया है। अर्थात् करप्ट, भ्रष्ट, आचरणहीन आदमी भी इसमें चुना जा सकता है। जिसने सहकारिता का कर्जा लिया हो और न दिया हो, उसके धन का गबन किया हो, उसके लिए भी कोई रोक नहीं होगी। अत: सरकार को इस विधेयक को पुर: स्थापित करके इस कलंक का भागी नहीं बनना चाहिए कि सहकारिता के ऊपर एक राजकीय अंकुश लगा दिया जाए।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर जैसा कि अभी राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा है इस बिल को सहकारिता के बिल को सहकारिता के बिल के रूप में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यदि सरकारी ऐक्ट या सरकारी नियमावली को देखा जाए तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चुनाव की तारीख, चुनाव का कार्यक्रम निश्चित करने का पूरा दायित्व रजिस्ट्रार के ऊपर होता है।

श्रीमन्, अगर वहाँ की प्रबन्ध कमेटी कोई तारीख बनाकर भेजती भी है, तो उसको रजिस्ट्रार जान-बूझकर समय नहीं निश्चित होने देते हैं। जब मान्यवर, समय निश्चित करने का दायित्व रजिस्ट्रार को है, तो यह बिल जो प्रस्तुत किया जा रहा है, यह बिलकुल गलत है। यह सहकारिता के सिद्धान्तों के बिलकुल विरोध में है।

*श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जहाँ तक इस विधेयक का प्रश्न है, इस वक्त अनुज्ञा माँगी गयी है जो

---

*फरवरी, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको ज्यादा सक्रिय बनाने की इसमें बात है। यह जो तमाम बातें माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कही है, यह उस समय कही जानी चाहिए थी, जब बिल पेश किया जाय। लेकिन अनुज्ञा के समय इसका कहीं प्रश्न नहीं उठता। यह तो नियमावली में कोई ऐसा नियम नहीं है और न इस सदन की ऐसी कभी भी प्रक्रिया ही रही है कि अनुज्ञा के समय इसे रोका जाय।

श्री अध्यक्ष—

जहाँ तक माननीय गुप्त जी का और माननीय दिवाकर विक्रम सिंह की आपत्ति का प्रश्न है, मैंने उनकी बातों को सुना और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री की बात को भी सुना। अभी तो इसको केवल पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा माँगी जा रही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी कि अनुज्ञा न दी जाय। जहाँ तक इस प्रकार के विधेयकों का सम्बन्ध है, यह इस सदन को पूर्ण अधिकार है किसी भी प्रकार के निर्णय लेने का और यदि किसी प्रकार की इसमें कमी रह जाती है, तो इसकी वैधानिकता के बारे में न्यायालय में भी जा सकते हैं। इस प्रकार के निर्णय पहले भी हो चुके हैं। इसलिए माननीय गुप्ता जी ने जो कहा है, उसको मैं अस्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करता हूँ।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मुझको 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(1) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना है, लखनऊ में गल्ला व्यापारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (2) श्री मोहन सिंह, श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री राम सागर की है, लखनऊ नगर के हुसैनगंज चौराहे पर संजय विचार मंच के कार्यकर्त्ताओं पर लाठीचार्ज तथा इन्हें गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में। (3) श्री हरगोविन्द वर्मा की सूचना है, जनपद सीतापुर में शारदा सहायक परियोजना द्वारा बनी नहर से उत्पन्न सीपेज समस्या के सम्बन्ध में। (4) श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना है, राज्य मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य द्वारा बलिया जनपद के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में। (5) श्री प्रदीप कुमार यादव की सूचना है, लखनऊ स्थित जवाहर भवन में एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा रिटायर्ड जज व एडवोकेट को पीटने के सम्बन्ध में। (6) इसी प्रकार की सूचना माननीय सरदार सिंह जी की भी है। (7) श्री भोखा लाल की

सूचना है, शासन तथा विद्युत कर्मचारियों के बीच हुए समझौते की शर्तों का शासन द्वारा पालन न किये जाने के सम्बन्ध में। (8) श्री हरिबंश सहाय और श्री नन्द किशोर सिंह की सूचना है, सलेमपुर तहसील देवरिया को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में।

9वीं सूचना श्री नन्द किशोर सिंह और श्री रुद्र प्रताप सिंह की, श्री वाचस्पति मिश्र प्राचार्य, रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी जिला बस्ती को जान से मारने का षड्यंत्र किये जाने के सम्बन्ध में है।

10वीं सूचना श्री रियासत हुसैन, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री मोती लाल देहलवी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री फखरे आलम, श्री मित्रसेन, श्री थम्मन सिंह और श्री भोखा लाल की 26-11-82 को एनेक्सी में पुलिस तथा कौंसिल हाउस गार्ड्स के बीच हुयी मारपीट के सम्बन्ध में है। इसी प्रकार की 11वीं सूचना जैसा मैंने ऊपर पढ़ी श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी, श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री परमाई लाल की है।

12वीं सूचना श्री विद्यासागर नौटियाल की आल इन्डिया रेडियो द्वारा विधान मन्डल की समीक्षा को केवल लखनऊ केन्द्र से प्रसारित करने के सम्बन्ध में है।

13वीं सूचना जनपद गोंडा में विकास खंड गैसड़ी तथा पचपेड़वा में खाद्यान्न के अभाव में भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में श्री अकबाल हुसैन तथा श्री सूबेदार सिंह की है।

14वीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह की सूचना थाना सरूरपुर जिला मेरठ के एक सब-इंस-पैक्टर तथा सिपाहियों द्वारा एक हरिजन को गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वह केवल इसकी ग्राह्यता के बारे में, एक व्यक्ति एक विषय पर, संक्षेप में 2 मिनट बोले। उससे अधिक की मैं आज्ञा नहीं दूंगा क्योंकि हमको सदन का समय भी देखना है और विचार करना है। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा कि कौन सी महत्वपूर्ण है और क्या किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने जो कार्य स्थगन की सूचना दी है उस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछली 30 तारीख से गल्ला व्यापारियों की हड़ताल चल रही है। उनकी केवल एक मांग है कि आर० एफ० सी० तथा एस० एम० आई० के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं सरकार उनकी जांच कराये। सरकार ने जांच कराने के बजाय व्यापारियों को जेल में डाल रखा है। स्थिति विस्फोटक हो गयी है, एक व्यक्ति जो जेल में है श्री ओम प्रकाश मिश्र उसके पिता का कल हार्ट फेल हो गया। वकीलों की हड़ताल है, जमानत नहीं हो रही है। सरकार केवल इसलिये जांच नहीं कर रही है कि भ्रष्टाचार का मामला एस० एम० आई० तथा आर० एफ० सी० के खिलाफ ही नहीं बल्कि हिस्सा ऊपर तक आता है, इसलिये जांच कराने के लिये तैयार नहीं है। गल्ला, तिलहन की दूकानें बन्द हैं जिससे चीजों का दाम बढ़ गया है, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। अब यह हड़ताल प्रदेश-व्यापी हो जा रही है। आज कानपुर में हड़ताल है। 11 तारीख को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में बन्द का आह्वान है। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और होने जा रहा है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करा दें।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं एक गंभीर विषय को आज उठाना चाहता हूँ। मान्यवर, 26 जनवरी को संजय विचार मंच के कार्यकर्त्ताओं के ऊपर बर्बर लाठी प्रहार हुआ और इस आदरणीय सदन के दो सदस्यों अकबर अहमद तथा सुरेश पालोवाल को 307 की गंभीर दफाओं में जान-बूझ कर गिरफ्तार करके बन्द किया गया है इस मंशा से कि वह सदन की कार्यवाही में भाग न ले सकें। यही नहीं, उनके परिवार के लोगों को, उनकी बहिन तथा भाभी से इस तरह का बर्ताव किया कि उसकी चर्चा करने और सुनने में अपने आपको शर्म लगती है। लखनऊ शहर के प्रशासन ने बहुत बुरा बर्ताव किया है। जिला जेल में संजय विचार मंच के कार्यकर्त्ताओं के साथ जो व्यवहार होना चाहिये वह प्रशासन का नहीं है और आज भी पुलिस की ओर से दो माननीय विधायकों को रिमांड देने में इसलिये विलंब किया जा रहा है कि वह अनिश्चित काल तक बन्द रहें। गिरफ्तार साढ़े तीन सौ और जेल में 274 को भेजा गया। बाकी के घरों की कुर्की करा रहे हैं। जो जेल के अन्दर हैं उन्हीं को नहीं बल्कि जिनके बारे में पता है कि यह संजय विचार मंच के कार्यकर्त्ता हैं उनके परिवारों का उत्पीड़न किया जा रहा है कि वह जेल में नहीं गये बल्कि फरार हो गये हैं। तो इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय के सम्बन्ध में जिसमें इस आदरणीय सदन के दो माननीय सदस्य जिसमें से सुरेश पालीवाल का नाम सत्ताधारी दल में लिखा है, 307 का मुकदमा उनके खिलाफ कायम किया गया है। तो एक ऐसा रवैया शासन का चलेगा कि जहाँ आलोचना होगी उनके खिलाफ़ 307 का मुकदमा कायम करेंगे.....

इस प्रकार आपराधिक भावना से बन्द करना यह ठीक नहीं है। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि इस आदरणीय सदन के महत्व को देखते हुये आप इसे अवश्य स्वीकार करें।

संसदीय कार्य मंत्री ( श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने जिस घटना का जिक्र किया है वह 23 जनवरी, 1983 को घटित हुई थी। मान्यवर, यह घटना उस समय हुई थी जब श्री अकबर अहमद लखनऊ आये थे। चारबाग स्टेशन पर एक भीड़ इकट्ठा हुई जो उन्हें लेने गयी थी। उसी दिन 26 जनवरी को रिहर्सल हो रहा था और शहर में दफा 144 लगी हुई थी। मान्यवर, उनसे अनुरोध किया गया कि स्टेशन पर कि जो आपका जुलूस जा रहा है चूँकि गणतंत्र दिवस में परेड होनी है उसका रिहर्सल आज हो रहा है, अतः आप अपने जुलूस को इस रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते से ले जायं। लेकिन उन्होंने इसरार किया कि वे इसी रास्ते से जायेंगे।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह बात सही नहीं है इसलिये इस पर चर्चा होनी चाहिये। इनको उनके नाम से इतनी अरुचि है कि ये उनके समर्थकों को जलील कर रहे हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

आज माननीय मोहन सिंह जी को स्व० संजय गांधी जी से बड़ी हमदर्दी हो गयी है। आप इस सदन के पिछले रिकार्ड को देखें तो मान्यवर ज्ञात होगा कि माननीय मोहन सिंह जी ने स्व० संजय जी के प्रति इस सदन में क्या-क्या कहा है। आज इतनी बड़ी हमदर्दी हो गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आज पूरा विवरण न दें, केवल ग्राह्यता के बारे में ही कहें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी इससे सहमत होंगे कि जहाँ तक गणतंत्र दिवस का सम्बन्ध है मान्यवर, उस परेड का रिहर्सल हो रहा था तो तमाम नागरिक जो पूरे प्रदेश के हैं उनका कर्त्तव्य हो जाता है कि उस मार्ग में जहां गणतंत्र दिवस के सम्बन्ध में परेड का रिहर्सल हो रहा है तो उस वक्त कोई बाधा उत्पन्न न करें । यह राष्ट्रीय महत्व की बात है । किसी का व्यक्तिगत या किसी पोलिटिकल पार्टी का जुलूस नहीं निकल रहा था । मान्यवर, उन्हें बताया गया कि उस रास्ते पर गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसरार किया कि वे उसी रास्ते से जायेंगे । मान्यवर, उस परेड में पुलिस, मिलेटरी के जवान, एयर फोर्स और सभी लोग थे ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलत तथ्य दे रहे हैं । उस समय मेरा बच्चा वहां मौजूद था । उसका उसमें इन्टरेस्ट नहीं था । लेकिन उसने सबसे पहले आकर मुझे बताया कि जुलूस द्वारा इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाते ही पुलिस ने उस पर लाठी प्रहार किया । सिर्फ इन्दिरा गाँधी मुर्दाबाद का नारा लगाते ही लाठी प्रहार शुरू हो गयी । यह सबसे पहले सूचना मेरे बच्चे ने दी । उस वक्त कोई रिहर्सल नहीं हो रहा था । मान्यवर, यह तय हो जाना चाहिये कि क्या उस वक्त परेड आ रही थी ।

श्री अम्मार रिजवी—

जब वे ट्रेन से उतर रहे थे उसी वक्त से नारे लग रहे थे हुसैनगंज के पास तक । मान्यवर, मेरी नेता विरोधी दल से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि मुझे पूरी बात कहने दें । स्टेशन से लेकर हुसेनगंज तक मान्यवर, इसरार करने के बाद यह लोग आये और उस वक्त लाठी चार्ज नहीं हुआ । नारे बराबर लग रहे थे । यह मान्यवर, कहते हैं बिल्कुल असत्य है लाठी चार्ज किया गया । बात उस वक्त थी जब उसी रास्ते पर इसरार किया गया । परेड गुजर रही थी । मान्यवर, कोई भी होता उसे उस वक्त रोकना था ।

[ 1 बजे अपराह्न ]

ताकि परेड का रिहर्सल हो सके । 157 आदमियों को गिरफ्तार किया गया । 157 रिहा कर दिये गये हैं, केवल 44 आदमी ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया है और जैसा नियम है वह जमानत के लिये चले गये हैं ।

श्री मोहन सिंह—

दफा 307 लगाया है ताकि जमानत न हो सके ।

श्री अध्यक्ष—

ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार यह कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार करने लायक नहीं है। जो कुछ भी इसमें किया गया वह ला एण्ड आर्डर को बनाये रखने और गणतंत्र दिवस की परेड के लिये किया गया। अतः इसको आप कार्यस्थगन में स्वीकार न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

खाद्य मन्त्री जी आ गये हैं, कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय खाद्य मन्त्री जी, आप गुप्त के प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

खाद्य तथा रसद् मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, जैसा गुप्त जी ने कहा पाण्डेगंज, याहियागंज, डालीगंज आदि जगहों की सभी दुकानें बन्द रहीं। वे खुली रहें या नहीं, लेकिन मैंने सचल दुकानों की व्यवस्था कर दी। आप जानते हैं, मैं समाजवादी हूँ। अगर सारे दुकानदार अपने व्यापार का मोह छोड़कर दुकानें बन्द कर देंगे तो सारे प्रदेश में खाद्यान के वितरण का सारा कार्य हम खुद करेंगे।

श्री खैरुल बशर—

तब तो सारा गल्ला चोरबाजारी में चला जायेगा अगर आपको प्रबन्ध मिल गया।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं देता।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, अगर सारे सूबे के व्यापारी किसी अनुचित मांग को लेकर हड़ताल करेंगे तो सरकार उनके सामने झुक नहीं सकती है। सारा प्रबन्ध हम खुद करेंगे, जैसा हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमने व्यवस्था की थी। माननीय नेता विरोधी दल से हमारी बात हुई। मैं समझता हूँ कि जो बात हुई है उसको गुप्त जी आदर करते हुये अपनी उत्साहवर्द्धकता को सीमित करेंगे। इसमें व्यापारियों की मांग का समर्थन करने की इनको आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

चूँकि मेरा नाम आया है इसलिये मैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्रीमन्, आज सुबह टेलीफोन पर मैंने वही बात खाद्यमंत्री जी से कही जो गुप्त जी कह रहे हैं। आपने कहा कि पहले वह वापस ले लें उसके बाद जाँच करा लूँगा। यह कह दें कि जांच करा लूँगा अभी वापस हो जाय।

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय नेता विरोधी दल से मेरी बात हुई थी। विरोधी नेता की बात मैं मानता हूँ।

लोकतन्त्र की पद्धति और परम्परा में जो मेरा विश्वास है, । माननीय गुप्त जी सबसे पहले हमारे पास आये थे । लेकिन जो बात आप चाहते हैं वह हम नहीं कर सकते हैं । दुकानदार बेईमान हैं और हो सकता है कि हमारे अधिकारी भी बेईमान हों ।

अगर माननीय नेता विरोधी दल के कहने पर उनके व्यापारी नेता हड़ताल वापस कर लें तो मैं मैजिस्टीरियल जाँच करा दूँगा ।

*श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, जनपद सीतापुर में शारदा सहायक नहर से उत्पन्न सीपेज की समस्या बहुत गम्भीर है । जो इस परियोजना द्वारा नहर बनी है उससे नहर के दोनों तरफ के 7–7 कि० मी० तक मकान गिर गये हैं । मैं तो समझता हूँ, सत्तारूढ़ दल के लोग भी प्रभावित हैं, अम्मार रिजवी साहब के यहाँ भी सीपेज का प्रभाव है । यह बहुत ही आवश्यक है । जो प्रमुख माँग है, उनका लगान माफ कर दिया जाय और जहाँ पर फसल नहीं उग रही है उन लोगों को फसल का मुआवजा 5 सौ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कम से कम दिया जाये और दूसरा जो उनके मकान गिर गये हैं, जानवर मर गये हैं, मन्त्री जी को भी मालूम होगा, जो घास वहाँ पैदा हो गयी है, जब जानवर उसे खाते हैं तो मर जाते हैं, हजारों जानवर मर चुके हैं, हाल यह है कि लोगों के घरों में रोटी नहीं पक रही है, गाँव के गाँव उजड़ चुके हैं । हजारों परिवार इधर-उधर भाग रहे हैं । इतना आवश्यक है कार्य-स्थगन के लिए कि इस पर चर्चा हाउस में करायी जाये और सरकार से यह आश्वासन लिया जाये कि लगान माफ कर दिया जायगा और गरीबों, भूमिहीनों को, उनको फसल का मुआवजा दिया जाये । मजदूर टाइप के जो हरिजन हैं, वे निश्चित रूप से बरबाद हो गये हैं । खाना पकाने के लिए दाना तक नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन से चाहूँगा कि इस पर चर्चा चलायी जाये और वहाँ के लोगों को राहत दी जाये ।

श्री अम्मार रिजवी—

जो वर्मा जी ने समस्या रखी है, यह समस्या वास्तव में, इसमें शुबहा नहीं कि गम्भीर है और इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए वहाँ एक फ्लड डिवीजन ड्रेनेज सेल बनाया गया और जब माननीय मुख्य मन्त्री जी बिसवाँ गए थे तो जो सीपेज प्रभावित हैं उनका लगान माफ कर दिया जाये, कहा था । इसके अतिरिक्त वहां पर और भी कार्य किये जा रहे हैं लेकिन जो स्थिति बतायी गयी है, मैं समझता हूँ कि यह जरूरी है कि इस पर एक वक्तव्य आप स्वीकार कर लें ताकि सही बातें आपके सामने आ जायें और पक्ष-विपक्ष की बातें भी सामने आ जायें ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, राज्य मन्त्रि-मण्डल के माननीय सदस्य श्री बच्चा पाठक के गृह जनपद में एक अनोखा काण्ड 30 जनवरी को हो गया । बलिया के एक कोआपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को बुला कर मन्त्री महोदय ने अभद्र गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी । इसके विरोध में बलिया के 18 राजपत्रित अधिकारियों ने एक प्रस्ताव पास किया कि अगर मन्त्री जी बुलायें तो उस समय बहिष्कार किया जाये । तो जो मन्त्रिमण्डल के माननीय सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होते हैं, प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं और उनका, राजपत्रित अधिकारी, राजकीय कर्मचारी जो सारे प्रदेश के कार्यों का संचालन करते हैं, बहिष्कार कर दें तो इससे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनमें मन्त्री जो के विरुद्ध असंतोष भरा पड़ा है और एक तरीके से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में जब यह सरकार अपना काम धीरे-धीरे काम-चलाऊ गति से कर रही है, इससे सारा कार्य और कार्य की गति रुकी हुई है। इस गम्भीर प्रश्न पर मेरा आपसे निवेदन है कि आज कार्य स्थगित करके चर्चा की जाये। मैं कार्य स्थगित करके चर्चा की माँग करता हूँ।

**श्री अम्मार रिजवी—**

जब सूचना प्राप्त हुई थी उसी समय प्रयास किया गया था। हमारे पास अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। जिलाधिकारी को यहां से रेडियोग्राम गया कि पूरी जानकारी भेजें। जो भी जानकारी आयेगी आपके सामने रख दी जायेगी। कार्य-स्थगन की इसमें कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जो भी होगा आपके सामने आ जायेगा।

***श्री प्रदीप कुमार यादव—**

मान्यवर, एक लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी आजमगढ़ में पुलिस ने जो बर्बरता वकीलों पर और जजों पर की उसी का अन्जाम लखनऊ में भी हो रहा है। लोक सेवा अधिकरण का जो न्यायालय लखनऊ में जवाहर भवन में है, वहां के वकीलों को और जजों को सी०आई०डी० के सब-इन्सपेक्टर ने बुरी तरह से मारा। उसको लेकर न्यायालय में काम करने वाले जो वकील हैं उनमें क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया है। मान्यवर, यह एक लोक महत्व का प्रश्न है। आप सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें।

**श्री अम्मार रिजवी—**

इसकी जांच की जा रही है जो अधिकारी इस प्रकार के दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। यह प्रशासनिक मामला है। मैं समझता हूँ कि कार्य-स्थगन का यहां प्रस्ताव नहीं है।

**श्री भीखालाल—**

मैंने जिस विषय पर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है वह यह है कि आज रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में आधी रात से अंधेरा छाने वाला है। प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारियों ने, सभी संगठनों ने जिसमें सरकार द्वारा चलाये जा रहे संगठन भी शामिल हैं, नोटिस दे दिया है कि 8 और 9 की रात को 12 बजे से वे हड़ताल पर चले जायेंगे। सरकार तथा बिजली बोर्ड द्वारा उपेक्षापूर्ण रुख अपनाने के कारण मजदूरों ने विवश होकर हड़ताल पर जाने का फैसला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया। मजदूर अपनी मांग को रखते हैं कोई ध्यान नहीं देता है। 19 फरवरी, 1981 को मजदूरों ने एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर जाने की नोटिस दी। सरकार से कुछ शर्तों पर समझौता हो गया। मजदूरों ने सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हड़ताल वापस ले ली। उनकी मांगों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। 22 मई, 1982 को फिर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की नोटिस दी, फिर समझौता हो गया। मजदूरों का कहना था कि 18 फरवरी, 81 को जो समझौता हुआ उसका पालन किया जाय। समझौता हो गया। एक साल बीत गया अभी तक अमल नहीं हुआ। मजदूरों ने विवश होकर नोटिस दी है कि 12 बजे से पूरे प्रदेश में हड़ताल हो जायेगी। वह जानते हैं कि प्रदेश का नुकसान होगा। वह चाहते भी हैं कि प्रदेश की जनता को कष्ट न पहुँचे। आपको स्मरण होगा कुछ दिन पहले इन्जीनियरों ने हड़ताल की थी, मजदूरों ने विरोध किया था। उन्होंने अपने हाथ में लेकर उत्पादन को रुकने नहीं दिया था बल्कि बढ़ाया था। मजदूर विवश हुआ है सरकार की अकर्मण्यता के कारण। अभी तक सरकार ने दखल नहीं दिया, हड़ताल हो जायेगी तो मजदूरों और मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जायगा और फिर सरकार प्रतिष्ठा का प्रश्न बनायेगी कि पहले हड़ताल वापस लें फिर हम बात करेंगे। उसके बाद मजदूर संगठन यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बनायेंगे कि पहले हमें छोड़ दिया जाये फिर हम बात करेंगे। यह ऐसा गम्भीर विषय है जिसमें पूरा प्रदेश इनवाल्व होने वाला है। इसलिये यह कार्य-स्थगन का मामला बनता है, इस पर विचार होना चाहिये।

श्री अम्मार रिजवी—

जहां तक मजदूरों का प्रश्न है, माननीय भीखा लाल जी ने मजदूरों के प्रति जो हमदर्दी दिखाई है, उनके प्रति शासन की भी हमदर्दी है। मान्यवर, बहुत ऐसी चीजें हैं, वित्तीय कठिनाई उत्पन्न हो जाती हैं। उनकी हर बात नहीं मानी जा सकती परन्तु उनकी समस्याओं के प्रति सरकार पूरी तरह में जागरूक है। उनके वरिष्ठ नेताओं से वार्ता हो रही है कि यहां पर कार्य हो रहा है।

*श्री ऊदल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, मजदूरों के मामले में। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बहुत वित्तीय कठिनाई होती है, हर बात को नहीं माना जा सकता। भीखा लाल जी ने सवाल उठाया है वह मजदूरों को कुछ देने की बात नहीं है। पिछली बार आपकी गवर्नमेंट ने 1981 में जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इन्टरवीन कर समझौता किया था, 1982 में समझौता किया था, किन्तु उसे आप अभी तक लागू नहीं कर पाये हैं। तो मान्यवर, इस समय मजदूरों को कुछ देने की बात नहीं है, इसलिये मैं व्यवस्था का प्रश्न चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का मामला नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भोखा लाल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कोई निर्णय नहीं दिया। आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो सरकार ने अभी तक मजदूर संगठनों से बातचीत करने का क्या किया। हड़ताल वापस करने के लिये सरकार क्या कर रही है। ताकि पूरा प्रदेश अन्धकार में न आ जाय। इसलिये इस पर आज ही वक्तव्य दिलायें।

*श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, पिछले खरीफ के समय से सूखा पड़ा है। जिससे सलेमपुर तहसील में भी सूखा पड़ गया है और सरकार ने निकाला भी है कि 80 प्रतिशत सूखा पड़ा है। जो फसल बची थी वह शीत लहरी में समाप्त हो गई है। सरकार की तरफ से काम नहीं किया जा रहा है। न तो सरकार उपभोग की वस्तुओं का वितरण करा पा रही है और न ही गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जिले का यह एक भ्रष्टतम प्रिन्सिपल है। 10–10 हजार रुपये लेकर एडमीशन करता है। लड़के-लड़कियों को पीटता है। मैं चाहता हूँ कि इसकी उच्च-स्तरीय जाँच कराई जाय।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं इस घटना को नियम 56 में नहीं देता। यद्यपि दो दिन पहले इसी घटना से सम्बन्धित प्रश्न माननीय सदन में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में आया था। परन्तु उस प्रश्न में मेरा सवाल काउन्सिल हाउस गार्ड्स के सम्बन्ध में था। श्रीमन्, इस घटना की 2–3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। श्रीमन्, यह घटना 26 तारीख को साढ़े तीन बजे हुई थी। यह मामला सारे नेशनल और इन्टरनेशनल पेपरों में प्रिन्ट हो गया है तब इसकी इम्पार्टेन्स बढ़ी। उक्त काण्ड को लेकर आज तक, जिसे नीलम विद्या काण्ड के नाम से जाना जाता है, काउन्सिल हाउस गार्ड के 17 आदमियों को सस्पेण्ड कर दिया, जो आज तक सस्पेण्ड हैं। जिसमें से 13 काउन्सिल हाऊस गार्ड हैं और 4 सचिवालय के कर्मचारी हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने मरण-व्रत रखे हैं। इस व्रत को इस मन्त्रि-मण्डल के एक जाने-माने मन्त्री के आश्वासन पर उन लोगों ने तोड़ दिया है। हम चाहते हैं कि इस विषय पर या तो नियम 56 में चर्चा करा दें अथवा यह घोषणा कर दें कि जो लोग अण्डर सस्पेंशन हैं, जिनकी वजह से दिन पर दिन उन में रोष बढ़ता ही जा रहा है, उस सस्पेंशन को विदड्रा कर लिया जाए क्योंकि आपकी इस मामले में कई इन्क्वायरीज चल रही हैं, जब उसमें कोई रिजल्ट सामने आ जाए, उसके अनुसार फिर आप जो कार्यवाही उचित समझें उसे करें, इसलिए जो सस्पेंशन है, उसे यदि विदड्रा कर लिया जाए तो इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, कल जो हड़ताल वापस हो गयी, इसलिए इन्हें आश्चर्य हो रहा है। इस मामले में मान्यवर, सी० आई० डी० व मजिस्टीरियल इन्क्वायरी चल रही हैं, इस पर जैसा कि भाई रियासत साहब ने नोटिस दिया है कि उनके सस्पेंशन विदड्रा कर दिए जायं यह कैसे हो सकता है, इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया है, उसी के अनुसार मान्यवर, कार्यवाही होगी और वह सारी प्रक्रियाएं जारी हैं, इसलिए इस पर किसी प्रकार की कोई ग्राह्यता का प्रश्न नहीं उठता है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, निलम्बन की कार्यवाही तो स्थगित हो ही सकती है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी को समय नहीं दे रहा हूँ, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है, इसकी केन्द्र की रिपोर्ट मांगा ली जाए, जो वहाँ से छपी हुयी है, इसमें बहुत से अधिकारीगण सम्मिलित हैं, और बेचारा कर्मचारी मारा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर काफी हो चुका है, सभी लोग कृपया बैठ जाएँ।

श्रीराम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, हमें भी मौका दें हमारा दूसरा पहलू है, मा० रियासत साहब ने जो प्रस्ताव रक्खा है, हमारा उनसे भिन्न है, इसलिए हमने एक अलग से प्रस्ताव रखा है, उसमें मसरूर जाफरी व अन्य मा० सदस्यगण हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जो मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, अब तक इस पर बहुत बहस हो चुकी है। इसलिए आप कृपया बैठ जाएं और हमने श्री विद्या सागर नौटियाल साहब को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं यह चाहूँगा कि जब कार्य-स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित जिन मा० सदस्यों की सूचनाएँ हों, उन्हें अवश्य अवसर दिया जाना चाहिए अपनी बात को कहने का । हमारी सूचना 5 मा० सदस्यों के हस्ताक्षर से और उन्हें...

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

जहाँ तक आपके व्यवस्था के प्रश्न का सवाल है, वह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, इसलिए कि एक सूचना पर 1,2,3,4,5,6, इस प्रकार 11 व 12 मा० सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, तो क्या सभी को सुना जायेगा, क्या यह सम्भव है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

प्रस्ताव के संदर्भ मान्यवर, अलग-अलग हैं, हमारी सूचना जिस पहलू पर आधारित है, जिससे पूरा प्रदेश इस समय रोष में व्याप्त है ।

आप इस बात को स्वयं जानते हैं कि सचिवालय से सारे प्रशासनिक काम होते हैं और सचिवालय आजकल रैकैटियर्स का अड्डा बना हुआ है, उसमें बड़े-बड़े अधिकारी भी शामिल हैं और अधिकारियों के पापों की सजा कर्मचारियों और गार्डों को भुगतनी पड़ रही है । मा० मन्त्री जी ने कहा कि मैजिस्टेरियल इन्क्वायरी हो रही है । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिन कर्मचारियों को, गार्डों को निलम्बित किया गया है, तो क्या मैजैस्टेरियल इन्क्वायरी से कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर निलम्बित किया गया है या यों ही निलम्बित किया गया है ? स्वयं ही ससपेन्ड कर दिया गया है, यदि ऐसा किया गया है तो सदन की भावना है कि उन गार्डों के परिवारों को तबाह न किया जाय, उनके निलम्बन को तत्काल वापस ले लें और मैजेस्टेरियल इन्क्वायरी को चलने दें ।

(श्री विद्यासागर नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

पहले उत्तर तो दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

कोई आवश्यकता नहीं है, उत्तर आ चुका है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा——

(व्यवधान के मध्य)

*[आवश्यकता है । उनके परिवार तबाह हो रहे हैं ।]

श्री अध्यक्ष—

यह आप जो कुछ कह रहे हैं, कार्यवाही में लिखा नहीं जायगा ।

श्री रियासत हुसैन——

श्रीमन्, यह इतना बड़ा मैटर है । मा० मन्त्री जी के कहने पर उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त कर दी, मा० मन्त्री जी सस्पेन्शन क्यों नहीं समाप्त कर सकते हैं । मैं इसके विरोध में अपनी पार्टी के साथ सदन त्याग करता हूँ ।

[श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।]

श्री अम्मार रिजवी—

श्री राम आसरे वर्मा जी ने दो प्रश्न किये कि मैजेस्टेरियल इन्क्वायरी से पहले उनको क्यों सस्पेन्ड किया गया और सस्पेन्शन समाप्त करेंगे या नहीं । इस सम्बन्ध में प्राइमा फेसाई रिपोर्ट में जो चार्जेज पाये गये, उसके आधार पर सस्पेन्शन किया गया । निलम्बन वापस लेने का प्रश्न उसी समय उठता है जब मैरेस्टेरियल इन्क्वायरी समाप्त हो जाय । अगर उनके खिलाफ कोई चार्जेज नहीं होंगे तो बहाल कर दिया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मा० मन्त्री जी ने सदन को गुमराह करने वाला जवाब दिया है, आपसे संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ । इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूँ ।

[श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।]

श्री खैरुल बशर—

मन्त्री जी का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है । जब इन्क्वायरी चल रही है तो कोई औचित्य नहीं है कि उनको मुअत्तल किया जाय । मैं 5 मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूँ ।

[श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये ।]

**श्री विद्यासागर नौटियाल—

नियम 56 का जो प्रस्ताव मैंने रखा है, वह गम्भीर प्रश्न है । अभी तक की परम्परा

---

*नोट:—यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह थी कि सदन में जो हम 6 घण्टे बैठते हैं, उसको रिपोर्टिंग आल इण्डिया रेडियो से 5 मिनट में होती है, अब तक की परम्परा यह रही है कि यहां जो भी आल इन्डिया रेडियो रिपोर्टिंग करता है, 7-50 पर इसकी लखनऊ के अलावा बाकी जितने प्रदेश के रेडियो स्टेशन्स हैं, सब के सब रिले करते थे।

लेकिन अब आल इण्डिया रेडियो ने अपनी नीति बदली है। इसके बाद केवल लखनऊ स्टेशन से विधान मण्डल की समीक्षा रिले की जाती है, गोरखपुर, नजीबाबाद तथा वाराणसी से अब यह रिले नहीं किया जाता है, यह चीज परसों से शुरू हुई है। शायद श्रीमन् को मालूम होगा कि विधान मण्डल के अन्दर जो प्राधिकृत संवाददाता हैं उन्होंने विधान मण्डल की समीक्षा रिपोर्ट करने से मना कर दिया है, उन्होंने विधान मण्डल का बहिष्कार कर दिया है। इस माननीय सदन के अन्दर जो होता है, इसको पूरे प्रदेश की जनता को मालूम होना चाहिये कि यहाँ पर क्या हो रहा है। माननीय सदस्यों को भी अधिकार है कि उनके द्वारा यहाँ जो कार्य हों उसकी सूचना पूरे प्रदेश की जनता को मिले। गढ़वाल मण्डल के कई जिले ऐसे हैं—

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में अपनी बात को कहिये।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ कि गढ़वाल मण्डल के कई जिले ऐसे हैं जहाँ लखनऊ का एक भी अखबार नहीं पहुँचता है। अगर आल इण्डिया रेडियो से विधान मण्डल समीक्षा का प्रसारण बन्द कर दिया गया या नजीबाबाद से इसे नहीं प्रसारित किया गया और बैन कर दिया गया तो यह वहाँ के लाखों और करोड़ों लोगों पर बहुत बड़ा हमला होगा।

इसके उत्तर में हमारे माननीय मन्त्री जी कह सकते हैं कि यह तो केन्द्र का मसला है और इसकी बात यहाँ नहीं हो सकती है। इसलिये मैं इसकी ग्राह्यता पर बोल रहा हूँ कि जो आल इण्डिया रेडियो से प्रसारण होता है उसमें प्रदेश की सरकार का भी सहयोग होता है कि कहां कौन से प्रोग्राम प्रसारित होंगे और कहां नहीं किये जायेंगे। यह अधिकार केवल केन्द्र सरकार को नहीं है बल्कि इसमें इस प्रदेश का भी सहयोग हुआ करता है। अगर इस माननीय सदन की कार्यवाही को लखनऊ स्टेशन के अलावा किसी अन्य और स्टेशनों से नहीं प्रसारित किया जाता है तो लखनऊ स्टेशन की बात कहना ही क्या, लगाओ लखनऊ तो कैच करता है वाराणसी या नजीबाबाद। तो आपका लखनऊ स्टेशन भी उतना ही कमजोर है जितना कि आपके मुख्य मन्त्री जी कमजोर हैं। लिहाजा श्रीमन्, पूरे प्रदेश के अन्दर तमाम स्टेशनों के जरिये सदन की कार्यवाही को प्रसारित होना चाहिये, यदि ऐसा नहीं होता है तो यह हम लोगों के अधिकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस पृष्ठभूमि पर पुनः विचार कर लिया जाय क्योंकि विधान मण्डल समीक्षा का प्रसारण बन्द कर देना बिलकुल गलत है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय कौटियाल साहेब ने जो बात कही वह संविधान के 7वें शेड्यूल से संबन्धित है और हम भी उससे सहमत हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में केन्द्र सरकार से सम्पर्क स्थापित करेगी और पूरा प्रयास करेगी कि जो समय पहले प्रसारण के लिये मिलता था वह पूरा समय उस प्रसारण के लिये दिया जाय।

*श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैंने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है वह जनपद गोंडा में राप्ती नदी से संबन्धित है। राप्ती नदी में जल के अभाव में सिंचाई न हो सकने के कारण खरीफ की फसल कुछ नहीं हुई है, कुछ खाद्यान्न नहीं पैदा हुआ है। पिछली बार सूखा पड़ा और इस साल बाढ़ आ गयी। पूरे क्षेत्र में खाद्यान्न की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। गोंडा में दो आदमी भूख से मर गये हैं परन्तु यह सरकार खाने का इन्तजाम नहीं कर सकी तो इससे दुःखद और क्या बात हो सकती है।

इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि सभी जिलों में खाद्यान्न पहुँचा दिया जायेगा। शासनादेश के बावजूद वहाँ कोई खाद्यान्न नहीं पहुँचा है क्योंकि आपके सहकारिता विभाग में और खाद्य विभाग में, दोनों में कोई तालमेल नहीं बैठ पाता है इसलिये।....

वहाँ भुखमरी की स्थिति फैली हुई है। लोग पत्थर तोड़ कर रुपया तो ले लेते हैं, पर उस रुपये से उनको गल्ला नहीं मिलता है। इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप, आज की कार्यवाही रोक कर, कृपया चर्चा करा दें।

एक बात और कहना चाहता हूँ। तुलसीपुर में आपका खाद्यान्न पहुँचा है, पर आपके अधिकारियों और कर्मचारियों ने तथा जो सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर है उसने दूकानदारों से मिल कर अच्छे किस्म के माल को 300 रुपये क्विन्टल के भाव से बाजार में बेच दिया है और उसकी जगह जो सड़ा हुआ चावल उन लोगों को दिया जा रहा है उसका मैं नमूना लेकर आया हूँ, इसे मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मन्त्री जी के पास भेजना चाहता हूँ। इसके खाने से लोग बीमार हो जाते हैं। यह इतना सड़ा हुआ चावल है। इसको खाने से कई लोग बीमार होकर तुलसीपुर अस्पताल में भर्ती हैं। अतः माननीय मन्त्री जी ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही करें।

श्री वासुदेव सिंह—

गोंडा जिले में जनवरी और फरवरी में 25,123 क्विन्टल गेहूँ और 1066 क्विन्टल चावल भेजा गया है। यह हो सकता है कि स्टाक में इस समय न हो इसे मैं दिखवा लूँगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यह मानता हूँ कि जो वितरण के अभिकरण में कुछ गड़बड़ी है, उसकी शिकायतें आयी हैं, उसे हम देखेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मैं एक अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । जनपद मेरठ में एक छोटा सा गांव हैं अट्टा, यह थाना सहरपुर में है । इसकी 700 की आबादी है और इसमें कुछ हरिजन लोग रहते हैं तथा कुछ उच्च वर्ग के लोग भी रहते हैं । पिछला जो पंचायत का चुनाव हुआ उसके कारण वहां कुछ लोगों में मनमुटाव हो गया और पुरानी रंजिश के कारण भंवर सिंह की हत्या की गई । 24 जुलाई, 1982 को रामफल नाम के एक व्यक्ति ने जिलाधीश को एक पत्र दिया जिसमें यह मांग की कि उसके परिवार के लोगों की जान को खतरा है और स्थानीय पुलिस उच्च वर्ग के लोगों से मिली हुई है । पुलिस सब-इन्सपेक्टर अपने दो तीन सिपाहियों को लेकर 1–2–83 की शाम को 7 बजे लखीराम जाटव के मकान पर पहुँचते हैं और वहां इस मृतक भंवरसिंह को खींचने लगते हैं । जब वह छुड़ा कर भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार देते हैं और वह मर जाता है । यह इतनी गम्भीर घटना है कि इस पर चर्चा होना चाहिये । इसके पहले भी अगस्त, 82 में एक सत्य-प्रकाश नाम का व्यक्ति पुलिस के द्वारा मारा गया था । इस तरह की कितनी ही गम्भीर घटनायें हुई हैं जिन पर पुलिस द्वारा पर्दा डाला गया है । मेरा अनुरोध है कि आप कृपया इस पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत जिन माननीय सदस्यों ने अपनी 14 सूचनायें दीं, उनको मैंने सुना । मैं किसी भी सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकार नहीं करता हूँ ।

जो सूचना माननीय हरगोविन्द वर्मा की है उसके विषय को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

प्रदीप कुमार यादव के द्वारा दी गयी सूचना मेरे विचाराधीन है और नियम 51 के अन्तर्गत उन्होंने दिया है, शाम तक इस पर निर्णय हो जायेगा, इसीलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूँ । जो सूचना माननीय भोखालाल जी ने दी है उसके विषय को मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ।

श्री भोखा लाल—

वक्तव्य आज ही दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

जो सूचना माननीय भोतीलाल देहलवी जी ने दिया है उसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और बाकी जो सूचनायें मुझे मिली हैं उनको अस्वीकार किया है ।

## राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)*

**श्री रामगोविन्द—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था कि इस देश और प्रदेश में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ऐसे बहुत से कम मन्त्री हैं जो घूस नहीं लेते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भ्रष्टाचार के लिए कहा है कि हम इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। उनको पता चला है कि भ्रष्टाचार निचले स्तर पर भी व्याप्त हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से समाप्त हो सकता है, यदि मन्त्रियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाये। जब तक सत्तारूढ़ दल के विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, तो भ्रष्टाचार इस देश से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ला एन्ड आर्डर आप रोज देख रहे हैं।

(इससमय 1 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम सूरत उपध्याय पीठासीन हुए।)

ऐसा कोई जिला नहीं है कि जहाँ से रोजाना राहजनी, मर्डर, लूटपाट की घटनायें सुनने को न मिलती हों और यह कहते हैं कि बड़ी ही शांति पूर्वक सरकार चल रही है, यह तो जनता जानती है।

राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है उसमें इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर, लोकतन्त्र तभी मजबूत हो सकता है जब वहाँ के लोग शत-प्रतिशत शिक्षित हों। अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 9, 10 में तक वजीफा देने की बात तो कही है लेकिन राज्यपाल महोदय ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया है कि पूरे प्रदेश में इन्टरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। 65 प्रतिशत लोग आज भी निरक्षर हैं, जिन्हें पता नहीं कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है। उनको यह पता नहीं कि समाजवाद क्या है, पूँजीवाद क्या है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है। सरकार कम से कम इस बात की घोषणा करे कि इन्टरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। बेरोजगारी को दूर करने के लिये इन्होंने ग्रामीण बेरोजगार योजना का कार्यान्वियन किया है। ग्रामीण रोजगार में बी० ए०, एम० ए०, डाक्टर, इन्जीनियर, मिट्टी खोदने का काम तो नहीं कर पावेंगे। इस योजना के अन्तर्गत अनपढ़ मजदूर तो काम कर सकते हैं लेकिन पढ़े-लिखे लोग ऐसे बेरोजगार नवजवान जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनको रोजगार देने के बारे में राज्यपाल महोदय ने कोई भी घोषणा नहीं की है। श्रीमन्, हर साल बाढ़ और सूखे से लोग तबाह हो रहे हैं। बाढ़ में तो एक-दो किलो गेहूँ, माचिस आदि आप बांट लेते हैं परन्तु अंग्रेजों के जमाने से ही कानून के अनुसार बाढ़ पीड़ितों को कुछ सहायता का काम दिया जाता है और आज भी इस प्रदेश में सूखे से जो लोग पीड़ित हैं उनको सहायता के नाम पर कुछ भी आज तक नहीं दिया गया है और यह सरकार देने के काबिल भी नहीं रह गयी है और कहती है कि

---

*दिनांक 8 फरवरी, 1983 की कार्यवाही से।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके लिये कोई प्राविधान नहीं है कि हम सहायता कर सकें। मान्यवर, यह सरकार बहुमत से जीतकर आयी है संविधान में संशोधन करके सूखे से पीड़ित लोगों को, बाढ़ से पीड़ित लोगों की तरह सहायता देने का काम कर सकती है। कोई ऐसी प्राविधान की बात राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नहीं कही है। ये छोटे-छोटे गाँवों में मकान बनवा रहे हैं, सुअर और मुर्गी पालन के केन्द्र खोल रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो आज मूलभूत समस्यायें हैं जब तक उनसे निपटने का कार्यक्रम नहीं बनाया जायेगा तब तक इस प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है, अगर लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाना है तो जो भूखे हैं, नंगे हैं जिनके कपड़े फटे हैं जिनके पास रहने के लिये झोपड़ी नहीं है, उनके लिये इस प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से उन्हें ऊपर उठाने का काम किया जा सकता है। लेकिन इस सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है। प्रदेश में हर साल बाढ़ से तबाही होती है। 35 वर्ष से अधिक का समय हो गया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज तक कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया है जिससे हर साल आने वाली बाढ़ को रोका जा सके। ड्रेनेज की समस्या इस प्रदेश में है उससे निपटने के लिये राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कुछ भी जिक्र नहीं किया है। प्रदेश की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम, खसोटने का काम यह सरकार कर रही है। प्रदेश के अन्दर एक होड़ लगी हुई है कि किस तरह से हमारे जो मन्त्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी व्यक्तिगत पूँजी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और उसको जनसेवा का रूप वे देना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम गोविन्द—

इस तरह से प्रदेश की बरबादी हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री सोमांश प्रकाश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। मैं उनके अभिभाषण के समर्थन पर बोल रहा हूँ। मान्यवर, दो दिन से यहां पर चर्चा हो रही है और अधिकतर जो हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने तीन बातों को लेकर अपनी बात कही है। उनका कहना था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कानून व्यवस्था अस्त-व्यस्त है और यहाँ पर साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। इन तीन चीजों के बारे में लोगों ने यहाँ पर चर्चा की।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के बारे में मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज हो गई है जैसा कि हम कहते हैं कि ब्रह्म सब जगह है उसी तरह से भ्रष्टाचार भी सभी जगह व्याप्त है। इसके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये हम एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। मेरा विचार है कि जब तक हम यह नहीं देखेंगे कि इसमें गलती कहाँ पर हैं और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता है। दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं है। जो हम राजनीतिक व्यक्ति हैं उन्हें अपने में भी सुधार लाना होगा। अपने चरित्र को देखना होगा। जब हमारा चरित्र ठीक होगा तो कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर उंगली उठाने का अधिकारी नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इसे उचित नहीं समझेगा कि उसके ऊपर कोई उंगली उठाये। राजनीजिक जीवन एक खुली किताब होनी चाहिये जिसको हर व्यक्ति पढ़ सके और उस पर किसी तरह की उंगली न उठा सके।

मैं चाहता हूँ कि हम सभी संसद् सदस्यों और विधायकों के लिये एक आचार संहिता बनायी जाय जिससे कि हमारे कार्यक्रम हमारी कार्यप्रणाली को देखने का मौका मिल सके और जो हमारा राजनीतिक हनन किया जाता है उससे भी हम बच सकें। जैसे हम लोग आजकल एक दूसरे पर छीटा-कसी करते हैं। हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं और ब्यूरोक्रेसी हमारे खिलाफ बोलती है।

प्रजातन्त्र प्रणाली में इसके ये दो पहिये होते हैं एक तो हम राजनीतिक लोग जो हम सत्ता में आते हैं चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों दूसरे सरकारी कर्मचारी। यहां पर एक दूसरे पर दोषारोपण करके दोनों का तालमेल समाप्त हो गया है। इससे प्रदेश का कार्य नहीं चल सकता है। हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। उनकी कार्यप्रणाली से हम संतुष्ट नहीं हैं और हमारी कार्यप्रणाली से वह संतुष्ट नहीं है। कल माननीय श्यामलाल बाजपेयी जी जिक्र कर रहे थे। स्व० श्रद्धेय गोविन्द बल्लभ पंत जी का जिक्र आया तो उनके सामने इंगलैंड में पढ़े आई० सी० एस० अधिकारी काम करते थे उनका जो दबदबा था उसमें क्या मजाल थी कि कोई अधिकारी बात न माने।

हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी से हमें सीख लेना चाहिये। वह अगर कोई बात जनता से करने के लिए कहते थे तो उससे पहले वह उस चीज को अपने जीवन में उतारते थे। अगर उन्होंने खादी पहनने की बात कहीं तो पहले स्वयं पहनी और उसके बाद जनता के सामने कहने आये कि खादी पहननी है। आज हममें इतना आत्मबल नहीं रह गया है कि कोई बात जनता में कहें। हम खुद अपने आप को सही करें और भ्रष्टाचार के विरोध में लग जायँ तो हमारे अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो सकती है उसकी कोई हैसियत नहीं होती कि वह इस बात की हिम्मत कर सके कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार प्रदेश में हो सके।

मान्यवर, जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है, चूँकि समय कम है मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूँ 1978-79 में इस प्रदेश और देश के अन्दर जनता पार्टी का शासन आने पर जो अराजकता आई, जिसमें असामाजिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया और यहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी उससे आज कम है और 1980 में जब

हमारी सरकार आई उसमें हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का शासन आया तो वह उस समस्या से वे जूझे और उसमें उन्होंने अपनी बलि दी। आज हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने उस जलती हुई मशाल में घृत डाल कर डाकू समस्या को समाप्त कर दिया है। आप आंकड़ें उठा कर देख सकते हैं। ज्यादातर डाकू आज मारे गये हैं। जहां तक छुटपुट घटनाओं का सम्बन्ध है वे पुरातन काल से हमेशा होती आई हैं।

जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का सवाल है इस विषय में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ वे इस देश या प्रदेश में जहां भी हों हम सब लोग मिल कर उसे दबाने का प्रयास नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। राष्ट्रपिता बापु ने इसके लिए बलि भी दी है। हम चाहते हैं कि सब लोग इस देश में एकता से रहे, हर व्यक्ति चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी समाज का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो इस देश में भाई-भाई के रूप में रहे, हिन्दुस्तानी बन कर रहे। लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी ताकतों से मिलकर इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। श्रीमती गांधी के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं। जनता इस बात को समझ गयी है उन्होंने आंध्र और कर्नाटक में नंगा नाच ऐसे लोगों का देखा और उसी का परिणाम है कि उन्होंने दिल्ली में श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों को मजबूत किया, देश को मजबूत किया है और कांग्रेस को विजयी बनाया।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हमारे और सरकारी कर्मचारियों के बीच समन्वय की बात मैं कर रहा था। हम लोग अपनी सुख-सुविधा बढ़ा लेते हैं, मैं किसी सरकारी कर्मचारी की वकालत नहीं कर रहा हूँ हम जो हैं यहां पर बैठकर जब चाहते हैं अपनी सुख-सुविधा बढ़ा सकते हैं उसमें कोई आर्थिक संकट हमारे सामने नहीं आता है लेकिन जब प्रदेश के कर्मचारी लोग अपनी परिस्थितियां सामने रखते हैं तो हम आर्थिक संकट का जिक्र करते हैं। यह वही स्थिति है जैसे देश का पूंजीपति मजदूरों का गला काटता है, पूरी मजदूरी नहीं देता। और अपने लिये खर्च कितना कर दें इसको कोई नहीं देखता है जिससे वहां असन्तोष व्याप्त होता है। इसी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने को सुधारें और सभी को व्रत लेना होगा भ्रष्टाचार को दूर करने का। तभी जनता में जाकर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। इतनी बात मैं कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

धन्यवाद।

श्री भीखा लाल—

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने के

लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जब दोनों सदनों के संयुक्त सेशन में होता है, तो नीति सम्बन्धी वक्तव्य होता है, और उस अभिभाषण में उल्लेख होता है कि सरकार प्रदेश में क्या-क्या काम कर रही है। इस बात का भी उसमें उल्लेख होता है कि भविष्य में सरकार क्या काम करने जा रही है। धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस में, जिन नीतियों का उल्लेख राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है उनके सम्बन्ध में, जो कार्य शासन की ओर से किये जा रहे हैं या किये जाने वाले हैं उनकी कमजोरियों की ओर शासन का ध्यान हम विरोध पक्ष के लोग आकर्षित करते हैं। लेकिन मान्यवर, खेद का विषय है कि इतने महत्व पूर्ण विषय जिस पर चर्चा सदन में हो रही है और आज तीन दिन पूरे होने जा रहे हैं, मुख्य मंत्री एक मिनट के लिये भी सदन में नहीं आये कि वह सुन सकते कि हमारी नीतियों और क्रियाकलापों में कहां कितनी आलोचना हो रही है और क्या कमजोरियां हैं। मान्यवर, हमारे मंत्री कितने गम्भीर हैं कि कल आपने देखा होगा कि दो ऐसे अवसर आये जबकि कैबिनेट का कोई भी मंत्री यहां नहीं था, जब आपने आदेश दिया तो संसदीय कार्य मंत्री एक बार बाथरूम से और दूसरी बार लाबी में टेलीफोन कर रहे थे वहां से भाग कर आये, इसलिये धन्यवाद का प्रस्ताव और उस पर बहस को मंत्रिमण्डल कितना महत्व देता है इससे स्पष्ट है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 1981 की जनगणना के अनुसार हमारे प्रदेश में 46 लाख अनुसूचित परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं और शासन कोशिश कर रहा है कि 30 लाख परिवार छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से ऊपर उठें। इस वर्ष 9 लाख अनुसूचित परिवारों को ऊपर उठाने की योजना है। इसके लिये विशेष समन्वित योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनायें चलाई जा रही हैं।

अभिभाषण में दूसरा उल्लेख इस बात का है कि इस वर्ष से सरकार ने अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के आठवीं और नवीं कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना अनिवार्य कर दिया है।

अभिभाषण में तीसरा उल्लेख यह है कि गन्ना किसानों को 470 लाख रुपये जो बाकी था उसमें 440 लाख रुपया अदा कर दिया है और 30 लाख जो बाकी है उसके अदायगी की कोशिश की जा रही है।

अभिभाषण में चौथा उल्लेख यह किया है कि प्रदेश के निर्बल वर्गों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिये 37 विकास खन्डों में कार्य हो रहा है और अगले वर्ष 63 विकास खन्डों में विकास कार्य किया जायेगा।

अभिभाषण में पांचवां उल्लेख यह है कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक शिक्षा का प्रान्तीयकरण किया गया है। छठा उल्लेख यह है कि गेहूँ, धान की खरोद समर्थन मूल्य

में सरकार करेगी और सरकार प्रयास करेगी कि बाजार में इनका मूल्य बढ़ने न पाये। सातवां उल्लेख अभिभाषण में यह किया गया है कि पंचायतों के चुनाव करा दिये गये हैं और स्थानीय निकायों के चुनाव जल्दी कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। आठवां उल्लेख यह है कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को आवासीय सुविधा देने के लिये एक ग्रामीण आवासीय परिषद् का गठन किया गया है और उनको मकान देने के लिये कार्यवाही हो रही है। नवां उल्लेख उसमें यह है कि हरिजन बस्तियों को बिजली दी जा रही है। दसवां उल्लेख यह है कि प्रदेश में वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण योजना को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है।

[ 2 बजे अपराह्न ]

अब तक 22 करोड़ वृक्ष लगाये जा चुके हैं और अगले आने वाले वर्ष में 42 करोड़ वृक्ष और लगाये जाने की योजना है। आपकी यह योजनाएँ अच्छी हैं और स्वागत योग्य हैं, लेकिन प्रश्न इनके कार्यान्वयन का है। अगर एक-एक चीज को, योजना को कार्यान्वयन की कसौटी पर कसा जाये तो मालूम होगा कि अच्छी-अच्छी योजनाएँ किस प्रकार चल रही हैं और किस प्रकार नहीं चल रही है। सबसे पहले आप वृक्षारोपण की योजना को ही ले लें, उसकी बहुत बड़ी योजना है, जो सरकार चला रही है। यह योजना वर्ल्ड बैंक के पैसे से चल रही है, वह इसके लिये बराबर सरकार को पैसा दे रही है और उससे हमारे यहां 22 करोड़ वृक्ष लगाये गये हैं और आगे साल 42 करोड़ लगाए जाने का उद्देश्य है।

मान्यवर, हमारे देश में सड़कों के किनारे-किनारे वृक्ष लगाने की प्रथा बहुत पुरानी है। कौर्यकाल से ही इस देश में मार्गों के किनारे वृक्ष लगाए जाते रहे हैं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था कि ऐसे वृक्ष लगाए जाएँ, जिसमें फल हों, साया हो और ईंधन के लिए लकड़ी मिल सके। ताकि मार्ग पर आने-जाने वाले लोग उसके फलों का उपयोग कर सकें, उसकी शीतल छाया में बैठकर सुस्ता सकें और जब पेड़ सूख जाए तो लोग उसकी लकड़ी का ईंधन आदि के लिये उपयोग कर सकें। लेकिन अब इस उद्देश्य में एक नयापन आ गया है और वह यह है कि 98, 95 नहीं तो 90 प्रतिशत वृक्ष इस समय युक्लेप्टिस के लगाये जा रहे हैं। यह युक्लेप्टिस का वृक्ष कोई फलदार वृक्ष नहीं है, यह ऐसा वृक्ष है, जिसमें न फल है, न फूल है, न साया है, और न उसकी लकड़ी ही मकान बनाने के काम आ सकती है और न उसमें ईंधन ही अधिक होता है। हां, उसका एक फायदा अवश्य है, जो आप लोग कहना चाहते हैं, वह यह है कि युक्लेप्टिस से एक तेल निकलता है, जो वर्ल्ड बैंक के साथ हुये समझौते के अनुसार मल्टी नेशनल को सप्लाई किया जाता है जो उससे विभिन्न दवाएँ बनाते हैं। तो क्या हम मल्टी नेशनल कम्पनियों को कच्चा माल सप्लाई करने के लिये ही अपने देश में ऐसे वृक्षों का उत्पादन करें, जिसमें न फल है, न फूल है, न साया है, न इमारत योग्य लकड़ी है और न ईंधन के काम आने वाली लकड़ी है। यह सरकार भी बिल्कुल युक्लेप्टिस मार्का हो गई है। उसमें न कोई फल हैं, न फूल हैं और न किसी आदमी को ठंडक मिलती है और न किसी प्रकार की

सुविधा मिलती है। संक्षेप में इनकी नीतियों का सारांश यही है कि इनकी योजनाओं का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, कोई फल नहीं निकल रहा है, उससे किसी का कोई हित नहीं हो रहा है।

मान्यवर, गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, जिस वक्त देश आजाद हुआ था, उस वक्त गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का औसत 40 प्रतिशत था। जो कि आज 5 पंचवर्षीय योजनाओं के चलने के बाद-आज छठी पंचवर्षीय योजना चल रही है, आजादी के 35 सालों बाद अरबों रुपया खर्च करने के बाद देश के स्तर पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 60 प्रतिशत है और प्रदेश में 65 प्रतिशत है। तो हमारी पंच-वर्षीय योजनाओं में जो अरबों रुपया खर्च किया गया है, उसमें गरीबी रेखा के नीचे से लोग ऊपर नहीं उठाये जा सके। अब इसकी क्या गारन्टी है जो योजनाएँ हैं, जो चल रही हैं-चाहे एकीकृत विकास योजना हो, चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हो या अन्य कोई योजना हो, उनका अच्छा परिणाम निकलेगा। आज इनमें खुली लूट हो रही है। जो इनको कर्जा दिया जाता है भैंस या बैल खरीदने के लिये, तो इसके लिए जो तीन इकाई हैं—बैंक, ब्लाक और मवेशी अस्पताल, उसी में उसका काफी पैसा भ्रष्टाचार में बर्बाद हो जाता है। बैंक पैसा देता है, ब्लाक संस्तुति करता है और मवेशी अस्पताल का डाक्टर यह प्रमाणित करता है कि कि वह पशु खरीदने लायक है। तीन हजार रुपया भैंस या बैल उसको मिलना है तो दो हजार का माल मिलता है और एक हजार रुपया उसका विभिन्न एजेंसियों को कमीशन देने में चला जाता है। इस तरह से यह गरीबी रेखा के ऊपर कैसे उठेंगे। इनसे जब कर्जा वसूल होगा तो इनके मकान में जो है वह भी बिक जाएगा। भले ही कुछ हजार सरकारी कर्मचारी गरीबी रेखा के ऊपर उठ जायेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लेंगे।

मान्यवर, अगर आपको कोई दिलचस्पी है, तो भ्रष्टाचार को रोकिये। इसके लिए मंत्रियों के आकस्मिक दौरे होने चाहिए और इन गड़बड़ियों को रोकने का प्रयास होना चाहिए। यह जो कक्षा 8 और 9 के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गयी है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मान्यवर, छात्रवृत्ति के फार्मों के वितरण में काफी गड़बड़ी है। जो हरिजन वर्ग को फार्म दिये जाने चाहिये, वह पिछड़े वर्ग को दिये जा रहे हैं और जो पिछड़े वर्ग को फार्म दिये जाने चाहिये, वह हरिजन वर्ग के लोगों को दिये जा रहे हैं। तो मान्यवर, इस व्यवस्था को देखिये, यह फार्म छपवाने का काम डायरेक्ट्रेट का है। समुचित मात्रा में फार्म छपवायें ताकि छात्रों को कठिनाई न हो। मान्यवर, गन्ने के मूल्य के बारे में महामहिम राज्य-पाल ने कहा है कि तीस लाख रुपया पिछले साल का गन्ना किसानों का बाकी है मगर अभी कल कौंसिल में गन्ना मंत्री जी ने कहा है कि 33 लाख 79 हजार रुपया बाकी है। किसकी बात सच मानूँ ? चलिये मैं दोनों की बात सच मान लेता हूँ।

सरकार के जो सहकारी कर्ज हैं, उसमें सूद दर सूद लग जाता है, किसान को सब घर-गृहस्थी बिक जाती है। लेकिन किसानों के गन्ने के मूल्य के बकाये पर अभी तक तो किसानों को कोई सूद नहीं दिलाया जा रहा है। मान्यवर, जो चालू वर्ष की प्रथा है, गन्ने के मूल्य का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है और फिर करोड़ों रुपया किसानों का बाकी रह जायगा। मान्यवर, उसकी कोई भुगतान की व्यवस्था नहीं है। तो मान्यवर, यह चिन्ता का विषय होना चाहिये और किसानों को सूद दिया जाना चाहिये। मान्यवर, यह कहा गया है कि सरकार गेहूँ और धान की खरीद कर रही है और भविष्य में भी खरीद करेगी, समर्थन मूल्य पर और बाजारों के भाव बढ़ने नहीं देंगे। क्या सरकार अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकती है कि किसान को समर्थन मूल्य कभी दिलाया है।

पंतनगर में 136 रुपया लागत आता है, तो 130 रुपया किसानों को देने में क्या औचित्य है? मान्यवर, रोक लगा दी गयी कि कोई भी काश्तकार अपने जिले के बाहर गेहूँ नहीं ले जायगा। यह इसलिए किया गया, ताकि वह विवश हो जाय अपने स्थानीय जगहों पर अपना गेहूँ बेचने के लिये। वह गल्ला व्यापारियों को बेचा गया जो आढ़तियों की खत्तियों में पहुँच गया। आज कौन नहीं जानता है कि खुले बाजार में तीन रुपये किलो गेहूँ बिका है। आपके पास इतना भंडार नहीं है कि बाजार में बढ़ते हुए भाव रोक सकें। तो कौन सा प्रयत्न आप कर रहे हैं? आप अमेरिका से 197 रुपये में गेहूँ मंगा सकते हैं, लेकिन किसानों को 150 रुपया नहीं दे सकते। खाद्य मन्त्री जी हैं नहीं, अभी उन्होंने कहा जब नियम 56 का प्रश्न था, कि मैं पूरे गल्ले के व्यापार को अपने हाथ में लूंगा।

मैं तो कहता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ कि कांग्रेस कमेटी में 1959 में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि गल्ले के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जायगा। आज इतने वर्ष हो गये तो क्यों नहीं हुआ। बिचौलियों से जनता का और किसान का शोषण करा रहे हैं। बिचौलियों का मुनाफा बढ़ा रहे हैं। अगर बिचौलियों पर सख्ती की जाती है, तो वह हड़ताल कर देते हैं और सदन में उनके पैरोकार पैरवी करने खड़े हो जाते हैं। तो आप साहस करके क्यों नहीं गल्ले के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करते।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय सरकार असमर्थ है, गांव के विधायक लोग जानते हैं कि गांवों की क्या दुर्दशा हो रही है। किस तरह से लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। गांवों में 50 फीसदी परिवार हैं जिनको दोनों वक्त खाना नहीं मिलता है क्योंकि सरकार की वितरण व्यवस्था गाँवों में नहीं है। अगर पंचायत अदालत केन्द्र पर सस्ते गल्ले की दूकानें खोलें तो राहत हो सकती है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप वितरण व्यवस्था को और थोक व्यापार को अपने हाथ में नहीं लेंगे तो यह चोरबाजारी रुक नहीं सकती।

आपने आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ जो वहां के कर्मचारी हैं उनका प्रांतीयकरण

क्यों आपने नहीं किया, उनको वह सुविधायें नहीं मिल रही हैं जो सरकारी शिक्षकों को मिलती हैं। ऋषिकुल हरिद्वार के प्रिंसिपल रिटायर हो गये हैं लेकिन उनको पेंशन की सुविधा, ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं मिल रही है। तो यह दोहरी नीति क्यों है कि कालेज तो हमारा है लेकिन अध्यापक हमारे नहीं हैं। क्यों आप उनका प्रांतीयकरण नहीं कर रहे हैं और उनको सुविधा से वंचित क्यों रख रहे हैं।

मान्यवर, हरिजनों और निर्बल वर्ग के लिये आवास-व्यवस्था का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। रेडियो में, प्रादेशिक समाचार में यह ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि बड़ी व्यवस्था की जा रही है। अभिभाषण में भी कहा गया है कि व्यवस्था की जा रही है लेकिन मकान बनाने के लिये 1800 रुपया दिया जा रहा है। विकास खंड से दिया जा रहा है। जब उसको मिलता है तो बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० कहते हैं कि हमारा कमीशन 200 रुपया हो गया। तो इस 1600 या 1800 सौ में कितनी ईंट मिलेगी, और कितना मकान बनेगा। मान्यवर, सरकार छोटी-छोटी दूकानें बना रहीं है उनकी लागत 5 हजार रुपये आती है और आप हरिजन से कहते हैं कि 18 सौ में महल खड़ा कर लें। एक नक्शा भी आप देते हैं मकान के बारे में। तो यह मजाक मत करिये। इतनी सहायता अवश्य दीजिये कि ज्यादा तो नहीं कम से कम एक कोठरी अवश्य बन सके। 18 सौ में तो ईंट ही नहीं मिल पायेगी, खिड़की, दरवाजे, कड़ियों या स्लेप की बात छोड़ दीजिये। यह दूर की बात है। अगर आप चाहते हैं कि वह मकान बना सकें तो उनको उसी हिसाब से अनुदान दें।

दूसरी बात जिसका बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है वह हरिजन बस्तियों में बिजली देने के बारे में है। लाइन खींच दी है और जहां से हरिजन बस्तियां शुरू होती हैं वहां पर खंभे में एक बल्ब लगा दिया जाता है और रिकार्ड में लिख लिया जाता है कि बिजली दे दी गयी तो क्या हरिजन बस्ती को बिजली देने का यही मापदंड है। तो यह खानापूरी मत कीजिये। मान्यवर, पंचायतों के चुनाव जुलाई में पूरे हो गये। 6 महीने हो गये विकास समितियों और जिला समितियों का गठन नहीं हुआ। तिकड़म चल रहा है। सरकार जानती है और उसके पास रिपोर्ट आयी है कि अनेक विकास खन्डों में कांग्रेस का बहुमत नहीं है, वहां कोई और न अध्यक्ष हो जाय इसलिये बहुमत बनाने के लिये तिकड़में की जा रही हैं। विकास समितियों, जिला परिषदों के चुनाव होंगें यह विश्वास आज तक नहीं हो पाया है।

इस सदन में मैं माँग करता हूँ कि हमारे भाषणों के उत्तर में सरकार की तरफ से निश्चित रूप से घोषणा होनी चाहिए कि इस टाइम टेबिल के अनुसार विकास समितियाँ गठित होंगी, जिला परिषदों के चुनाव होंगे, स्थानीय निकाय, जो अभी तक अधिकारियों के हाथ में हैं, उनके चुनाव होंगे। मान्यवर, दो-एक बातें और कहना चाहूँगा। माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कुछ अच्छी बातों का उल्लेख किया, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसका उल्लेख बिल्कुल नहीं किया। आज प्रदेश में जीवन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार बुरी

तरह से व्याप्त है। महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार का नाम तक नहीं लिया, कोई चिन्ता ही नहीं व्यक्त की। कोई ऐसी योजना घोषित नहीं की जिसके द्वारा सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कोशिश करेगी। ऐसा हम सभी लोग मानते हैं कि हमारे देश और प्रदेश की गंगा, जमुना और शारदा ये पवित्र नदियाँ हैं। यदि इन नदियों का पानी गन्दा, जहरीला और दूषित हो जाय, तो इनकी जो शाखायें हैं, उनका पानी भी दूषित हो जायेगा। अगर इनकी शाखाओं को साफ करने की कोशिश की जाय और गंगा, जमुना और शारदा को साफ न किया जाय, तो वे शाखायें साफ और पवित्र नहीं हो सकतीं। इसी तरह से हमारे सामने जो अग्रिम पंक्ति के मन्त्री लोग बैठे है ये गंगा, जमुना और शारदा के समान हैं। यह आज गन्दे हो गये हैं, जहरीले हो गये हैं। इन लोगों के गन्दे हो जाने के कारण जो छोटी-छोटी शाखा निकली है और जो सिक्रेटेरियट की चहारदीवारी में बैठे हुए हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं, उनकी सफाई नहीं हो सकती है।

मान्यवर, इस सदन में चर्चा होती रहती है और आपको इसका अनुभव होगा कि जिलों में पुलिस कप्तान थानों में ऐसे विशेष आदमियों को इन्चार्ज नियुक्त करवाते हैं जो थाने से पुलिस कप्तान को माहवारी निश्चित रकम दें। थाने नीलाम होते हैं लेकिन मुझे हैरत हुई कि अब हमारे मन्त्रियों के पद भी नीलाम होने लगे हैं। हमारे प्रदेश के मन्त्रिमण्डल की टीम के जो कप्तान श्रीपति मिश्र हैं उन्होंने नहीं नीलाम किया उन गरीब को तो पता ही नहीं लगा होगा। मन्त्री पद नीलाम करने वाले आई० जी०, डी० आई० जी० तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी को जब आंध्र के चुनाव परिणामों से धक्का लगा और जब उनका भ्रष्टाचार की ओर ध्यान गया तो उन्होंने कह दिया कि आन्ध्र में जो दो मन्त्री बने हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। लेकिन जब वे यहाँ के मन्त्रिमण्डल की सूची पर हस्ताक्षर कर रही थीं तो उस समय क्या उन्हें माननीय नश्तर जी और माननीय यशपाल जी के बारे में पता नहीं था। ये वही दो मन्त्री हैं जिन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने मन्त्रिमण्डल से भ्रष्टाचार के आरोपों में निकाला था और यह फिर रख लिये गये। दिल्ली में बैठे आई० जी०, डी० आई० जी० ने इनसे लाखों रुपये लिये होंगे। मान्यवर, यह सब अखबारों में छपा है, किसी का साहस है कि वे इनका खण्डन करें और इन अखबारों पर अदालतों में दावा करें कि यह अखबारों में भ्रामक समाचार छपे हैं तो जब शारदा, गंगा और सरस्वती पवित्र नहीं होगी तो यह छोटी शाखायें कैसे पवित्र हो सकती हैं।

एक आखिरी बात का उल्लेख कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। दो मिनट का समय मुझे और दे दें। एक बात मेरे सामने आयी है और यह बात है हमारे प्रदेश की कैबिनेट स्तर की मन्त्री मा० स्वरूप कुमारी बख्शी के बारे में है। यह अपने पति के मरने के बाद अपने पति की सारी जायदाद हड़पना चाहती हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं और अपनी सौत को खून के आंसू रुला रही हैं। इनकी सौत ने माननीय मुख्यमन्त्री जी के यहाँ फरियाद की और उन्हें जेल जाना पड़ा। इससे भी श्रीमती बख्शी का पेट आज तक नहीं भरा

और अब ये हरिजनों की जमीन हड़पने लगी हैं। इस सम्बन्ध में मुझे आलम नगर, लखनऊ की रहने वाली एक हरिजन महिला का पत्र मिला है जो उसने मा० मुख्य मन्त्री को खुले पत्र के रूप में लिखा है। उसकी एक प्रति मैंने आपके पास भेज दी है। इस महिला का अपना पैतृक मकान है और उसके पड़ोस में इसके प्रति ने सन् 1951 में एक दूसरा भूखण्ड खरीदा था जिसमें वह मड़हा डालकर अपने जानवरों को पालती थी। पिछले अक्टूबर में राजाजीपुरम् के दरोगा को बख्शी जी ने आदेश दिया कि उसका मड़हा उखाड़ दिया जाय। उसका मड़हा उखाड़ दिया गया, उसकी नाँदें तोड़ दी गई। जब वह गरीब रोई-चिल्लाई तो दरोगा ने कहा हमने कागज देखा है मकान तुम्हारा है कब्जा तुम्हारा है लेकिन हमको नौकरी करनी है यह बख्शी जी का आदेश है। बख्शी जी से जब वह गरीब मिलने गई तो उन्होंने मिलने से इन्कार कर दिया। आज खुला पत्र माननीय मुख्यमन्त्री जी के नाम है। यह कसौटी का प्रश्न है। भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना चाहते हैं श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी अगर इसके लिये कुछ करना चाहती हैं तो देखिये क्या कदम उठाये जाते हैं। बख्शी जी के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। केवल कुछ व्यक्तियों की आलोचना करने से कुछ नहीं होता है।

पूरा मंत्रिमण्डल भ्रष्ट है और जो आई०ए०एस० अधिकारी हैं उनके खिलाफ विजीलेंस की रिपोर्ट है कि मुकदमा चलाईये। लेकिन यह मुकदमा चला नहीं सकते हैं क्योंकि अगर यह ऐसा करेंगे तो वह इनकी पोलपट्टी खोल देंगे। आज प्रदेश में नौकरशाही हावी हो रही है। जब प्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है, भ्रष्ट होता है तभी नौकरशाही हावी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मैंने जो आलोचना या सुझाव दिये हैं उनको आलोचना समझकर सरकार टाल न दे बल्कि अगर प्रदेश के लिये कुछ करना है और जरूरी कदम उठाना है तो इस पर ध्यान दें और कुछ करें।

*श्री सुरेन्द्र कपिल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। श्री राजेन्द्र त्रिपाठी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं पूर्णतया समर्थन करता हूँ और विपक्ष के नेता श्री राजेन्द्र सिंह जी से जो उन्होंने आलोचना और संशोधन रखा है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपनी बुजुर्गियत का ख्याल रखते हुए जनहित में उसको वापस ले लें और सर्वसम्मति से धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करें। माननीय भीखा लाल जी की आलोचना तो कुछ मेरी समझ में आयी क्योंकि वह ऐसी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं कि जब तक यहां खुदा और भगवान में लोग विश्वास करेंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा कि वह इस जिम्मेदारी को सम्भालें। उनकी पार्टी को यह जिम्मेदारी कभी नहीं मिली। लेकिन यह लोग जो ढाई साल तक इस कुर्सी पर बैठे रहे वह आलोचना करें तो मेरी समझ से परे की बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट कहा गया है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जो रास्ते उन्होंने दर्शाये हैं उनको सफल बनाने के लिये उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिये और उत्तर प्रदेश की जनता को ऊपर उठाने के लिये किस तरह से काम करना चाहती है, स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। लेकिन मान्यवर, इनका मस्तिष्क इतना संकीर्ण है कि इस किताब में क्या लिखा है उसको यह समझ ही नहीं पाते। इन लोगों के पास अध्ययन का समय ही नहीं है। इनका केवल एक काम रह गया है कि सरकार जो जनता के हित की बात करे उसका विरोध किया जाय। सन् 80 में कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में आयी तब से उठाकर देख लीजिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितनी दैवीय आपदाओं का सामना किया है। यह किसी से छुपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहीं अति-वृष्टि, कहीं सूखा और कहीं ओला, लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार ने अपने पूरे साधन का उपयोग किया जिसका यह परिणाम रहा। मान्यवर, दूसरी बात जो सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश के सामने है, केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सब जगह है, वह है बढ़ती हुई आबादी की। विरोधी दल के सदस्य इस बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं। जब हिन्दुस्तान की पब्लिक को इस बात के लिये समझाया गया तो यह कुर्सी और सत्ता प्राप्त करने के लिये दुष्प्रचार करते थे और इस तरह से देश को 50 साल पीछे धकेल दिया। आज हम परिवार को नियोजित करने के लिये पूरे जोर से लगे हुए हैं और हमारा यह रिकार्ड है कि हमने परिवार नियोजन के लिए नसबन्दी और दूसरे साधन जो अपनाये हैं।

गन्ने के मूल्यों की चर्चा हो रही है। किसानों के लिये विरोधी दल के नेता रोते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं लेकिन भूल जाते हैं जब आज के मुकाबले कुल चौथाई उत्पादन था, इनके राष्ट्रीय नेता चौधरी चरण सिंह ने, जब लोग उनके पास अपने खेत में आग लगवाने के लिए पहुँचे तो उन्होंने अपनी टोपी उतार दी और कहा कि यहां भी गन्ना बो दीजिये। आज चार गुना ज्यादा उत्पादन किया और यह रिकार्ड था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के नेतृत्व में कि कहीं भी गन्ना जलाने नहीं दिया।

किसानों के बकाये की बात कहते हैं। ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हमने चार सौ करोड़ का भुगतान किया है। कुल 70 करोड़ बचा है जब कि इन मिलों को जुलाई तक चलाने के लिये बाध्य किया गया। पिछले साल आखिरी दो महीने जबरदस्ती चलाने के लिये बाध्य किया गया और इससे 66 करोड़ का घाटा हुआ है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज प्रदेश की जनता गुमराह नहीं हो रही है, इनके भ्रमित प्रचार पर गुमराह नहीं हो रही है।

मान्यवर, ये बड़े खुश हुए थे, संशोधन में दिया था, आन्ध्र और कर्नाटक को देख कर लेकिन जब दिल्ली के अन्दर इनकी आशाओं पर तुषारापात हुआ तो चुप-चाप बैठे दिखाई दे रहे हैं। इनकी चलायी हुयी काम्पोनेन्ट प्लान्ट, ग्रामीण योजना, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, इन

लोगों ने सड़कें केवल कागज पर बनायी थीं और जमीन पर नहीं। हम आज उन्हें जमीन पर उतार रहे हैं।

गेहूँ के मूल्यों के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारा समर्थन मूल्य है। इसका मतलब होता है कि कम से कम इतना मूल्य हम देंगे। इससे अगर कहीं ज्यादा मिलता हो तो हम रोकते नहीं। कैसर पर जब गन्ना 40 रुपया कुन्तल बिकता था तो हमने उनको रोका नहीं। गेहूँ के मामले में भी वही पोजीशन है।

मान्यवर, आज हमारे सामने इसकी बहुत बड़ी चुनौती है। हर तीसरे और चौथे साल गन्ने की फसल का यही हाल होता है। इससे बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। उसके लिये अनुरोध है, सुझाव है कि कृषि को नियोजित किया जाये। जब तक कृषि नियोजित नहीं होगी तब तक यही समस्या हमारे सामने आती रहेगी। जब गेहूँ का दाम ज्यादा हो जाता है तो किसान गेहूँ ही बोता है और जब गन्ने के दाम बढ़ जाते हैं तो सारे किसान गन्ना ही बोते हैं। तो इसके लिये हमको नियोजन करना पड़ेगा। नियोजित कार्यक्रम चलाना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

एक मिनट दे दीजिये मान्यवर। विद्युत के बारे में एक प्रश्न यहां उठा है। विद्युत की दरें बढ़ी हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। विद्युत की दरें बढ़ने से किसानों और दूसरे उपभोक्ताओं के सामने परेशानी आई है। उत्पादन खर्च को देखें तो यह न्याय-संगत प्रतीत होता है। मेरा सुझाव है कि सेल्स टैक्स की चोरी रोक दें, आबकारी की चोरी रोक दें तो विद्युत की दरें बढ़ाने की आवश्यकता न होगी। मान्यवर, आपका आभार प्रकट करते हुए माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूँ।

*श्री फखरे आलम—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल द्वारा हम लोगों की तरफ से रखा गया है उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, राज्यपाल की तरफ से जो एड्रेस यहां पर पढ़कर सुनाया गया था उसमें हम इस बात की उम्मीद करते थे कि उन बातों की तरफ खासतौर से इशारा किया जायेगा जिन समस्याओं से यह प्रदेश, जिन हालातों में यह स्टेट गुजर रहा है लेकिन इस एड्रेस को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद यह महसूस हुआ कि जैसे कोई रोटीन एड्रेस लिये जाते हैं, वही हो गया। पिछले सालों में दिये गये अभिभाषणों से पैरा फ्रेजिंग करके यह रख दिया गया। वक्त को टालने की तरकीब कर दी गयी। उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए ला कानूनियत के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ती हुई चोरियों, डकैतियों, कानून को हाथ में लेने के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया। उम्मीद थी कि कानून-व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया जायेगा, इसके बारे में गवर्नर एड्रेस में हमें मार्ग-दर्शन मिलेगा। हम इस बात की आशा रखते थे कि कानून और अनुशासन की जो व्यवस्था खराब से खराब होती चली जा रही है उसको सुधारने की तरफ हमारे राज्यपाल महोदय कुछ इशारा करेंगे। हम इस बात की उम्मीद में थे कि उत्तर प्रदेश में न्यायालयों में जिस तरीके से काम को ठप कर दिया गया है, अदालतों में मुकदमों की सुनवायी नहीं हो पा रही है, आदमी इंसाफ के लिये बिलबिला कर भाग रहा है, उसको नहीं मिल पा रहा है, राज्यपाल महोदय कुछ मार्ग-दर्शन इस बारे में देंगे। हम इस बात की उम्मीद करते थे कि गरानी जो बढ़ती चली जा रही है, जो कमरतोड़ मँहगाई उत्तर प्रदेश में आ गयी है उसको खतम करने के लिये, उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिये राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात कही जायेगी। हमें अफसोस हुआ कि राज्यपाल महोदय ने इन बातों की तरफ ध्यान न देकर वह कहा जिसके कहने की जरूरत न थी। न ही किसी जानकारी की जरूरत थी।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कानून की यह हालत हो गई है कि पुलिस के हाथ में प्रशासन के हाथ में पूरा प्रदेश आ गया है। यह प्रदेश उस जगह पर पहुँच गया है कि अगर पीछे लाने की कोई कोशिश न की गयी तो उत्तर प्रदेश में कोई रूल आफ ला नहीं रह जायेगा, कोई सरकार नहीं रह जायेगी। उत्तर प्रदेश का राज्य पुलिस राज्य कहलायेगा। उत्तर प्रदेश के पुलिस राज्य की कई मिसालें आपके सामने आईं। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जो ने यह रेजूल्यूशन मूव किया है, उसमें राज्यपाल जी के एड्रेस पर धन्यवाद दिया जाता है। मैं उनको भी तवज्जुह दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि पी० ए० सी० और पुलिस ने जो बर्बरता और नंगा नाच महीनों मेरठ में किया, उसके बारे में राज्यपाल महोदय ने भी जरा ध्यान नहीं दिया। वह मेरठ जो महीनों आग में जलता रहा, वह मेरठ जहां इन्सानियत का नंगा नाच दिखाया गया, वह मेरठ जहां पी० ए० सी० और सिविल पुलिस ने वह जुल्म किया, जिनकी किसी भी तारीख में नजीर नहीं मिलती है। हमारे माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जो बताते, इसलिये कि वह उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व गृह राज्य-मन्त्री रहे हैं। उस समय उनके आगे-पीछे आई० जी० और डी० आई० जी० लाइन लगाकर खड़े रहते थे। उस समय आपको उनसे बात करने की फुर्सत नहीं थी। तो मैं यह चाहता हूँ कि राजेन्द्र त्रिपाठी जी इसके बारे में कहते। गरीबों के ऊपर, खासतौर से मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म पी०ए०सी० और पुलिस ने किया, उसके बारे में कहते।

सुन तो सही जहां में है तेरा फँसाना क्या,
कहती है कुछ को छलके खुदा गायबाना क्या।

आपने कुछ नहीं किया । सत्ता पक्ष के जितने एम० एल० ए० हैं, वे यह कह कर टाल देते हैं कि यह एक कम्युनल झगड़ा था । मैं यह पूछता हूँ कि कम्युनल झगड़ा क्यों होता है । क्या एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को मारती है, लड़ती है । मान्यवर, यह हिन्दू-मुसलमान झगड़ा नहीं है, हिन्दू मुसलमान को और मुसलमान हिन्दू को नहीं मारता है बल्कि आपकी पी०ए०सी० और सिविल पुलिस के लोग झगड़ा करवाते हैं और लोगों को मारते हैं । आप इसके जवाब देही हैं । आप हमें बतायें और इस सदन को जवाब दें कि मेरठ में यह किसने करवाया । आप इसके जिम्मेदार हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री इसके जिम्मेदार हैं, मैं उत्तर प्रदेश के शासन को इसके लिये जिम्मेदार करार देता हूँ । आपकी पुलिस लड़ रही है । यदि कोई एक हिन्दू और एक मुसलमान लड़ता है तो आप उसे हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा कहते हैं । मान्यवर, इन सबके बाद यह होता है कि आपकी पी० ए० सी० घर में घुस जाती है और लोगों को मारती है ।

मान्यवर, मैं एक वाकिया बताना चाहता हूँ कि मेरठ में एक बार एक आदमी के घर में पुलिस घुस गई, जहां उस परिवार में 7 बच्चे थे, जिसमें 6 बेटियां और एक बेटा था । उन्होंने उसके बेटे को मारना चाहा । तो मां ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी 6 बेटियों को मार दो परन्तु मेरे बेटे को मत मारो । मेरा सिर्फ एक बेटा है । पी० ए० सी० के जवानों ने इस बात को पसन्द नहीं किया और ऐसा जुल्म किया कि उसके बेटे को उसकी 6 बहिनों के सामने कत्ल कर दिया । उसकी मां से कहा कि अब इसके खून को पानी से साफ करो ताकि किसी को यह मालूम न पड़ पाये कि यहां पर कत्ल किया गया था । मान्यवर, मैं यह सवाल करता यदि यहां पर माननीय मुख्य मन्त्री होते, मैं यह सवाल करता यदि यहां पर संसदीय कार्य मन्त्री होते । मैं माननीय खन्ना जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरठ में जो जुल्म पुलिस ने किया उसके खिलाफ आपने क्या एक्सन लिया । उत्तर प्रदेश की जनता आपके खिलाफ है ।

मान्यवर, 'है खूने जिगर जोश में दिल खोल कर रोते होते जो कई बिदाए खूँना बाफिशीं और ।' तो जुल्म आज अपनी इंतिहा को पहुँच चुका है और मैं समझता हूँ कि जब जुल्म अपनी इंतिहा को पहुँच जाता है तो जुल्म का प्याला भर जाता है और जब जुल्म का प्याला भर जाता है तो जालिम और मजलूम दोनों एक जगह खड़े कर दिये जाते हैं । आज उत्तर प्रदेश सरकार उस रास्ते पर पहुँच चुकी है जहां पर किसी कमजोर, बेबस और कम हैसियत रखने वाले पर जुल्म पर जुल्म करते रहना और उन पर कोई एहसास तक न करना, इस हद को पहुँच चुकी है । आपका शासन क्या है, जिसकी हालत यह है कि अगर कोई आदमी किसी प्रकार की शिकायत करने के लिये थाने में जाता हैं तो सबसे पहले उसकी इतनी पिटाई की जाती है और उससे इतना ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलने की कोशिश की जाती है और यह डंके के चोट पर बात कही जा सकती है कि 70 फीसदी ऐसे टोटल मामले हैं, जिनकी शुरु में ही एफ० आई० आर० नहीं लिखी जाती है, जब वह लोग हर तरह से प्रार्थना करते भी रहते हैं तब भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

मान्यवर, हमेशा इस बात का हर दौर में यह सवाल रहा है कि देश के हर नागरिक के साथ खासकर गरीबों के साथ न्याय किया जाये, मगर इस उत्तर प्रदेश की सरकार में एक हद हो गयी, गरीबों के साथ बराबर अन्याय करते-करते, उनके साथ बराबर अन्याय हो रहा हैं, हर स्थान पर, हर मौके पर, आज यह स्थिति लास्ट वन पर पहुँच गयी है। सरकार की मान्यवर, यह नीति बतायी गयी कि वह काश्तकारों की साथी है और हर तरह की हमदर्दी का डंका पीटती आ रही है, मगर आप देखें कि बिजली के साथ रेट किसने बढ़ा दिये और दुहाई देते हैं उनके साथ भरपूर हमदर्दी की। मान्यवर, मा० अम्मार साहब अब आये हैं, जब मैं मेरठ में पुलिस व पी० ए० सी० द्वारा किये गये जुल्म पर कुछ हकीकत बयान कर रहा था तो आप उस वक्त नहीं थे, बहरहाल एक शेर सुनाता हूँ कि

"हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
खाक हो जायेंगे हम उनको खबर होने तक।"

मान्यवर, इस सरकार की एक बड़ी नीति यह कही जा रही थी कि मैनीफैस्टो में यह लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनायेगी, लेकिन इस तरह की कोई बात महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं कही गयी कि उर्दू इस प्रदेश की दूसरी सरकारी जबान बनायी जायेगी। मान्यवर, अगर सरकार की नियत साफ है, और ईमानदारी के साथ सही तरीके से काम करना चाहती है तो बिलकुल साफ तौर पर आप लैंग्वेजेज ऐक्ट में यह तरमीम कर दीजिये कि उर्दू भी सरकार की दूसरी जबान होगी।

अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं किसी वजह से घाटे की वजह से या लालच की वजह से तो आप साफ बताइए कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं भी करते हैं। आपके दो मन्त्रियों ने जो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के मन्त्रिमण्डल में थे और आज भी हैं, एक मेरे सामने भी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि उर्दू उत्तर प्रदेश की सरकारी जुबान नहीं बन सकती। तो यह वैसी ही बात हुई कि—

साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं,
खूब परदा है जो चिलमन से लगे बैठे हैं।

आप अपनी नियत साफ करके बता दीजिये आप क्या चाहते हैं।

आज यह हो रहा है कि गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है और जो माल-दार था, बढ़ता चला जा रहा है। आपने गरीब को आसानी पहुँचाने के लिये कहा कि फेयर प्राइस शाप होगी और सस्ती कीमत में गल्ला दिया जायगा। वह गल्ला सड़ा हुआ था। उसकी हालत क्या है। जो गेहूँ फेयर प्राइस शाप पर बिकने के लिये जाता है, आधा चोर बजारी में बिक जाता है। उत्तर प्रदेश को ज्यादातर दुकानें उन लोगों को दे दी गयीं, जो कोआपरेटिव सेक्टर के लोग हैं। अब वह लोग इम्प्यूनिटी के साथ चोरी कर रहे हैं। दिन में अपने हाथ पर चिराग रखकर चोरी कर रहे हैं। उनको यह डर नहीं है कि पकड़े जायेंगे। पहले जिनके पास

फेयर प्राइस शाप थी, डरते थे लेकिन यह नहीं डरते क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में चोरी कर रहे हैं। सरकार के लोगों को हिस्सा दिया जाता है।

मैं अपने जिले बदायूं के बारे में यह बता सकता हूँ कि फेयर प्राइस शाप पर आधा गेहूँ चोरबजारी में जाता है, उसका नफा किसे मिलता है, इसकी इन्क्वायरी सरकार करे। आजाद कुमार कर्दम को भी इसके बारे में मालूम है। इसीलिये मैं कहता हूँ कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी इस बात की जानकारी है। रुहेलखण्ड के मन्त्री राम सिंह खन्ना को भी जानकारी है कि चोरी कौन कर रहा है। यह चाहते हैं कि चोर को पकड़ें लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं।

अभी मा० भीखा लाल जी ने कहा कि कुछ लोग थे, जिनको निकाला गया, फिर ले लिया गया। मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के मन्त्रिमण्डल में कुछ लोगों को हटाया गया मन्त्रिमण्डल से, फिर इस बात की कोशिश हो रही है कि वे फिर मन्त्रिमण्डल में आ जायं। खन्ना साहब इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि खन्ना साहब बहुत बुजुर्ग साथी हैं, उनकी बात गलत नहीं हो सकती। लेकिन भ्रष्टाचार को फिर से लाने के इन्तजामात किये जा रहे हैं। भ्रष्टाचार करने वाला लाखों रुपया देने के लिये तैयार है, उसने सर को हथेली पर रख लिया है अगर ऐसे लोगों को मौका मिल गया तो फिर ईमानदारी कहां रहेगी।

हरिजनों के साथ जो ज्यादती हो रही है, वह उस दर्जे पर पहुँच चुकी है जिससे और ज्यादा नहीं हो सकती। न मकानों की सुविधा है, न पानी की सुविधा है। जो निर्बल वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको जो जमीनें बांटी गयी हैं उस पर वे लोग मेहनत करके फसल पैदा करते हैं और जब फसल पैदा हो जाती है तो दूसरे लोग लाठी और डन्डे के जोर से उसे अपने घर उठा ले जाते हैं। तो मान्यवर, यह हालत है जिससे कि हम दो-चार हो रहे हैं। मैं जरूरी समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मौजूद शासन में सुधार लाने के लिये, उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा पहुँचाने के लिये यह जरूरी है कि जो संशोधन मैंने रखे हैं इस पर विचार किया जाय और इसको पारित किया जाय।

श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। मैं राजेन्द्र त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। जहाँ तक आज हमारी राज्य सरकार, हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के संकल्पों के अनुसार सर्वांगीण प्रगति कर रही है। जहाँ एक तरफ हमने देश में व प्रदेश में श्रम की महत्ता को अंगीकृत बन्धुआ मजदूरों को मुक्ति दिला रहे हैं, हमने उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति की है और कर रहे हैं। आज खेतों और खलिहानों में अनाज का उत्पादन हो रहा है जहाँ पहले चारों तरफ अशान्ति का वातावरण छाया हुआ था, वह अब समाप्त हो गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन सारी चीजों के बावजूद जो कि श्रीमती इन्दिरा

गांधी के संकल्प हैं और जो उनका स्वप्न है सारी जनता को एक ही सूत्र में बांधने का, सबमें एकता की भावना जागृत करने की, वह सब हम पूरा कर रहे हैं। परन्तु इन सब चीजों के बावजूद हमें पुलिस की ओर भी ध्यान से देखना होगा।

पुलिस, जो कि आज हमारी संरक्षक हैं, पुलिस जो हमारे हितों की रक्षा करने के लिये है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उसने निरकुंशता करनी आरम्भ कर दी है। हमारे जिले आजमगढ़ में उसने जो बर्बरता से लोगों को पीटा है, लाठियां चलाई है, चीजों को तोड़-फोड़ा है उसकी ओर मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 25 जनवरी, 1983 को न्यायालय में घुसकर जिला जज की मौजूदगी में कितने वकीलों पर उसने बर्बरता से लाठियों का प्रहार किया, वहाँ के फर्नीचर को तोड़ा-फोड़ा और पदावलियों को नष्ट कर दिया। वहां के लोग माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिले और सारी बातें बतलायीं तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उन्हें बड़े मनोयोग से सुना और सारी बातें सुन कर आर० आई० का सस्पेन्शन किया, जिनका दोष पाया गया उनको सस्पेन्ड किया लेकिन हमारी पुलिस का कैरेक्टर क्या हो गया है वह समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ और सबके ऊपर हूँ। जब वहाँ पर हमारे देश की व्यापक हड़ताल को कैसे काल-आफ करें, इस पर वे विचार-विमर्श कर रहे थे तो उस समय निहत्थे वकीलों पर पुलिस ने बदले की भावना से उनको मारा। जबकि वहाँ पर पुलिस के एस० एस० पी० तथा अन्य और पुलिस के कर्मचारी मौजूद थे उस समय उन्होंने वकीलों पर लाठियाँ चलाई और बुरी तरह से उन पर प्रहार किया। उनके कागजों को और फाईलों को जला दिया। यहां तक कि बार की लाईब्रेरी में घुस कर तहस-नहस किया।

अधिष्ठाता जी, अगर हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे और सख्ती से उनके साथ पेश नहीं आयेंगे कि पुलिस हमारे वकीलों को बर्बरता से पीटे तो निश्चित रूप से समाजवादी सरकार हम नहीं बना सकते हैं। हमें पुलिस पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा, यह हमारे जिले की बात है। मैं मानता हूँ कि हमारी भी कुछ गलतियाँ होती हैं परन्तु इसके यह माने नहीं कि पुलिस हम पर इतनी बर्बर हो जाय। हमारे प्रतिनिधियों में से आज हममें से बहुत तो सदस्य हैं और कुछ केन्द्र में मन्त्री हैं वे लोग भी इनसे डरने लगे हैं। ये लोग उनसे जो चाहते हैं करा लेते हैं। पुलिस के ऊपर जिले में केन्द्रीय मन्त्री का वरद हस्त है, अगर इस तरह से जन-प्रतिनिधियों का मनोबल गिरेगा, तो हम लोग अपना कार्य नहीं कर पायेंगे। अगर पुलिस की उच्छृंखलता बढ़ेगी तो यह प्रदेश के लिये बड़ा ही घातक होगा।

मान्यवर, अभी इलाहाबाद की हाई कोर्ट की एक खंड पीठ ने एक फैसले में यह कहा है कि पुलिस और डकैतों का एक समूह हो गया है। यह देखने में आ रहा है ऊपर से नीचे तक सारी पुलिस आज अपने स्वभाव को छोड़ बैठी है, अपने कर्त्तव्यों को भूल गयी है। दूसरे देशों में अगर आप देखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन में आप अगर एक पुलिस वाले से मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वह आपका दोस्त हो और आप अपने एक दोस्त से मिल रहे हों।

वह आपको सारी सुख-सुविधा पहुँचायेगा, जो भी बात आप पूछना चाहेंगे वह बतायेगा। आपकी हर तरह से मदद करेगा। मगर आज अपने यहाँ की पुलिस से मिलने पर यह भय लगा रहता है कि पता नहीं यह पुलिस वाला क्या कर देगा, कब किस मामले में फँसा देगा।

मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर इस पुलिस पर कड़ा अंकुश नहीं लगाया गया तो स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जायेगी। हम सत्ता पक्ष में बैठे हैं, अगर पुलिस कुछ गलत काम करती है तो उसके लिये हम जिम्मेदार हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं, जब हम लोगों के साथ यह ज्यादती पुलिस की हो रही है तो आम जनता के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा, यह सहज ही सोचा जा सकता है। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह निवेदन करूँगा कि पुलिस पर अंकुश लगाया जाये।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि आज 3 दिन से इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, पर माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में नहीं है। कल तक तो यह कहा जा सकता था कि वे दिल्ली में प्लान के क्लीयरेन्स में लगे हुये थे, पर आज जो अखबारों में पढ़ा, उससे पता चला कि वह काम खत्म हो गया है, आज तो आना चाहिये था।

मान्यवर, जिस दिन से माननीय मुख्य-मन्त्री जी को, अध्यक्ष के पद से हटा कर नेता सदन का पद दिया गया, मुख्य मन्त्री बनाया गया, उस रोज से अब तक मैं यह फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि उनके साथ यह न्याय किया गया है या अन्याय किया गया है। यह मैं इस लिये कह रहा हूँ कि मैंने आज का 'पायनियर', अखबार पढ़ा। उसमें एक तरफ तो उनकी प्रशंसा की गयी है और यह कहा गया है कि.....

( 3 बजे अपराह्न)

12 अरब 2 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 73 करोड़ रुपये का ज्यादा उन्होंने प्लान का रूपया ले लिया, 13 अरब 75 करोड़ रुपये का मिल गया। 14.50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और उस पर उनकी प्रशंसा हुई। उसी अखबार के दूसरे कालम में निकला है कि श्रीपति मिश्र आन वे आउट और अगर आप उसके अन्दर देखें तो जो कार्टून बना है उनके हाथ में घोड़ों की बाग टूटकर श्रीपति मिश्र जी के हाथ में रह गयी। ला इधर और डिसआर्डर उधर। मेरा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि उनके साथ न्याय किया गया या अन्याय किया गया। लास्ट ईयर से बढ़कर प्लान का वह रुपया ले आये। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके हर विभाग में पिछले साल के मुकाबले में डेवलपमेंट वर्क्स की कास्ट कितने प्रतिशत बढ़ी है। पिछले साल जो प्राइमरी स्कूल 36 हजार रुपये में तैयार होता था वह इस साल 56 हजार रुपये में तैयार होता है। 50 प्रतिशत हर चीज का दाम बढ़ गया है और 14-5 प्रतिशत आपके प्लान का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल 60 प्रतिशत ही काम होगा, तो प्लान आगे कहां गया, हमारा तो काम पिछड़ गया।

माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने बड़े जोर-शोर से धन्यवाद का प्रस्ताव रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि धन्यवाद का प्रस्ताव रखने का मुद्दा क्या है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो पहले मुख्य मन्त्री थे, के समय में तो केवल इन्सान ही मारे जाते थे, लेकिन इस सरकार में भगवान भी खतरे में है। मान्यवर, इन्सान और भगवान दोनों ही खतरे में हैं। लोगों को आप शैलाब से बचा नहीं सके, उससे 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 550 आदमी शैलाब में मरे। जनता पार्टी के शासन के समय भी शैलाब आया था जो सबसे बड़ा शैलाब था उसके अन्दर केवल सवा दो सौ आदमी ही मरे। अब 400 करोड़ का नुकसान हो गया। भुखमरी से आप लोगों को बचा नहीं सके। बांदा जिले में पत्ते खाकर लोग जीवन बिता रहे हैं।

उनको आप भुखमरी से बचा नहीं सके। ठंडक से आप लोगों को बचा नहीं सके। ठंडक से ढाई सौ आदमी मर गये। औरतों की इज्जत को आप बचा नहीं सके। शाहजहांपुर में रामरती नाम की औरत को 14 तारीख से लेकर 19 दिसम्बर तक 5 दिन थाने में रखा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। नैनीताल में सिपाहियों ने धन्नादेवी के साथ बलात्कार किया और उनके लिए यह कहा गया कि वह ड्यूटी पर गये हुए थे तो क्या मान्यवर, बलात्कार भी उनकी ड्यूटी में शामिल है। आप पी० ए० सी० की गोलियों से हिन्दू या मुसलमान को आप बचा नहीं सके। बढ़ती हुई मंहगाई को आप रोक नहीं सके। गन्ना किसानों का जो बकाया था उसको आप अदा नहीं कर सके, आखिरकार आपको खुशी किस बात में है। आप अपने मन्त्रिमन्डल की ओर देखें। बलिया जिले के अधिकारियों ने प्रस्ताव पास करके भेजा दिया कि यदि मन्त्री को कोई भी बुलायेंगे तो जब तक वे अपने सुरक्षा गार्ड को नहीं ले जायेंगे तब तक वे नहीं जायेंगे। एक दूसरे मन्त्री की बात सुनिये। मुझे अफसोस है कि आपके मन्त्रिमन्डल में ऐसे लोग मौजूद हैं। 'इंडिया टुडे' में निकला है। आप देख लें। आपके एक मन्त्री मसौली गये रफी अहमद किदवई की वर्षी में। उसमें जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो वे मोहम्मद रफी जो गायक थे, उनकी वे तारीफ करने लगे। उसके बारे में हमारे यू० पी० के जो अखबार थे, उन्होंने सरकार की डर से उन मन्त्री का नाम नहीं छापा लेकिन 'इंडिया टुडे' ने जो कि इन्टरनेशनल मेगजीन है, उसने अपने जनवरी महीने के संस्करण में आखिरी पेज में उन मन्त्री जी का नाम छाप दिया। इस मेगजीन के लास्ट पेज 15 में लिखा है, 'आउट आफ ट्यून'। नाम लिखा है,'ही इज राम गोपाल दास'। यह श्रीपति मिश्र के मन्त्रि-मन्डल को काबलियत है जिनके बारे में अब सब लोग समझ गये हैं। जब वे अपने मन्त्रि-परिषद् में इस तरह के लोगों को लेते हैं तो मैं फिर वही बात दुहराता हूँ कि उनको अध्यक्ष से नेता सदन बनाने पर उनके साथ न्याय किया गया है अथवा अन्याय किया गया है। मन्त्री बनाने के लिये इनकी क्वाइस नहीं देखी गई। उनसे जो कहा गया, वही उन्होंने किया और उनके ऊपर लाद दिया गया।

श्रीमन् मैंने मंहगाई के बारे में कहा कि आप मंहगाई को रोक नहीं पाये। जनता पार्टी की रिजीम में जनवरी, 80 में और आपकी रिजीम यानी जनवरी, 83 के भावों को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ—जनवरी, 80 में गेहूँ का आटा 1 रु० 85 पैसा, जनवरी, 83 में 2 रु० 40 पैसा। चावल बासमती-जनवरी, 80 में 6 रुपये 50 पैसा, आपकी रिजीम में 9 रुपया, दाल मूंग-जनवरी, 80 में 4 रुपये 60 पैसा, जनवरी, 83 में 4 रुपये 80 पैसा। चीनी जनवरी, 80 में 4 रुपये 80 पैसा, जनवरी, 83 में 4 रुपये 90 पैसा जो कि खुले मार्केट की थी और लेवी की चीनी जो 2 रुपये 40 पैसे थी वह 3 रु० 75 पैसे है। इसी तरह से सरसों का तेल जनवरी,80 में 11 रु० 50 पैसा और जनवरी, 83 में 16 रुपया 25 पैसा। वनस्पति जनवरी, 80 में 11 रु० 40 पैसा, जनवरी, 83 में 14 रुपये 18 पैसा, हल्दी जनवरी, 80 में 8 रुपया, जनवरी 83 में 10 रुपया, लाल मिर्च जनवरी, 80 में 12 रुपया और जनवरी, 83 में 16 रुपया। सीमेन्ट जनवरी, 80 में 26 रुपये 80 पैसा, जनवरी, 83 में 62 रुपया, देशी घी जनवरी 80 में 30 रुपया और जनवरी, 83 में 38 रुपया। चाय जनवरी, 80 में 35 पैसा प्रति कप और आज 60 पैसा प्रति प्याली। दूध जनवरी, 80 में 2 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर और आज 4 रुपया लीटर, अगवार जनवरी, 80 में 30 पैसे प्रति कापी और आज 55 पैसा, पेट्रोल जनवरी,80 में 4 रुपये 41 पैसा और आज 6 रुपये 7 पैसा प्रति लीटर।

इस तरह से मँहगाई का आलम है। जनता पार्टी को किसी ने नहीं सिखाया था। आप कीमतें स्वयं देख लें। हमारे फखरे आलम साहब ने मेरठ का जिक्र किया। मैं वहां के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूँ।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

जनता पार्टी को हम नहीं कोसते। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इतनी मंहगाई का सिर्फ एक ही कारण था। सन् 77 के चुनाव में इनके पास कोई चीज नहीं थी सिर्फ एक ही नारा था—दो नसबन्दी एक वोट—और इसी नसबन्दी का कारण है कि मंहगाई हो गई।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। बजट पर बोलूँगा। भारत सरकार के गृह मन्त्री पी० सी० सेठी, वी० के० कृष्णन ने एक चिठ्ठी लिखी थी मेरठ के बारे में। वे मेरठ गये तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। आपकी आज्ञा से मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ वह अंग्रेजी में हैं, उसे पढ़ देता हूँ उसके बाद हिन्दी कर दूंगा।

हाऊ कैन वन कन्सोल दीज मिजरेबुल सोल्स ? दोज हू डाईड वेयर इन्नोसेन्ट कैजुअल्टीज आफ पोलिस इक्सेसेस, इट सीम्ड टु मी, एण्ड कम्युनल क्लैशेज एण्ड माब फिउरी लीडिंग टु डिस्पर्सल बाई पोलिस ऐक्शन वेयर नाट दि काज आफ दीज किलिंग्स। आई हर्डस्टोरीज आफ आर्म्ड पोलिसमेन ब्रूटली शाउटिंग परसन्स क्राउचिंग इनसाइड डिन्जी ड्वेलिंग्स।

उन्होंने कहा कि जो आदमियों को दुख पहुँचा है उसके लिए उनको कैसे समझाया जा सकता है। वहां पर बेगुनाह लोगों की जानें गयीं, उनपर गोलियाँ चलाई गयीं, कम्यूनल क्लैसेज के नाम पर शूटिंग की गयी, लोगों के घरों में घुस-घुस कर कत्लेआम किया तो उसको कैसे भुलाया जा सकता है। उन्होंने इस सब का हवाला दिया है। मैं एक जुमले में फिर कहता हूँ जब दोनों के बीच में एक फैसला हो गया कि न मजार है और न कोई मन्दिर है और यह बात दोनों तरफ से स्वीकार कर ली गयी तो फिर कैसे और किसके संरक्षण में पुजारी पैदा हो गया।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के सम्बन्ध में जो यू० पी० बार काउंसिल ने रिक्वैस्ट की है कि इनका एडवोकेसी का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाय वह बताना चाहता हूँ। जब उनको यहां से छुट्टी मिल जायेगी तो उनका जो प्रोफेशन है वह भी नहीं रह जायेगा तब फिर उनकी क्या हालत होगी। मान्यवर, आप देखें जो बड़ी-बड़ी वारदातें हुई हैं उनका तो हिसाब ही नहीं है लेकिन कुछ खास-खास चीजें हैं जिसके बारे में पत्रिका अखबार के 29 ता० के एडीटोरियल में लिखा है उसको हमारे मन्त्रीगण जरा देख लें उसमें चार-पांच चीजों को रिफर किया गया है। इसके अलावा जो खास-खास चीजें बताना चाहता हूँ-मुजफ्फरनगर में एस० एच० ओ० ने मिर्जापुर के कान्स्टेबल की नौजवान बीबी का अपहरण किया, जालौन जिले में कालपी में 20 अप्रैल को एक सिपाही ने लड़की के साथ बलात्कार किया। इलाहाबाद में एक थानेदार और दो सिपाहियों को एक कार, मोटर साइकल और स्कूटर की चोरी में गिरफ्तार किया गया।

इलाहाबाद में ही बेली गांव में पुलिस ने एक मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मेरे मुरादाबाद में भी मंडी समिति के डायरेक्टर श्री गुप्ता जी के मकान पर मझौला और संभल में जबरदस्ती कब्जा कर रखा है जिसके लिए वे बेचारे डी० एम० के सामने रो रहे थे। रायबरेली में एक गांव में प्रधान के कुनबे के सात आदमियों का कलैक्टिव मरडर हुआ। इटावे में हरिजन गांव छोड़-छोड़कर डकैतों के डर से भाग रहे हैं। रामपुर में हिन्दू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाले पोस्टर लगाये गये। जब यह बात अधिकारियों के सामने लाई गयी तो कोई कार्यवाही नहीं हुई कि किसने वे लगाये। लखनऊ में विलायती शराब की स्मगलिंग में एक करोड़ का माल पकड़ा गया, आजमगढ़ में वकीलों की पिटाई हुई इटावा में 8 आदमियों का और मुरादाबाद में 5 आदमियों का मरडर एक साथ कर दिया। आपके लखनऊ में गोसांईगंज में जब पब्लिक की पुलिस पिटाई कर रही थी तो दो मिनिस्टर वहाँ पहुँच गये और उन्होंने सिपाहियों को रोका तो सिपाही ने कहा हमारे डी० आई० जी० कहेंगे तो हम वर्दी उतार देंगे लेकिन वजीरों के हुक्म का मैं पाबंद नहीं हूँ। तो मंत्रियों ने कहा चलो इनके आफिसर से बात करेंगे।

सिपाही ने इनका हुकुम नहीं माना। बहराइच में लेडी वार्डन की लाश जेलर साहब के मकान पर टंगी पायी गयी और बाद में कहा गया कि उसने सुसाइड कर लिया है।

मान्यवर घनश्याम डाकू और फूलनदेवी की सरेन्डर की बात चली। घनश्याम डाकू तीन दिन अपने गांव हनुमान गढ़ी में सरेन्डर के लिये रहा लेकिन पता नहीं वार्ता क्यों विफल हो गयी और उसने सरेन्डर क्यों नहीं किया। इसी तरह पता चला है कि फूलनदेवी मध्य प्रदेश में सरेन्डर हो गयी है। यहां उसने सरेन्डर क्यों नहीं किया।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री का मुरादाबाद जाने का प्रोग्राम बना और वह वहां गयीं और मन्त्री लोग वहां गये जिनके नाम सूचना अधिकारी मुरादाबाद ने नोटिस में जारी किये हैं लेकिन उस नोटिस में हम जनप्रतिनिधियों का कहीं कोई नाम नहीं था।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं तो वहां नहीं गया था।

श्री रियाज़त हुसैन—

जो नोटिस सूचना अधिकारी ने जारी किया था उसमें श्री अम्मार रिजवी, श्री राम सिंह खन्ना, श्री नश्तर साहब और श्री गोपाल राम दास के नाम लिखे हैं, आप लोग नहीं गये थे लेकिन जो नोटिस हमको मिली उसमें आपके नाम हैं।

प्रधान मंत्री के प्रोग्राम के सम्बन्ध में खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां आसाम और अकालियों की समस्या को हल करने के लिए विरोधी पक्ष का सहयोग चाहती हैं वहीं मुरादाबाद में जब आयीं तो विरोध पक्ष के किसी आदमी को सूचना नहीं दी गयी। जो सूचना दी गयी है उसमें, 10.30 बजे प्रधान मंत्री तशरीफ लायेंगी और शेष कार्यक्रम प्रधान मंत्री के आने पर ज्ञात होगा, लिखा है। यह प्रेस वालों को सूचना दी गयी है और हम जनप्रतिनिधियों को कोई सूचना नहीं दी गयी। नतीजा हुआ कि उनके खास-खास चमचे वहां पहुँचे यह मुझे मालूम हुआ। इसलिए जब मुख्य मंत्री जो जवाब देंगे तो यह भी बतायेंगे कि उस दिन 5 फरवरी को प्रधान मंत्री के सामने मुरादाबाद में चार चांद मस्जिद, हुजरे वाली मस्जिद के रेस्टोरेशन का मामला लाया गया था, ऐसा मुझे मालूम हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं क्योंकि सदन में और सदन के बाहर मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री ने आश्वासन मुरादाबाद की समस्या के सम्बन्ध में दिये हैं, जिसमें करेस्पाडेन्स की एक फाइल बन गयी है, उसका आप क्या हल निकाल रहे हैं।

श्रीमान्, हमारे क्षेत्र में थाना भोजपुर के थानेदार के खिलाफ 25-26 आरोपों सहित आपका ध्यान आकर्षित किया कि बाजीदपुर गांव में दो डकैतियां हुई थीं जिसके सम्बन्ध में वहां का सी० ओ० जांच में गया तो दो कंसीलमेंट के मामले पाये। उन्होंने अपने आर्डर से

दोनों रिपोर्टों को धारा 395 और धारा 397 में डेढ़ महीने और ढाई महीने बाद एफ० आई० आर० दर्ज की और दरोगा को लाइन हाजिर 5 तारीख को किया गया। इसकी इन्क्वायरी सी० ओ० और एस० एस० पी० ने करके उस दरोगा को लाइन हाजिर किया था लेकिन 7 तारीख को वह दुबारा उसी थाने में भेज दिया गया। यह डी० आई० जी० और एस० एस० पी० रूरल के एक पक्ष में होने के कारण ऐसा किया गया जबकि एस० एस० पी० उसके विरोध में हैं। इस सम्बन्ध में मैंने गृह सचिव से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह पुलिस ऐक्ट के खिलाफ हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से होगा तो शासन कैसे चलेगा। तो फिर कैसे आपका शासन चलेगा इतनी सारी वारदातों के बावजूद। अब मैं आपसे दूसरे मसले कम्युनल राइट्स के मसले पर कुछ कहना चाहता हूँ। आपके रेजीम में ईद के मौके पर सन् 80 में मुरादाबाद में राइट हुआ, मोहर्रम के मौके पर शाहगंज के राइट हुए, बड़ी ईद के मौके पर मेरठ के राइट हुए और फिर मोहर्रम के ही मौके पर बड़ौदा में कम्युनल राइट्स भड़क उठे और उसके आगे चलकर फिर ईद मिलादुल–नवी के मौके पर त्रिवेन्द्रम के राइट हुए हैं। तो क्या आप किसी को कोई त्योहार मनाने देंगे या नहीं ? यदि इस देश और प्रदेश में अल्पसंख्यक अपने त्यौहार शान्ति से नहीं मना पायेंगे तो क्या इसकी जिम्मेदारी इस देश की सरकार के अलावा कोई दूसरा लेगा।

आपने यू० पी० के बारे में पार्लियामेंट में जवाब दिलवाया है कि यू० पी० में कुल 33 फायरिंग्स हुई, जिनमें 23 मौतें हुई हैं। आपने यह पार्लियामेंट को फीगर सन् 80 को भेजी है जबकि असलियत यह है कि अकेले 13 अगस्त, 1980 के दिन ही मुरादाबाद में सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं। और आपने मुरादाबाद के इतने बड़े रक्तपात के बारे में इस असेम्बली में यह कहा है कि वहां पर 3 आदमी ही मारे गये हैं। आपने केवल तीन आदमी ही उस दंगे में मारे गये बताये हैं। मैं आपकी इस जानकारी के लिए आपको चैलेंज देना चाहता हूँ, जितने भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वह साबित कर दें कि 13 अगस्त, 80 को केवल 3 मौतें हुई हैं, वरना वह अपने पदों से इस्तीफा दे दें। इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि यह लोग इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। इस सारे वारदात के बारे में हमारे जमीयते उलेमाये हिन्द के लोगों ने प्रधान मंत्री को मेमोरेण्डम दिया, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इन लोगों ने दूसरा रास्ता निकाला। और इसके बारे में प्रधान मंत्री को जब ज्ञात हुआ कि हमारे जमीयत–उलेमाये-हिन्द के लोग मौलाना असद मदनी, जनरल शाहनवाज और हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी साहब, एम० एल० ए० आदि लोग मुल्क–औ–मिल्लत बचाओ की तशरीक 21 तारीख से शुरू कर रहे हैं और इसके लिए यह लोग देश के सब तरफ दौरे पर निकल गये हैं, तो जाकर अन्त में हमारी मैडम को पता चला कि माइनारिटीज के दिलों में तकलीफ है और नतीजतन आनन-फानन में उन्होंने मुरादाबाद और मेरठ के दौरे कर डाले और अब वह बड़ौदा भी गई हैं। 35 सालों बाद प्रधान मंत्री को पता चला कि देश में भ्रष्टाचार है और 36 साल बाद पता चला कि अकलियत के साथ ज्यादती हुई है और हो रही है।

अब आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आई० आर० डी० स्कीम की बड़ी दुहाई दी गई। मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि आई० आर० डी० कम्पोनेन्ट स्कीम के अन्तर्गत लोगों को लोन नहीं मिला है और उनके पास वसूलयाबी के नोटिस पहुँच गये हैं। पहले उनसे कहा गया कि तुम्हारी दरख्वास्तें लखनऊ गई हैं और बाद में उनसे कहा गया कि तुम्हारी दरख्वास्तें नामंजूर हो गई हैं। तो यह आपकी आई० आर० डी० की स्कीम है। स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम केवल एक मात्र सरकारी कर्मचारियों की आमदनी और आपके आदमियों की आमदनी का जरिया है। उससे किसी हरिजन, गरीब या दबे हुए लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है न आज तक हुआ है।

गन्ने की कीमत की भी अजीब हालत है। सेन्ट्रल फैक्ट्री में 17·50 है, आपकी सरकारी फैक्टरी में 21 है और कारपोरेशन की फैक्ट्रीज में कुछ और है। 38 करोड़ रुपया बाकी है। मैंने इस मामले में चैलेंज कर दिया है कि यदि यही हालत रही तो अगले साल हम 500 करोड़ रुपये का किसानों का बकाया नहीं देंगे। इस साल गन्ना काश्तकारों का बकाया 500 करोड़ तक पहुँच जायगा। सरकार इसको किस तरह से अदा करने जा रही है? किसान लुट रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री रियासत हुसैन--

सन् 77 में आप कहा करते थे कि गन्ना 7 रुपया कुन्टल बिक गया, जबकि आज भी गन्ने की कीमत 7–8 रुपये से ज्यादा नहीं मिल रही है। इन शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से जो संशोधन प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ।

*श्री राम भजन लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ, जो आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया जो माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैं आपके द्वारा तमाम सदन के लोगों से यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन्हें यह समझना चाहिए कि जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, जिसके ऊपर इतना हल्ला मचाया जाय। वह तो जो हमारे प्रदेश के अन्दर उपलब्धियाँ हैं, और जो हमें आगे के लिए करना है, वह उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का खाका खींचा। परिस्थिति यह है कि हमारे विरोधी दल के लोग बीच में बहुत काफी आजमा चुके हैं, जनता पार्टी की सरकार जिस वक्त हुकूमत में थी, उस वक्त भी हम उन्हें आजमा चुके हैं। ढाई साल तक शासन करने के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाद जिस वक्त उन्होंने अपना जुआ डाल दिया, तो उस वक्त हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के अलावा अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो, हमारे देश के लिए खतरा हो जाता।

'नूरगेती फरोश चश्मये होर जिस्त वासत बचस्म मूसक नोर', संसार के अन्दर सूरज की रोशनी का प्रकाश फैलता है और सभी उसको पसन्द करते हैं, लेकिन मूसक और छछूंदर उन्हें नहीं पसन्द करते हैं। आप जानते हैं, कि सूरज की रोशनी और सूरज का प्रकाश सारी चीजों के लिए, दरख्तों के लिए, जिन्स के लिए, जमीं के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें उसकी रोशनी नहीं भाती है। उसी तरह से हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें हमारे देश की तरक्की नहीं भाती है। वहाँ पर हमारे विरोधी दल के लोग बहुत गैर जिम्मेदाराना ढंग की बातें करते हैं। जो विरोध की बातें होती हैं, उनके लिए वह तो कहते ही हैं, लेकिन बड़े मुश्किल की बात है, 'हुनर बचस्म अदावत बुजर्गतर एवस्त, गुलस्त सादियो परचश्म दुश्मना खारस्त', विरोध के अन्दर जो गुण है, वह दुश्मन की समझ में, वह बहुत बड़ा ऐब है। सादो फूल है, लेकिन दुश्मनों की निगाह में कांटों की तरह खटकता है। 35 साल तक हुकूमत करने के बाद बीच में जनता पार्टी ढाई साल के लिए हुकूमत में आई, लेकिन वह कोई विकल्प नहीं ढूंढ़ सकी। हमारे मुखालिफ लोग जो हैं, वे एक जगह पर संगठित नहीं हो सके। आपको समझना चाहिये कि जहाँ पर हमारी पार्टी ने देश के अन्दर हुकूमत किया, वहां पर हमारी पार्टी देश की गरीबी मिटाने के लिए पूर्ण रूप से कृत संकल्प हैं। मैं यह भी कहता हूँ कि सारी चीजें ठीक नहीं हैं। कुछ कमियाँ हैं, कुछ कमियाँ हम में है और कुछ कमियां हमारे अधिकारियों में है, जिसकी वजह से स्कीमें ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चाहे जो कुछ करें विरोधी दल के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है।

आप देखिये गांवों की गरीबी दूर हो रही है। हमने गरीबी को देखा है, भयंकर गरीबी देखी है जिसको गरीबी कहा जा सकता है। मैं दावा नहीं करता हूँ कि हमारे शासन में गरीबी बिल्कुल दूर हो गयी है लेकिन यह जरूर कहूँगा कि गरीबी को बहुत बड़ा झटका लगा है और परिवेश बदलने की बड़ी कोशिश की गयी है। अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, इसको दसवां मुल्क कहा जा सकता है। हमारी आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। सन् 40-41 में हमारी आबादी 34-35 करोड़ थी जो अब बढ़कर 68 करोड़ हो गयी है। हालाँकि लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सके हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत बड़ी तब्दीली हो गयी है।

आप मान्यवर, यह भी समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा निराला देश है जहां की अपनी समस्यायें हैं। ऐसी समस्यायें किसी दूसरे देश में नहीं हैं। अभी भाई रियासत हुसैन और फखरे आलम साहब जो बातें कह रहे थे यह कोई देश के हित की बातें नहीं थीं। देश और प्रदेश के अंदर जजबात उभाड़ने की चीजें हैं। इससे लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होता है और झगड़े होते

हैं । आपको मालूम होना चाहिये कि मैं एक ऐसी जगह का रहने वाला हूँ खोरी के अंदर.....

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मैं यह सुना करता था कि "द डेविल इज कोटिंग स्क्रिप्चर्स" । मुझे नहीं मालूम कि क्या-क्या बातें कहो मेरा नाम लेकर लेकिन मान्यवर, झगड़े यह पैदा कराते हैं । जो यह तिलकधारी बैठे हैं झगड़े यह पैदा कराते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री राम भजन लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं भी सन् 52 से एम० एल० ए० हूँ । मैं समझता हूँ, मैं यह भी जानता हूँ कि देश के अंदर हिन्दू-मुसलमान को संगठित होना चाहिये और सारी चीजों की व्यवस्था कितनी ठीक होनी चाहिये । हम भी महात्मा गांधी के मकतब में बैठे हैं, हमारे दिमाग में हिन्दू या मुसलमान कुछ नहीं है । लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे फखरे आलम साहब और रियासत हुसैन साहब हमारे यहां बरवर में देखें वहां पर एक बाहर का मौलवी आया है उसका किस तरह का जुल्म और भय है । लेकिन हम शांति से रहने की कसम खाये हैं । आपको मालूम होना चाहिये कि हमारे देश के अंदर गरीबी खत्म हुयी है और जो तरक्की हुयी है वह किसी से छिपी नहीं है । बाहरी देशों के लोग हमारी सराहना करते हैं और हमारे विरोधी दल क लोग जो हैं वह बराबर विरोध ही विरोध कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ आप बैठें ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय को किस बात के लिये धन्यवाद दिया जाय, हमारे प्रदेश की स्थिति अत्यंत दयनीय है । मान्यवर, अन्य प्रान्तों की तुलना में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक निर्धन लोग रहने वाले हैं, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं । गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं । सबसे अधिक बेरोजगार लोग इस प्रदेश के अंदर हैं चाहे वह शिक्षित हों या अशिक्षित हों । जहाँ तक साम्प्रदायिक सद्भावना का सवाल है सबसे अधिक दंगे, चाहे वह मुरादाबाद हो, मेरठ हो या अलीगढ़ हो, इस प्रांत में हुये हैं । कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये सरकार की प्रशंसा की जा सके । सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय का 10 पृष्ठ का जो अभिभाषण है, उसमें एक शब्द भी इस बाबत नहीं कहा गया है कि प्रशासन से भ्रष्टाचार को निकाला

जायगा । बड़ी हैरत होती है, पिछले अभिभाषणों में भी एक भी शब्द इस बात के लिये नहीं लिखा है कि प्रशासन में कहीं भ्रष्टाचार है ।

मान्यवर, अभी-अभी जनपद मुजफ्फरनगर के एक माननीय सदस्य नैतिकता की बात कर रहे थे उन्होंने गांधी जी को भी कोट किया । मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इण्डियन एक्सप्रेस में इस सरकार के गठन के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट निकली उसका संदर्भ मैं यहाँ देना चाहूँगा । यह श्री एस० के० त्रिपाठी द्वारा लिखी गयी है :—

'बर्थ आक्शन'

ह्वाइल स्टारटिंग विद दिस हैन्डीकैप, मि० मिश्रा वाज आलसो डिनाइड दि फ्रीडम आफ चूजिंग हिज ओन टीम, दो ही बोस्टेड दैट दि सेलेक्शन वाज मेड बाई हिम आन दि बेसिस आफ मेरिट ऐण्ड परफारमेन्स । दि फैक्ट इज दैट दि टीम वाज सेलेक्टेड फार हिम वाई मि० अरुन नेहरू हू अकारडिंग टु हिज डिटरेक्टर आक्शन सम आफ दि मिनिस्टीरियल वर्थ्स ।

लुकरेटिव पोस्ट

मि० वीर बहादुर सिंह डिड नाट वान्ट टु रिटेन दि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट विच हैड बीन सक्ड ड्राई ऐण्ड टर्न्ड इन्टू जन्क । ही वान्ट ए मोर मनी स्पिनिंग डिपार्टमेन्ट ऐण्ड वाज एलाटेड इन्डस्ट्री एलांगविद इक्सपर्ट प्रोमोशन इन अडीशन टु हिज ओल्ड चार्ज आफ दि इरीगेशन ।

मान्यवर, हिन्दी में कहें, तो मैं इस तरह कह दूँ—

1—"मुख्यमन्त्री श्रीपति मिश्रा अपने मन्त्रिपरिषद् के साथियों को चुनने में स्वतन्त्र नहीं थे । हालांकि उन्होंने यह डींग मारी है कि मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों का चयन योग्यता तथा कार्यकुशलता के आधार पर किया गया है । सत्य यह है कि मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों का चयन उनके लिए श्री अरुण नेहरू ने किया है और श्री नेहरू ने कुछ मन्त्रिपरिषद् के पदों को नीलाम किया है ।"

2—"श्री वीर बहादुर सिंह ट्रान्सपोर्ट विभाग को फिर से नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि उक्त विभाग को पूरी तरह चूस कर सुखा दिया गया है और जंक बचा है वे अधिक धन पैदा करने वाला विभाग चाहते थे और उन्हें उद्योग विभाग दिया गया साथ-साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन विभाग, जबकि पुराना सिंचाई विभाग उनके पास है ही । "मान्यवर, आज तक इसका खण्डन नहीं किया गया । अभी-अभी मुझे एक पर्चा मिला है मुजफ्फरनगर के एक माननीय मन्त्री के बारे में 'मेरी जबानी कहानी एक मन्त्री की' यह श्री भोपाल सिंह ग्राम विराल मुजफ्फरनगर के कार्यकर्त्ता की तरफ से है । तो मेरा निवेदन है कि जिस सरकार का गठन नैतिकता के आधार नहीं पर हुआ हो मान्यवर, जहाँ सारे मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर मन्त्री पद को

नीलाम किया गया हो, उस सरकार के कार्यों में कैसे स्वच्छता आ सकती है। आज बुरी तरह से सारा प्रदेश पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है।

मैं अपने जनपद की एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूँ। मेरे जिले में स्टेशन आफिसर्स की नियुक्ति बोली बोलकर होती है और मासिक रूप से इनको अपने उच्चाधिकारियों को पैसा देना होता है इस सम्बन्ध में डी० आई० जी०, एस० पी० से कहना बिल्कुल निरर्थक है। यह शासन देखते हुए भी अपनी आंखें बन्द किए हुए है और इन चीजों को अनदेखा किया जा रहा है। मेरे घर पर वहां के दो स्टेशन आफिसर्स आये उन्होंने मुझे बताया कि उनकी नियुक्ति 20-20 हजार रु० देकर हुई है। यह बहुत ही शर्म की बात है तो हम इस सरकार से कैसे आशा कर सकते हैं कि वे स्वच्छता प्रदान करेगी और भ्रष्टाचार को निर्मूल करेगी।

दूसरी बात मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरठ मेरा शहर है पिछले अगस्त-सितम्बर में सांप्रदायिक दंगे मेरठ में हुए, मैं कोई विस्तार से बात नहीं कर रहा हूँ। जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा मुख्यमन्त्री द्वारा की जा चुकी है। इस दंगे में कई लोग मरे हैं और हजारों हताहत हुए हैं। कई घर बर्बाद हुए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरी ही पार्टी के एक साहब जो उस जिले के हैं जिनसे उन दो महीने के कार्यकाल में डर के कारण मेरी न मुलाकात हो सकी है और न मैं उनके घर जा सका। जैसा कि अभी माननीय रियासत साहब ने कहा कि न वहां कोई मन्दिर की बात थी और न मजार की। 145 का मुकदमा कोर्ट में उस वक्त पेंडिंग था। मैं समझता हूँ कि मुख्यमन्त्री जी को भी इसकी जानकारी थी। पिछला अधिवेशन जो अगस्त-सितम्बर में चला उसमें भी इस पर चर्चा हुई। 145 का रिफरेन्स करके सिविल कोर्ट भेज देते तो झगड़ा न बढ़ता।

मान्यवर, अब जूडीशियल कमीशन बैठा है। मैं अम्मार साहब से चाहूँगा कि वह उसके टर्म्स आफ रिफरेंश में इसको देखें। श्रीमन् मेरठ में आज से 10–12 साल पहले भी एक झगड़ा हुआ था लेकिन वह दो दिन में समाप्त हो गया था। कारण था कि शहर के सारे वरिष्ठ नागरिक दोनों सम्प्रदायों के शान्ति पूर्वक एक साथ बैठकर उसको समाप्त कर दिये थे। मैं इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि मैं और मेरी पार्टी के कुछ लोग जिलाधीश के पास गये और उनसे कहा कि हमें पासेज दीजिये हम उपद्रवी इलाके में जाना चाहते हैं। लेकिन जिलाधिकारी ने पास नहीं दिये। मान्यवर, श्री रघुकुल तिलक और मास्टर सुन्दर लाल जी जो सर्वोदयी नेता हैं और मेरठ के सम्मानित नागरिक हैं उन तक को पास नहीं दिया गया।

मैं कहूँगा कि मेरठ में जो कुछ भी हुआ वह इस प्रशासन की अयोग्यता के कारण, अदूरदर्शिता के कारण, और लापरवाही के कारण हुआ। मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि दोनों सम्प्रदाय के बीच में जो खाईं खुद गई है उसे आप जल्दी नहीं पाट सकते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जो ने अधिवेशन के कुछ दिन पहले घोषणा कर दी कि जूडीशियल कमीशन बैठायेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, और यह अनुभव बताता हूँ कि आप जूडीशियल कमीशन की फाइ-

डिंग को नहीं मानते हैं। उसका आनर नहीं करते हैं। जून 80 में ढाई साल पहले राय कमीशन बैठा था। राय कमीशन की निश्चित रूप मे फाइंडिग आयी कि यह 9 पुलिस कर्मी दोषी पाये गये जिन्होंने बागपत में महिला से बलात्कार किया है। लेकिन उनको दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। उस सब-इंस्पेक्टर डी० पी० गौड़ को इस शासन ने खुला सांड़ छोड़ रखा है जहां चाहे बलात्कार करे, हत्या करें। उस काण्ड की सजा उन दोषी व्यक्तियों को नहीं मिली। सजा किसको मिली पी० सी० कक्कड़, ईमानदार डी० आई० जी० को। उसको सुपरसीड किया और उसे मजबूर होकर रिजाइन करना पड़ा। उस सब-इंस्पेक्टर को सजा नहीं मिली। सजा मिली ईमानदार अधिकारी को और अन्य ईमानदार अधिकारियों को सजा दी जा रही है।

( व्यवधान )

मैं कहना चाहता हूँ शासन में दम नहीं है। यह शासन भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। यह इस प्रदेश का भला नहीं कर सकता है। अन्त में मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने रखा है उसका समर्थन करते हुये, हम केवल इतना कह रहे हैं कि यह चर्चा तीन दिन से चल रही है और महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, उसको पढ़ने से जो प्रदेश की तरक्की के लिये, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, मजदूर और हरिजनों को ऊँचा करने के लिये, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान या आई० आर० डी० के माध्यम से किस प्रकार राहत पहुँचाई जाय इसकी न रीति न नीति बताई गई है। गरीबों और कमजोर लोगों के लिये जो राहत पहुँचाने की तरफ कदम उठाया गया है वह सराहनीय है। और जिन शब्दों में महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में तरक्की के कार्यक्रम, गरीबों के हितों के कार्यक्रम रखे हैं, जो लक्ष्य रखा है, वह बहुत ही सराहनीय है। विरोधी पक्ष के लोगों ने जो संशोधन रखे हैं, उनको एक तरफ से पढ़ते चले जायें, चाहे नेता विरोधी दल ने रखे हों या किसी सदस्य ने, सब चीजें झूठ हैं, गलत हैं। हमें, आप को व्यावहारिक होना चाहिए। जिन परिस्थितियों में आज देश की अखण्डता, एकता श्रीमती गांधी बनाए हुए हैं, यह एक वही नेता है जो कर सकती हैं। हमारे स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान को 22 करोड़ रुपया दिया गया और आपने अपने राज्य काल में उसका नाम बदल कर अन्त्योदय योजना रखा था और उसे 22 लाख रुपया दिया था। कौन सी सरकार गरीबों का हित करने वाली हो सकती है ? 22 करोड़ रुपया देने वाली या 22 लाख रुपया देने वाली ? जहाँ तक व्यवहार की बात है, यह देखा गया है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, दलाल हैं, आप लोग उनकी वकालत करते

हैं, चाहे प्रश्नों के माध्यम से हो, चाहे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हो। जनता से कहते हैं कि हम उनकी हितों की रक्षा करेंगे और भ्रष्ट लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। विरोधी दल के लोग भ्रष्ट अधिकारियों की पैरोकारी में आते हैं। अगर कोई गलत आदमी पकड़ा जाता है तो उसकी वकालत में आते हैं और आरोप सत्तापक्ष पर करते हैं। चरित्र हनन की प्रक्रिया से प्रदेश का विकास, गरीबों का विकास नहीं हो सकता।

गन्ना नीति की बात देख लें। गन्ने की नीति पर किसानों को जितनी राहत, जितना मूल्य दिया गया है उतना कभी भी नहीं दिया गया। गन्ना खेतों में नहीं पड़ा रहा बल्कि चीनी मिलों में गया और किसानों को गन्ने का मूल्य मिलता रहा। यह सराहनीय कार्य भूतपूर्व मुख्य मन्त्री महोदय माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के राज्य काल में हुआ।

(व्यवधान)

जहाँ तक तानाशाही की बात है, भ्रष्ट अफसरों की बात है, वह सही है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो भी कार्यक्रम, नीतियाँ रखी गयी हैं, वह सब जनता के विकास के लिए रखी गयी हैं और सरकार उन्हें कार्यान्वित कराने के लिए कटिबद्ध है। उसे फील्ड में चलाने के लिए हम सब को जुटना पड़ेगा। अगर उसमें कोई अड़ंगा है तो वह है भ्रष्ट नौकरशाही। ये आपकी नीति को जनता के बीच में नहीं जाने देते, विकास कार्यक्रमों को क्षेत्रों में नहीं पहुँचने देते। फर्जी तरीके से कार्य करने का प्रयास करते हैं। इस सम्बन्ध में हमारा और आपका दायित्व है कि उसे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यान्वित करायें।

नौकरशाही पर लगाम रखें। मेरठ, मुरादाबाद के दंगे के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं। हमेशा साम्प्रदायिक दंगे होते आये हैं....

(व्यवधान)

हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज भी साम्प्रदायिक दंगे में लोग झुलसते हैं।

मान्यवर, जहाँ तक साम्प्रदायिक दंगे की बात है, अगर यह होता है तो इसको 24 घंटे के अन्दर रोकना चाहिये। यह महीने-डेढ़ महीने नहीं चलना चाहिये। मेरठ में महीनों साम्प्रदायिक दंगा चलता रहा, इसके पीछे जिन लोगों का हाथ था उनको पकड़ा जाना चाहिये। दंगा कोई वर्ग नहीं चाहता, कोई समुदाय नहीं चाहता, सारी आबादी में दो प्रतिशत, तीन प्रतिशत लोग इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र करने वाले लोगों में, उनके पीछे सभी लोग बर्बाद होते हैं। दंगा होते रहे हैं परन्तु चौबीस घंटे, एक दिन, दो दिन, दो-चार घंटे में इन्हें रोक दिया जाना चाहिये। महीने भर की प्रक्रिया गलत प्रक्रिया है, इसको रोकना चाहिये। इसको राजनैतिक रूप दिया जाता है, यह प्रदेश के लिये शर्म की बात है। दो मिनट का समय और लूँगा (लालबत्ती जलने पर) जहां तक आरोप लगाये जाते हैं, आपने स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराये, क्षेत्र समितियों के चुनाव नहीं कराये। मंहगाई अगर-आस पास के क्षेत्रों में बढ़ेगी तो फिर

भारतवर्ष में भी बढ़ेगी। यदि लखनऊ में बढ़ेगी तो जौनपुर, रायबरेली और फैजाबाद में बढ़ेगी।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मुईद अहमद —

उन निकायों को आपने तोड़ा है, हमने जोड़ा है। गांव सभाओं का चुनाव कराया है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव आया है, माननीय नेता विरोधी दल की ओर से, उस पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पूरा पढ़ा। इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि सत्ता पक्ष से महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जब पेश होता है तो भविष्य में आने वाले बजट का वह प्रतिबिम्ब होता है। अभिभाषण पढ़ने के बाद अफसोस हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिये कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गयी जिससे यह महसूस होता कि यह सरकार किसानों के हित में कोई भी कदम उठाने जा रही है। मान्यवर, सबसे बड़ी चीज यह है कि जो इन्होंने विश्वासघात किया है जनता के साथ वह यह है कि इनके अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं आया है विद्युत की दरों में वृद्धि का। विद्युत की दरों मे 78 करोड़ रुपये की वृद्धि करके जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। 15 रुपये प्रति हार्स पावर को बढ़ाकर 22 रुपये प्रति हार्स पावर कर दिया गया।

यह लोग कहते हैं कि ढाई साल के जनता शासन में जो कमियाँ आ गयी थीं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, ढाई साल के शासनकाल में शक्कर ढाई रुपये बिकवाई जिसे आप साढ़े तीन में बिकवा रहे हैं। जो सड़कें आप ग्रामीण क्षेत्र में बतला रहे हैं, 35 सालों के शासन के अन्दर कभी भी कांग्रेस के जमाने में देहाती क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था नहीं हुई। जनता का शासन था जिसमें सड़क की सुविधा हर गांव तक पहुँचाई गयी। जितने भी साधन थे जो किसानो के काम में आने वाले थे, चाहे वह ट्रैक्टर हो, चाहे ट्राली हो, सभी की कीमतें घटा दी गयीं।

यह सरकार जो अपने को किसानों और गरीबों की हिमायती कहती है, इसके जमाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में बिजली के दाम बढ़ाये जा रहे हैं. खाद के दाम बढ़ाये जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ाये जा रहे हैं, कोई भी ऐसी सुविधा वर्तमान शासन की तरफ से नहीं दी गई है। मुझे आपके माध्यम से यह कहना है गन्ना नीति के विषय में, जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दिया है। इसमें यह दिया गया है कि हमने 430 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है, और जो भुगतान शेष रह गया है उसका भुगतान शीघ्र हो जायेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो चीनी मिलें सरकार बना रही है, उनमें चीनी 3 सौ रुपये प्रति कुँतल के हिसाब से जा रही है और उस पर लागत मूल्य 375/-रुपये आ रहा है। 75 रुपये प्रति कुंतल का जो घाटा आ रहा है, कुछ समय के बाद यह दुगना हो जायेगा। आपके प्रदेश की जनता का आपके ऊपर हो जायेगा। इसके भुगतान के लिये, इसको चुकता करने के लिये आपके पास कोई भी योजना नहीं है।

आपकी जो चीनी मिलें हैं, उनमें भी किसान को एक भाव नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ सरकारी चीनी मिल है तिलहर के अन्दर। उसमें गन्ना 21 रुपये प्रति कुंतल बिक रहा है। दूसरे में 17 रुपये कुंतल मिल रहा है। मान्यवर, प्राइवेट क्रेशरों किसानों को खुला लूट रहे हैं, वहाँ 7-8 रुपये कुंतल गन्ना मिल रहा है। इसलिये मान्यवर, गन्ना के विषय में भी इनकी कोई नीति नहीं है। आज सारा किसान परेशान है। गन्ने का जो उसके ऊपर बकाया है, कोई जरिया न होने की वजह से वह उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है। किसान को जेल में बन्द कर देते हैं, उनकी ट्रक-ट्राली लूट लेते हैं, इस प्रकार का ताण्डव नृत्य हो रहा है। राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है वह बिल्कुल ही जनता की भलाई के लिये नहीं है। 1983-84 के बजट में किसान के लिये कोई भी सुविधा नहीं दी गई है।

मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से कहना है कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में, जिसके बारे में इससे पहले भी कई माननीय सदस्य कह चुके हैं। मान्यवर, बागपत काण्ड का वह हीरो दरोगा गौड़ जो कि आजकल शाहजहांपुर में तैनात है उसने रामरती महिला, जो हरिजन जाति की थी, को 4 दिन तक थाने में रखा और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। वह महिला आयी, पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया। यह आपका न्याय और प्रशासन चल रहा है। हमारे जिले शाहजहांपुर में एक गांव है हाजीपुर। पुलिस ने एक किसान की लाइसेन्सयुक्त बन्दूक को छीन लिया और उसे गोली से उड़ा दिया। उसकी औरत विधवा हो गई है तथा उसके बच्चे बेसहारा हो गये। उस समय श्री मुलायम सिंह जी भी वहीं थे। इस प्रकार मान्यवर, इन दरोगाओं को अपनी-अपनी जगह पर तैनात कर दिया है। यह है आपकी कानून-व्यवस्था।

मान्यवर, हमारे जिले शाहाजहांपुर के अन्दर तीन आदमियों को मौत के घाट उतार दिया लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। हम विरोधी तत्काल वहां पर पहुँचे परन्तु सत्ता पक्ष के कोई भी माननीय सदस्य और मन्त्री तथा सांसद सदस्य वहां पर नहीं गये।

[ 4 बजे अपराह्न ]

उनकी बात को जाने दीजिए। एक एकाउटेण्ट था, उसका तबादला कर दिया गया बीच सत्र में ही। इस सम्बन्ध में हमने ब्रह्मदत्त जी से अनुरोध किया कि इसकी पत्नी पागल है, उसके सर्टिफिकेट आदि दिखाये। तब मा० मन्त्री जी ने बात को सुना और उसे यह आदेश कर दिये कि यह ट्रांसफर रद्द कर दिया जाय। फिर मैं दस रोज बाद मामले की स्थिति की जानकारी के लिये गया तो मालूम हुआ कि सचिव ने रिपोर्ट लगा दी कि उसका ट्रांसफर नहीं रोका जा सकता है। हम मा० मन्त्री जी के पास पुनः गये और उसी स्थिति को फिर दोहराया तो मा० मन्त्री जी ने कहा कि अब यह ट्रांसफर रुक नहीं सकता है, केवल मैं यह-यह संशोधन कर सकता हूँ। तब मैं फिर सचिव से मिला और उन्होंने फिर उस ट्रांसफर को फौरन रोक दिया तो मान्यवर, आज यह स्थिति है एक मा० मन्त्री और सचिव की। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आज जो यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह बिल्कुल अपनी जगह सही है क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस प्रदेश की जनता के लिये प्रगति के रास्ते व इन पर भविष्य में अग्रसर होने की कोई रोशनी नहीं डाली है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

*श्री तेज बहादुर सिंह—

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हिन्दुस्तान की आवाम इस बात को जान चुकी है कि उनकी तरक्की और खुशहाली अगर सम्भव है तो केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी की रहनुमाई में ही है। कुछ समय पहले एक अवसर हमारे अन्य भाईयों को मिला, उसमें जनता ने देखा उनके कार्यों को इसलिए उन्हें उस स्थान से हटाकर फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी की रहनुमाई को पसंद किया। इस समय मौजूदा सरकार ने जिन-जिन कार्य-कलापों को किया, उन सब का जिक्र इस अभिभाषण में भलीभांति रूप में किया गया है, चाहे वह खेती की बात हो, चाहे वह मंहगाई को दूर करने की बात हो, चाहे उद्योग-धंधों की बात हो और चाहे विद्युत की स्थिति को सुधारने की बात हो, इस तरह हर प्रकार की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के द्वारा जो भी प्रयास गरीबों के उत्थान के प्रति किये जा रहे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। हर मामले में विधायक बन्धुओं से उनकी राय ली जाती है।

जब भी कोई बात हरिजन भाईयों को अनुदान आदि देने की होती है और मकान आदि बनवाने की बात आती है, तब वह गरीब असहाय हमारे पास आते हैं, हम उन पर संस्तुति करते हैं। इस प्रकार आज हमारे इन भाईयों के कितने मकान बन रहे हैं, उनकी जानकारी मा० सदस्यों को अवश्य होगी। मान्यवर, मुझे यह भी कहना है कि कृषि के क्षेत्र में जहां तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्नति करने की बात है वह निर्भर करता है कि पानी की उचित व्यवस्था सिंचाई की उचित क्षमता पर और ऐसा करने के लिए सरकार स्वयं कृतसंकल्प है, चाहे ट्यूबवेल लगवा कर, चाहे नहरें लगवा कर। जहां तक टीका-टिप्पणी का सवाल है, वह तो हुयी हैं और होती रहेंगी, लेकिन सवाल यह जरूर है कि कभी-कभी अच्छे कामों की प्रशंसा भी होनी चाहिए, जिसका प्रायः अभाव सा लगता है।

(इस समय 4 बजकर 4 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमारे मा० विरोधी दल के नेताओं द्वारा तमाम बातें जो दर्शायी गयीं चाहे वह मंहगाई के प्रति रही हों, चाहे भ्रष्टाचार के प्रति रही हों, चाहे भुखमरी के प्रति रही हों, मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी किसी परिवार में किसी अच्छे मालिक के हटने के बाद किसी गलत मालिक की नियुक्ति हो जाती है, वह गलत मालिक परिवार की सारी कमाई हुई सम्पत्ति को बरबाद कर देता है। परिवार के लोगों को कुछ दिनों के लिये सुख जरूर मिलेगा लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मंहगाई आसमान छू रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आबादी बढ़ेगी, निश्चित रूप से मंहगाई बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता।

उद्योग-धन्धों में जो हमारा प्रदेश काफी पीछे था, आज त्वरित गति से विकास किया किया जा रहा है। इसके लिए जो भी आदमी उद्योग लगाना चाहे, उसको काफी सरकारी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। सरकारी उद्योग-धन्धे भी लगाये जा रहे हैं। प्राइवेट उद्योग-धन्धों के लिये बिजली में कटौती नहीं की जायेगी। जो उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हैं, वे जो भी सहूलियत सरकार से चाहेंगे, नियमानुसार दी जायेगी। इस ओर काफी लोगों का झुकाव भी हुआ है और उद्योग-धन्धों को लगाया जा रहा है। कृषि के साथ-साथ उद्योग-धन्धों के लगाने की भी आवश्यकता होती है।

जहां तक अपराध के ऊपर चर्चा की गई, मुझे यह निवेदन करना है कि हम सभी सदस्यगण जनता के द्वारा चुनकर आये हैं। हमारी सभी की यह ड्यूटी होती है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनका पर्दाफाश करें, सरकार का सहयोग करें तो निश्चित रूप से अंकुश लगाया जा सकता है।

जहां तक दंगे का प्रश्न है चाहे वह मेरठ का दंगा हो या मुरादाबाद का दंगा हो, हम सब चर्चा करते हैं कि मुसलमान भाईयों को वहां मारा जा रहा है, हिन्दू भाईयों को वहां मारा जा रहा है। हम सब ऐसी चर्चा करना बन्द कर दें। जो आवाम को गुमराह करने की साजिश की जाती है, उसको बन्द करने का प्रयास करें। हमारे मुसलमान भाई जो हिन्दुस्तान में रह रहे हैं, उसमें से बहुत से लोगों को विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे जौनपुर के तो बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं। वे जब आते हैं तो इस बात को कहते हैं कि हिन्दुस्तान के

मुसलमान काफी खुशहाल हैं, सरकार उनको सारी सुविधायें देती है। हम लोग विदेशों में किस प्रकार जीवन-बसर कर रहे हैं, इस बात को तो हम ही जानते हैं। उस समय हमारा सीना फख्र से ऊँचा हो जाता है। हमारी सरकार जो कुछ कर सकती है, कर रही है। कांग्रेस पार्टी के अलावा ढाई साल के शासनकाल में जो कुछ हुआ, उससे हम सब अवगत हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी की रहनुमाई में जनहित के बहुत से काम हुए हैं। क्या जनता पार्टी के लोग ऐसा बता सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया, जो जनहित में रहा हो। मैं आग्रह करूँगा कि मा० सदस्य जो इस तरह की बात करते हैं, जो संकीर्णता की बातें यहां पैदा की जाती हैं तो हम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये। पूरे प्रदेश की जनता एक है, जनता की खुशहाली के लिये जो भी सम्भव हो सभी भाईयों को एकजुट होकर उस ओर ध्यान देना चाहिए, इसी के साथ मैं श्री राजेन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन देता हूँ और माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन दिया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होने यह भी नहीं कहा कि हम भ्रष्ट मन्त्रियों को निकालेंगे। मान्यवर, जो अनाज 142 रु० क्विन्टल में खरीदा गया वह 160 रु० क्विन्टल में बिक रहा है, यह मन्त्रियों की साजिश से बिक रहा है। सरकारी राशन की दूकानों पर गेहूँ उपलब्ध नहीं है, सिर्फ आटा बिक रहा है या फिर चावल मिल रहा है। मान्यवर, आज—

श्री बासुदेव सिंह—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा समाचार-पत्रों को और विधायकों को चुनौती देता हूँ कि जहां पर खराबी हो वे बता दें।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रामपुर के ग्रामीण क्षेत्र में 75 सरकारी दूकानें हैं उनमें एक दाना अनाज का उपलब्ध नहीं है। यदि वहां एक दाना अनाज का पहुँचा हो तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ मन्त्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, ये सदन में गलतबयानी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है कि बावजूद आपके पीठासीन होने के इन्होंने सदन के अन्दर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मन्त्री जी ने सदन में झूठा बयान दिया है और सदन को गुमराह किया है। रामपुर में 75 दूकानें हैं सस्ते गल्ले की ग्रामीण क्षेत्र में परन्तु वहां पर एक दाना अनाज का नहीं पहुँचा है। मान्यवर, प्रदेश में लगभग 50 लाख.....

(व्यवधान)

मान्यवर, इनको अहसास नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। सदन में आपकी उपस्थिति में सदन को गुमराह कर रहे हैं। मान्यवर, जब हमारा गेहूँ खरीदा जा रहा है वह किसानों से 121 रु० 60 पैसे क्विन्टल का खरीदा जा रहा है।

श्री धरम पाल—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्य महोदय जिस समय अपना भाषण दे रहे थे उन्होंने उस समय असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसे आप सदन की कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यदि इस प्रकार की भाषा होगी उसको देख कर कार्यवाही से निकाल देंगे।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय मन्त्री जी ने अखबार वालों को और विधायकों को चुनौती दी है। श्री बलवीर सिंह, विधायक ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया है।

श्री बासुदेव सिंह—

हां, हां चुनौती दी है।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

सरकारी दूकानों पर सड़ा गेहूँ और सड़ा चावल पहुँचा देते हैं, आज उसका नमूना आपको देखने को मिला ही है मान्यवर, और यहां सदन की कार्यवाही गलतबयानी करके रोकना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हर गोविन्द जी, मैं आपको बोलने की आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(शोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई चीज लिखी नहीं जायेगी। आप कृपया कर बैठें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ । आप कृपया बैठिये ।

(व्यवधान)

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कृपया बैठें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो यहां सदन में कहा है वह सदन की सम्पत्ति बन गया है । कल ही सदन में एक कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर यह कहा गया था कि बुन्देलखण्ड में खाद्य-वितरण की व्यवस्था में गड़बड़ी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें, भाषण न दें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं त्याग-पत्र देने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी बात गलत निकले, वरना अगर मंत्री जी की बात गलत हो तो वे त्यागपत्र दे दें ।

श्री बासुदेव सिंह—

मैंने यह कहा है कि हमने गेहूँ की व्यवस्था कर दी है और अगर कहीं के बारे में माननीय सदस्य कोई सूचना देंगे तो हम उसे दिखवा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

आप इस पर मान्यवर, कल चर्चा, करा दें ।

(शोर-व्यवधान)

श्री जटाशंकर सिंह—

प्रदेश में कहीं पर भी आटा और गेहूँ नहीं दिया जा रहा है । उन्होंने (मंत्री जी ने)

चुनौती दी है और मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार किया है, आप दोनों पहलवानों को लड़वा दीजिए, स्थिति साफ हो जायेगी। जब एक पहलवान उनकी चुनौती को स्वीकार कर रहा है तो आप उसका अवसर दीजिए। (शोर-व्यवधान) देवरिया में उनकी रिश्तेदारी है, वे स्वयं चल कर देखें वहां एक भी दाना जनता के लिए उपलब्ध नहीं है।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

ग्रामों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 4 हजार दुकानें हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में एक दाना भी अनाज का नहीं मिल रहा है इन दुकानों के जरिए से। न आटा मिल रहा है और न चावल मिल रहा है। माननीय मंत्री जी भी और यह मंत्रि मंडल भी पैसा खाकर ब्लैक करवा रहे हैं।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि 9 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायेगा। मैं इस बहरी, अंधी और गूँगी सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसानों का 55 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर बाकी है और वह दिलाने में यह सरकार असमर्थ रही है। जब आप 9 लाख की गरीबी हटाना चाहते हैं तो इन 50 लाख को क्यों गरीब किया जा रहा है। तो यह इनके कार्य-कलाप हैं मान्यवर, आज प्रदेश में हर थाने में हर क्षेत्र में पुलिस का राज्य है। गरीब आदमी जब रिपोर्ट लिखाने जाता है तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और लिखी भी जाती है तो जो वह कहता है वह नहीं लिखी जाती है। अगर डकैती की रिपोर्ट वे दर्ज कराने जाते हैं तो चोरी की लिखी जाती है।

मान्यवर, हरिजन बस्तियों के सुधार की बात यह करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि वहाँ पर बिजली देने के लिए लाइन तो बिछा दी है परन्तु बिजली की सप्लाई नहीं की जाती है, जिससे हरिजन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। हरिजन लोग इनको गालियां दे रहे हैं। लाइन तो बिछा दी है लेकिन बिजली नहीं है, मान्यवर यह सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया गया है। मान्यवर, सरकारी अफसरों ने जो ग्रामीण रोजगार योजना है उसके अन्तर्गत तबाही मचा रखी है। गरीबों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है, वह सारा का सारा अनुदान सरकारी अफसर खन्ड विकास अधिकारी और मंत्री सभी की जेब में चला जाता है। जो सामान 500 का होता है वह 1 हजार रुपये का दिखाया जाता है और 1000 रुपये का जो सामान होता है वह 2 हजार रुपये में दिखाया जाता है। सारा अनुदान सरकारी अधिकारियों की जेब में चला जाता है।

मान्यवर, अभी मैंने अपने संशोधन में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में 24 घन्टे बिजली की आपूर्त्ति की जाये। उन्होंने उद्योग लगाने की बात कही है, उत्पादन बढ़ाने की बात कही है, लेकिन बिना बिजली के यह सब कैसे सम्भव होगा। देहात में बिजली 4–6 घंटे मिलती

है तो इससे उत्पादन कैसे बढ़ेगा। जो राजकीय नलकूप हैं वह रोज औसतन 1 घन्टे चलता है। तो इसी तरह से क्या उत्पादन बढ़ेगा। लोग उद्योग और कुटीर उद्योग क्या बिना बिजली के लगायेंगे।

(लाल बत्ती होने पर)

मेरा समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। व्यवधान का समय इसमें न जोड़ा जाये। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का पिछला 55 करोड़ रुपया बकाया है, उसको अदा किया जाये और जो नियम है कि 15 दिन तक अगर उनको भुगतान किया नहीं जाता तो वह रुपया मय ब्याज के भुगतान किया जायेगा। 35 सालों में 31 साल राज्य करने के बाद भी यह सरकार मजदूरों का शोषण कर रही है। उनको आज भी न्यूनतम वेतन उन्हें साढ़े आठ रुपया मिलना चाहिए। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए लेकिन ये बेशर्म हैं। मान्यवर, रामपुर जनपद की हर तहसील में शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर कोई भी डिग्री कालेज नहीं है और यह कहते हैं कि शिक्षा का प्रबन्ध किया जायगा।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी मेरा समय नहीं हुआ है। 4.20 पर मैंने भाषण देना शुरू किया और तभी से मैं घड़ी देख रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—

आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री बलवीर सिंह—

सारा देश सन् 1947 में आजाद हुआ था परन्तु हमारा जनपद रामपुर 1952 में आजाद हुआ, वह एक रियासत थी। यहां पर पिछले 30 सालों में एक भी उद्योग जनपद रामपुर में नहीं लगाया गया है।

मान्यवर, रामपुर जनपद की सभी नहरों में 25 प्रतिशत सिंचन क्षमता है लेकिन जब राजकीय नलकूपों का कोटा होता है तो वहां पर उन्हें 4/5 ही दिए जाते हैं। मंत्रियों के क्षेत्र में लगना हो तो उनकी संख्या 25, 50, 100 और दो-दो सौ तक हो जाती है। इस तरह से जो भ्रष्टाचार फैला रखा है उसको समाप्त किया जाना चाहिए।

स्थानीय निकाओं—नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और सहकारी समितियों को इन्होंने भंग कर दिया। ढाई वर्ष बीतने जा रहे हैं, चुनाव का नाम नहीं है। आप प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं। यह तानाशाही की सरकार कब तक चलेगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह डिक्टेटरशिप है और इसे तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए।

मान्यवर, आज हमारे प्रदेश के मंत्रि-मंडल को अन्न के लिये केन्द्रीय सरकार के आगे झोली फैलानी पड़ रही है। केन्द्र की सरकार कहती है हट जाओ, गेहूँ नहीं दिया जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह निकम्मा मंत्रि-मंडल आइन्दा अपने गेहूँ का भण्डारण खुद करे जिससे अपने भण्डारण से गेहूँ के वितरण की व्यवस्था की जा सके।

भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। भ्रष्टता चरम सीमा पर है। आज किसी भी दफ्तर में चले जाइये, बिना पैसा लिए किसी का काम नहीं होता है। कोई भी काम नहीं होता है। कोई भी काम चाहे वह जायज हो या नाजायज, बिना रिश्वत लिये वह नहीं होता। इसके बारे में महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा है। पूरे प्रदेश में आज सिचाई की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि 35 साल बीत जाने पर भी 30 प्रतिशत सिचाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। सभी नदियों को गहरा करके, उसमें नहरें निकाल करके सैलाब को रोका जा सकता था। लेकिन इस बहरी, गूँगी और निकम्मी सरकार के मंत्री कुछ नहीं सुनेंगे। अपने ऐशो-आराम से इन्हें फुरसत नहीं है। मैं कहता हूँ कि जागो, वरना हटा दिये जाओगे।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री बलवीर सिंह—

दो मिनट बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह मुझे तय करना है, आपको नहीं।

श्री बलबीर सिंह—

अन्त में मैं राज्यपाल महोदय से मांग करता हूँ कि इस भ्रष्ट मंत्रि-मंडल को तुरन्त हटाया जाय।

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज दिनाँक 9-2-83 को नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली श्री रियासत हुसैन, श्री राम गोविन्द तथा श्री फखरे आलम की है जो कि लखनऊ स्थित जवाहर भवन में एक सब-इन्सपेक्टर द्वारा रिटायर्ड जज को पीटने के सम्बन्ध में है—इसे स्वीकार किया गया है। दूसरी श्री राम स्वरूप वर्मा की कानपुर से लेकर मेरठ तक के पश्चिमी

जिलों में आलू के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की 26–27 नवम्बर, 1982 को सचिवालय में घटी घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की फतेहपुर स्थित आबूनगर में कल्लू सिंह नामक नवयुवक को पुलिस द्वारा जिन्दा जलाये जाने के सम्बन्ध में है, पाँचवी श्री प्रदीप कुमार यादव की जनपद हरदोई के थाना वेहटा गोकुल के अन्तर्गत पुलिस द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में है, छठी श्री सरदार सिंह की दिल्ली-आगरा मार्ग पर एक बस व मेटाडोर में हुई भिड़न्त से 12 लोगों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं श्री हरिवंश सहाय और श्री नन्द किशोर सिंह की जनपद देवरिया में सलेमपुर थाने के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हत्या तथा डकैती किये जाने के विरोध में आमरण अनशन के सम्बन्ध में है। एक सूचना श्री सत्यपाल सिंह यादव ने शाहजहांपुर के विकास खंड बदायूं तथा विकास खंड मिर्जापुर को काटकर फर्रुखाबाद में मिलाये जाने के सम्बन्ध में दी है।

श्री नरेन्द्र सिंह ने श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, प्रधानाचार्य इन्टर कालेज, मेरठ को गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में दी है। मैंने इन सब को पूरे तरीके से देखा है। इनमें से नियमानुसार एक ही सूचना स्वीकार की जा सकती है इसलिये मैंने श्री रियासत हुसैन, श्री राम-गोविन्द और श्री फखरे आलम की सूचना को स्वीकार किया है। बाकी अस्वीकार हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इस पर कब वक्तव्य दिलायेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

15 या 16 ता० को कर दीजिये।

## शासन तथा विद्युत् कर्मचारियों के बीच हुये समझौते का शासन द्वारा पालन न किये जाने सम्बन्धी वक्तव्य पर तिथि निर्धारण

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, एक निवेदन है सुबह नियम 56 में मैंने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक नोटिस दिया था जिसे आपने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। आज रात से

हड़ताल होने वाली है उसमें आज ही वक्तव्य आ जाय तो अच्छा रहेगा, उसमें सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहा है कि हड़ताल न हो ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें संसदीय कार्य मन्त्री जी ने वक्तव्य के लिये क्या तय किया ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

इस समय तो इसकी कोई जानकारी नहीं है । पर 14 ता० को वक्तव्य दिया जा सकता है ।

श्री रियासत हुसैन—

आज रात से हड़ताल होने वाली है वह न हो उसके लिये क्या प्रयास हो रहा है । इससे तो मालूम होता है कि सरकार ने इसकी कोई इम्पार्टेन्स नहीं ली है ।

श्री मोहन सिंह—

सारी सूचना लखनऊ में होगी ।

श्री अम्मार रिजवी—

हड़ताल समाप्त किये जाने के सारे प्रयास जारी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी बिजली की हड़ताल के बारे में जो भीखा लाल जी ने प्रातःकाल दिया था उसमें क्या कल नहीं हो सकेगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

कल किया जा सकता है मान्यवर, जो आपकी आज्ञा है ।

## श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(क्रमागत)

*श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राजेन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है जो इस प्रदेश को 11 करोड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता की आकांक्षाओं और आशाओं का प्रतीक है उनका हृदय से समर्थन करता हूँ और कुछ निराश्रित पिटे हुए राजनीतिक रूप से दिवालिये लोगों द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव का तीव्र विरोध करता हूँ। मान्यवर, विपक्ष के पास जनता के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई सिद्धान्त नहीं है और यहां पर यह कोरे भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं ! मुझे याद आ रहा था इनके जनता शासन में एक मन्त्री के विषय में कलकत्ता से प्रकाशित एक मन्त्री ने लिखा था एक वरसरे वजीर आजकल लखनऊ में रह रहे हैं इसलिए इलाके के जानवरों की चोरी में कमी आई है। तो वह विपक्ष के लोग जो कल तक यहां बैठे थे जिन्होंने न सिर्फ जानवरों की चोरी की बल्कि औरतों की भी चोरी की.....।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय सदस्य जिन स्वर्गीय मन्त्रो जो के बारे में कह रहे हैं वह इस सदन में नहीं हैं तो जो आदमी मर चुका हो उसके लिये कुछ कहना उचित नहीं होगा और यह बात कार्यवाही में आना क्या उचित होगा।

श्री अध्यक्ष--

कार्यवाही को देखकर मैं निर्णय ले लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मैंने किसी का नाम नहीं लिया। माननीय रियासत साहब ने तो नाम ही प्रकट कर दिया।

श्री कुबेर भंडारी--

आपातकाल में आपकी सरकार में चकला चलाने वाले एक व्यक्ति आपके यहाँ सदस्य बन कर आये हैं।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

कुबेर जी मवेशियों की चोरी नहीं करते हैं वह चूहों की करते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मा० अध्यक्ष महोदय, बात चल रही थी कानून व्यवस्था की तो कानून व्यवस्था में जब 1980 में सत्ता हमने संभाली थी तो विरासत में मिला था, 36 पंजीकृत डाकुओं का दल

जो इनके राज्य में फला-फूला, वह हैं छवि राम, पोथी, महाबीर जैसे लुटेरों के दल जो विपक्ष की आज शोभा बढ़ा रहे हैं और उनके तत्कालीन मन्त्री इटावा के थे। श्रीमती सुखदा मिश्रा यहां होंगी, एक मंच पर संसद के चुनाव में तत्कालीन सहकारिता मंत्री बैठे थे, एक अबला चिल्लाई थी मन्त्री जी आपके बगल में एक व्यक्ति बैठा है जिसने कल हमारे यहां डकैती डाली थी। तो मान्यवर, जिस जनता सरकार ने, कैबिनेट स्तर के मन्त्री ने जिनका इस तरह के लोगों का साथ हो, और उनको सम्मान दिया हो तो उसका खामयाजा इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। उन लोगों का, डाकुओं का, हमने सामना किया और 135 पुलिस कर्मियों ने अपनी जान देकर उनका सफाया किया जैसे पोथी, छविराम, महाबीर गैंगों का। एक आदर्श पुतलीबाई बची है। वह भी प्रदेश को छोड़कर चली गयी है उसका कारण है हमारी सरकार कृत संकल्प है विरोध पक्ष द्वारा घोषित डाकुओं का सफाया करने को, चाहे हमको जो कुर्बानी देनी पड़े।

मान्यवर, मेरठ में दंगे की बात की गयी। वहाँ जिन मासूमों की हत्यायें की गयीं उसके लिये जिन्होंने हत्यायें कीं वह उसके लिये गुनहगार हैं लेकिन उनसे ज्यादा गुनहगार वह हैं जो मासूमों की हत्याओं को लेकर हिन्दू-मुस्लिम दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं। मेरठ का दंगा उस समय हुआ जब दिल्ली का चुनाव करीब था। तो मेरठ को क्यों चुना गया। वह इसलिये कि उस स्थल से दिल्ली करीब थी और वह लोग दिल्ली में अपने मनसूबों को पूरा होना देखना चाहते थे। लेकिन दिल्ली की जनता ने उनके मनसूबों को चकनाचूर कर दिया और वह अपनी ही आग में जलकर समाप्त हो गये। मैं पूछना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह और जनता पार्टी के दलों को वहां क्या हश्र हुआ। वहां दिल्ली प्रदेश की जनता ने यह निश्चय कर दिया कि वह श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ हैं।

मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश में जो स्थिति है उसमें मजबूत विपक्ष में हम उभरे हैं। परन्तु तथाकथित राष्ट्रीय दल कहने वाला लोकदल, भारतीय जनता पार्टी वहां समाप्त हो गयी है और कफन ओढ़े नीचे पड़े हैं।

मान्यवर, विद्युत उत्पादन को देखें तो 1977 से 1980 में और 1980 से 1983 में क्या स्थिति है। पहले उद्योगों में जो कटौती लागू थी और घरों को जहां अंधेरे में डूबो रखा था वहाँ बिजली कटौती को हमने पूरी तरह से हटा लिया है और उद्योगों को निरन्तर बिजली मिल रही है। यह इसलिये कि हमारी जो राष्ट्रीय नीति है उसके तहत हमने एक नीति बनाई है कि विद्युत उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप हो। लेकिन तारों के खींचने वाले उधर बैठे हैं और हम उन तारों को बिजली दे रहे हैं।

मान्यवर, हरिजनों के सम्बन्ध में विपक्ष के लोगों ने कुछ नहीं किया है और यह जगजाहिर है कि इनको यह बात अच्छी तरह मालूम है कि जिस दिन यह हरिजन खुश हों और

शिक्षित होगा, तो यह हमारा दल मजबूत होगा और जिस दिन हरिजन जागेगा, इनका स्थान यहाँ नहीं, इस सदन के बाहर होगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, पहली बार यह शुभ प्रयास किया गया है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 15 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाये । यह निसन्देह एक प्रशंसनीय प्रयास है, जो हमारे दल के सिद्धान्त में समाहित है । लेकिन इनके दल में एक ही सिद्धान्त है– हरिजन परिवारों की हत्या करना, हरिजनों के घरों को जलाना । किन्तु इन हरिजनों के घरों को जो इन्होंने जलाया है, उनको हमने आबाद किया है । शिक्षा का जहां तक सवाल है, हम जितना अधिक से अधिक हरिजनों को शिक्षित कर सकते थे वह किया है । हमारी सरकार द्वारा अब कक्षा 9, 10 व 11 के छात्रों को निश्चित रूप से सरकारी वजीफा मिलेगा । किसी भी प्रदेश के उत्थान के लिये जरूरी है कि जब हम अपनी नीतियां बनायें, अपने संसाधनों की ओर बराबर ध्यान रखें ।

हम एक गरीब देश के रहने वाले हैं, हम प्रगति के रास्ते पर आगे तभी बढ़ सकते हैं, जब हम अपने संसाधनों को बढ़ा कर, उनके साथ सामंजस्य करके चलें । पहली बार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का संकेत मिला है कि जिन घरों में भुखमरी है और लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उन हर घर में कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास किया जायेगा । आज के अखबारों में आप सबने पढ़ा होगा, हमें जो केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है वह ऐतिहासिक है और बहुत ज्यादा है । रियासत हुसैन साहब ने अखबारों की कटिंग से कहा है कि माननीय श्रीपति मिश्र आन वे आउट । लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 323 सदस्यों की यह सरकार एक मजबूत सरकार है और श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों में इसकी पूरी आस्था है और सन् 85 के चुनाव में हम अपनी नीति और सिद्धान्त के बल पर आपके मुकाबले चुनकर आयेंगे तथा इससे गहरी आपको उसमें शिकस्त देंगे ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोधी दल के नेता श्री राजेन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं इसी संशोधन के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । यहां पर तीन दिन से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर यह चर्चा चल रही है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सत्तारूढ़ दल के जो हमारे मित्र हैं गरीबों के माई-बाप, इनकी कोठियाँ, इनके पहनावे और इनके शरीरों जो देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में इन्होंने गरीबों का बहुत कल्याण किया है। यह लोग दो नाम बराबर लेते हैं। एक तो प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी का और दूसरा हरिजनों का क्योंकि दो ही नाम ऐसे हैं, जो हिन्दुस्तान के लोगों को प्रभावित करते हैं। अपनी असलियत को यह बतायें और हम भी बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम उसको दे सकें लेकिन हम इस सदन के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहते हैं कि इस दरम्यान में जितने लोग शीत लहरी से मरे, वह कौन थे ? क्या उसमें कोई ठाकुर था, कोई राजा था या कोई तिलकधारी पंडित था ? वह गरीब थे, वह हरिजन लोग थे, वह निहत्थे लोग थे, जिनके वोटों पर यह सरकार जीतकर आती है।

हमने दिल्ली के चुनाव को देखा है, उसको देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ है कि यह देश कहाँ जा रहा है। इन लोगों ने वहां पर चुनाव जीतने के लिए गरीबों के मुखिया को खूब रुपया दिया है, उन्हें खूब शराब पिलाई है। खूब रुपया दिया और वह बेचारे गरीबों को बहका-बहका कर अपने पक्ष में वोट डलवाये और ये लोग यह हल्ला कर रहे हैं कि हमने तोप डाल दिया, हमने बड़ा कमाल कर दिया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर कई बार माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा बजट दिया जाता है। माायवर, गत 3 वर्ष से केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम यह सारे देश में लागू हुआ है। उसका सबसे ज्यादा प्रभाव यदि कहीं पड़ा है, तो पर्वतीय क्षेत्र में पड़ा है। इसमें महामहिम राज्यपाल ने बताया कि 480 किलो मीटर सड़क पर्वतीय क्षेत्र में होगी। मान्यवर, तीन साल से मैं लगातार इस बात के लिए लिख रहा हूँ, कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के मन्त्री भी हैं, लेकिन वहां पर न तो जूनियर हाई स्कूल है, न इण्टर कालेज है और न कोई नई सड़क है, और न कोई सिचाई योजना है और न कोई अस्पताल की बिल्डिग बन रही है और ये कहते हैं कि पारसाल 96 करोड़ रुपया दिया, उसके पहले कहा कि 46 करोड़ रुपया दिया।

इस साल कहते हैं कि 104 करोड़ रुपया दिया। मैं नहीं समझ पाया कि यह जो रुपया दिया जा रहा है यह कहां जा रहा है। मैं आपको बताऊँ कि पर्वतीय क्षेत्र में, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जो कहीं पर बैठे होंगे, मेरी नजर जरा कमजोर है, तीन वर्ष से मैं चिल्लाता आ रहा हूँ कि हमारे पहाड़ों पर, ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर नहीं हैं, और न कम्पाउडर हैं, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा कि मैं उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर अस्पतालों

में डाक्टरों की व्यवस्था नहीं हो सकी। हमारे पहाड़ों पर ग्रामीण अंचल में, जिनको हरिजन कहते हैं, उनके बच्चों का, उनकी महिलाओं का इलाज नहीं हो सका और इलाज के अभाव में उनके प्राण चले गये। अगर इनको पीड़ा होती, जो हमारे हजारों चिकित्सक थे, स्वास्थ्य मन्त्री जी का और सेक्रेटरी का दरवाजा कई डाक्टरों ने खटखटाया, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। हमारे पहाड़ों पर तीन साल से साढ़े 6 हजार अध्यापक इण्टर कालेज में नहीं हैं। हमारे यहाँ पर एक इन्टर कालेज देवालय है, जिसमें अध्यापक नहीं हैं। मान्यवर, बलदेव सिंह आर्य जी जो हमारे पर्वतीय विकास के मन्त्री हैं, ये उत्तरकाशी जिले के एकमात्र विधायक हैं। वहां पर एक प्रधानाध्यापक है। वहाँ पर सारे जिले में एक प्रधानाध्यापक है। हमारे यहां पानी पहाड़ से आ रहा है। आज भी सिचाई मन्त्री जी अगर हमारे साथ चलें, तो देखें, रियासत साहब ने जिक्र भी किया, इनके क्षेत्र में मैं स्वयं गया, नहरों में पानी नहीं है। 75-76 से जो गरीब बेलदारी का काम कर रहे थे, इन्होंने सारे प्रदेश से उनको निकाल दिया। मैं सिचाई मन्त्री जी से मिला, मैंने कहा कि यह क्या अन्याय कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अभी तो 10 ही हजार निकाले हैं, 3 हजार और निकालेंगे। तो इस तरह से तो यह सरकार गरीबों की हिमायत करती है। इसके अलावा हम आज एक-एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं। आज गांवों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से जल संस्थान बनाया गया है, मैंने कई बार अनुरोध किया कि आप लोग मेरे साथ चलिये, मैं उन योजनाओं को दिखाना चाहता हूँ।

लेकिन मान्यवर, कोई जाने को तैयार नहीं है और एक-एक बूंद पानी के लिये गांव वाले तड़प रहे हैं।

मैं आपका ध्यान सुरक्षा की ओर दिलाना चाहता हूँ। पर्वतीय क्षेत्र में डकैतियां नहीं पड़ती थीं लेकिन जबसे यह सरकार बनी है, क्योंकि यह दूसरों पर आरोप लगाते हैं, जानता हूँ कि जितने डकैत इस दल ने हिन्दुस्तान के अन्दर पाल रखे हैं शायद किसी दूसरे दल ने पाले हों। मैं अपने दल का अकेला आदमी हूँ।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 25 जनवरी को मेरे क्षेत्र के किनार गांव जो सड़क से डेढ़ कि० मीटर है वहाँ पर दिल्ली से कार लेकर बदमाश आये और

कार सड़क के किनारे खड़ी करके 7 बजे गाँव के अन्दर गये और लगभग सवा लाख रुपया डाकू लूट ले गये और 4 आदमियों को घायल कर दिया जबकि थाना वहां से नजदीक में है तो यह सुरक्षा व्यवस्था है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में गरीबों का जिक्र किया है लेकिन गरीब की लूट हो रही है। जैसे राम का नाम लेकर लूट करते हैं उसी प्रकार आज सत्तारूढ़ दल गरीबों का नाम लेकर लूट रहा है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि इस देश का क्या होगा। लोकतंत्र की व्यवस्था के लिये लोग जेल गये, आंदोलन किया लेकिन आज जैसी लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें कोई कुछ करना चाहता हूँ तो सुबह से लेकर शाम तक अरुण नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की खुशामद करे तो मन्त्री बन सकता है। यह बेचारे हां हां में हाथ खड़े करते हैं इसमें से जितने भी मन्त्री बने हालांकि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता लेकिन बेचारे जितने भी हैं इनको अपनी नौकरी पक्की होने का भरोसा नहीं है और दूसरे तीसरे दिन दिल्ली जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

चूंकि मान्यवर, इनको अपनी नौकरी पक्की करनी है इसलिये दिल्ली जाते हैं इस प्रदेश को देखते नहीं हैं। वहां वह कहते हैं कि प्रदेश ठीक हो रहा है। इन शब्दों को कहकर मैं जो नेता विरोधी दल ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आदरणीय सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि 3 फरवरी, 1983 को मैंने आपको एक पत्र भेजा है। आज "पार्लियामेंटरी इनवायरमेंटल फोरम" में माननीय दिग्विजय सिंह का भाषण होगा और कुछ बातें होंगी जिसकी इत्तला आप लोगों को दे दी गयी है। कृपा करके सेशन के बाद तिलक हाल में पधारने का कष्ट करें।

श्री वृद्धि नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव के समर्थन में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आज हमारे विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों ने कहा कि यह सरकार गूंगी, बहरी है और अन्य तरह-तरह की बातें कहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे

विरोध पक्ष के लोग या गूंगे या बहरे हो गये हैं या सत्य बोलना नहीं चाहते हैं। या इन्हें दिखायी नहीं दे रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ जैसा कि हमारे सीनियर मेम्बर्स ने भी कहा कि इस सरकार में मंहगाई बढ़ी है, उत्पादन घटा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है लेकिन मैं सन् 77 के उन दिनों की याद दिलाना चाहता हूँ कि जब एक लीटर डीजल के लिये किसान 4 4 घंटे खड़ा रहता था मैं उन दिनों की याद दिलाना चाहता हूँ कि बनारस में डेढ़ महीने तक दंगे चलते रहे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बिजली उन दिनों 4 घंटे मुश्किल से किसानों को मिल पाती थी।

दूसरी तरफ उत्पादन के लिए उद्योगों को जो आप बिजली देते थे उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस सरकार ने चाहे उत्पादन हो, कृषि उत्पादन हो या सिचाई क्षमता हो, निर्यात या अयात हो जो भी कार्य देश और प्रदेश के लिए हो सकते हैं, करने का पूरा प्रयास किया है। इन सब की वजह से ही श्रीमन् चाहे उप चुनाव हों, प्रधानों के चुनाव हों या अन्य कोई कार्यक्रम हों, उसमें जनता ने हमारा समर्थन किया है। मान्यवर, आप पिछले आंकड़े देखें तो विदित होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो निर्यात करती रही है, उसमें काफी वृद्धि हुई है। हम जो चीनी का उत्पादन करते हैं उसमें नयी चीनी मिलों की स्थापना, मशीनों के अधुनिकीकरण एवं उचित रखरखाव के कारण हमने चीनी के उत्पादन में काफी वृद्धि की है।

वितरण व्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ है। यह संभव है कि कहीं इस व्यवस्था में कुछ त्रुटि है, सामान का अभाव है लेकिन अधिकतर शासन का यही प्रयास है कि जनता को व्यवस्था के द्वारा उचित दामों पर सामान मुहैय्या कराया जाय। मान्यवर, साथ ही साथ मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज अनेकों अस्पतालों को उच्चीकृत किया गया हैं, कइयों के भवन बन गये हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। हजारों किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। सिचाई विभाग के अन्तर्गत जगह-जगह ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं, ट्यूबवेलों की क्षमता भी बढ़ी है। इसके दो कारण है एक तो ट्यूबवेलों का रखरखाव बढ़ा है दूसरे विद्युत के सप्लाई बढ़ी हैं। श्रीमन् इस कारण सिचाई की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। श्रीमन् इसके साथ ही साथ में आपका ध्यान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे निर्माण निगम ने देश में ही नहीं विदेशों में भी काफी कार्य किया है आज इस निगम के उत्कृष्ट कार्य क्षमता के कारण विश्व की बड़ी बड़ी कम्पनियां उसे अपने यहां निर्माण कार्य के लिए आमन्त्रित करती है और यह देश के बाहर कई देशों में निर्माण कार्य

में संलग्न है । इसके साथ ही साथ हम गरीब, निर्बल एवं हरिजन के लिए तरह-तरह की आवासीय योजनायें चला रहे हैं । इन आवासीय योजनाओं के द्वारा हम हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लोगों को अनुदान राशि देकर उन्हें भवन निर्माण में मदद दे रहे हैं और उन्हें भवन उपलब्ध करा रहे हैं, तरह तरह के प्लाट दिये जा रहे हैं ।

शिक्षा के क्षेत्र में भी मान्यवर, इस प्रदेश ने काफी प्रगति की है । हरिजन एवं अन्य जनजातियों के छात्रों को शिक्षा शुल्क को माफी दी है । ऐसी सूरत में मुझे यह बात ऐसी लगती है कि जैसे आप इन सब उपलब्धियों को देख नहीं रहे हैं, या देखकर अनदेखा करना चाहते हैं । इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कोई भी अच्छे कार्य करे, लेकिन विरोध पक्ष में होने के नाते आप उसको निन्दा करना अपना फर्ज समझते हैं । मान्यवर, इन शब्दों के साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योग चलाये जा रहे हैं उसमें आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि चुस्ती लानी चाहिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए । निःसंदेह कुछ में उत्पादन बढ़ा है । लेकिन अभी औरों में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है । मुझे नहीं लगता कि कहीं पर अनियमितता और उदंडता की बात हुई है हमारे यहां तो हमें नही लगता कि हमारो किसी बात को हमारे अधिकारी स्वीकार न करते हों हमारे हर उचित कार्य को हर कोई अधिकारी या कर्मचारी स्वोकार करते हैं चाहे वे आयुक्त हो, जिलाधिकारी हो पुलिस अधिकारी हों या अन्य हों । हमें सबसे पहले अपने आपको देखना चाहिए, यदि हम सही हैं तो हमें पूरा. विश्वास है हमारा सम्मान सर्वत्र होगा । हमें अपने साथ अन्य का ध्यान भी रखना चाहिए । हमारे जनपद में हमारा कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो सही बात न माने । आज आई० ए० एस०, आई० पी० एस० व पी० सी० एस० की हम निंदा करते हैं परन्तु हम समझते हैं इनमें कुछ लोग कहीं पर भले गड़बड़ हों पर आमतौर से कोई ऐसी बात नही हैं । हमारे जनपद में हो या इस सचिवालय में हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हमारी उचित बात न स्वीकार किये हो या हमें आदर न दिये हो । हमारे यहां तो सभी हमें ईमानदार लगते है आप वाराणसी की वात को उछाल रहे हैं कि सरकार और पुलिस ने भगवान को भी नहीं बख्शा है । तो जहां जिले की पुलिस ने 15 दिन में बाबा विश्वनाथ की चोरी को पकड़ लिया है ।

[ 5 बजे अपरान्ह ]

यह उस जिले की बात है जहां के पुलिस प्रशासन को आप भ्रष्ट कह रहे थे । यह उसी जिले की बात है जहां पर आपके एक वरिष्ठ नेता अनशन करने जा रहे थे लेकिन उनको मालूम हो गया कि वहां की पुलिस कितनी कर्मठ है और इन्हें नाटक का मौका नहीं मिला ।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यावद के प्रस्ताव का जो श्री त्रिपाठी जी ने रखा है समर्थन करता हूँ ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, अभी बहुत से साथियों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना भाषण किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना भाषण अगले दिन करें । अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

9 फरवरी, 1983

भाल चन्द शुक्ल

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 449 पर)

वर्ष 1980–81

| विकास खण्ड का नाम | मरम्मत हुये कूपों की संख्या एवं समूह | खर्च हुई धनराशि |
|---|---|---|
| प्रतापपुर | 58 एच०, 131 एच०, 130 एच०, 70 एच०, 124 एच०, 68 एच०, 134 एच०, 167 एच०, 133 एच०, 59 एच०, 206 एच०, 135 एच०, 129 एच०, 136 एच०, 170 एच०, 104 एच०, 214 एच०, 139 एच०, 65 एच०, 127 एच०, 128 एच०, 66 एच०, 210 एच०, 166 एच०, 132 एच०, 75 एच०, 69 एच०, 97 एच०, 270 एच०, 125 एच०, 173 एच०, 138 एच०, 217 एच०, 103 एच०, 237 एच०, 207 एच०, 211 एच०, 64 एच०, 302 एच०=29 नलकूप | 123663.36 |
| धनुपुर | 33 एच०, 34 एच०, 35 एच०, 72 एच०, 81 एच०, 80 एच०, 82 एच०, 83 एच०, 84 एच०, 85 एच०, 90 एच०, 94 एच०, 100 एच०, 118 एच०, 89 एच०, 137 एच०, 146 एच०, 147 एच०, 148 एच०, 151 एच०, 152 एच०, 155 एच०, 156 एच०, 159 एच०, 161 एच०, 164 एच०, 165 एच०, 185 एच०, 186 एच०, 221 एच०,220 एच०, 232 एच०, 252, एच०, 256 एच०, 250 एच०, 269 एच०, 275 एच०, 297 एच०, 298 एच०, 38 एच०, 42 एच०, 112 एच०, 150 एच०, 176 एच०, 188 एच०, 223 एच०, 234 एच०, 254 एच०, 86 एच०, 36 एच०, 37 एच०, 162 एच०=52 नलकूप | 77891.66 |

| विकास खण्ड का नाम | मरम्मत हुये कूपों की संख्या एवं समूह | खर्च हुयी धनराशियाँ |
|---|---|---|
| सैदाबाद | 1 एच०, 2 एच०, 4 एच०, 6 एच०, 7 एच०, 8 एच०, 9 एच०, 11 एच०, 18 एच०, 44 एच०, 46 एच०, 47 एच०, 74 एच०, 99 एच०, 105 एच०, 113 एच०, 114 एच०, 115 एच०, 140 एच०, 178 एच०, 181 एच०, 201 एच०, 205 एच०, 227 एच०, 233 एच०, 240 एच०, 272 एच०, 280 एच०, 281 एच०, 282 एच०, 5 एच०, 117 एच०, 54 एच०, 216 एच०, 102 एच०, 52 एच०, 224 एच० =37 नलकूप | 140827.00 |
| | | योग :—342382.02 |

(वर्ष 1981-82)

| | | |
|---|---|---|
| प्रतापपुर | 57 एच०, 131 एच०, 130 एच०, 70 एच०, 68 एच०, 167 एच०, 67 एच०, 133 एच०, 59 एच०, 60 एच०, 228 एच०, 206 एच०, 135 एच०, 129 एच०, 136 एच०, 122 एच०, 170 एच०, 207 एच०, 214 एच०, 211 एच०, 65 एच०, 128 एच०, 66 एच०, 249 एच०, 245 एच०, 210 एच०, 172 एच०, 75 एच०, 239 एच०, 125 एच०, 138 एच०, 213 एच०, 169 एच०, 168 एच०, 71 एच०, 96 एच०, 63 एच०, 126 एच०, 215 एच०, 246 एच०, 271 एच०, 134 एच०, 61 एच०, 62 एच० =44 नलकूप | 104735.90 |
| धनुपुर | 39 एच०, 112 एच०, 162 एच०, 120 एच०, 121 एच०, 86 एच० =6 नलकूप | 9011.85 |
| सैदाबाद | 44 एच०, 182 एच०, 106 एच०, 240 एच०, 8 एच०, 45 एच०, 142 एच०, 188 एच०, 178 एच०, 11 एच०, 205 एच०, 272 एच०, 225 एच०, 7 एच०, 56 एच०, 54 एच०, 216 एच०, 224 एच० =18 नलकूप | 45445.18 |
| | | योग :—159192.93 |

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या--19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 455 पर।)

नवम्बर 1978 में मेसर्स आटो स्प्रिंग सेल्स तथा अन्य फर्मों, जिन पर क्रय आदेश प्रेषित किये गये, के शुद्ध बोजकीय मूल्य

| क्र०सं० | आइटम | आटो स्प्रिंग सेल्स, लखनऊ | फ्रन्टियर स्प्रिंग कानपुर | नव भारत इंजी०लुधियाना | मोदी इंडस्० मालेर कोटला | जमुना आटो इंडस्ट्रीज जमुना नगर | बन्धोक इंडस्ट्रीज दिल्ली | स्ट्रील फेब्रो इंडस्ट्रीज इन्दौर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| टाटा 1210 | | | | | | | | |
| 1. | फ्रन्ट स्प्रिंग मेल लीफ विद बुश | 39.66 | 41.07 | 46.80 | 44.44 | 44.37 | 43.26 | 44.15 |
| 2. | फ्रन्ट स्प्रिंग द्वितीय लीफ | 36.17 | 37.49 | 41.18 | 40.62 | 39.41 | 40.10 | 39.41 |
| 3. | फ्रन्ट स्प्रिंग तृतीय लीफ | 28.55 | 29.85 | 34.06 | 31.37 | 31.58 | 31.25 | 31.99 |
| 4. | फ्रन्ट स्प्रिंग चतुर्थ लीफ | 25.53 | 27.73 | 30.87 | 29.97 | 28.87 | 28.68 | 26.85 |
| 5. | रियर स्प्रिंग मैन लीफ विद बुश | 68.83 | 70.82 | 80.28 | 75.48 | 77.06 | 76.18 | 67.97 |
| 6. | रियर स्प्रिंग द्वितीय लीफ | 64.17 | 66.27 | 65.31 | 70.65 | 70.59 | 69.69 | 65.69 |
| 7. | " तृतीय " | 51.23 | 52.96 | 59.51 | 55.60 | 56.85 | 55.30 | 50.84 |
| 8. | " चतुर्थ | 45.71 | 47.24 | 54.29 | 50.85 | 50.00 | 49.13 | 45.12 |
| टाटा 1210 डी | | | | | | | | |
| 9. | फ्रन्ट स्प्रिंग मेन लीफ विद बुश | 45.60 | 47.48 | 55.51 | 51.77 | 52.07 | 51.74 | — |
| 10. | ,, द्वितीय लीफ | 42.42 | 43.93 | 50.14 | 48.06 | 46.90 | 48.35 | — |
| 11. | " तृतीय ,, | 32.08 | 33.72 | 40.24 | 39.28 | 37,61 | 37.60 | — |
| 12. | ,, चतुर्थ ,, | 30.04 | 30.66 | 34.96 | 33.38 | 32.67 | 33.27 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | रियर स्प्रिग मेन लीफ विद बुश | 59.39 | 60.73 | 67.88 | 67.65 | 64.46 | 66.46 | 66.26 |
| 14. | ,, द्वितीय लीफ | 55 99 | 57.75 | 64.96 | 62.89 | 61.59 | 62.82 | 62.94 |
| 15. | ,, तृतीय ,, | 46.56 | 47.80 | 57.69 | 51.79 | 54.48 | 55.85 | 54.38 |
| 16. | ,, चतुर्थ ,, | 40.13 | 42.37 | 52.35 | 47.16 | 49.43 | 50.71 | 49.69 |
| | लीलैण्ड 370 | | | | | | | |
| 17. | फ्रन्ट स्प्रिग मेन लीफ विद बुश | 37.91 | 39.47 | 46.78 | 46.10 | 46.26 | 45.26 | 45.12 |
| 18. | ,, द्वितीय ,, | 32.88 | 34.80 | 38.86 | 35.08 | 36.14 | 36.17 | 41.76 |
| 19. | ,, तृतीय ,, | 28.11 | 29.47 | 36.26 | 32.65 | 34.13 | 34.47 | 32.50 |
| 20. | ,, चतुर्थ ,, | 26.25 | 27.64 | 33.42 | 30.66 | 31.35 | 31.17 | 28.19 |
| | लीलैण्ड 370 | | | | | | | |
| 21. | रियर स्प्रिग मेन लीफ विद बुश | 53.29 | 55.09 | 61.73 | 58.93 | 59.35 | 61.06 | 56.32 |
| 22. | ,, द्वितीय लीफ | 45.29 | 47.38 | 54.21 | 50.85 | 51.43 | 52.64 | 55.01 |
| 23. | ,, तृतीय ,, | 42.42 | 43.79 | 49.93 | 46.40 | 47.02 | 48.13 | 46.38 |
| 24. | ,, चतुर्थ ,, | 38.71 | 40.68 | 46.72 | 42.63 | 44.28 | 44.81 | 42.44 |
| | लीलैण्ड वाइकिंग | | | | | | | |
| 25. | फ्रन्ट स्प्रिग मेन लीफ विद बुश | 54.26 | 50.76 | 63.21 | 55.58 | 58.75 | 55.36 | 57.12 |
| 26. | ,, द्वितीय ,, | 52 88 | 50.74 | 58.54 | 51.13 | 54.34 | 55.28 | 54.84 |
| 27. | ,, तृतीय ,, | 42 26 | 40.58 | 53.24 | 44.49 | 47.76 | 44.49 | 46.27 |
| 28. | ,, चतुर्थ ,, | 38.78 | 37.91 | 47.91 | 41.07 | 42.57 | 39.94 | 43.98 |

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 456 पर।

संख्या-6497 ख/छब्बीस-103/71

सेवा में, निदेशक
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक, श्री रामनाथ वरनवाल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

हरिजन सहायक विभाग
लखनऊ, दिनांक 22 नवम्बर, 1972

विषय-अखिल भारतीय अपराध निरोक्षक समिति, लखनऊ को आश्रम पद्धति विद्यालय, लखनऊ (प्रगति आश्रम) को प्राइमरी सेक्शन तक बनाने के लिये चालू वित्तीय वर्ष (1972-73) में अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2210/17-72/2-जनजाति, दिनांक 4 सितम्बर, 1972 के संदर्भ तथा शासनादेश संख्या-3888/छब्बीस-213 (1)/71, दिनांक 24 जून, 1972 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तदुल्लिखित परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष (1972-73) में अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, लखनऊ के विमुक्त जनजातियों के बालकों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय का प्राइमरी सेक्शन बनाने के लिए रु० 50,400/-(केवल पचास हजार चार सौ रुपये) के अनुदान की दूसरी किस्त भी तदर्थ रूप से दिये जाने हेतु स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। यह अनुदान निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन होगा :—

(1) निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उ० प्र० को विद्यालय में स्वयं अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं सम्परीक्षण का अधिकार होगा।

(2) अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लेखाकार तथा मुख्य लिपिक नियुक्तियां, पदोन्नतियाँ सेवा समाप्ति एवं निलम्बन आदि की कार्यवाही निदेशक के परामर्श से की जाएँगी।

2—मुझे यह भी कहना है कि ऊपर पैरा 1 में तदर्थ रूप से स्वीकृत धनराशि का भी शासनादेश संख्या-3888/छब्बीस-213 (1)/71 दिनांक 24 जून, 1972 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

3—उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष (1972-73) के आय-व्ययक में लेखा शीर्षक "39 प्रकीर्ण-सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन प्रकीर्ण-प्रकीर्ण अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां-आयोजनेत्तर-ड०-शैक्षिक कार्यवाहियां (ख)-विमुक्त जातियां-ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद तथा अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, लखनऊ के आश्रम प्रकार के विद्यालयों के अनुरक्षण के लिए अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4—ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-12/2352 (क)/दस-72, दिनांक 21 नवम्बर, 1972 के द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रामनाथ वरनवाल (अनु सचिव)

संख्या-6497/ख (1)/छब्बीस-103/71

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
(3) ट्रेजरी आफिसर, लखनऊ।
(4) अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, प्रगति आश्रम, बालागंज, लखनऊ।
(5) परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से
राम नाथ वरनवाल (अनु सचिव)

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 472 पर)

PRAGATI ASHRAM HIGH SCHOOL–BALAGANJ–LUCKNOW

| Sl. No. | Nature of Posts Sanctioned | No. of Posts Sanctioned | Required Qualifications | Scale of pay (old) | Govt. order No. Date (Posts Sanctioned) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JUNIOR HIGH SCHOOL SECTION | | | | | |
| 1. | Asstt. Suprintendent cum Extention Teacher. | 1 Post | Intermidiate (Agricultural) | 230–6–290–EB–8–330–EB 10–380. | G.O.No. 1016-1/XXXVI-1082/1956, dated 4-8-1962 |
| 2. | Senior Clerk cum Accountant. | 1 ,, | Graduate-Commerce. | 230–6–290–EB–8 330–EB–10 380. | |
| 3. | Junior Clerk cum Storekeeper. | 1 ,, | High School | 200–5–250–EB–6–280–EB–8–320. | |
| 4. | Asstt. Teacher-(Science Teacher) C. T. Grade. | 1 ,, | Intermediate C.T. | 230 6–290–EB–8–330–EB–10 380. | |
| 5. | Music Teacher. C.T. Grade. | 1 ,, | Graduate-Music | ,, | |
| 6. | Craft Teacher. (Leather & Wood) C. T. Grade. | 2 ,, | Diploma Holder | ,, | |
| 7. | Assts. Teacher. J. T. C. Grade. | 4 Posts | Intre–J.T.C. | 200–5–250 EB-6-280–EB-8–320 | |
| 8. | Asstt. Teacher. H.T.C. Grade. | 3 ,, | High School | 185–3–215–EB-4–235–EB–6–265. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | House Mother (Trained) | 1 Post | Intermediate. C.T. | 230–6–290–EB–8–330–EB–10–380. | |
| 10. | Compounder. | 1 ,, | High School Compounder. | 185–3–215–EB–4–235–EB-6–265. | |
| 11. | Medical Officer (Part time) | 1 ,, | M B.B.S. | 100/–FIXED. | |
| 12. | IVth Class Staff | 13 Posts | 5th Class | 165–2–185–EB–3–215. | |
| 13. | Phycalogist (Temporary) | 1 Posts | — | 50/–FIXED. | |
| HIGH SCHOOL SECTION | | | | | |
| 14. | Superintendent cum head master | 1 Post | Trained Graduate | 450–25–575–25–700–30–850. | |
| 15. | Asstt. Teacher–L. T. Grade. | 5 Posts | Trained Graduate | 300–10–350 EB–12–470–EB–16–550. | |
| 16. | Craft Teacher. C. T. (Art) Grade. | 1 Post | Graduate in Art | 230–6–290–EB–8–330–EB–10–380. | |
| 17. | Games Teacher C. T. Grade. | 1 ,, | Intermediate C.P.Ed. | 250 7–285–EB–9 375–EB–10-425. | |
| 18. | IVth Class Staff. (Inculding one Lab. Asstt.) | 3 Posts | 5th Class | 165–2–185–EB-3–215. | |

G. O. No. 6320 (1) 24-10-74, dated 7-12-1974

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 475 पर।)

धोसी तहसील के ड्रेनों का विवरण

| क्रमांक | ड्रेनों का नाम | अब तक हुआ व्यय (लाख रु०) |
|---|---|---|
| 1 | —फरही ड्रेन | 4.65 |
| 2 | —औरा नाला ड्रेन | 0.13 |
| 3 | —चंवरताल ड्रेन | 0.66 |
| 4 | —पवनी नाला ड्रेन | 0.15 |
| 5 | —खदरा नाला ड्रेन | 0.32 |
| 6 | —तजना ड्रेन | 0.17 |
| 7 | —अंकरहा ताल ड्रेन | 0.46 |
| 8 | —मजमेलपुर ड्रेन | 0.04 |
| 9 | —हाहानाला ड्रेन | 0.26 |
| 10 | —ताल पटाक्ष ड्रेन | 1.46 |
| 11 | —माउर ओइत ताल ड्रेन | 0.20 |
| 12 | —भिटिया जगनपुर ड्रेन | 0.24 |
| 13 | —ताल रतौय ड्रेन | 0.51 |
| 14 | —बेला कसेला ड्रेन | 0.44 |
| 15 | —ख्वाह ड्रेन | — |
| 16 | —लऊवा ताल ड्रेन | — |
| | योग : | 9.69 लाख रुपये |

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–120 का उत्तर पीछे पृष्ठ 487 पर ।)

शिक्षण प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

| क्रम सं० | विकलांग व्यक्ति का नाम व पता | जाति | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री खलीकुर्रहमान पुत्र श्री फजलुर्रहमान ग्राम व पोस्ट मुहम्मदाबाद, जिला–गाजीपुर | मुसलमान | 375/– |
| 2 | श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री शिव बहाल राम ग्राम परसनी, पो० माहपुर, जिला–गाजीपुर | पिछड़ी जाति | 360/– |
| 3 | श्री श्यामलाल सिंह यादव पुत्र श्री सिंह यादव ग्राम इजरी, पो० ढढनी, गाजीपुर | अहीर | 360/– |
| 4 | श्री रामदरश सिंह यादव पुत्र श्री देवनाथ सिंह यादव, ग्राम–महादेवा, पो० रामगढ़ गाजीपुर | अहीर | 280/– |
| 5 | श्री जयवीर सिंह यादव ग्राम–धामूपुर, पो० दुल्लहपुर, गाजीपुर । | अहीर | 675/– |
| 6 | विष्णु अवतार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, ग्राम व पोस्ट हंसराजपुर, गाजीपुर । | — | 900/– |
| 7 | श्री रघुनाथ राम पुत्र श्री भूसीराम ग्राम- लखमीपुर, पो०–पतेहपुर अटवा, गाजीपुर । | — | 450/– |
| 8 | श्री राम बिहारी चौरसिया पुत्र श्री दीप नारायण चौरसिया, ग्राम व पोस्ट–गौसपुर, जिला–गाजीपुर । | — | 360/– |
| 9 | श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री गनेश सिंह यादव, ग्राम व पो०–हरभुजपुर गाजीपुर । | अहीर | 525/– |
| 10 | श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री शेष नारायण सिंह ग्राम व पोस्ट–गहभर पट्टी, गोविन्द राम, जिला–गाजीपुर । | — | 600/– |
| 11 | राजदेव राम पुत्र श्री सुकठी राम ग्राम–सकरताली पो०–सोहिलापुर, गाजीपुर । | — | 280/– |
| 12 | कुमारी ऊषा कुमारी पुत्री श्री नरसिंह कुशवाहा, ग्राम–तुलसीपुर, पो०–छावनी, गाजीपुर । | पिछड़ी जाति | 360/– |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13— | श्री हृदय नारायण सिंह कुशवाहा पुत्र श्री शम्भू प्रसाद सिंह, ग्राम बसुहारी, पो० देवरिया, जिला–गाजीपुर । | — | 360/– |
| 14— | कु० फहमीदा पुत्री श्री अब्दुल राजिक मु० बड़ापुरा गाजीपुर । | मुसलमान | 360/– |
| 15— | श्री अवध बिहारी उपाध्याय पुत्र श्री इन्द्र देव उपाध्याय, ग्राम–मकच्छोपुर, पो० ताजपुर डेमा जिला गाजीपुर । | ब्राहमन | 525/– |
| 16— | श्री केदार सिंह यादव, पुत्र श्री शंकर सिंह ग्राम–देवननिया, पो० परसा, गाजीपुर । | अहीर | 900/– |
| 17— | श्री खरपत्तु राम, पुत्र श्री द्वारिका राम ग्राम–देवाबैरन, पो० देवरिया, गाजीपुर । | जाटव | 360/– |
| 18— | श्री राम लिबास सिंह यादव पुत्र श्री पुरुषोत्तम सिंह यादव, ग्राम–बबेड़ी, पो० सोहीलापुर, जिला–गाजीपुर । | अहीर | 360/– |
| 19— | श्री विजय राम सिंह पुत्र स्व० श्री सत्यनारायण सिंह, ग्राम–कौडा, पो० डढवल, गाजीपुर । | — | 675/– |
| 20— | श्री रईस अहमद पुत्र श्री मुहम्मद जलील ग्राम-शेखपुर, पलिया पो० रामपुर, गाजीपुर । | मुसलमान | 450/– |
| 21— | श्री कृपाशंकर राय पुत्र श्री रमन राम ग्राम–होरिलापुर, पो० तरावाड, गाजीपुर । | — | 320/– |
| 22— | श्री गरजु प्रसाद पुत्र श्री प्रभुराम ग्राम-शेखनपुर, पो० कासिमाबाद गाजीपुर । | — | 280/– |
| 23— | श्री रविन्द्र प्रताप सिंह औद्योगिक प्रक्षिशण संस्थान, गाजीपुर । | — | 600/– |
| 24— | श्री लल्लू सिंह पुत्र श्री चन्द्रिका सिंह ग्राम–सराय धनेश, पो० घासूपुर, जिला–गाजीपुर । | — | 600/– |
| 25— | श्री रामजी राय पुत्र श्री सीताराम राय ग्राम–बैडालापुर, पो० मुहम्मदाबाद, जिला–गाजीपुर । | — | 450/– |
| 26— | श्री मुन्ना लाल विश्वकर्मा ग्राम व पो० नवापुरा, गाजीपुर । | लोहार | 600/– |
| 27— | श्री पारस नाथ शाह, ग्राम–कालूपुर, पोस्ट- ताराघाट, गाजीपुर । | — | 600/– |
| | | महायोग :– | 12965/– |

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 494 पर)

संलग्नक "क"

वर्ष 1980-81 में बारा एवं करछना तहसील में छिद्रित नलकूपों का विवरण

| क्रमाँक | तहसील का नाम | ब्लाक का नाम | नलकूप सं० व समूह | ग्राम का नाम | पंप हाउस निर्मित हुआ अथवा नहीं | उर्जीकृत हुआ अथवा नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | जिला इलाहाबाद | | | | | |
| 1 | करछना | करछना | 106 केसी | चनैनी | हां | हां |
| 2 | ,, | ,, | 105 केसी | पचदेवरा | हां | हां |
| 3 | ,, | ,, | 108 केसी | थरी | हां | हां |
| 4 | ,, | ,, | 107 केसी | मड़ोका | हां | हां |
| 5 | ,, | ,, | 109 केसी | भिड़रा | हां | हां |
| 6 | बारा | जसरा | 110 केसी | दौना | हां | हां |
| 7 | करछना | करछना | 113 केसी | भठौलो | हां | हां |
| 8 | ,, | चाका | 111 केसी | जमोली | हां | हां |
| 9 | ,, | करछना | 115 केसी | हरई—11 | हां | हां |
| 10 | ,, | ,, | 114 केसी | मुरैनी | हां | हां |
| 11 | ,, | ,, | 120 केसी | झोरी मदरा | हां | हां |
| 12 | ,, | चाका | 137 केसी | चाका | हां | हां |
| 13 | ,, | ,, | 134 केसी | धनुहा | हां | हां |
| 14 | ,, | ,, | 133 केसी | सरहा | हां | हां |
| 15 | ,, | ,, | 136 केसी | बिरहा | हां | हां |
| 16 | ,, | ,, | 142 केसी | लवाइन कलां | हां | हां |
| 17 | ,, | करछना | 139 केसी | महेवा | हां | हां |
| 18 | ,, | ,, | 151 केसी | हस्थरा ताला | नहीं | नहीं |
| 19 | ,, | ,, | 144 केसी | चकपूरे खुर्द | हां | हां |
| 20 | ,, | ,, | 112 केसी | हरई | हां | हां |
| 21 | ,, | ,, | 116 केसी | अमिलो | हां | हां |
| 22 | ,, | ,, | 117 केसी | करछना खास | हां | हां |
| 23 | ,, | ,, | 118 केसी | रामगढ़ | हां | हां |
| 24 | ,, | ,, | 131 केसी | डीहा—3 | हां | हां |
| 25 | ,, | ,, | 119 केसी | छरिबना | हां | हां |
| 26 | ,, | चाका | 132 केसी | हरदुआ | हां | हां |
| 27 | ,, | करछना | 135 केसी | चुप्पेपुर डीहा | हां | हां |
| 28 | ,, | चाका | 138 केसी | बलापुर—2 | हां | हां |

संलग्नक "ख"

वर्ष 1981–82 में बारा एवं करछना तहसील के छिद्रित नलकूपों का विवरण

| क्रमांक | तहसील का नाम | ब्लाक का नाम | नलकूप सं० व समूह | ग्राम का नाम | पंप हाउस निर्मित हुआ अथवा नहीं | उर्जीकृत हुआ अथवा नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | जिला—इलाहाबाद | | | | | |
| 1 | करछना | चाका | 143 केसी | अकबना चक शोभाराम | हां | नहीं |
| 2 | ,, | करछना | 152 केसी | अनतहिया | हाँ | नहीं |
| 3 | बारा | जसरा | 140 केसी | परसरा | हां | नहीं |
| 4 | ,, | ,, | 141 केसी | चिल्ला गोहानी | हां | नहीं |
| 5 | करछना | करछना | 145 केसी | पतुलकी | हां | नहीं |
| 6 | ,, | ,, | 146 केसी | बगरहा | हां | नहीं |
| 7 | ,, | ,, | 147 केसी | कोलाही | हाँ | नहीं |
| 8 | ,, | ,, | 148 केसी | नरीकापुरा | हां | नहीं |
| 9 | बारा | शंकरगढ़ | 150 केसी | कचरा डांडो | नहीं | नहीं |
| 10 | करछना | करछना | 153 केसी | इसौटा | हां | हां |
| 11 | ,, | ,, | 157 केसी | चक गरीबदास | हां | नहीं |
| 12 | बारा | जसरा | 154 केसी | तातगंज | हां | नहीं |
| 13 | करछना | करछना | 155 केसी | गोजैहा | हां | हाँ |
| 14 | ,, | ,, | 156 केसी | हलई का पुरा | हां | नहीं |
| 15 | ,, | ,, | 149 केसी | झोरहि लच्छीपुर | हां | हाँ |
| 16 | ,, | ,, | 163 केसी | रामपुर सेमरहाँ | हां | नहीं |
| 17 | ,, | ,, | 164 केसी | खजूरी बराव | हां | नहीं |
| 18 | ,, | चाका | 161 केसी | नेवादा समोगर लेवाइन | हां | हां |
| 19 | ,, | करछना | 158 केसी | सजई | हां | हां |
| 20 | ,, | चाका | 159 केसी | दादूपुर इमिलिया | हां | हां |
| 21 | ,, | करछना | 160 केसी | चारा | हां | हां |
| 22 | ,, | ,, | 165 केसी | कटका | हां | नहीं |
| 23 | ,, | ,, | 166 केसी | अकोढ़ा | हां | हां |
| 24 | बारा | जसरा | 167 केसी | पचखरा | हां | नहीं |
| 25 | करछना | करछना | 168 केसी | मंगारी | हां | नहीं |
| 26 | ,, | ,, | 170 केसी | मेनईया | हां | नहीं |
| 27 | ,, | ,, | 171 केसी | गढ़वाखुर्द | हाँ | नहीं |
| 28 | ,, | ,, | 169 केसी | खाईपुर | हां | हां |
| 29 | ,, | ,, | 172 केसी | बीरपुर | हां | नहीं |
| 30 | ,, | ,, | 173 केसी | लोकई का पुरा | हां | नहीं |
| 31 | ,, | ,, | 174 केसी | बेलई | हां | नहीं |
| 32 | ,, | ,, | 175 केसी | रिठेइया | नहीं | नहीं |
| 33 | ,, | ,, | 162 केसी | चन्दौली | हां | नहीं |
| 34 | ,, | ,, | 176 केसी | निदौरा | हां | नहीं |
| 35 | बारा | जसरा | 177 केसी | बरदुला | नहीं | नहीं |
| 36 | करछना | कौधियारा | 178 केसी | टिकरी | हां | नहीं |
| 37 | बारा | जसरा | 179 केसी | कचरा मिश्रपुर | नहीं | नहीं |

नत्थी "ज"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या—147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 498 पर ।)

| क्रम सं० | प्रार्थना पत्र में की गई संस्तुति | कुल कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 1—राजबहा बतारा को आगे बढ़ाना | 1–राजबहा बतारा को आगे बढ़ाने का कार्य सीतापुर ब्रांच की टेल सिस्टम में पानी की कमी हो जाने के कारण नहीं कराया गया । |
| 2 | 2–अर्रो ड्रेन की सफाई व खुदाई | 2–माह जून, 81 में सफाई करा दी गई है । |
| 3 | 3–राजबहा खैराबाद के मील 22–23 के बीच टूटी कदम पुलिया की मरम्मत । | 3–इस कदम पुलिया का पुनः निर्माण इस वर्ष कराया जाना सम्भावित है । |
| 4 | 4–राजबहा खैराबाद के कुलाबा नं० 147 को ठीक कराना । | 4–दिनांक 26 जून, 81 को कुलाबा ठीक करा दिया गया है । |
| 5 | 5–राजबहा खैराबाद के मील 31–4 पर पुलिया निर्माण कराना । | 5–पुलिया का निर्माण कराना औचित्य पूर्ण नहीं है । |
| 6 | 6–राजवहा खैराबाद पर ड्रेन बनाना । | 6–सीतापुर जनपद की समस्याओं के निवारण हेतु मास्टर प्लान बनाया गया है जिसके अनुमोदन के पश्चात् कार्य कराये जाने पर विचार किया जायेगा । |
| 7 | 7–माइनर भेदवना की सफाई एवं पानी की व्यवस्था । | 7–कार्य पूर्ण करा दिया गया है । |
| 8 | 8–ग्राम सलेमपुर में खारजा बनाना । | 8–सर्वेक्षण कराया जा रहा है । |
| 9 | 9–माइनर रखौना की टेल पर पानी भराव के सम्बन्ध में । | 9–सर्वेक्षण कराया जा रहा है । |

नत्थी "झ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-152 का उत्तर पीछे पृष्ठ 499 पर।)

(1) ग्राम चौरिया में रैम्प के निर्माण हेतु निविदायें प्राप्त हो गई है तथा कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है।

(2) उक्त ग्राम में जल भराव से प्रभावित क्षेत्र के पानी को निकालने हेतु ड्रेन का निर्माण प्रगति पर है।

(3) श्री नन्हें सिंह को मुआवजा दिये जाने के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(4) पोषक नहर के किलोमीटर 155.15 तथा 170.400 के समीप पुल पहले ही निर्मित हैं अतः नये पुलों के निर्माण का औचित्य नहीं है।

(5) ग्राम सतईखेड़ा के जल प्लावन की समस्या के निदान हेतु ड्रेन के निर्माण के लिए भूमि अध्यापन की कार्यवाही प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध होने पर ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा।

(6) पोषक नहर के कि० मी० 173.00 के समीप दायें किनारे पर स्थित क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(7) हैदरगढ़ शाखा के किनारे सीपेज की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(8) हरदोईया एस्केप के पुल का निर्माण प्रगति पर है।

(9) लोनी एस्केप पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) पोषक नहर के कि०मी० 159.800 पर बनी साईफन के पानी को ले जाने हेतु एक ड्रेन बनाई गई थी जिसका पानी रेलवे कलवर्ट से होकर बहता है। कलवर्ट का लेबिल आस-पास के क्षेत्र के लेबिल के लगभग बराबर होने के कारण निचले भाग का पानी ड्रेन द्वारा निकालना सम्भव नहीं है।

(11) शारदा सहायक खण्ड-18 लखनऊ के अन्तर्गत पोषक नहर की सीपेज से 1087 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित था जिसके निदान हेतु 26.5 कि० मी० लम्बाई में ड्रेन बनाकर लगभग 700 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित किया गया। लगभग 20 कि० मी० लम्बाई में और ड्रेन बनाना प्रस्तावित है।

(12) दुलारमऊ, अल्पिका के हेड का कार्य अगली नहरबन्दी में कराया जाना प्रस्तावित है।

(13) शारदा सहायक खण्ड-18 लखनऊ के अन्तर्गत ड्रेनों की सफाई पर वर्ष 1982-83 में केवल 1714-00 व्यय किया गया है तथा ऐसा कोई मामला दृष्टिगोचर नहीं हुआ है जहाँ बिना कार्य कराये भुगतान कर दिया गया हो।

नत्थी "अ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 166 का उत्तर पीछे पृष्ठ 505 पर)

गोरखपुर जनपद में वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 में उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को स्वीकृत धनराशि का विवरण ।

वर्ष 1980–81

| क्र० सं० | ऋणी का नाम | ऋण की धनराशि (हजार रुपयों में) | उद्योग का नाम तथा स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | विकास केन्द्र ऋण | | |
| 1– | श्री पारस नाथ गुप्ता | 30 | आयल मिल, मुहल्ला भुण्डी, नौतनवा |
| 2– | श्री महेश प्रसाद | 35 | सॉ मिल, ठूठीवारी रोड, नौतनवा |
| 3– | श्री वशीउल्लाह | 30 | आयल मिल, जुगौली (सोनौली) |
| 4– | श्री सप्तमी विश्वकर्मा | 25 | सॉ मिल, जुगौली, (सोनौली) |
| 5– | श्री श्रीमती जोगावती देवी | 50 | राइस मिल, चौकरोड, चौराहा मऊ पाकड़ महराजगंज |
| 6– | श्री सिकन्दर शेख | 35 | आयल मिल, रामपुर बुजुर्ग, विकास खण्ड महराजगंज, गो. |
| 7– | श्री किशन लाल | 30 | जनरल इन्जी., भोपा बाजार, चौरीचौरा (स्थापनान्तर्गत) |
| 8– | श्री शिवशरन प्रसाद | 40 | लेदर टेनिंग, भोपा बाजार |
| 9– | श्री श्रीकान्त जायसवाल | 25 | आयल मिल, मुन्डेरा बाजार चौरीचौरा, गोरखपुर |
| 10– | श्री राधेश्याम किला | 50 | दाल मिल, गोरखपुर देवरिया मार्ग, चौरीचौरा । |
| 11– | श्री गोपाल प्रसाद जायसवाल | 12 | बेकरी इण्डस्ट्रीज, मुण्डेरा बाजार, चौरीचौरा गोरखपुर, |
| 12– | श्री जोऊत लाल गुप्ता | 45 | दाल मिल, मुण्डेरा बाजार, चौरीचौरा |
| | जिला उद्योग केन्द्र ऋण | | |
| 13– | श्री सुरजीत सिह | 35 | सॉ मिल, लक्ष्मीपुर (स्थापनान्तर्गत) |
| 14– | श्री देवी दयाल कश्यप | 7 | परफ्यूम आयल, मोहरीपुर |
| 15– | श्री रसीक अहमद | 25 | सॉ मिल, मोहरीपुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16– | श्री रामकरन सिंह | 10 | आयल मिल, भुसवल विकास खण्डबांस गांव |
| 17– | श्री सोनापति गुप्ता | 50 | दाल मिल, बड़हल गंज |
| 18– | श्री श्रीराम गुप्ता | 25 | मशाल उद्योग, मिठौरा बाजार (स्थापनान्तर्गत) |
| 19– | श्री राम ललित सिंह | 8 | परफ्यूम्ड हेयर आयल, पुराना गोला, बड़हलगंज |
| 20– | श्री व्यास मणि त्रिपाठी | 40 | सुर्खी उद्योग, स्टेशन के पास पिपराइच |
| | योग | 607 | |

वर्ष 1981-82

विकास केन्द्र ऋण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | श्री इन्द्रजोत सिंह | 50 | स्टील फर्नीचर उद्योग, नौतनवा (स्थापनान्तर्गत) |
| 2– | श्री बलिकरन | 25 | आइस कैन्डी इण्ड., सोनौली बाजार |
| 3– | श्री हौसिला नन्द पटेल | 25 | सॉ मिल इण्ड०, झनझनपुर विकासखण्ड महराजगंज |
| 4– | श्री हनुमान दास जायसवाल | 40 | जनरल इन्जी०, कुनसरवा, नौतनवा (स्थापनान्तर्गत) |

जिला उद्योग केन्द्र ऋण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5– | श्री रसीक अहमद | 15 | सॉ मिल, मोहरीपुर |
| 6– | श्री खेद प्रसाद | 20 | आयल मिल, धधसरा |
| 7– | श्री मुरारी लाल निगम | 40 | दाल मिल, खजनी |
| 8– | श्री प्रहलाद प्रसाद गुप्ता | 25 | कृषि यंत्र, दोहरिया बाजार |
| 9– | श्री झीनक | 40 | दाल मिल, आमाकोट मटिहनिया, बृजमनगंज |
| 10– | श्री रमानन्द गुप्ता | 20 | आयल मिल, पीपीगंज (स्थापनान्तर्गत) |
| 11– | श्री विनोद कुमार | 20 | कृषि यंत्र, मथुरा नगर फरेन्दा (स्थापनान्तर्गत) |
| 12– | श्री वंशमणि तिवारी | 22 | जनरल इन्जी०, फरेन्दा खुर्द फरेन्दा |
| 13– | इजहार खां | 15 | बेकरी उद्योग, भटहट |
| | योग | 357 | |

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ 515 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री भोखा लाल का तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर

---

प्रश्न

3—क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति हरिजन बालिका विद्यालय, मोहन रोड, लखनऊ में 13 अगस्त, 1981 को विषैले भोजन के खाने से लगभग 50 बालिकायें गम्भीर रूप से बीमार हो गयीं और तदुपरान्त उनमें से चार की मृत्यु हो गयीं ? यदि हाँ, तो इस घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस काण्ड के लिए कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

उत्तर

3—आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, लखनऊ की 189 बालिकाओं में से 32 बालिकाएँ बीमार हुई थीं जिनमें 8 साधारण रूप से तथा 24 गम्भीर रूप से बीमार हुईं। इन बालिकाओं के उपचार हेतु स्थानीय चिकित्सालयों मे भेजना पड़ा। 18 बालिकायें मेडिकल कालेज अस्पताल में भेजी गयीं थी उनमें से 10 बालिकाओं को भर्ती कर लिया गया था और 8 बालिकाओं को जो परीक्षणोपरान्त भर्ती योग्य नहीं पाई गई थीं उन्हें दवाइयां देकर वापस भेज दिया गया था। शेष 14 बीमार बालिकाओं को कालरा अस्पताल, लखनऊ में भर्ती कराया गया था ? मेडिकल कालेज में भर्ती 10 बालिकाओं में से 4 की मृत्यु हो गयी थी और 6 बालिकायें स्वस्थ्य होकर वापस आ गयी थीं। कालरा अस्पताल, लखनऊ में भर्ती सभी 14 बालिकायें उपचारोपरान्त स्वस्थ्य होकर वापस आ गई थीं। इस प्रकार की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुइ है कि 4 बालिकाओं की मृत्यु विषैले भोजन के कारण हुई थी। इस घटना के लिए दोषी पाये गये अधिकारी और कर्मचारी विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती प्रेमकुमारी शुक्ला, छात्रवास की अधीक्षिका श्रीमती सुमन मिश्रा तथा गृह माता श्रीमती शारदा शर्मा को निलम्बित कर दिया गया है। इस घटना की गुप्तचर विभाग द्वारा जाँच कराई जा रही है। विद्यालय के छात्रावास भवन की सफाई आदि की समुचित व्यवस्था करा दी गयी है। इनके अतिरिक्त विद्यालय में गैट्रोन सेप्टिक टैंक तथा अलग से एक रसोई घर आदि की व्यवस्था, करायी जा रही है।

गुलाब सेहरा,
राज्य मन्त्री,
हरिजन एवं समाज कल्याण।

---